(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 5] षष्टम् विधान सभा के पंचम् सत्र का 19 वां दिवस [संख्या 13

शुक्रवार

दिनांक 16 मार्च, 1979

विधान सभा की बैठक म. पू. 11·00 बजे विधान सभा भवन जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामचन्द्र, उपाध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न। श्री रणजीतसिंह।

राजस्थान चैम्बर ग्राफ कामर्स एण्ड इन्डस्ट्रीज जयपुर को ग्रावंटित भू-खण्ड

287. **श्रीरणजीत सिंह राठौड़** (ग्रोसियां): क्या नगर ग्रायोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने वर्ष 1966 में राजस्थान चैम्बर ग्राफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज, जयपुर को एम. ग्राई. रोड, जयपुर पर एक विशाल भूखण्ड ग्रावंटित किया था ? यदि हां, तो कितनी राशि में व किन शर्तों पर ? कृपया शर्तों की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि लीज डीड की शर्तों के ग्रनुसार चैम्बर को वर्ष 1968 की समाप्ति के पूर्व चैम्बर द्वारा प्रेषित एवं राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत मानचित्रों के ग्रनुसार भवनों का निर्माण करना था ? यदि हां, तो उक्त भवनों में से कौन कौन सा भवन कब कब तैयार हुग्रा ? यदि नहीं, तो राज्य सरकार ने लीज डीड की शर्तों के ग्रनुसार चैम्बर को उक्त भवनों के निर्माण हेतु कब कब नोटिस दिये ? कृपया ऐसे जारी किये गये नोटिस की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

नगर ग्रायोजना मंत्री (श्री भंवरलालशर्मा): (1) जी हां, राजस्थान चैम्बर ग्राफ कामर्स एण्ड इन्डस्ट्रीज को एम. ग्राई. रोड, जयपुर पर 1·87 एवं भूमि 1-00 रुपया वार्षिक लीज पर 99 वर्ष की ग्रवधि हेतु ग्रावंटित की गयी थी। लीज डीड की प्रतिलिपि संलग्न है।

(2) जी हां, चैम्बर भवन का पूर्व भाग का कुछ हिस्सा 1971 में बना। चैम्बर

(श्री भंवरलाल शर्मा)

के प्रार्थना पत्रों पर निर्माण की अवधि सशर्त 14-9-71 तक बढ़ाई गई एवं समयावधि में निर्माण का काम पूरा करने के निर्देश दिये। नोटिस की प्रतिलिपि संलग्न है।

(लीज डीड व नोटिस के लिये कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

श्री रणजीत सिंह राठौड़ : क्या यह सही है कि लीज के मुताबिक दो साल में भवन पूरा करना था ?

श्री भंवरलाल शर्मा : सही है।

श्री रणजीत सिंह राठौड़ : क्या यह सही है कि अवधि बढ़ाई गई फिर भी आज दिन तक भवन नहीं बना ?

श्री भंवर लाल शर्मा : यह भी सही है।

श्री श्योपतसिंह मकासर (हनुमानगढ़) : सरकार ने क्या एक्शन लिया है ?

श्री भंवरलाल शर्मा : सरकार ने इसको रिज्यूम कर लिया। वापस लेने की कार्यवाही की। इस पर स्टे हुआ है। उसमें सुनवाई की आगे की तारीख निश्चित है।

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा) : रिज्यूम कब की सरकार ने ? तारीख बताने की कृपा करेंगे।

(विराम)

श्री श्योपतसिंह मकासर : आप घर पर तैयारी करके नहीं आते।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया आपाधापी मत कीजिये। मंत्री महोदय को तसल्ली से देखने दीजिये।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्वैश्चन आवर के अन्दर कोई मंत्री महोदय समय लें तो हाउस का समय नष्ट होता है।

श्री भंवर लाल शर्मा : सन् 71 में रिज्यूम कर लिया और जो तत्कालीन मंत्री थे श्री गुलाबसिंह शक्तावत, उन्होंने स्टे दिया था।

श्री मूलचन्द डागा : सरकार की तरफ से कौन-कौन सी तारीख को नोटिस दिये ? उनका उत्तर क्या आया ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : सन् 71 में गुलाबसिंह शक्तावत मिनिस्टर थे ही नहीं, यह सदन को गुमराह कर रहे हैं।

श्री भंवर लाल शर्मा : सन् 71 में रिज्यूम की कार्यवाही शुरू की गई। बाद में गुलाबसिंह शक्तावत ने स्टे दिया।

श्री मूलचन्द डागा : आपने राजस्थान चैम्बर आफ कामर्स को नोटिस कौनसी तारीख को दिया और उसका क्या उत्तर मिला आपको ?

श्री गुरुशरण छाबड़ा (सूरतगढ़) : क्या मंत्री महोदय समझते हैं कि आवंटन गलत हुआ है ? क्या सरकार उस आवंटन को कैंसिल करने की कार्यवाही कर रही है ?

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय, कृपया यह बतायें, आपने यह नोटिस दिया वह

(श्री उपाध्यक्ष)

किस तारीख को दिया ? नोटिस आपने जारी किया या कोर्ट के द्वारा जारी किया गया है ?

श्री भंवर लाल शर्मा : यह जो रिज्यूम करने की कार्यवाही की उसके आदेश हैं 21-6-75 के और जो स्टे दिया गया है वह 17-1-76 को दिया गया है ।

एक माननीय सदस्य : कोर्ट ने दिया है या सरकार ने ?

श्री भंवर लाल शर्मा : सरकार ने दिया है ।

श्री मूलचन्द डागा : रिज्यूम कैसे किया? आप उत्तर दे रहे हैं रिज्यूम कर लिया। आपने क्या कार्यवाही की ?

श्री उपाध्यक्ष : प्रशासनिक आदेश से रिज्यूम किया गया और प्रशासनिक आदेश से स्टे किया गया ।

श्री श्योपतसिंह मकासर : उस स्टे को बनाये रखना चाहते है या स्टे को वैकेट करना चाहते हैं ? सरकार की अब मंशा क्या है ?

श्री भंवर लाल शर्मा : इसकी सुनवाई की तारीख आगे पड़ी हुई है । उससे पहले यह कहना कि इसको रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते हैं, मेरे ख्याल में उचित नहीं है ।

श्री श्योपतसिंह मकासर : आप रोज स्टे करने के आर्डर देते हैं This is a question of policy राज्य सरकार क्या ठीक समझती है । रिज्यूम करना चाहिये या नहीं ? नीति बताइये ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती मदन कौर ।

श्री भंवर लाल शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह व्यवस्था चाहूंगा कि 30 अप्रेल की तारीख फिक्स्ड है तो क्या यह उचित है, उससे पहले जवाब दिया जाय ?

श्री श्योपतसिंह मकासर : मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं, सरकार की नीति क्या है ? कन्सेशन जो सरकार ने दिया, वह उस सरकार ने दिया जो आपकी सरकार नहीं थी ।

श्री उपाध्यक्ष : मेरे विचार से मंत्री महोदय शायद दुविधा की स्थिति में हैं । शायद जुडिशियल आथोरिटी की हैसियत से रिवीजन का फैसला करना है ।

श्री श्योपतसिंह मकासर : उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस सरकार ने कन्सेशन के तौर पर दिया ।

(व्यवधान)

अब हम पूछना चाहते हैं, पालिसी क्या है ?

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता (कोलायत) : मंत्री महोदय को जुडिशियरी की दृष्टि से निर्णय नहीं करना है, कानून के तहत अपील नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव आर्डर है, शर्तों की अनुपालना नहीं की गई है । यहां जुडिशियल

(श्री रामकृष्ण दास गुप्ता)
ग्रायोरिटी वेस्ट नहीं करती है। You should state here what is your policy.

श्री श्योपतसिंह मकासर : जिस सरकार ने········

(व्यवधान)

लाखों रुपयों की प्रापर्टी मुफ्त में दे दी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य गुप्ता जी, कृपया ग्राप बिराजिये। बता दिया गया है।

(व्यवधान)

श्री गुरुशरण छाबड़ा : कृपया इनको मेडिकल के लिये भेजा जाय।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : यह हकीकत है कि ग्रापने उन सेठों से पैसा लिया है।

(व्यवधान)

श्रीमती मदन कौर (पचपदरा) : उपाध्यक्ष जी, मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहूंगी कि स्टे प्राप्त करने के किये सम्बन्धित पार्टी ने कौन-कौन से कारण राज्य सरकार के सामने रखे थे? क्या उन कारणों को राज्य सरकार ने उपयुक्त माना है? वह क्या कारण हैं ग्रौर उनकी क्या उपयुक्तता है?

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह स्टे मेरे द्वारा नहीं किया गया है।

श्री मूलचन्द डागा : किसी के द्वारा भी दिया गया हो, यह प्रश्न नहीं है।

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई : फेक्चुग्रल स्थिति रख दें ग्रौर बता दें हमको।

उद्योग मन्त्री (श्री सूर्य नारायण चौधरी) : ग्राप उस रोज कहां चले गये थे जिस दिन दी थी?

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : कांग्रेसियों को तो जेल में डाल दो, मगर ग्राप क्यों जेल में जाने को हो रहे हो? इनके **थूके को क्यों चाट** रहे हो?

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय डागा जी, उसमें कई लोग इन्ट्रेस्टेड हैं। मेरा उत्तर तो ग्राप सुन लीजिये। माननीय सदस्या ने प्रश्न पूछा है कि ऐसे कारण बतायें, जिससे स्टे दिया गया। उन्होंने यह कारण बताया है कि हम निर्माण इसलिये नहीं कर सके कि पैसों की कमी थी ग्रौर कुछ समय कम मिला........

श्री मूलचन्द डागा : यह कोई कारण नहीं है।

श्री भंवरलाल शर्मा : ग्राप सुन तो लीजिये, ये मेरे कारण नहीं हैं, जो उन्होंने कारण बताये हैं वह बता रहा हूं। यह मेरा ग्राग्यूमेंट नहीं है, उनका ग्राग्यूमेंट है। मैंने कोई कारण देकर स्टे नहीं दिया है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : क्या ग्राप यह सोचते हैं कि उस सरकार का फैसला गलत था? सवाल पालिसी का है, नीति

(श्री भंवरलाल शर्मा)

का सवाल है। क्या जनता पार्टी की सरकार उसको जायज समझती है ? जायज था तो दो साल तक क्यों नहीं फैसला किया गया।

श्री मदनसिंह दांता (दांता रामगढ़) : जब सरकार को मालूम हो गया और आप स्वयं कह रहे हैं कि इसको हम मानते हैं कि स्टे ठीक नहीं था तो यह तो कह दीजिये कि 30 तारीख को उसका निर्णय कर देंगे। उसके आगे मत बतायें।

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं कह रहा हूं 30 तारीख को निर्णय कर दूंगा।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : क्या निर्णय लेंगे, उनको मजबूर नहीं कर सकते हैं।

श्री श्योपत सिंह मकासर : करोड़ों रुपयों की प्रापर्टी है। दो साल तक फैसला क्यों नहीं किया ? यह सरकार फैसला क्यों नहीं कर रही है ? क्या नीति है ? यह सरकार को बताना चाहिये।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन। श्री राम कृष्ण दास गुप्ता।

(व्यवधान)

माननीय श्योपत सिंह जी, आप स्वयं सुनें। जो प्रश्न पूछे जाने के नियम हैं उनमें यह प्रावधान नहीं है कि पालिसी मैटर उठाया जाय।

(व्यवधान)

श्री श्योपत सिंह मकासर : उन्होंने उल्लंघन किया है शर्तों का....

श्री मूलचन्द डागा : सवाल पालिसी का नहीं है, लीज की जो शर्तें हैं उनकी अनुपालना हुई है या नहीं हुई है ?

श्री भंवरलाल शर्मा : नहीं हुई।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया सुनें मन्त्री महोदय को।

श्री सूर्य नारायण चौधरी : आप बात सुन लीजिये।

श्री भंवरलाल शर्मा : लीज की शर्तों का उल्लंघन किया गया है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : फिर फैसला क्यों नहीं किया आपने ?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराजें, मन्त्री महोदय को सुन लें।

श्री भंवरलाल शर्मा : 30 तारीख पहले से फिक्स है उसमें।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय ने कह दिया है, उसकी पेशी पर सुन लेंगे।

श्री श्योपतसिंह मकासर : जो भवन बनाया है, वह किराये पर दे रखा है, क्या यह भी शर्त का उल्लंघन है ?

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : एक करोड़ की जमीन है।

श्री उपाध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन। श्री राम कृष्ण दास गुप्ता।

राज्य में देशी शराब की बिक्री

288. श्री रामकृष्ण दास गुप्ता (कोलायत) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर शहर में वर्ष 1977-78 में देशी शराब की बिक्री हेतु ठेके देने से कितनी आय हुई थी व सन् 1978-79 में कितनी होने की आशा है ?

(2) क्या जयपुर शहर में इस वर्ष गंगानगर शुगर मिल की दुकानों से देशी शराब बेची जा रही है ?

(3) क्या यह सही है कि गंगानगर शुगर मिल्स के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा आबकारी आयुक्त व अन्य अधिकारियों को पिछले दिनों उन दुकानों की व जगहों की सूची दी गई थी, जहां अवैध शराब बेची जाती है ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई ?

आबकारी मन्त्री (श्री आदित्येन्द्र) : (1) वर्ष 1977-78 में जयपुर शहर में देशी शराब की बिक्री का ठेका देने से रुपये 2,30,60,960/– की आय हुई। वर्ष 1978-79 में रुपये 1,36,82,200/– की आय होने की सम्भावना है।

(2) जी हां।

(3) जी हां। जांच कर नियमानुसार कार्यवाही की गई।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : उपाध्यक्ष जी, मैं माननीय मन्त्री महोदय से कहना चाहूंगा कि शराब की खपत जयपुर शहर में कम नहीं हुई। एक करोड़ रुपये का लास एक्स-चेकर को हुआ है। शुगर फैक्ट्री के डाइरेक्टर को कई महीने पहले जिक्र किया गया था और कहा गया था कि 14 फरवरी को पूरी डिटेल्ड न्यूज आई है तो आपने उन अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की ? छापे मारे गये, उनकी आपके पास रिपोर्ट थी। एक करोड़ रुपये की चोरी का मामला आपकी आंखों के सामने आ गया तो राज्य सरकार ने क्या कार्यवाही की।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री बालचन्द।

श्री बालचन्द आर्य (डग) : क्या माननीय मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्य में कहां-कहां शराब की दुकानें हैं ? कितने एम०एल०ए० और मंत्रीगण शराब पीते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, ऐसे प्रश्न सप्लीमेन्ट्री के स्कोप में नहीं आते हैं। कृपया बिराजिये।

(व्यवधान)

श्री आदित्येन्द्र : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष 1977-78 के लिए जयपुर शहर की दुकानें ठेकेदारों को देने से 2 करोड़ 30 लाख 60 हजार 960 रुपयों की आय हुई। वर्ष 1978-79 में जयपुर शहर की

(श्री आदित्येन्द्र)

दुकानें मैसर्स गंगानगर शुगर मिल्स के माध्यम से चलाई जा रही हैं। वर्ष 78-79 में अप्रेल सन् 78 से जनवरी 79 तक 1,14,11, 806·90 पैसे की आय हुई है और वर्ष के अन्दर 1,36,82,200 रुपयों की आय होने की सम्भावना है। इसके अलावा मैसर्स गंगानगर शुगर मिल को अभी तक करीब 72 लाख का लाभ हुआ है। जयपुर शहर की कुल 28 मुख्य दुकानें तथा 15 उप दुकानें हैं। वर्ष 78-79 के लिए जयपुर शहर की दुकानों की आरक्षित राशि 2,30,28,700 रु० निर्धारित की गई थी। वर्ष 78-79 में जयपुर शहर की दुकानें ठेकेदारों द्वारा नहीं लिए जाने के कारण से दुकानें गंगानगर शुगर मिल के माध्यम से चलाई जा रही हैं। अवैध शराब की बिक्री की रोकथाम के लिए मैसर्स गंगानगर शुगर मिल द्वारा एक अधिकारी नियुक्त किया हुआ है जिसने कुछ समय पूर्व जिला आबकारी अधिकारी जयपुर नगर को, आयुक्त आबकारी के माध्यम से कुछ ऐसे स्थानों एवं व्यक्तियों की सूची दी थी, प्रति संलग्न है, जिनके द्वारा अवैध शराब की बिक्री किए जाने की आशंका थी। इनमें से अधिकांश मामलों में जिला आबकारी अधिकारी पूर्व में ही कार्यवाही कर रहे थे तथा शेष के विरुद्ध समय-समय पर कार्यवाही हेतु भी आवश्यक गोपनीय निर्देश दिए गए। अप्रैल सन् 78 से फरवरी 79 तक जयपुर नगर क्षेत्र में 365 अभियोग दर्ज किए गए हैं। इनमें से 47 मामलों में चालान पेश किये जा चुके हैं। आबकारी विभाग ने मैसर्स गंगानगर शुगर मिल्स, जो इस वर्ष जयपुर नगर में देशी मदिरा की दुकानें चला रही है, के विरुद्ध भी 19 मामले दर्ज किये हैं जो उक्त 365 मुकदमों में शामिल हैं। ये 19 मुकदमे मदिरा में पानी मिलाने एवं अन्य अनियमितताओं के हैं। इनमें 11 मुकदमे में गंगानगर शुगर मिल को आबकारी विभाग द्वारा अर्थ दण्ड दिया जा चुका है। अन्य मामले विचाराधीन हैं। मैसर्स गंगानगर शुगर मिल की ओर से संदिग्ध व्यक्तियों की सूची जब आबकारी विभाग को प्राप्त हुई थी उससे पूर्व ही विभाग अपनी सूचनाओं के आधार पर सूची में अंकित अधिकांश वास्तविक व्यक्तियों के विरुद्ध स्वतः कार्यरत था। जिन 24 स्थानों पर कार्यरत संभावित संदिग्ध व्यक्तियों की सूची....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय वित्त मन्त्री महोदय, आपने काफी समुचित जानकारी दे दी है.........

(व्यवधान)

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : मानीय वित्त मन्त्रीजी महोदय, एक एक्साइज कमिश्नर द्वारा तैयार किया गया उत्तर आपने पढ़ने का कष्ट किया लेकिन मेरा आरोप है कि एक्साइज कमिश्नर ने उस गंगानगर शुगर फैक्ट्री के डायरेक्टर द्वारा बताये गए नाम और दुकानों पर कार्यवाही समय पर नहीं की। इससे राज्य सरकार को एक करोड़ का शुद्ध घाटा हुआ है। आप ऐसे एक्साइज कमिश्नर और अन्य अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही करना चाहते हैं, हमें इस जानकारी में इंट्रेस्ट है। यह लीपापोती जो आपने की है, इस राजस्थान पत्रिका के 14फरवरी के अंक में हैड लाइन में दिया हुआ है कि जयपुर में अवैध शराब की बिक्री में एक करोड़ का घाटा। सारे पत्रकारों को और राजस्थान पत्रिका को मालूम है कि जयपुर शहर में एक करोड़ का घाटा एक वर्ष में हो रहा है।

(श्री रामकृष्ण दास गुप्ता)

और हमारे एक्साइज डिपार्टमेंट को कुछ मालूम नहीं। ये सारे एक्साइज डिपार्टमेंट वाले ठेकेदारों से आपस में मिले हुये हैं। आप इनके विरुद्ध, मन्त्री महोदय, क्या कार्यवाही करना चाहते हैं ? आज आप हाउस में इसकी घोषणा करें कि जांच करवायेंगे या नहीं ? जांच इस बात की कि एक्साइज कमिश्नर ने पूरी तहकीकात या पूरे कदम समय पर नहीं उठाये। इसकी जांच सरकार कराने को तैयार है या नहीं, मेरा यह सवाल है। एक करोड़ का घाटा राज्य सरकार को हुआ है·······

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजिये, एक करोड़ की बात कई दफा कह दी।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : एक करोड़ के घाटे की जांच आप कराना चाहते हैं या नहीं, इसकी घोषणा करें।

श्री मदनसिंह दांता : जांच करके ही तो तीन सौ केसेज पकड़ लिये।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : यह मिली भगत है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मन्त्री महोदय उत्तर दे रहें हैं, कृपया सुनिये।

श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल) : क्या यह भी सही है कि जो केसेज बनाये गये थे उनमें भी मिली भगत थी ?

श्री आदित्येन्द्र : आप सुनिये।

श्रीमती श्यामकुमारी सेंगर (कपासन): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न है····

श्री आदित्येन्द्र : मेरी बात सुनिये।

श्री उपाध्यक्ष : मन्त्री महोदय उत्तर दे रहे हैं, पहले उनको सुन लीजिये।

श्रीमती श्यामकुमारी सेंगर (कपासन): उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी एक ही प्रश्न पूछना चाहती हूं साथ ही उत्तर आ जायेगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मन्त्री महोदय से यह प्रश्न पूछना चाहती हूं कि अभी पिछले दिनों हमारे 126 विधायकों ने मद्य निषेध सम्बन्धी ज्ञापन दिया था उसमें से कितने विधायक शराब पीने वाले हैं, यह कृपया बतायें ?

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : माननीय सदस्या, यह सवाल रेलेवेंट नहीं है। यह जनता सरकार·······

श्री उपाध्यक्ष : रामकृष्णदासजी, आप प्रश्न पूछना चाहते हैं, उत्तर नहीं सुनना चाहते।

श्री कौशलकिशोर जैन (भीलवाड़ा) : यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक करोड़ का घाटा है। पिछली बार मैंने सदन के अन्दर माननीय वित्त मन्त्री महोदय से निवेदन किया था कि भीलवाड़ा के अन्दर ठेके हुये जिसमें अजमेर एक्साइज अधिकारी ने 32 हजार रुपये लेकर एक लाख का गबन किया। माननीय मन्त्री महोदय बतायें·······

(व्यवधान)

श्री आदित्येन्द्र : माननीय उपाध्यक्ष महोदय·········

श्री चिरंजीलाल गर्ग (पुष्कर) : मैं भी एक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मन्त्री महोदय को उत्तर तो देने दें।

श्री आदित्येन्द्र : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि यह जो एक करोड़ रुपयों का घाटा है वह इस कारण नहीं है कि वहां पर अलग-अलग तरह के घोटाले हुये हैं। ये जो कुछ भी घोटाले होते हैं, जो कुछ भी नुकसान होता है वह तो सभी जगह होता है·······

श्री मूलचन्द डागा : बिल्कुल ठीक है।

श्री आदित्येन्द्र : मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब कभी भी दुकानों के ठेके उठते नहीं हैं यानी कोई ठेकेदार नहीं लेते हैं उस समय गंगानगर शुगर मिल को दुकानें दे दी जाती हैं। यह पहले की परम्परा रही है········

(व्यवधान)

आप सुन लीजिये 76-77 में 2 करोड़ 10 लाख की आमदनी जयपुर शहर की दुकानों से हुई। 77-78 में यह जो दुकानें थीं, 77-78 में ये दुकानें दो करोड़···· मेरे कहने का मतलब है कि 2 करोड़ 30 लाख की आमदनी हुई, 2 करोड़ 10 लाख की आमदनी 77-78 में हुई। 2 करोड़ 30 लाख······

श्री मूलचन्द डागा : आप भूल जाओगे, बार बार मत याद करो।

श्री आदित्येन्द्र : इसीलिये हर वक्त के लिए ऐसे नियम हैं कि दस पर्सेंट बढ़ा कर अगले साल के लिए रिजर्व प्राइस तय कर दी जाती है। पिछले वर्ष की 2 करोड़ 10 लाख की आमदनी पर दस पर्सेंट बढ़ा कर दो करोड़ 30 लाख रिजर्व प्राइस तय कर दी गई। उस पर टेंडर इन्वाइट किये गये। टेण्डर इन्वाइट करने पर 2 करोड़ 10 लाख से ऊपर कोई बोली नहीं लगाई गई। बात-चीत करने के बाद ज्यादा से ज्यादा 2 करोड़ 15 लाख के लिये तैयार थे। जब यह हालत रही, 15 लाख का नुकसान हमने देखा तब गंगानगर शुगर मिल को वे दुकानें दे दी गईं क्योंकि इस तरह की पहले से परम्परा रही है। गंगानगर शुगर मिल के साथ वह एग्रीमेंट नहीं होता है, जो एग्रीमेंट और ठेकेदारों के साथ होता है।

ठेकेदारों से गारण्टी मनी लिया जाता था और गंगानगर शुगर मिल्स से नहीं लिया जाता है। अगर ठेकेदारों को दुकानें दी जातीं तो यहां पर 2 करोड़ 30 लाख की आमदनी होती, परन्तु चूंकि यह दुकानें गंगानगर शुगर मिल्स के पास थी इसलिए यहां पर 1·36 लाख की आमदनी होने की सम्भावना है। इसके साथ साथ गंगानगर शुगर मिल्स को 72 लाख का लाभ हुआ है, इस शराब को बेचने से।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन।

श्री श्योपतसिंह मकासर: एक करोड़ रुपये का सवाल है।

(व्यवधान)

श्री कौशलकिशोर जैन : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पिछली बार इस सदन में भीलवाड़ा जिले के ठेकों में हुए घोटालों के सम्बन्ध में जिक्र किया था।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: नैक्स्ट क्वेश्चन।

श्री श्योपतसिंह मकासर : ठेकेदारों के साथ मिल कर साजिश की गई है।

(व्यवधान)

श्री रतन लाल वर्मा (भिनाय) : मैं मंत्री महोदय को यह पूछना चाहता हूं कि अजमेर जिले में 15 लाख का घोटाला मैंने पकड़ कर बताया ? उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बिराजें।

इस शोरगुल में आपकी आवाज मेरे पास तक भी नहीं पहुंच रही है। मंत्री महोदय, मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं, माननीय सदस्यों की यह भावना है कि क्या आप यह महसूस नहीं करते हैं कि राज्य सरकार को एक्साइज की रेवेन्यू में नुकसान हुआ है पहले की आय को देखते हुए तो क्या इसके पीछे कोई प्रशासनिक कमजोरी है ? अगर इसमें कोई गोलमाल है तो क्या आप इसकी जांच करवाएंगे ?

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई : हमारे प्रश्न का जवाब आना चाहिए।

श्री श्योपतसिंह मकासर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने जो सवाल उठाया है उसका जवाब आना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया मंत्री महोदय का उत्तर आने दीजिए।

कृपया आप बिराजें।

श्री आदित्येन्द्र : उपाध्यक्ष महोदय, यहां जो कुछ कहा गया कि एक करोड़ रुपये का घाटा हुआ है, यह घाटा किसी घोटाले के कारण नहीं हुआ है।

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : यह ठेकेदारों और अधिकारियों की मिलीभगत के कारण हुआ है।

(व्यवधान)

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : यह भ्रष्टाचार है, यह लूट है।

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : इससे राजस्थान को एक करोड़ के रेवेन्यू की हानि हुई है।

(व्यवस्था-सूचक घंटी)

श्री रतन लाल वर्मा : इसमें एक करोड़ का घाटा हुआ है और यह घाटा आप गरीब किसानों से वसूल करना चाहते हैं।

श्री श्योपत सिंह मकासर : पुलिस और आबकारी अधिकारी इन दोनों ने राजस्थान में मिल कर तथा गंगानगर शुगर मिल के अधिकारियों से मिल कर यह षड़यन्त्र किया है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय पदम सिंह जी,

माननीय श्योपत सिंह जी, कृपया बिराजें। कृपया बिराजें।

(व्यवस्था–सूचक घंटी)

(व्यवधान)

श्री पदम सिंह राठौड़ (निम्बाहेड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है........

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, कृपया बिराजें। आसन पैरों पर है।

(व्यवधान)

माननीय राम कृष्ण दास जी, कृपया बिराजें।

(व्यवधान)

माननीय लालचन्द जी, कृपया बिराजें।

आपका सुझाव बाद में सुनूंगा।

माननीय सदस्यगण, एक प्रश्न पर जिस तरह से चर्चा हुई, शायद इसका कोई चारा नहीं निकलेगा।

श्री श्योपत सिंह मकासर : चोरी पकड़ी गई है।

(व्यवधान)

इसकी जांच होनी चाहिए।

श्री राम कृष्ण दास गुप्ता : इसकी जांच होनी चाहिए। एक करोड़ रुपये के घाटे का सवाल है। दोषी व्यक्तियों को सजा मिलनी चाहिए।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: कृपया बिराजें।

श्री पदम सिंह राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, शराबबन्दी के कारण राज्य को जबर्दस्त 40 करोड़ का घाटा होगा। एक करोड़ के घाटे पर ही इतनी व्यग्रता माननीय सदस्य कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : पहले उन अधिकारियों को सस्पेन्ड करो और फिर जांच करो। आबकारी अधिकारियों को सस्पेन्ड करो।

हम चाहते हैं कि आबकारी अधिकारी को सस्पेंड किया जाय।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप उत्तर नहीं सुनना चाहते। बीच में बोल-बोल कर आप व्यवधान न डालें। कृपया मन्त्री महोदय जो कहना चाहते हैं, सुन लीजिये आप।

श्री शिवचरण सिंह (बयाना) : यह घोटाला कैसे हुआ ? यह बताइये।

श्री आदित्येन्द्र : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अभी निवेदन किया था। 2.30 करोड़ की बजाय 1·36 करोड़ की आमदनी की सम्भावना मैंने बताई। इसका कारण असल में व्यवस्था से है लेकिन फिर भी····

श्री श्योपतसिंह मकासर : व्यवस्था किसकी ?········

(व्यवधान)

श्री आदित्येन्द्र : मैं यह कहना चाहता हूं कि ठेकेदारों से रुपये ले लिये जो एक्साइज········

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्नसिंह : उस पर कोई बात नहीं है, उपाध्यक्ष महोदय····

(व्यवधान)

श्री निर्मल कुमार सकलेचा (झालरापाटन) : 2·15 करोड़ ठेकेदारों को न देकर गंगानगर शुगर मिल को क्यों दिये, प्रश्न यह है ?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्योपतसिंह जी, कृपया विराजें। आप मन्त्री महोदय को सुन नहीं रहे हैं। मंत्री महोदय का उत्तर आने दीजिये। कृपया विराज जाइये।

(व्यवधान)

आप सुनने की तरफ ध्यान दीजिये। कृपया विराज जाइये।

(व्यवधान)

श्री आदित्येन्द्र : माननीय सदय चाहते हैं कि इसकी जांच की जाय। मैं पूरी तरह से तैयार हूं कि जांच की जाय और जांच करने पर चाहे एक्साइज के अधिकारी हों चाहे कोई भी हों, जो भी दोषी पाये जायेंगे उनके लिये जो आप दण्ड का प्रावधान करेंगे वह ही होगा।

श्री कौशलकिशोर जैन (भीलवाड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय·······

(व्यवधान)

मिलीभगत के कारण जांच कौन करेगा।

श्री मूलचन्द डागा : आप जांच किससे करवायेंगे ? कौन करेगा जांच ?

(व्यवधान)

श्री निर्मल कुमार सकलेचा : जांच किससे करवाई जायेगी ?

श्री उपाध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन।

राजस्थान नहर हेतु विश्व बैंक की सहायता

289. **श्रीमती नारंगी देवी** (किशनगढ़) : क्या राजस्थान नहर परियोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कुछ लेप्सेज के कारण विश्व बैंक से वर्ष 1979-80 में राजस्थान नहर के लिये मदद उपलब्ध नहीं हो सकेगी ?

(2) क्या यह सही है कि ईरान में आन्तरिक संकट के कारण राजस्थान नहर के लिये ईरानी सहायता खटाई में पड़ गई है ?

(3) क्या राजस्थान सरकार नहर के निर्माण हेतु अन्य एशियाई देशों के साथ सहायता लेने हेतु बातचीत कर रही है ? यदि हां, तो इस ओर बातचीत में क्या प्रगति हुई ?

राजस्थान नहर परियोजना मन्त्री (श्री केदारनाथ) : (1) राजस्थान नहर परियोजना के 1979-80 के कार्य हेतु विश्व बैंक से मदद का कोई प्रस्ताव नहीं किया गया था।

(2) यह मामला भारत सरकार के विचारार्थ भेजा गया था व वर्तमान स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है।

(3) राजस्थान नहर के निर्माण सहायता हेतु इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

श्रीमती मदन कौर : क्या यह सही है कि केन्द्रीय सरकार के उद्योग मन्त्री राजस्थान नहर के लिये धन प्राप्त करने के लिए सऊदी अरब गये थे ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार की उसमें सहमति है ? कृपया विस्तृत ब्यौरे से सदन को अवगत करायें।

श्री केदारनाथ : मान्यवर, यह प्रश्न राज्य सरकार से सम्बन्धित नहीं है। केन्द्र ने क्या बात की इसकी जानकारी हमें नहीं है।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, स्थिति स्पष्ट नहीं हुई। यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि ईरान की हालत पहले से ही खस्ता है। वहां लोगों को खाने को भी नहीं मिलता तो वे सहायता कैसे देंगे ?

उद्योग मन्त्री (श्री सूर्यनारायण चौधरी) : आप सवाल पूछ रहे हैं या जवाब दे रहे हैं।

श्री केदारनाथ : ईरान के शाह से बात हुई थी वे आज एग्जाइल्ड हैं, डिपोज्ड हैं। अब नई सरकार को भारत सरकार ने मान्यता दी है। उसके बाद कोई बातचीत नहीं हुई है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : माननीय उपाध्यक्ष, मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि जब केन्द्रीय सरकार किसी भी अन्य देशों की सरकारों से राजस्थान केनाल के बारे में बात करती है तो क्या उसमें राजस्थान के प्रतिनिधि को भी शामिल करती है या नहीं ?

श्री केदारनाथ : राजस्थान सरकार को भी वार्ता में शामिल किया जाता है। फाइनल स्टेज पर बातचीत होती है, तय किया जाता

(श्री केदारनाथ)

है तो राजस्थान सरकार को भी लिया जाता है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : इनिशियल स्टेज पर क्या होता है ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री श्योपतसिंह जी, केवल साइन करना ही तो नहीं होता, बातचीत भी होगी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बजरंगलाल।

श्री बजरंगलाल शर्मा (बनीपार्क जयपुर): राजस्थान केनाल के निर्माण के लिये धन-राशि देने का क्या कांग्रेस के जमाने में भी कोई करार हुआ था ? यदि हुआ तो उसकी स्थिति क्या है ? क्या यह सही है कि जार्ज फर्नाण्डिस ने बात की और जो पुराना करार हुआ था उसका हवाला दिया गया तो उन्होंने कहा कि ओपेक कंट्रीज इन शर्तों पर पेमेन्ट को तैयार नहीं है ?

श्री केदारनाथ : जब तक समझौता नहीं हो जाता तब तक चर्चा नहीं हो सकती। एक प्रश्न यह है कि वर्ल्ड बैंक से भी राजस्थान केनाल के लिये क्या कोई सहायता मांगने का प्रस्ताव है। इसके लिये वर्ल्ड बैंक से सहायता का कोई प्रस्ताव पास नहीं हुआ। ईरान के शाह से जो सहायता की बातचीत हुई तो ईरान के शाह अब देश छोड़ कर चले गये हैं, सत्ता छोड़ कर चले गये हैं। इससे आगे बात का सवाल नहीं है। अब नई सरकार से.........

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मन्त्री महोदय, इन्होंने अन्य ओपेक कंट्रीज के बारे में भी पूछा है।

श्री केदारनाथ : जब तक कोई एग्रीमेंट नहीं होता तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता जब तक बातचीत चल रही है....

श्री बजरंगलाल शर्मा : क्या पहले कोई करार हुआ था। क्या जार्ज फर्नांडीस को उस करार पर बजट देने के लिये मना कर दिया गया ? यह मेरा स्पेसिफिक क्वेश्चन है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, पहले मन्त्री महोदय ने बता दिया, उनको ऐसे करार के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

श्री बजरंगलाल शर्मा : पहले करार हुआ था और फर्नाण्डीस साहब को मना कर दिया गया।

श्री केदारनाथ : न तो इस सिलसिले में कोई बातचीत चली न कोई एग्रीमेंट हुआ।

श्री उपाध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन।

राज्य में स्वतन्त्रता सेनानियों को पेंशन

290. श्री मनोहरसिंह मेहता (माण्डलगढ़) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में कितने ऐसे स्वतन्त्रता सेनानी हैं जिन्हें पेन्शन की राशि मिलती है ? नाम व पेन्शन की राशि दर्शाते हुये सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) जिन-जिन स्वतन्त्रता सेनानियों को पेन्शन मिलती है उनमें से कितने ऐसे हैं जिनकी आर्थिक स्थिति खराब है तथा

(श्री मनोहरसिंह मेहता)
जिनके भरण-पोषण का कोई आधार नहीं है तथा कमा कर खिलाने वाला भी कोई नहीं है ? जो सम्पन्न हैं उन्हें अन्त तक पेन्शन देना कहां तक उचित है ? और नहीं है, तो पेन्शन बन्द करने के बारे से राज्य सरकार का क्या विचार है ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मनोहरसिंह जी, आपका प्रश्न स्थगित किया गया है।

नैक्स्ट क्वेश्चन।

श्री मनोहरसिंह मेहता : मुझे आधे मिनट का समय तो दीजिए। मुझे जवाब इसी सत्र में मिलना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : आप कृपया विराज जाइये।

श्री कालू भाई।

श्री मनोहरसिंह मेहता : मान्यवर, एक स्वतन्त्रता सेनानी की इस कदर उपेक्षा की जाय कि जवाब न दिया जाय। कम से कम यह तो हो कि जवाब इसी सत्र में दिया जायगा।

श्री उपाध्यक्ष : आपका प्रश्न स्थगित कर दिया गया है। इसी सत्र में जवाब आयगा।

श्री मूलचन्द डागा : बस ठीक है, इसी सैशन में आना चाहिये।

चित्तौड़गढ़–बांसवाड़ा वाया प्रतापगढ़ मार्ग का राष्ट्रीयकरण

291. श्री कालू भाई मीणा (प्रतापगढ़) : क्या यातायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि चित्तौड़गढ़-प्रतापगढ़ रूट के परमिटों का राष्ट्रीयकरण मार्ग करने के विचार से नवीनीकरण नहीं किया गया था ? यदि हां, तो किस आधार पर अचानक उनका नवीनीकरण कर दिया गया ?

(2) क्या इन परमिटों का नवीनीकरण करने में प्रभावशाली लोगों का दबाव था ?

(3) क्या राज्य सरकार चित्तौड़गढ़–बांसवाड़ा वाया प्रतापगढ़ मार्ग का राष्ट्रीयकरण करने का विचार रखती है, यदि हां, तो कब तक ?

यातायात मन्त्री (श्री हरिसिंह) : (1) इस मार्ग के परमिट नवीनीकरण के मामले सर्वप्रथम.......

कई माननीय सदस्य : आवाज नहीं आ रही है। और जोर से बोलें।

श्री हरिसिंह : (1) इस मार्ग के परमिट नवीनीकरण के मामले सर्वप्रथम माह फरवरी, 1978 में प्राधिकरण के विचारार्थ रखे गये,....

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) : मन्त्री महोदय उलटा–सीधा उत्तर दे रहे हैं।

कई माननीय सदस्य : जोर से और फिर से।

श्री हरिसिंह : (1) इस मार्ग के परमिट नवीनीकरण के मामले सर्व प्रथम माह फरवरी, 1978 में प्राधिकरण के विचारार्थ रखे गये, इन्हें निजी एवम् राजस्थान राज्य

(श्री हरिसिंह)

पथ परिवहन निगम के अधिकारियों (अधिवक्ताओं) की प्रार्थना पर स्थगित किये जाते रहे एवम् सदस्य प्राधिकरण के आदेश........

श्री श्योपत सिंह मकासर : पढ़ कर नहीं हैं।

श्री हरिसिंह : दिनांक 10–1–79 द्वारा अग्रिम 3 वर्ष की अवधि के लिए राष्ट्रीयकरण की योजना क्रियान्वित किये जाने की शर्त के साथ नवीनीकरण किये गये ।

(2) जी नहीं ।

(3) जी हां । राष्ट्रीयकरण की योजना मोटर गाड़ी अधिनियम की धारा 68 सी के अन्तर्गत प्रकाशित हो चुकी है तथा इसकी सुनवाई संयुक्त विधि परामर्शी द्वारा की जा रही है ।

श्री कौशलकिशोर जैन : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने प्रश्न के भाग (2) का जवाब नहीं दिया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि चित्तौड़गढ़ जिले की जनता पार्टी के प्रमुख नेता के दबाव में आकर यह राष्ट्रीयकरण की योजना रद्द की गई है ।

कई माननीय सदस्य : शेम, शेम ।

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : नाम बताइये....

(व्यवधान)

श्री कौशलकिशोर जैन : उपाध्यक्ष महोदय, मै मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि इस मार्ग के राष्ट्रीयकरण की योजना कब की गई थी, क्यों रद्द की गई है और कब तक इस मार्ग का राष्ट्रीयकरण पूरा हो जायेगा ?

श्री शिवचरण सिंह : वह जनता पार्टी के नेता हैं।

श्री बन्शीलाल सारस्वत (नागौर) : नाम बताइये आप ।

श्री शिवचरण सिंह : नाम बताइये आप । आप सारी जनता पार्टी को बदनाम कर रहे हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर) : यह जनता पार्टी के नेता हैं यह कहने से पूरी पार्टी बदनाम होगी, नाम बतायें । इसलिए उस नेता का नाम बताएं ।

श्री मनोहर सिंह मेहता : नाम जरूर बताइये, आपने कहा है तो ।

श्री शिवचरण सिंह : सारे जनता पार्टी के नेता लोग इस प्रकार से घोटाले कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मन्त्री महोदय, कृपया उत्तर दें ।

श्री नवरंग सिंह (नवलगढ़) : नाम तो बताइये कि कौन से जनता पार्टी के नेता हैं ? मैं मन्त्री जी से नाम पूछ रहा हूं ।

श्री कौशलकिशोर जैन : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जनता पार्टी के चित्तौड़गढ़ जिले के अध्यक्ष श्री ललितसिंह जी के दवाव से यह परमिट दिया है और राष्ट्रीयकरण की योजना को रद्द कर दिया गया है।

कई माननीय सदस्य : शेम. ! शेम !

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह गलत बात हैं। ललितसिंह जी इनके घटक के नहीं इसलिए उनको बदनाम कर रहे हैं।

श्री शिवचरण सिंह : यह गलत बात है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री प्रद्युम्न सिंह : ललित सिंह जी इनके घटक के नहीं हैं। आप उनको बदनाम करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आपके पुराने साथी हैं।

श्री रघुनन्दन व्यास (सिरोही) : माननीय उपाध्यक्ष, इसका मतलब है कि ललित सिंह जी इनके घटक के हैं।

श्री पदमसिंह राठौड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं....

श्री उपाध्यक्ष : आप सप्लीमेंट्री प्रश्न पूछें। स्पष्टीकरण मत करिये।

श्री पदमसिंह राठौड़ : यह जो आरोप लगाया जा रहा है यह बिल्कुल असत्य है। मैं समझता हूं कि रोडवेज ट्रांसपोर्ट को उस मार्ग पर परमिट नहीं मिला हुआ था और रोडवेज की कोई गाड़ी नहीं थी।

श्री उपाध्यक्ष : यह कृपया मन्त्री महोदय को कहने दें।

श्री पदमसिंह राठौड़ : यह आरोप गलत है।

श्री कौशलकिशोर जैन : उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय इस बात की जांच का आश्वासन दें। मेरी बात सच है और बिल्कुल सच है। इस मामले में घोटाला हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया शान्त हों। अगर मन्त्री महोदय का उत्तर नहीं सुनना चाहते हैं तो मैं दूसरा प्रश्न लूं।

श्री मनोहरसिंह मेहता : उपाध्यक्ष महोदय....

श्री शिवचरण सिंह : माननीय मन्त्रीजी, क्या यह बात सही है जो कि पदमसिंह जी ने कही है ?

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराजें आप।

श्री रघुनाथ विश्नाई : आप उस रूट पर गाड़ी लगायेंगे ही नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रघुनाथजी, उत्तर सुनिये। आप वरिष्ठ सदस्य हैं और बार बार खड़े हो जाते हैं।

बिल्कुल नहीं। बिराजिये आप। कृपया बिराजिये।

(18)

श्री मदनसिंह दांता : विना लगाम के घोड़े हैं।

श्री हरिसिंह : माननीय उपाध्यक्ष, क्योंकि माननीय कौशलकिशोर जी ने एक स्पेसिफिक बात कही है, इसका स्पष्टीकरण देना जरूरी है। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि यह बात ध्यान से सुनें और फिर मनन करें।

चित्तौड़गढ़–प्रतापगढ़ मार्ग पर 7 वाहनों का स्कोप था जिनमें से 2 परमिट निजी वाहनों के नवीनीकरण के विरुद्ध निगम से प्राप्त कर चुका था। तीन नवीनीकरण वाहनों के विरुद्ध आर० टी० ए० के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये हुये थे, लेकिन मन्त्रिमण्डल की आज्ञा संख्या 179/78 दिनांक 9-5-78 को।

(व्यवधान)

ध्यान से सुनिये आप....के द्वारा नये मार्गों पर परमिट देने के सम्बन्ध में निम्न निर्णय लिया गया था। और सुनिये आप, यह निर्णय क्यों लिया गया था। माननीय सदस्य सारे इसके खिलाफ थे, रोडवेज अनाप-शनाप राष्ट्रीयकरण कर रही है और उससे मैनेजमेंट नहीं हो रहा है। हाउस की यह भावना थी....

श्री मूलचन्द डागा : यह हाउस की भावना नहीं थी। आप राष्ट्रीमकरण के विरोध में हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मन्त्री महोदय का उत्तर पूरा सुन लें।

श्री बजरंगलाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय जो पढ़ रहे हैं वह रुक रुक कर पढ़ रहे हैं, यह ठीक नहीं है। जहां तक हो ठीक ढंग से पढ़ा जाय। ऐसा नहीं हो सकता है क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय बजरंगलाल जी, आप सप्लीमेंट्री नहीं पूछ रहे हैं।

श्री नरेन्द्रपाल सिंह चौधरी (मावली) : वह 9-8-78 का था।

श्री हरिसिंह : मोटरगाड़ी अधिनियम की धारा 68 के अन्तर्गत परमिट लेकर जो बसें चलाई जा रही हैं वहां पर बसें फिलहाल लाई जायं।

श्री मदनसिंह दांता : आपको पढ़ने में क्यों तकलीफ हो रही है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : कम पढ़े लिखे हैं।

श्री हरिसिंह : फिलहाल बसें चलती रहेंगी। लेकिन आर० टी० के यहां से उन रूट्स पर परमिट के लिए अपने प्रार्थना-पत्र वापस लेने पर निगम की सारे प्रतापगढ़ मार्ग पर गाड़ियां कम होंगी।

श्री गुल मोहम्मद (जौहरी बाजार-जयपुर) : यह रुक रुक कर क्या पढ़ रहे हैं माननीय मंत्री जी।

एक माननीय सदस्य : आप के जवाब से सन्तुष्ट नहीं है।

श्री हरिसिंह : माननीय उपाध्यक्ष, मैंने स्पष्ट कहा है कि यह स्कीम जाईन्ट एल० आर० के पास है जो कि जुडिशियल आथोरिटी है। जाइन्ट एल० आर० इसको

(श्री हरिसिंह)

क्लियर कर देंगे तो नेशनलाइजेशन कर देंगे।

(व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्ष, मैंने इस सारे मामले को देखा है। कोई दबाव नहीं आया है। माननीय सदस्य मुझे आकर कन्विन्स करा दें कि यह दबाव कहीं पर है तो मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देना चाहता हूं........

(व्यवधान)

श्री कौशलकिशोर जैन : क्या माननीय मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे, क्या यह सही नहीं है कि जब माननीय मुख्य मंत्री महोदय प्रतापगढ़ पधारे थे तो इन घोटालों की चर्चा की थी ? मैं यह सिद्ध करने के लिए तैयार हूं कि इसमें कितना घोटाला हुआ है। लोगों के परमिट रद्द किये गये हैं। नये परमिट दिये गये हैं।

(व्यवधान)

श्री बजरंगलाल शर्मा : मैं मन्त्री महोदय को यह कहना चाहता हूं....

श्री हरिसिंह : मुझ से किसी ने नहीं कहा है न मैंने करवाया है और न मैं किसी दबाव में आया हूं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ। अब इस प्रश्न पर कोई चर्चा नहीं होगी ।

श्री बहादुर सिंह (नोहर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आगे का प्रश्न बहुत महत्व पूर्ण है। उसे स्थगित कर दें तो आगे ले लिया जाये।

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : अभी तो आधा मिनट बाकी है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

श्री श्योपत सिंह मकासर : बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है।

श्री उपाध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है।

श्री बहादुर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इसको स्थगित कर दीजिये।

मैंने प्रश्न देख लिया है। मैं स्थगित नहीं करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है।

श्री किशनसिंह भाटी (जैसलमेर) : क्या माननीय उपाध्यक्ष महोदय भी कभी कभी इस प्रकार की जिद पकड़ते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : कभी कभी आप भी जिद पकड़ते हैं। मैं तो बहुत कम पकड़ता हूं।

श्री बजरंगलाल शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न बहुत अहमियत रखता है। इसलिए सदन की भावनाओं का

(श्री बजरंगलाल शर्मा)

आदर रखते हुए इस प्रश्न को आप आगे लेने की कृपा करें।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजें।

(व्यवधान)

यह प्रश्न क्या महत्वपूर्ण है। माननीय मन्त्री महोदय, आप उत्तर देना चाहते हैं तो दें।

(व्यवधान)

कई माननीय सदस्य : बहुत महत्वपूर्ण है।

श्री उपाध्यक्ष : मन्त्री महोदय भी इस प्रश्न को महत्वपूर्ण मानते हैं इसलिए इस प्रश्न का उत्तर देने की अनुमति दी जाती है।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : एक आदमी के कारण 18 आदमियों की जिन्दगी बरबाद हो रही है।

आर० ए० एस० अधिकारियों की पदोन्नति

292. श्री बहादुरसिंह (नौहर) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(2) राज्य सरकार द्वारा दिनांक 13-2-79 को प्रसारित आदेशों में सीनियर स्केल आर० ए० एस० में किन किन अधिकारियों की पदोन्नति रोकी गई तथा किन किन कारणों से ? विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) राज्य में सिविल सेवा के मामले विचाराधीन होते हुये भी पूर्व में किन-किन आर० ए० एस० अधिकारियों को पदोन्नति दी गई थी तथा किन आर० ए० एस० अधिकारियों की रोकी गई ? विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

(3) क्या राजस्थान सिविल सेवा नियम, 1958 के नियम 16 में विचाराधीन जांच होते हुये भी आर० ए० एस० सीनियर स्केल में आफिसियेटिंग पदोन्नति रोकी जा सकती है ? अगर हां, तो किस नियम के तहत ?

सहकारिता मन्त्री (श्री कैलाश मेघवाल) : (1) संदर्भित आज्ञा द्वारा सर्वश्री आनन्द कुमार हेमकर, रणजीत सिंह गटाला, एवं गुलाबचन्द जिन्दल की आर० ए० एस० की वरिष्ठ वेतन शृंखला में पदोन्नति रोकी गई है एवं श्री हेमकर एवं गटाला का रिकार्ड ठीक नहीं पाया गया एवं श्री जिन्दल का परिवीक्षा अवधि में कार्य सन्तोषप्रद न पाये जाने के कारण परिवीक्षा अवधि दिनांक 22-9-79 तक बढ़ा दी गई है।

(2) सिविल सेवा के मामलों से क्या अभिप्राय है, यह प्रश्न से स्पष्ट नहीं होता।

मेरा माननीय विधायक महोदय से निवेदन है कि उनका आशय सिविल सेवा अधिकरण से है या क्लासिफिकेशन आफ रूल्स से है। मैं इन दोनों मामलों में ही निवेदन कर दूंगा।

(श्री कैलाश मेघवाल)

(3) जी हां, आफिसियेटिंग पदोन्नति दिये जाने के लिए राज्य सरकार ने परिपत्र संख्या एफ. 1(16) अपाइण्टमेण्ट्स (ए-2) 67 दिनांक 12 जून, 1972 द्वारा कुछ मापदण्ड निर्धारित किये हैं । तद्नुसार जिन अधिकारियों के विरुद्ध राजस्थान सिविल सेवा (क्लासिफिकेशन, कण्ट्रोल एवं अपील) रूल्स के नियम 16 के अन्तर्गत विभागीय जांच चल रही हो और आरोपों की गम्भीरता को दृष्टि में रखते हुये किसी मैजर पैनल्टी से दण्डित किया जाना सम्भावित हो तो अस्थायी पदोन्नति रोकी जा सकती है ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बहादुरसिंह । आप धैर्य रखें ।

श्री बहादुरसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह जानकारी चाहूंगा कि रूल्स के प्रावधान के अनुरूप उनकी पदोन्नतियों को नहीं रोका जा सकता है । जो चार्जेज लगाये गये हैं, जिनके अन्दर पदोन्नतियां रोकी जा सकें, ऐसे वह चार्जेज नहीं हैं । इसलिये यह जानबूझ कर ही पदोन्नतियां रोकी गई हैं । दूसरा यह है कि दूसरे अफसरों की इन्क्वायरी पेंडिंग पड़ी हैं । उनके खिलाफ चार्जेज हैं । उनका प्रमोशन कर दिया गया है और बाकी को छोड़ दिया गया है । क्या यह सही है ?

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : क्या जब गृह राज्य मन्त्री नोहर राजकीय प्रवास पर आये तो रणजीतसिंह गटाला उनसे मिलने गये, इस पर जिलाधीश गुमानसिंह ने आपत्ति की ? गृह राज्य मन्त्री के राजकीय प्रवास पर एस० डी० ओ० नोहर के जाने पर, जिलाधीश की रिपोर्ट पर, उन पर यह कार्यवाही की गई है ? उनको जाने से रोका गया है ? यह मेरा सवाल है ?

(व्यवधान)

श्री मदनसिंह दांता : इस वक्त में मन्त्री नही हैं तो ऐसी बातें कह दें ।

(व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : नोहर से आने वाले माननीय विधायक ने यादराम गौड़ का जिक्र यहां किया है । उनके विरुद्ध नियम 16/17 के अन्तर्गत कार्यवाही विचाराधीन थी । लेकिन नियम 16 के अन्तर्गत निर्णय लिया जा चुका है । उनके विरुद्ध कोई बड़े दण्ड का निर्णय लिये जाने का नहीं है इसीलिए उनकी पदोन्नति की गई है ।

कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है कि जब गृह राज्य मन्त्री नोहर पधारे थे, उस समय जिलाधीश गटाला से मिले थे । जिलाधीश ने उनसे कहा कि वह खुद मिलने जा रहे हैं ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मन्त्रियों के पास जाना पहला काम है ।

श्री कैलाश मेघवाल : श्री गटाला को यह कहा गया कि आप वहां मत जाइये, मैं स्वयं वहां जा रहा हूं और यहां का काम निवटाइये । इस पर उन्होंने कहा कि मैं तो जाऊंगा । जिलाधीश के मना करने के बावजूद भी श्री गटाला प्राइवेट जीप में गृह राज्य मन्त्री के पास पहुंच गये । जिलाधीश भी वहां पर उनको मिले ।

(श्री कैलाश मेघवाल)

इस सम्बन्ध में उनके खिलाफ आरोप पत्र बनाया गया, जो अगर सदन चाहे तो मैं उसको यहां पढ़ सकता हूं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : इसमें विस्तृत सूचना होगी, इसलिये पढ़ना आवश्यक नहीं है—

(व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : इसमें डिस-आबिडियेन्स का भी एक चार्ज लगाया है कि जिलाधीश के मना करने के बावजूद भी वे वहां पर गये।

(व्यवधान)

श्री राकृष्णदास गुप्ता : क्या यह सही है कि गटाला एस. डी. ओ नौहर थे, जिलाधीश ने उनको अगवानी के लिए जाने से रोका....

(व्यवधान)

श्री बहादुरसिंह : उनको नौहर से भादरा बुलाया था या नहीं?

(व्यवधान)

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : श्री गटाला का कार्य क्षेत्र नौहर और भादरा था। क्या किसी राज्य मन्त्री, मन्त्री अथवा केन्द्रीय मन्त्री के वहां आने पर एस.डी.ओ. की ड्यूटी नहीं है कि वह उसको रिसीव करे? यदि उसको इस कार्य से रोका गया तो क्या यह राज्य सरकार का अपमान नहीं है, जिलाधीश ने अपमान नहीं किया by acting against the R. A. S. officer?

(व्यवधान)

श्री लालचन्द (भादरा) : उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि मैं इस मामले से सम्बन्धित हूं, इसलिये इस सम्बन्ध में कुछ बताना चाहता हूं। वे जिलाधीश महोदय आज गंगानगर में जिलाधीश हैं या नहीं, यह मुझे नहीं मालूम। लेकिन जिलाधीश गुमानसिंह के दिमाग के अन्दर.........

श्री उपाध्यक्ष : माननीय लालचन्द जी, जरा संक्षेप में।

श्री लालचन्द : हां, आप बोलने तो दीजिये। श्री भैरोंसिंह जी शेखावत के चीफ मिनिस्टर बनने के बाद श्री गुमानसिंह जी, जो पहले गुमानसिंह जी हुआ करते थे, गुमानसिंह शेखावत हो गये। उन्होंने गंगानगर में सारी केबीनेट की पावर का इस्तेमाल किया जिसकी मिसाल मेरे ख्याल से सारे राजस्थान में नहीं है।

(व्यवधान)

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : × × × मन्त्रियों सुन लो.........

(व्यवधान)

श्री लालचन्द : प्रोफेसर केदार को जिस तरह से डिमोरेलाइज किया गया।

(व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर माननीय सदस्य चाहें तो स्टेटमेंट दिया जा सकता है।

(व्यवधान)

× × × अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार शब्द अपजोपित किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय लालचन्द जी, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप संक्षेप में और प्रश्न के रूप में कहिए, किसी व्यक्ति विशेष पर चर्चा करेंगे तो उचित नहीं होगा—

(व्यवधान)

श्री लालचन्द : थोड़ी सी भूमिका और देना चाहता हूं....

श्री बजरंगलाल शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय लालचन्दजी को हाउस सुनना चाहता है। ब्यूरोक्रेसी किस तरह से चल रही है, वे पूरी तरह कलई नहीं खोलेंगे तब तक सारी कहानी अधूरी रहेगी और रोशनी में नहीं आयेगी—

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न काल में नहीं, और किसी अवसर पर समय दिया जा सकता है।

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : उपाध्यक्ष महोदय, एक डाकू चोर को सजा दे, यह बड़ी अजीब बात है—

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय लालचन्द जी, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, आप सदन की गरिमा को बनाये रखते हुए ही और इस बात को ध्यान में रखते हुए ही चर्चा करिये। आप संक्षेप में कोई प्रश्न पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं—

श्री लालचन्द : इस सम्बन्ध में निवेदन है कि मैं जिस समय राज्य मन्त्री था, उस वक्त की बात है। मुझे बाद में पता लगा, मैंने जिलाधीश को कहा था कि गटाला, जो उस समय नोहर में एस. डी. एम थे, अपनी ड्यूटी के लिए भादरा पहुंचे। उस सम्बन्ध में मुझे पता लगा कि उनको मेरे पास आने से रोका गया और जब वे आ गए तो उनको चार्जशीट दी गई। तो यह ऐसा प्रश्न हो गया है, इस हाउस में बात ही चल रही है तो यह हाउस आज फैसला कर दे इस बात का कि आदेश एक आई. ए. एस. का ठीक है या मन्त्री का, किसके आदेश की पालना होगी, हाउस इसका फैसला कर दे।

श्री श्योपतसिंह मकासर : गंगानगर में जिलाधीश के आदेश का पालन होगा, मन्त्री का नहीं होगा। एक डाकू चोर को सजा दे, जिस आदमी ने जमीनों का झूठा तबादला किया, उस पर लालचन्द मन्त्री का आदेश नहीं चलेगा, चलेगा तो जिलाधीश का आदेश चलेगा—

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : उत्तर सुनिये।

श्री कैलाश मेघवाल : श्री रणजीतसिंह गटाला के विरुद्ध 8 आरोप लगाये गये हैं—

(व्यवधान)

श्री बजरंगलाल शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है माननीय मन्त्री महोदय से, यदि यह सही है कि यदि मन्त्री वहां जाता है एस. डी. ओ. के क्षेत्र में तो क्या जिलाधीश का यह अधिकार है कि प्रोटोकोल के मुताबिक उसको आचरण करने से रोके? नम्बर 2, यदि यह प्रोटोकोल है और मन्त्री आदेश देकर बुलाता है तो क्या जिलाधीश को हक

(२५)

(श्री बजरंगलाल शर्मा)

है कि मन्त्री के आदेश को डिसरिगार्ड करके आने से मना कर दे? नम्बर 3, इन बातों पर विचार किया जावे कि आचरण जिलाधीश का किस प्रकार का है और एस. डी. ओ. का किस प्रकार का है। यह सदन यह महसूस करता है कि इन फैक्ट्स को मद्देनजर रखते हुए जिलाधीश का आचरण ठीक नहीं था, तो क्या आप जिलाधीश को चार्जशीट देने की कृपा करेंगे? अभी तो उनको गंगानगर से बीकानेर जिलाधीश बनाया है। कल आप उनको पुरस्कृत करके रेवेन्यू कमिश्नर बनाने की कोशिश करेंगे। एक मन्त्री किसी अधिकारी के क्षेत्र में आए और उसको नहीं आने दिया जावे, यह मन्त्री और आफिसरों के बीच में दरार डालने वाली बात है।

(व्यवधान)

श्री मदनसिंह दांता : हम यह महसूस कर रहे हैं कि इसका उत्तर मुख्य मन्त्री जी देने वाले हैं। क्या यह सही है कि मुख्य मन्त्री जी ने अपने मुख्य मन्त्री पद से यह कहा कि मैं किसी राजनीतिक नेता की या मन्त्री की नहीं चलने दूंगा जहां प्रशासन का मामला हो? इस भाषण को सुन कर गुमानसिंह जी मुख्य मन्त्री की कार्यवाही करने लग गये। क्या यह सही है?

श्री नवरंगसिंह (नवलगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि भंवरसिंह चारण, जो नवलगढ़ में एस. डी. ओ. है, को कल्याणसिंह जी सांखला ने एक मामले में सिफारिश भी की फिर भी दस हजार रुपये खा गया। इसलिए मुख्य मंत्री से पूछना चाहता हूं कि क्या इस तरह के व्यक्तियों को, जो पैसा खाते हैं, रिश्वत खाते हैं, प्रमोशन देना जायज है?

श्री ईश्वरचन्द्र (पिडावा) : यह भंवरसिंह चारण, जो असिस्टेंट कलेक्टर थे, का मैंने सदन में लगातार सवाल उठाया है। उन्होंने अलाटमेंट में भयंकर भ्रष्टाचार किया है। कलक्टर ने रिपोर्ट दे दी है कि उन्होंने अनियमिततायें की हैं उसके बाद भी उनका प्रमोशन करके एस. डी. ओ. नवलगढ़ बनाया है। इस बारे में बताइए।

श्री मदनसिंह दांता : ऐसे सैंकड़ों हैं।

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : मुख्य मंत्री जवाब दें उससे पहले मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि कोई जिलाधीश आदेश दे उसका उल्लंघन कोई एस. डी. एम. करे तो उसको सजा दी जानी चाहिए?

श्री उपाध्यक्ष : आप कह चुके हैं।

श्री श्योपतसिंह मकासर : आप मेरा सवाल पूरा होने दें। अगर कोई जिलाधीश किसी मंत्री का आदेश नहीं माने तो उसके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए या नहीं?

श्री ईश्वरचन्द्र : राजस्व मंत्री ने सदन में स्वीकार किया कि भंवरसिंह चारण ने अनियमितता की है, भ्रष्टाचार किया है उसके बाद भी उनका प्रमोशन क्यों किया गया?

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : क्या यह सही है कि जिलाधीश गंगानगर ने यह व्यवहार राजनैतिक सत्ता के आदेश या निर्देश या इशारे पर किया?

मुख्य मंत्री (श्री भैरोंसिंह शेखावत) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने जो गटाला या दूसरे अधिकारियों द्वारा की जा रही कार्यवाही को लेकर जातिवाद का जहर फैलाने की चेष्टा की है....

श्री बजरंगलाल शर्मा : हमने तो नहीं की।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जाट और राजपूत दोनों किसान है; एक ही वर्ग के हैं आप कितना ही उनको भिड़ाने की कोशिश करें। यह सही है कि आज एक काश्तकार मुख्य मंत्री बन कर बैठ गया तो जो लोग हमेशा इस बात की बपौती लेकर बैठे थे उनको चिंता हो रही है, कि एक बार इस तरह का जहर फैला कर यदि किसान मुख्य मंत्री को हटाया जा सकता है तो कोई भी आए चाहे महाजन हो, गूजर हो, राजपूत हो, जाट हो, ब्राह्मण हो, अहीर हो, कोई काश्तकार इस पद पर नहीं आ सकता तो आपकी यह योजना सफल होने वाली नहीं है ...

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : आपके अधिकारी ऐसा करते हैं तो उनको डांटिए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुझे बोलने दीजिए। जहां तक गंगानगर के जिलाधीश ...

श्री गोपालसिंह (खंडेला) : यहां कोई जातिवाद की बात पैदा नहीं हुई है।

श्री मदनसिंह दांता : आपके लिए नहीं कह रहे हैं।

(व्यवधान)

ये कैमरा मीटिंग्स करते हैं, राजपूत और जाटों को लड़ाना चाहते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : श्री लालचंद ने आज से कुछ दिन पूर्व मुझे जानकारी दी थी कि श्री गटाला का प्रमोशन क्यों रोका ? उसको जो चार्जशीट दी गई है, उसमें इस बात का आरोप भी है कि लालचंद जी ने उसको बुलाया था और कलेक्टर ने मना कर दिया। उसके उपरांत भी गटाला वहां चले गए। इस बात की उनको चार्जशीट दी गई है। मैंने उस समय भी उनसे कहा था कि सारी फाइल मंगाकर देखूंगा कि किस कारण से चार्जशीट बनी है, स्टेटमेंट आफ एलीगेशन्स क्या है। उनको जानकारी है, मैंने परसों उनसे कहा कि फाइल आ गई है, मैं अध्ययन कर रहा हूं और जो वाजिब कार्यवाही होगी वह करूंगा। जहां तक स्टेटमेंट आफ एलीगेशन्स का प्रश्न है उसमें इस प्रकार का आरोप है लेकिन जो आरोप पत्र दिया गया है उसमें इस प्रकार का कोई आरोप नहीं है। यह एक शिकायत थी और शिकायत होने के नाते स्टेटमेंट आफ एलीगेशन्स में इसको इन्क्लूड किया गया लेकिन आरोप पत्र में यह नहीं है। यह व्यवस्था है कि यदि किसी सरकारी अधिकारी को आरोप पत्र दिया जाता है तो जब तक उसकी फाइनल इन्क्वायरी होगी उस समय तक उसका प्रमोशन हेल्ड अप किया जाता है। उसके बाद यदि वह आदमी एग्जोनरेट हो जाता है तो उसको प्रमोशन मिलेगा और सीनियोरिटी पर किसी प्रकार का असर नहीं होगा। तो जहां तक गटाला के प्रमोशन और शिकायत का संबंध है, मैं निवेदन

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

करना चाहता हूं कि जैसा मैंने लालचंद जी से कहा था, वह फाइल मेरे पास है। मैं अध्ययन करूंगा और विश्वास के साथ कह सकता हूं कि किसी अधिकारी के विरुद्ध जाति के आधार पर या किसी अधिकारी के कहने पर कोई ऐसी कार्यवाही नहीं की जाएगी जिसको अनुचित कहा जा सके।

एक प्रश्न श्योपतसिंह जी ने उठाया अब कलेक्टर गंगानगर को डिस्कस करने का कोई सवाल नहीं है। उनकी नियुक्ति कलेक्टर के पद पर मैंने नहीं की, मेरे आने से पहले वह कलेक्टर गंगानगर थे। आपकी जानकारी के लिए कहूं यदि विद्यार्थियों का संघर्ष नहीं होता और जब तक कलेक्टर ने सीलिंग के मामलों में कुछ लोगों ने हरिजनों की जमीन पर कब्जा कर लिया था, वह जमीन छुड़ाकर हरिजनों को वापस दिलाने की कार्यवाही नहीं की, उस समय तक आप लोग कहते थे कि हमें कलेक्टर बहुत बढ़िया मिला हुआ है। कलेक्टर ने केवल एक गलती की, मैं वह गलती नहीं मानता कि हरिजनों की जमीन लोगों से मुक्त कराकर हरिजनों को क्यों वितरित करा दी। यदि सदन इसको गलत समझता है ...

श्री श्योपतसिंह मकासर : यह पोलिटिकल स्पीच मत दीजिए। जोधपुर हाउस में मैंने कहा था, आपकी जनता पार्टी कह रही थी, मैंने कहा था जोधपुर हाउस दिल्ली में कि बहुत बढ़िया हो रहा है, अगर श्योपत सिंह के पास सीलिंग से ज्यादा जमीन है तो आप काट दीजिए।

(व्यवधान)

श्री गुरुशरण छाबड़ा : क्या यह सही है कि श्योपतसिंह जी के सीलिंग के केसेज उनके पास है इसलिए व्यक्तिगत लांछन लगा रहे हैं ?

श्री श्योपतसिंह मकासर : आप गरीबों के वारिस बन रहे हैं। पोलिटिकल स्पीच मत दीजिए, ठीक तरह से जवाब दीजिए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत: मैंने श्योपतसिंह का नाम लिया इसलिए कि वह कलेक्टर को अच्छा मानते थे।

श्री श्योपतसिंह मकासर : जो अच्छा काम किया है उसको अच्छा कहेंगे, जो खराब करेंगे उसके लिए खराब कहेंगे। क्या हमें सीलिंग का डर है, इसलिए हम कह रहे हैं ? आप राजस्थान के मुख्य मंत्री हैं, आपको ऐसी हल्की बात नहीं करनी चाहिए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने आपके लिए नहीं कहा कि उन्होंने सीलिंग के मामलों में कार्यवाही की इसलिए श्योपतसिंह जी विरोध करने लगे।

श्री श्योपतसिंह मकासर : यही मतलब है इसका।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरा कहने का मतलब था कि उनकी खिलाफत होने लग गई। इसका नतीजा यह हुआ कि छात्र आंदोलन को लेकर उनकी शिकायत की, उनका स्थानान्तरण कर दिया।

श्री श्योपतसिंह मकासर : उसको रखिए। आप एलीगेशन्स लगाते हैं कि छात्र आंदोलन को लेकर सवाल उठाया। हम तो सवाल

(श्री श्योपतसिंह मकासर)

उठायेंगे, अगर सीलिंग से ऊपर जमीन है वह नहीं काटते हैं तो आपकी बेईमानी है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : छात्र आंदोलन को लेकर सदन में चर्चा करना चाहेंगे तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं।

(व्यवधान)

श्री एच. एन. शर्मा (वेगू) : सुन लो लाल सलाम, मुख्य मंत्री क्या कह रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : गटाला के संबंध में मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि लालचंद जी को साथ लेकर उनको विश्वास दिलाऊंगा कि उनके साथ किसी प्रकार का अन्याय न हो। उन्होंने स्थानान्तरण के संबंध में कहा, मैं विचार कर रहा हूं। मैंने यहां तक कहा, आप यदि अविश्वास की बात कहते हो तो मैंने नोहर में जुबानी और पब्लिक मीटिंग में कुछ अधिकारियों की प्रशंसा की है। मुझे किसी प्रकार का रिजर्वेशन होता तो मैं गटाला के लिए प्रशंसनीय शब्दों का प्रयोग नहीं करता।

रहा प्रश्न एक आई. ए. एस. अधिकारी का हुक्म चलना चाहिए या राज्य मंत्री का या मंत्री का हुक्म चलना चाहिए। आज जो प्रश्न यह पैदा हुआ है वहां कलेक्टर ने यह कहा कि आप यहां आ जाइये और मैं मिनिस्टर साहब की सेवा में जा रहा हूं। मैं समझता हूं कि कलेक्टर ने कोई गुमराह होकर काम नहीं किया जिससे मंत्री की शान की खिलाफत हो रही हो। कलेक्टर तो स्वयं जाने के लिए वहां तैयार था और कलेक्टर वहां गया भी। तो मिनिस्टर के पास जाने का सवाल नहीं है। लोकतंत्र में प्रोटोकोल व्यवस्था के अनुसार भी सवाल नहीं है।

(व्यवधान)

श्री बजरंगलाल शर्मा : क्या मंत्री एस. डी. ओ. से नहीं मिल सकता ?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न पर चर्चा समाप्त हुई।

श्री बहादुरसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक महत्वपूर्ण सवाल माननीय नेता महोदय से पूछना चाहता हूं। उन्होंने यह कहा कि कलेक्टर की सब ने तारीफ की। मैंने शुरू से शिकायत की तो जिलाधीश....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त करें। अब कोई चर्चा इस प्रश्न पर नहीं होगी।

श्री श्योपतसिंह मकासर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी सीलिंग की बात कही गयी....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजें। अब मैं इस प्रश्न पर चर्चा अलाउ नहीं करूंगा।

(व्यवधान)

माननीय श्योपतसिंह जी बिराजें।

श्री श्योपतसिंह मकासर : नहीं बैठूंगा। मैं जवाब देना चाहता हूं। मुख्य मंत्री जी

(श्री श्योपतसिंह मकासर)
ने आरोप लगाये हैं और उन्होंने पालिटिकल स्पीच दी है यहां।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्योपतसिंह जी, कृपया विराजें। मुख्य मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : गुमानसिंह के साथ, जिलाधीश के साथ इस प्रश्न को सीलिंग के साथ जोड़ा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सारे सदन को बताना जरूरी समझता हूं कि जिलाधीश गंगानगर का ताल्लुक इस बात से नहीं है। यह तो उसका वर्णन है। मुख्य मंत्री जी, यह तो उसने कहा है जब हमने शिकायत की, आन्दोलन के बाद तब उसने कहा कि मैंने सीलिंग के केसेस खोले।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्योपतसिंह जी, कृपया मेरी बात सुनिये। मैं आपको अवसर दूंगा। आप बाद में इस प्रश्न पर चर्चा कर सकते हैं।

(व्यवधान)

कृपया विराजें।

श्री बजरंगलाल शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रिमण्डल के सदस्यों को गाइडेन्स मिल जाये और मुख्य मंत्री जी स्पष्ट कर दें कि एस. डी. ओ. से मिलना चाहे और कलेक्टर मना करे तो क्या मंत्री को अपनी इच्छा दबा लेनी चाहिए ? दूसरे जिलाधीश के आचरण के बारे में है, मंत्री की इच्छा के विरुद्ध रोकने की कोशिश की तो क्या कार्यवाही राज्य सरकार कर रही है ? दो महत्वपूर्ण बातें हैं क्योंकि आगे मंत्रियों को भी दिक्कत पड़ेगी कि पहले कलेक्टर से पूछ लें कि किस किस से मिलें।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराजें। मैं इस प्रश्न पर अनुमति नहीं दूंगा।

माननीय श्योपतसिंह जी, कृपया विराजें। मैं आपको बाद में अवसर दे दूंगा।

श्री श्योपतसिंह मकासर : जवाब पालिटिकल हो और हम नहीं बोलें। ना, ना, ऐसा नहीं हो सकता। यह सारे गंगानगर के जन प्रतिनिधियों के ऊपर आरोप है। वह कह रहे हैं कि उसने सीलिंग का सवाल उठाया....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्योपतसिंह जी, कृपया विराजें।

श्री श्योपतसिंह मकासर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप मौका नहीं देंगे तो मैं वाक आउट कर जाऊंगा। यह आपके हाथ में है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को चिन्ता हो रही है कि मैंने इनका नाम सीलिंग से जोड़ा। मैंने कभी नहीं कहा कि विधायक ने इस बात के लिए शिकायत की कि गुमानसिंह सीलिंग के केसेज खोल रहा है....

श्री श्योपतसिंह मकासर : आपने अभी कहा। इसका मतलब यही है कि गुमानसिंह

(श्री श्योपतसिंह मकासर)
सीलिंग का फैसला कर रहा था। यही मतलब है इसका....

(व्यवधान)

श्री एच. एन. शर्मा : कामरेड, मैं बता दूं कि मुख्य मंत्री शेखावत बनता है या चूड़ावत बनता है, अगर गुमानसिंह बदमाशी करेगा तो मुख्य मंत्री उसको नहीं बरदाश्त करेगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्योपतसिंह जी, बिराज जायें।

श्री एच. एन. शर्मा : अगर वह बदमाशी कर रहा है तो हम बख्सने वाले नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्योपतसिंह जी, मैं आपको अवसर दूंगा।

श्री श्योपतसिंह मकासर : मुख्य मंत्री जी ने जो एलीगेशन लगाया....

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजें एक बार तो।

श्री कौशलकिशोर जैन : क्या श्री श्योपतसिंह जी के पास सीलिंग से ऊपर जमीन है जो लाल हो रहे हैं?

श्री श्योपतसिंह मकासर : और आप समझते हैं कि मुख्य मंत्री जी ने जो कुछ कहा ...

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपको अवसर दे दूंगा लेकिन इस प्रश्न पर तो चर्चा समाप्त करने दें। आप पाइन्ट आफ आर्डर या एक्सप्लेनेशन के रूप में बाद में भी उठा सकेंगे।

श्री श्योपतसिंह मकासर : अभी मुख्य मंत्री जी ने जवाब दिया इश्यु पर और जो चाहिए वह जवाब नहीं देकर इसका पालिटिकल जवाब दिया। फिर कब मौका मिलेगा?

श्री उपाध्यक्ष : कृपया आप बिराज जायें।

(व्यवधान)

माननीय श्योपतसिंह जी, कृपया बिराज जायें।

श्री श्योपतसिंह मकासर : आप निकाल दीजिए मार्शल से। उसको बुला लीजिए। मुख्य मंत्री जी ने चार्ज लगाया है, हमारी इन्ट्रेग्रिटी को ललकारा है। गंगानगर के सारे जन प्रतिनिधियों की इन्टेग्रिटी को ललकारा है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया आप बिराजें।

श्री एच. एन. शर्मा : आप यह बता दें कि आपके पास सीलिंग से ज्यादा जमीन है है या नहीं?

श्री श्योपतसिंह मकासर : तुम्हारे × × × के का क्या लगता है।

श्री एच. एन. शर्मा : आपके पास सीलिंग से ज्यादा जमीन नहीं है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : गुमानसिंह जी के खिलाफ फाइल

× × × शब्द अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अपजोपित किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्योपतसिंह जी, आप कोई भी बात कहें यहां नहीं लिखी जायेगी ।

श्री श्योपतसिंह मकासर : जब तक मौका नहीं देंगे हम नहीं जायेंगे । बेईमान अधिकारी को छिपाने के लिए हमको यह कहें कि उसने सीलिंग के केसेज खोले । यह मुख्य मंत्री ने कहा है ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्योपतसिंह जी, आप कृपया विराजें । इसके बाद जो कुछ भी कहेंगे वह रिकार्ड पर नहीं लिया जायेगा ।

श्री श्योपतसिंह मकासर : ×××

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : यह सदन इस बात से सेटिस्फाइड नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप भी विराजिये । जो भी कुछ माननीय श्री गुप्ता जी कहेंगे वह लिखा नहीं जायेगा ।

अगर आप इस तरह से हठधर्मी करना चाहते हैं तो मैं आपको मौका नहीं दूंगा ।

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : ×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्योपतसिंह जी, I name you and I say that you must leave the House, अगर आप नहीं बैठें । अगर सदन की कार्यवाही चलानी है, तो सभी माननीय सदस्यों को सहयोग देना चाहिये, चाहे वह सत्ता पक्ष के हों चाहे विरोधी पक्ष के ।

श्री श्योपतसिंह मकासर : ×××

श्री उपाध्यक्ष : मैं महसूस कर रहा हूं कि हर प्रश्न पर आप बोलते हैं । सदन की गरिमा आप मेन्टेन नहीं करना चाहते हैं, तो मुझे बड़ा दुःख है ।

श्री निर्मल कुमार सकलेचा (झालरापाटन) : बुढ़ापा है, बुढ़ापा ।

श्री परसराम मदेरणा (भोपालगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे एक नम्र निवेदन है कि मुख्य मंत्री जी ने जो बात कही, मुख्य मंत्री को कहने का अधिकार है, लेकिन आक्षेपों और आरोपों की बौछार में अगर पोलिटिकल ओवरटोन्स हों, तो माननीय सदस्य को भी अवसर दिया जाना चाहिये कि वह अपना स्पष्टीकरण दें ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मदेरणा साहब, मैंने निवेदन कर दिया है कि उनको मौका दूंगा, लेकिन जो माननीय सदस्य बिना आसन की अनुमति के ही बोलना चाहते हैं....

श्री श्योपतसिंह मकासर : ×××

श्री उपाध्यक्ष : मैं अवश्य आपको मौका दूंगा, लेकिन मुझे नियमों की पालना तो करने दीजिये । आप बिना किसी प्रक्रिया के

××× उपाध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

(श्री उपाध्यक्ष)
कहना चाहते हैं। कृपया बिराजिये आप। मैं आपको मौका दूंगा।

श्री रामनारायण चौधरी (मंडावा): तब तक तो महत्व ही खतम हो जायेगा बात का।

श्री श्योपतसिंह मकासर : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये। मैंने पहले भी आपको सूचित किया था कि आपको अवसर दूंगा। आप मुझे प्रश्न काल तो समाप्त करने दीजिये। आप नियमों को देखने की कोशिश नहीं करते। मुझे प्रश्न काल समाप्त घोषित करने दीजिये उसके बाद व्यवस्था के प्रश्न पर या पाइन्ट आफ एक्स-प्लेनेशन के रूप में आप कुछ कहना चाहते हैं, तो मैं आपको अवसर दूंगा।

प्रश्न काल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 2 देखें।)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

शिक्षा प्रसार अधिकारी, सांचौर का स्थानान्तरण

249. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि श्री रुगनाथ राम, शिक्षा प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति, सांचौर में कार्यरत थे, जिनके स्थानान्तरण आदेश जिलाधीश जालौर ने गैरकानूनी तरीके से हाल ही में कर दिये थे? अगर हां, तो क्यों एवं ऐसे स्थानान्तरण आदेश कब किये गये?

(2) क्या यह भी सही है कि एक शिक्षा प्रसार अधिकारी के स्थानान्तरण आदेश सिर्फ राज्य सरकार ही कर सकती है न कि जिलाधीश? अगर हां, तो उक्त गलत स्थानान्तरण आदेश की अनुपालना क्यों करवाई गई?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त शिक्षा प्रसार अधिकारी सांचौर शिक्षक संघ उपशाखा के अध्यक्ष पद पर भी कार्य कर रहे थे? अगर हां, तो कब से? क्या यह भी सही है कि शिक्षक संघ के पदाधिकारियों के स्थानांतरण आदेश किसी भी हालत में पद पर रहते हुये सरकारी आदेशों के अनुसार नहीं कर सकते? अगर हां, तो उपरोक्त मामले में गलत स्थानांतरण आदेश की अनुपालना सरकार द्वारा क्यों करवाई गई? ऐसी हालत में क्या सरकार उक्त शिक्षा प्रसार अधिकारी के स्थानांतरण आदेश शीघ्र रद्द कर वापस उसी स्थान पर लगाने का निर्णय लेना उचित समझेगी? अगर हां, तो कब तक? अगर नहीं, तो क्यों नहीं?

उत्तर

(1) जिलाधीश द्वारा दि० 17–10–78 को स्थानान्तरण प्रशासनिक कारणों से आवश्यक समझ कर किया गया था जिसकी बाद में राज्य सरकार द्वारा पुष्टि कर दिये

××× उपाध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(पंचायत मंत्री)
जाने पर इस स्थानान्तरण को गैरकानूनी नहीं कहा जा सकता।

(2) जी हाँ, किन्तु विशेष परिस्थितियों में जिलाधीश द्वारा किये गये स्थानान्तरण आदेश की पुष्टि राज्य सरकार द्वारा किये जाने पर उक्त स्थानान्तरण आदेश की अनुपालना की गई।

(3) राज्य सरकार को इस सम्बन्ध में कोई अधिकृत जानकारी नहीं है किन्तु राजस्थान शिक्षक संघ, उप शाखा सांचौर से प्राप्त जानकारी के अनुसार श्री रुगनाथाराम शिक्षक संघ, उप शाखा सांचौर के अध्यक्ष पद के लिए दिनांक 15–10–78 को चुने गये थे। राज्य सरकार के आदेश हैं कि शिक्षक संघ के पदाधिकारी का इस भावना से स्थानान्तरण नहीं किया जाय कि वह संघ का पदाधिकारी है। ऐसे कोई आदेश नहीं हैं कि किसी संघ के पदाधिकारी का किसी हालत में स्थानान्तरण नहीं किया जाय। अतः उपरोक्त स्थिति के आधार पर प्रशासनिक दृष्टि से राज्य सरकार उक्त स्थानान्तरण आदेश रद्द किया जाना उचित नहीं समझती है।

पंचायत समिति इटावा द्वारा दिया गया ऋण

250. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि श्री सूरजमल आत्मज श्री घासीलाल मीणा, निवासी रनोदिया ने पंचायत समिति इटावा से भू-संरक्षण हेतु ऋण लिया था ? यदि हाँ, तो कब तथा कितना ?

(2) क्या उक्त राशि संबंधित काश्तकार को पहुंचा दी गई थी ? यदि हाँ, तो कब ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त सम्पूर्ण स्वीकृत राशि संबंधित किसान को नहीं दी गई है तथा इस बात की शिकायत उक्त किसान समय समय पर विकास अधिकारी इटावा को करता रहा है ?

(4) यदि उक्त सम्पूर्ण स्वीकृत राशि किसान को नहीं मिली तो फिर कहाँ गई ?

(5) क्या यह भी सही है कि अभी कुछ समय पूर्व उक्त किसान को यह राशि जमा कराने के नोटिस दिये गये हैं ? यदि हाँ, तो ब्याज सहित कितनी राशि किसान से मांगी जा रही है ?

(6) क्या सरकार उक्त मामले की जाँच कराकर दोषी व्यक्तियों को दंडित कर उक्त किसान को संकट से मुक्त करने हेतु शीघ्र आदेश प्रसारित करेगी ?

उत्तर

(1) श्री सूरजमल आत्मज श्री घासीलाल मीणा निवासी रनोदिया को पंचायत समिति इटावा से भू-संरक्षण कार्य हेतु निम्न ऋण राशि दी गई थी :—

दिनांक 1–6–63 को	1,500)
दिनांक 16–6–64 को	6,000)
दिनांक 17–8–66 को	6,000)
योग	13,500) रु०

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

(2) उक्त ऋणी द्वारा दिनांक 16-6-1964 को मूल ऋण राशि 1,500)रु० व ब्याज की राशि रु० 73.12 कुल राशि 1,573·12 जमा कराने पर ऋणी को निम्न वाउचरों के द्वारा 12,000)रु० (अंके बारह हजार रुपये) की राशि और दी गई थी ऐसा अंकित है :—

1. वाउचर संख्या 307	दि० 16-6-64 को	6000)
2. वाउचर संख्या 93	दि० 17-8-66 को	6000)
	योग	12,000)

(3) संबंधित ऋणी की पत्रावली का अवलोकन करने पर यह तथ्य सही नहीं है कि सम्पूर्ण स्वीकृत ऋण राशि ऋणी को नहीं दी गई और इस बात की शिकायत का कोई प्रार्थना पत्र भी पत्रावली में उपलब्ध नहीं है।

(4) ऋणी की पत्रावली से यह स्पष्ट विदित है कि ऋण की स्वीकृत राशि उक्त ऋणी को दी गई थी।

(5) श्री सूरजमल आत्मज श्री घासी लाल मीणा द्वारा शेष बकाया राशि में से 5,666)रु० जमा करा देने के बाद उनको निम्न मूल ऋण व ब्याज की राशि जमा कराने का नोटिस दिया गया है :—

1. मूल ऋण	6,334) रु०
2. ब्याज	3,834) रु०
योग	10,168) रु०

(6) जाँच की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

काम के बदले अनाज योजना में जिला अधिकारियों से तकनीकी स्वीकृति

251. श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत पांच हजार रुपये से अधिक पक्के कार्यों के लिये ग्राम पंचायतों को जिला अधिकारियों से तकनीकी स्वीकृति लेनी पड़ती है ?

(2) क्या यह सही है कि पक्के कार्यों के सामान के लिये ग्राम पंचायतें स्वयं अथवा जन सहयोग से पैसा इकट्ठा करके लगाती हैं ?

(3) क्या यह सही है कि ग्राम विकास समितियों द्वारा जन सहयोग एकत्रित करने के उपरान्त ग्राम पंचायत के माध्यम से काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत काम कराने में सक्षम है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि ग्राम विकास समितियों द्वारा जन सहयोग से पक्के कार्य करने एवं उस कार्य हेतु ग्राम पंचायतों द्वारा पांच हजार तक की अनाज सहायता देने पर भी जिला अधिकारियों से तकनीकी स्वीकृति लेनी पड़ती है ? यदि हाँ, तो क्यों ?

(श्री मूलचन्द सामरिया)

(5) क्या यह सही है कि जिला अधिकारियों से तकनीकी स्वीकृति समय पर प्राप्त नहीं होती ? यदि हां, तो इसके लिये सरकार क्या व्यवस्था कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) जी हां । पक्के कार्यों के लिये कुल लागत का 50 प्रतिशत व्यय सामग्री के लिये किये जाने का प्रावधान है ।

(3) जी नहीं । विकास समितियों के गठन सम्बन्धी कोई निर्देश राज्य सरकार द्वारा नहीं दिये गये हैं ।

(4) जी नहीं । ग्राम विकास समितियों द्वारा कार्य कराने का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

(5) तकनीकी स्वीकृतियां समय पर प्राप्त न होने की शिकायतें राज्य सरकार को प्राप्त नहीं हुई हैं तथापि तकनीकी स्वीकृति समय पर मिल सके इसके लिये प्रत्येक जिला मुख्यालय पर एक सहायक अभियन्ता एवं प्रत्येक पंचायत समिति मुख्यालय पर एक कनिष्ठ अभियन्ता की नियुक्ति की गयी है ।

राज्य की पंचायत समितियों के निलम्बित कर्मचारी

253. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) राज्य में किस किस पंचायत समिति में कौन कौन सा कर्मचारी किस किस आरोप में कब कब से निलम्बित है तथा इस सम्बन्ध में राज्य सरकार के क्या आदेश हैं ? कर्मचारियों के नाम, पद व पते सहित जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) नियमानुसार कर्मचारी कितने समय तक निलम्बित रह सकता है ? अधिक लम्बे समय तक निलम्बित रखने के कारण क्या हैं ?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) राज्य सरकार द्वारा इस आशय के आदेश प्रसारित किये गये हैं कि जहां तक सम्भव हो किसी कर्मचारी को 6 माह से अधिक समय तक निलम्बित न रखा जावे । यदि किसी कर्मचारी को 6 माह से अधिक समय तक निलम्बित रखा जाना आवश्यक हो तो विभागाध्यक्ष/सचिव इस बाबत आवश्यक प्रमाण पत्र देंगे कि उन्होंने मामले का गहराई से अध्ययन कर लिया है और कर्मचारी को निलम्बित रखा जाना आवश्यक है । प्रत्येक कर्मचारी को अधिक समय तक निलम्बित रखे जाने के कारणों का विवरण सदन की मेज पर रखी गई सूचना में अंकित कर दिया गया है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

पंचायत समिति क्षेत्र रानीवाड़ा व जसवन्तपुरा की प्राथमिक पाठशालाएं

254. श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति क्षेत्र रानीवाड़ा व पंचायत समिति जसवंतपुरा में प्राथमिक पाठशालाओं के भवन एवं पाठशाला चलाने के लिये आवश्यक सामग्री अभी तक उपलब्ध नहीं करवाई गयी है ? यदि हां, तो उक्त पंचायत समिति क्षेत्र में कुल कितनी पाठशालायें ऐसी हैं जहां न तो उपयुक्त पाठशाला भवन है एवं न ही पाठशाला चलाने के लिये टाट-पट्टियां एवं ब्लेक बोर्ड आदि हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त ऐसी पाठशालायें सुचारु रूप से चलाने की जिम्मेदारी किसकी है ? पंचायत समिति प्रशासन ने उक्त विषय में अब तक क्या कार्यवाही की है ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त दोनों पंचायत समितियों में काश्तकारों से हर साल शिक्षा शुल्क वसूल किया जा रहा है ? अगर हां, तो कब से एवं उसकी सालाना कितनी आय होती है एवं उसका खर्चा किस प्रकार नियमानुसार किया जाता है ?

(4) क्या यह भी सही है कि पंचायत समिति के उप नियमों के अनुसार शिक्षा शुल्क राशि प्राथमिक पाठशालायें भवन बनाने के लिये ही खर्च करनी चाहिये ? अगर हां, तो इन दोनों पंचायत समितियों में अब तक पंचायत समितियों द्वारा कितने प्राथमिक भवन बनाये गये हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) पंचायत समिति रानीवाड़ा के अधीन समस्त प्राथमिक विद्यालयों में आवश्यक सामग्री टाट-पट्टियां एवं ब्लेक बोर्ड आदि उपलब्ध हैं। तीस पाठशालाओं हेतु उपयुक्त भवन उपलब्ध नहीं है, जिनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

पंचायत समिति जसवंतपुरा में कुल 56 प्राथमिक पाठशालाएं हैं जिनमें से 11 प्राथमिक शालाओं के लिये पक्के पर्याप्त भवन उपलब्ध नहीं हैं। 7 प्राथमिक पाठशालाओं में आवश्यक सामग्री उपलब्ध नहीं है जिसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) प्राथमिक पाठशालाओं को सुचारु रूप से चलाये जाने की जिम्मेवारी पंचायत समिति की है। पंचायत समिति रानीवाड़ा द्वारा सभी शालाओं में स्वीकृत अध्यापकों की नियुक्ति की जा चुकी है एवं पाठशालाओं में आवश्यक सामग्री दी जा रही है।

पंचायत समिति जसवन्तपुरा द्वारा आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था की जा रही है।

(3) पंचायत समिति, रानीवाड़ा में शिक्षा कर वर्ष 1961–62 से आरोपित है जिसकी सालाना आय अनुमानित 18,000

(पंचायत मंत्री)

रुपया प्रति वर्ष है किन्तु पूरी वसूली नहीं हो पाती है। शिक्षा कर से कोई व्यय नहीं किया गया है।

पंचायत समिति जसवन्तपुरा में शिक्षा कर वर्ष 1976 से लागू किया गया है परन्तु अभी तक वसूली नहीं हुई है।

(4) पंचायत समिति द्वारा प्राप्त किये गये शिक्षा शुल्क के उपयोग के लिये ऐसा प्रावधान नहीं है कि शिक्षा कर की राशि केवल मात्र शाला भवन निर्माण पर ही व्यय की जाय। सामुदायिक विकास एवं पंचायत विभाग के परिपत्र संख्या 120 (6) सी. डी.पी./खाद/78/172 दिनांक 24-1-79 के अनुसार शिक्षा कर की राशि शाला भवन निर्माण पर भी व्यय की जा सकती है। शिक्षा कर की वसूली से पंचायत समिति रानीवाड़ा व जसवन्तपुरा में कोई शाला भवन निर्मित नहीं कराये गये हैं। पंचायत समिति रानीवाड़ा की प्राथमिक कन्या शाला रानीवाड़ा कलां को 11,250 रुपया का अनुदान स्वीकृत किया गया है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 3 देखें।)

जैतारण क्षेत्र में काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत किये गये कार्य

255. **श्री शंकर लाल** (जैतारण) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) पाली जिले के जैतारण क्षेत्र में काम के बदले अनाज की योजना के अन्तर्गत किन किन पंचायतों के किन किन कार्यों हेतु कितने प्रस्ताव क्रियान्वित किये गये और कितना कितना अनाज उपलब्ध कराया गया? 15 फरवरी, 79 तक की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) इस क्षेत्र के कितने व किन किन कार्यों के प्रस्ताव पंचायतवार कितनी कितनी धनराशि के जिलाधीश द्वारा स्वीकृत किये गये और कितने प्रस्ताव बिना स्वीकृति के अटके हुये कब से पड़े हैं? 15 फरवरी, 79 तक की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें। पैंडिंग प्रस्तावों की स्वीकृति कब दी जायेगी?

(3) इस क्षेत्र में इस योजना के तहत कुल कितना अनाज दिया जा चुका है और कितने अनाज की मजदूरी चुकाना शेष है व पूरे किये गये कार्यों अथवा चढ़ी हुई मजदूरी अभी तक नहीं चुकाने के क्या कारण हैं और अब कब तक चुका दी जायेगी?

(उत्तर)

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) अब तक 37 कार्यों की स्वीकृति जिलाधीश द्वारा दी जा चुकी है व 22 कार्यों के प्रस्ताव जिलाधीश द्वारा स्वीकृत किये जाने शेष हैं। पैंडिंग प्रस्तावों की स्वीकृति चालू कार्यों के पूर्ण होने के बाद दी जा सकेगी। सूचियां सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) इस क्षेत्र में अब तक 6,200 क्विन्टल गेहूं पंचायतों को आवंटित किया

(पंचायत मंत्री)
जा चुका है व 15–2–1979 तक की कोई मजदूरी चुकाना शेष नहीं है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 4 देखें।)

पंचायतों को आर्थिक सहायता देने के आधार

256. श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य सरकार द्वारा पंचायतों को आर्थिक सहायता देने हेतु क्या आधार था और अब राज्य सरकार ने इन पंचायतों को आर्थिक सहायता देने हेतु क्या योजना बनाई है ?

(2) राज्य में पंचायतों को आर्थिक सहायता के रूप में पिछले वर्ष राज्य सरकार ने कितनी कितरी राशि किस आधार पर आवंटित की है ?

(3) क्या यह सही है कि पिछले वर्ष जो राशि अलग अलग पंचायत समिति को पंचायतों में जनसंख्या के आधार पर वितरण करने हेतु दी गई थी वह राशि अभी तक एक भी पंचायत को नहीं दी गई है ? अगर हाँ, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि इस वर्ष भी जो राशि पंचायतों को देने हेतु घोषणा की गई है वह भी घोषणा मात्र ही है ? अगर हाँ, तो दो वर्षों में जनसंख्या के आधार पर राशि देने की घोषणा क्यों की गई और घोषणा करने का क्या औचित्य है और नहीं देने के क्या कारण रहे हैं ?

(5) क्या यह सही है कि राज्य सरकार या विभाग ने आवंटित राशि पंचायत समितियों में बकाया राशि के पेटे काट ली व पंचायत समितियों ने पचायत की बकाया राशि से काट ली जिससे एक भी पंचायत को इस राशि का भुगतान पूरा नहीं किया जा सका ? अगर हाँ, तो क्यों ?

(6) यदि राज्य सरकार अपनी नई घोषणा के अनुसार पंचायतों को आर्थिक मदद देने को समर्थ नहीं है, तो क्या राज्य सरकार पूर्व में दी जाने वाली सहायता के अनुसार ही अनुदान देना उचित समझती है ? यदि हाँ तो कब तक ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा पंचायतों को आर्थिक सहायता देने का आधार ग्राम स्तर पर पंचायत के कार्य सम्पादन हेतु एक सचिव नियुक्त कर उसको वेतन आदि व्यय के लिये था। इस योजना के अन्तर्गत जनगणना 1971 की जनसंख्या के आधार पर प्रति-व्यक्ति सहायक अनुदान की राशि 0.25 पैसे से बढ़ाकर 2.50 पै. देना निश्चित किया गया जिससे ग्राम पंचायतें अपने क्षेत्र में विकास कार्य करा सके।

(2) पंचायतों को आर्थिक सहायता के रूप में पिछले वर्ष जनगणना 1971 की जनसंख्या के आधार पर प्रति व्यक्ति 2 रु. 50 पैसा की दर से कुल 5,29,52,500 रुपये की राशि सहायक अनुदान के रूप में आवंटित की गई है। 2.21 करोड़ पंचायतों को अनुदान दिया गया।

(3) जी नहीं। राशि पंचायतों के पोस्ट आफिस में खातों में जमा कराने के

(३४)

(श्री रामसिंह विश्नोई)

लिये उस पंचायत क्षेत्र की पंचायत समिति के निजी खातों में हस्तान्तरित कर दी गई है। पंचायत समितियों द्वारा यह राशि पंचायतों को वितरित कर दी गई है।

(4) जी नहीं। राज्य सरकार की घोषणा के अनुसार इस वर्ष दी जाने वाली अनुदान राशि 5,29,52,500 रुपये पंचायतों को दी जा चुकी है।

(5) यह सही है कि वर्ष 1977–78 के लिये दी गई कुल अनुदान राशि में से पंचायत समितियों के विरुद्ध 31–3–1977 को अल्पकालीन बकाया ऋण की राशि का 1/3 भाग काट कर शेष 1,68,15,550 रुपये की राशि पंचायत समितियों की पंचायतों को वितरण करने हेतु पी.डी. खातों में हस्तान्तरित कराई गई है और 232 में से राज्य की 156 पंचायत समितियों को वर्ष 1977–78 में सहायक अनुदान की राशि दी गई है। शेष 76 पंचायत समितियों को उनके विरुद्ध बकाया ऋण राशि का 1/3 भाग दिये जाने वाले अनुदान से अधिक होने के कारण उनसे पूरी राशि का समायोजन कर लिया गया है।

प्रश्न ही नहीं उठता। घोषणानुसार राशि दी जा रही है।

ग्राम पंचायतों में उप न्याय समितियों का गठन

257. श्री मोहम्मद जहूर (कामां) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि गत वर्ष ग्राम पंचायतों के चुनाव के समय ही न्याय उप समितियाँ बनाई गई थीं ? यदि हां, तो वह उप न्याय समितियाँ किस उपयोगिता के लिये बनाई गई थीं ?

(2) क्या इन उप न्याय समितियों ने जन समस्या का समाधान किया है ? यदि नहीं किया, तो क्यों नहीं किया ?

उत्तर

(1) जी हां। इन न्याय उप समितियों का गठन उनको प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत पंचायत क्षेत्र के दीवानी तथा फौजदारी मुकदमों के निर्णय हेतु किया गया है।

(2) जी हां। राज्य सरकार को अभी तक न्याय उप समितियों द्वारा सम्पादित किये उनके कार्यों के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

निदेशक, नियोजन सेवा निदेशालय का कार्यभार

260. श्री गुरुशरण छाबड़ा (सूरतगढ़) : क्या श्रम एवं नियोजन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

उत्तर

जी हां, ऐसा कुछ विचार व्यक्त किया था किन्तु अन्तिम निर्णय श्रम आयुक्त को चार्ज देने का किया गया।

राज्य में उच्च कोटि के चूने का उपयोग

262. श्री खंगारसिंह चौधरी (खारची): क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री खंगार सिंह चौधरी)

(1) क्या राज्य सरकार राष्ट्रीय हित में यह उचित मानती है कि राष्ट्र हित में खनिज रोयल्टी से भी बढ़ कर खनिज का सदुपयोग होना चाहिये ?

(2) यदि हां, तो राज्य सरकार ने उच्च कोटि का चूना, जो कि स्टील फैक्ट्री व दूसरे केमिकल में काम आता है, को सुरक्षित रखने व उसका राष्ट्र हित में केमिकल उपयोग हो इसके लिये क्या योजना बनाई है ?

(3) क्या राज्य सरकार के ध्यान में है कि इस तरह का उच्च कोटि का चूना राजस्थान में बहुत ही कम जगह उपलब्ध है ? यदि हां, तो वह क्षेत्र कौन सा है जहां यह पत्थर उपलब्ध है ?

(4) उक्त क्षेत्र में खनन के पट्टाधारियों से उस पत्थर का सदुपयोग हो व उसका बना चूना व कली केमिकल्स में ही काम में ली जावे, ऐसी कोई शर्त राज्य सरकार ने लगाई है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) खनिज की रोयल्टी और खनिज सदुपयोग अलग अलग विषय है और राष्ट्र हित में दोनों का ही महत्व है।

(2) राष्ट्र हित को ध्यान में रख कर संविदा में एक शर्त भी रखी है कि स्टील उद्योग में प्रयोग होने योग्य चूना सर्व प्रथम हिन्दुस्तान स्टील लि० को बेचा जायगा और यदि हिन्दुस्तान स्टील लि० यह चूना नहीं खरीदती है तो यह अन्य स्टील उद्योग को बेचा जायगा। यहां भी बिक्री न होने पर अन्य को बेचा जायगा।

(3) हां, राजस्थान में उच्च कोटि का चूने का पत्थर कहीं कहीं ही मिलता है। मुख्यतः गोटन, मुन्डवा (नागौर), सोजत (पाली), बिलाड़ा (जोधपुर) क्षेत्रों में व कालीजरा क्षेत्र (जिला बांसवाडा) में उच्च कोटि के चूने का पत्थर पाया जाता है।

(4) इस प्रकार की संविदा में शर्त होने का उल्लेख इसी प्रश्न के पार्ट (2) में कर दिया गया है। उच्च कोटि का चूना पत्थर व चूना महंगा होता है अतः पट्टाधारी केमिकल उपयोग हेतु ही बेचने का प्रयास करता है।

सोजत व बिलाड़ा तहसीलों में चूने के पत्थर की खानों की लीज

263. श्री खंगारसिंह चौधरी (खारची) : क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अप्रधान खनिज रियायती नियमों में लीज के प्लाट्स जहां तक सम्भव हो आयत आकार का होना चाहिए व लम्बाई व चौड़ाई का अनुपात चार एक से अधिक नहीं होना चाहिए ?

(2) क्या सोजत व बिलाड़ा तहसीलों में मौजूदा चूने के पत्थर की लीजेज प्रश्न के भाग (1) के अनुरूप हैं ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उनकी मूल लीज के नक्शे में प्रश्न के भाग (1) के अनुरूप लीज रखेगी ? उनके नक्शे वर्तमान के व पहले के सदन की मेज पर रखने का कृपा करें।

४०

(श्री खंगारसिंह चौधरी)

(3) क्या यह सही है कि लीजेज के प्लाट्स सरकार द्वारा न बनाने पर बहुत सा क्षेत्र बेकार रहता है क्योंकि इस तरह के क्षेत्र में नया पट्टाधारी न तो काम कर सकता है और न उसे इस तरह का पट्टा ही दिया जा सकता है ?

(4) क्या सरकार राष्ट्र हित में खनिज सम्पदा का अधिक से अधिक खनन किया जा सके व ग्रामीण बेरोजगारी को भी मिटाया जा सके इस हेतु खनन पट्टे सही प्लाट्स बना कर देगी व चालू पट्टों को भी सुव्यवस्थित बना कर बकाया क्षेत्र को स्वतंत्र घोषित कर उनके शीघ्र प्लाट्स बना कर उन्हें आवन्टन हेतु देने पर विचार करेगी ?

उत्तर

(1) हां, वर्तमान राजस्थान अप्रधान खनिज रियायती नियम 1977 में यह प्रावधान है ।

(2) राजस्थान अप्रधान खनिज रियायती नियम, 1977 के पूर्व में जो नियम थे उनमें क्षेत्र का यथासंभव आयताकार होना ही अंकित था । सोजत व बिलाड़ा के खनन पट्टे मूलतः आयताकार क्षेत्र के लिये ही स्वीकृत किये गये थे । परन्तु राज्य सरकार की नीति के अनुसार क्षेत्र की अधिकतम सीमा घटा कर 15 वर्ग किलोमीटर कर दी गई, उसके अनुसार इन पट्टाधारियों को स्वेच्छा से क्षेत्र छोड़ने की स्वीकृति दी गई थी । इसी वजह से यह क्षेत्र आयताकार नहीं है । इन क्षेत्रों के नक्शे संलग्न है जिन में मूल क्षेत्र व राज्य सरकार की नीति के अनुसार रखा हुआ 15 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र दर्शाते हुए है ।

(3) नहीं, ऐसा हमेशा नहीं होता है ।

(4) जहां जहां यह संभव हो पाया है प्लाट्स बना कर लीज दी जा रही है, तथा भाटक एवं अधिशुल्क के पट्टे तो सामान्यतः सभी जगह प्लाट्स बना कर ही दिये जाते हैं ।

(नक्शे विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये)

प्रतापगढ़ की सहकारी समितियों में बकाया

264. श्री कारूभाई मीणा (प्रतापगढ़) : क्या सहाकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

प्रतापगढ़ क्षेत्र में निम्न सहाकारी समितियों की वर्तमान स्थिति क्या है—

(1) आदर्श विजय मोटर ट्रांसपोर्ट सहकारी समिति, प्रतापगढ़ ।

(2) प्रतापगढ़ गुड़ खांडसारी सहकारी समिति लि. ।

(3) बुनकर हाथ करघा सहकारी समिति लि., प्रतापगढ़ ।

(4) बगड़ावत वन श्रमिक सहकारी समिति लि., प्रतापगढ़ ।

(5) नेहरू गृह निर्माण सहकारी समिति, अचलपुर ।

(6) श्री महालक्ष्मी क्रय विक्रय सहकारी समिति लि. प्रतापगढ़ ।

ये समितियां अगर बंद हैं, तो क्या राज्य सरकार की अनुदान एवं सदस्यों की

(श्री खंगारसिंह चौधरी)

हिस्सा राशि का भुगतान हो गया या नहीं ?

उत्तर

प्रतापगढ़ क्षेत्र की सहकारी समितियों की स्थिति समिति वार निम्न प्रकार है :—

(1) आदर्श विजय ट्रांसपोर्ट सहकारी समिति लि० प्रतापगढ़ काफी समय से बन्द पड़ी है। इस समिति को राज्य सरकार से कोई अनुदान प्राप्त नहीं हुआ है केवल सदस्यों को 500 रुपये की हिस्सा राशि लौटानी है।

(2) प्रतापगढ़ गुड़ खांडसारी सहकारी समिति लि. के नाम से कोई संस्था पंजीकृत नहीं है। प्रतापगढ़ चीनी उत्पादन सहकारी समिति लि. के नाम से पंजीकृत है। समिति का कार्य इस समय बन्द है। समिति के सदस्यों को हिस्सा राशि कभी नहीं लौटाई गई है।

(3) बुनकर हाथ कर्घा सहकारी समिति लि. प्रतापगढ़ के नाम से कोई संस्था पंजीकृत नहीं है। वस्त्र उत्पादक सहकारी समिति लि. प्रतापगढ़ के नाम से समिति पंजीकृत है, जो अध्ययन में है। समिसि के अदसातक द्वारा अनुपयोगिता अनुदान हर सदस्यों की हिस्सा राशि लौटाई जानी है।

(4) बगडाअन्द वन श्रमिक सहकारी समिति लि० प्रतापगढ़ कार्य न मिलने से बन्द पड़ी है। सदस्यों को हिस्सा राशि अभी नहीं लौटाई गई है। समिति को जो अनुदान मिला था उसका उपभोग हो जाने के कारण अनुदान राशि लौटाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(5) नेहरू गृह निर्माण सहकारी लि० जबलपुर के नाम से कोई संस्था पंजीकृत नहीं है।

श्री महालक्ष्मी क्रय विक्रय सहकारी समिति लि० प्रतापगढ़ कार्य कर रही है।

राज्य कर्मचारियों की अधिक आय से पूंजी की जांच

266. श्री मूलचन्द डागा : (पाली) क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राज्य सरकार पिछले 30 वर्षों से या उससे कम समय में जितने सरकारी कर्मचारी सेवा में कार्यरत हैं और जिन्होंने अपनी आमदनी की हैसियत से ज्यादा पूंजी बना ली है, उसके कारणों की जांच करायेगी और नहीं, तो क्यों नहीं ? उनको दोषी पाये जाने पर सजा देगी ?

(2) क्या यह सही है कि भ्रष्ट और गलत ढंग से जिन कर्मचारियों ने पैसा कमाया, उनकी जांच कराने से और दोषी कर्मचारियों को दण्ड देने से प्रशासन में स्वच्छता आ सकती है ? यदि हां, तो राज्य सरकार इस बावत क्या सक्रिय कदम उठायेगी और नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार के किसी भी कर्मचारी के संबंध में आमदनी की हैसियत से ज्यादा पूंजी बना लेने की सप्रमाण सूचना मिलेगी तो उसकी अवश्य जांच करायी जायगी और दोषी पाये जाने पर कर्मचारी को दंडित भी किया जायगा।

(मुख्य मंत्री)

(2) जी हां। जब जब राज्य सरकार को किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा भ्रष्ट व गलत ढंग से पैसा बनाने की सप्रमाण सूचना मिली है उसकी जांच कराई गई है और यदि किसी के खिलाफ मामला बनना पाया गया है तो उसके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की गई है। भविष्य में भी यदि किसी सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध भ्रष्ट व गलत ढंग से पैसा बनाने के प्रमाण मिलेंगे तो उनके विरुद्ध कार्यवाही की जायगी। पिछले दो वर्षों में 8 सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध आमदनी की हैसियत से ज्यादा पूंजी बनाने के अभियोग में अदालत में चालान प्रस्तुत किये गये और 21 सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध अनुसंधान के लिए भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा मामले दर्ज किये गये।

राज्य में अन्त्योदय योजना का विस्तार एवं उसकी प्रगति

267. श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : क्या अन्त्योदय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बाड़मेर जिले में अन्त्योदय योजना के तहत कुल कितने परिवारों का चयन किया गया है तथा कितने परिवारों को किस प्रकार राहत दी गई? सूची मय विवरण के सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त जिले में ऐसे कितने गांव हैं जहां इस वर्ष चयन करने की आवश्यकता नहीं पड़ी? क्या वहां पर सभी परिवार औसत गरीबी रेखा से ऊपर हैं?

(3) अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत जिले की विभिन्न तहसीलों में कितने व्यक्तियों को कितनी भूमि आवंटित की गई है व कितने व्यक्तियों को उस भूमि पर काबिज किया गया है? तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) उक्त योजना के अन्तर्गत कितने परिवारों ने भूमि आवंटित के लिये निवेदन किया और उन्हें भूमि आवंटित नहीं की गई? तहसीलवार विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(5) क्या यह सही है कि सीलिंग से छुड़वाई गई भूमि का आवंटन किया गया है? क्या उन व्यक्तियों को राज्य सरकार द्वारा कब्जा दिला दिया गया है?

उत्तर

(1) बाड़मेर जिले में अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत प्रथम चरण में 3942 व द्वितीय चरण में 3829 परिवारों का चयन किया गया है। प्रथम, द्वितीय चरण में चयनित परिवारों को निम्न रूप से लाभान्वित किया गया है :—

	प्रथम चरण	द्वितीय चरण
1. वृद्धावस्था पेंशन	530	179
2. भू-आवंटन	933	924
3. रोजगार	10	1
4. ऋण स्वीकृति वितरित	1604	22
5. चर्खा वितरण खादी एवं ग्रामोद्योग द्वारा।	630	1
6. अन्य	3	–
	3710	1127

(अन्त्योदय मंत्री)

(2) राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुसार 54 गांवों में से द्वितीय चरण में चयन करने की आवश्यकता नहीं हुई। इन गांवों में कोई परिवार निर्धारित मापदंड के अनुसार चयनीय नहीं था। जी हां।

(3) प्रथम चरण में 933 परिवारों को 11094 एकड़ भूमि एवं द्वितीय चरण में 934 परिवारों को 11082 एकड़ भूमि आवंटित की गयी। प्रथम चरण में 832 व्यक्तियों को एवं द्वितीय चरण में 424 व्यक्तियों को कब्जा दिया जा चुका है। तहसीलवार सूची सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

(4) अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत प्रथम चरण में 954 परिवारों ने भू-आवंटन के लिये निवेदन किया लेकिन 21 परिवारों को भू-आवंटन नहीं किया गया। द्वितीय चरण में 1748 परिवारों ने निवेदन किया लेकिन 824 परिवारों को भू-आवंटित नहीं की गई। तहसीलवार विवरण संलग्न है।

(5) जी हां, 144 परिवारों को स्वयं के आवेदन पर सीलिंग की भूमि का आवंटन किया गया। इनमें से 37 परिवारों को कब्जा दिलवा दिया गया।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 5 देखें।)

शहर कोतवाली, जयपुर के कर्मचारियों, अधिकारियों को पारितोषिक

269. श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सन् 77–78 में शहर कोतवाली, जयपुर के कितने कर्मचारियों व अधिकारियों को उनकी कार्य कुशलता के लिए पारितोषिक दिये गये ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या जिन व्यक्तियों को पारितोषिक दिये गये, उनकी उक्त मुकदमों में जिनके लिए पारितोषिक दिये गये खानगी है ? अगर नहीं, तो पारितोषिक किस आधार पर दिये गये ?

(3) क्या पारितोषिक प्राप्त करने वाले कर्मचारियों व अधिकारियों ने उक्त मुकदमों में कोई डायरी खोली है या तफतीश की है ? अगर नहीं, तो क्यों ? अगर हां, तो उक्त मुकदमों में तफतीश किस-किस ने की व पारितोषिक किसे दिये गये ?

(4) क्या यह सही है कि उक्त पारितोषिक वितरण में तत्कालीन उप अधीक्षक आरक्षी, कोतवाली श्री अर्जुनसिंह ने पक्षपात कर गलत व्यक्तियों को पारितोषिक दिलवाया ? अगर हां, तो क्यों ? अगर नहीं, तो क्या ये पारितोषिक अपर अधीक्षक कोतवाली से फारवर्ड थे ? अगर नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या यह सही है कि जिस मुकदमें में पारितोषिक दिया गया उस समय श्री गनीराम, आरक्षी की खानगी हनुमानगढ़ की थी तथा श्री हरिराम, ए. एस. आई. को जिस मुकदमें में पारितोषिक दिया गया, उस मुकदमें की तफतीश के समय वे बीमार थे ? अगर हां, तो ये पारितोषिक किस आधार पर दिये गये ?

उत्तर

(1) वर्ष 1978 में शहर कोतवाली, जयपुर के 77 कर्मचारियों व अधिकारियों

(गृह मंत्री)
को पारितोषिक दिये गये। सूची संलग्न है।

(2) जी हां। अधिकांश की खानगी रोजनामचे में है। पारितोषिक प्रत्येक के कार्य के आधार पर दिये गये हैं।

(3) जी हां। मुकदमें की जिस-जिस अधिकारियों ने तफतीश की अथवा सहयोग दिया, उन्हें पारितोषिक दिये गये हैं।

(4) जी नहीं। अपर पुलिस अधीक्षक, जयपुर नगर से पारितोषिक फारवर्ड कराना नियमों में आवश्यक नहीं है।

(5) जी नहीं। गनीराम नाम के किसी आरक्षी को पारितोषिक नहीं दिया गया है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 6 देखें।)

राज्य में अपराधों की वृद्धि

270. श्री गुल मोहम्मद (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में गत वर्ष अपराधों में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई इससे पूर्व के वर्ष में कितनी वृद्धि हुई थी ? दोनों वर्षों के अपराधों की कुल संख्या बतायें।

(2) वर्ष 1977 व 78 में राजस्थान में सबसे अधिक अपराधों की संख्या किस शहर की रही व किन किन अपराधों की संख्या कितनी कितनी रही ?

(3) इन बढ़ते अपराधों का जिम्मेदार राज्य सरकार किसको मानती है ? राज्य सरकार इसके निवारण के लिए क्या सोच रही है ?

उत्तर

(1) राजस्थान में वर्ष 1978 में वर्ष 1977 की तुलना में अपराधों में 2·4 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष 1977 में 1976 की तुलना में 22·4 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। वर्ष 1977 में अपराधों की संख्या 62254 व वर्ष 1978 में इनकी संख्या 63752 थी।

(2) दोनों वर्षों में सबसे अधिक अपराधों की संख्या जयपुर शहर की रही। अपराधवाद संख्या की सूची संलग्न है।

(3) अपराधों की वृद्धि के मुख्यतः कारण बढ़ती जनसंख्या, औद्योगीकरण एवं प्रत्येक मामले को सुगमता से पंजीबद्ध करने तथा आपातकाल में बंदी बनाए गए असामाजिक तत्वों का छूट कर बाहर आ जाना है। अपराधों पर पूर्ण नियंत्रण हेतु सभी संभव उपाय किये जा रहे हैं। निकट भविष्य में थानों की नफरी बढ़ाने के प्रस्ताव भी राज्य सरकार के विचाराधीन हैं।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 7 देखें।)

थाना सदर देवपुरा बूंदी में दर्ज मामले

271. श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) थाना सदर देवपुरा, बूंदी में फरवरी, 1979 में कितनी रपटें किन किन के खिलाफ किन किन द्वारा किस किस जुर्म में दर्ज हुई हैं ?

(श्री गोपाल पचेरवाल)

(2) उक्त माह में कितनी गिरफ्तारियां किस किस व्यक्ति की किस किस जुर्म में हुई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह सही है कि फरवरी, 1979 में श्री रामनारायण ग्रात्मज श्री राधावल्लभ हाल निवासी माटूंदा को 9 फरवरी, 79 को गिरफ्तार किया गया है ? यदि हां, तो किस जुर्म में कितने दिन थाने में रखा गया और कब चालान पेश किया गया ?

उत्तर

(1) वांछित सूचना की सूची संलग्न है।

(2) वांछित सूचना की सूची संलग्न है।

(3) श्री राम नारायण ग्रात्मज श्री राधावल्लभ को अपराध संख्या 21/79 धारा ता० हि० थाना सदर, बूंदी में दिनांक 13-2-79 को गिरफ्तार किया गया था जिस को एक रोज पुलिस कस्टडी में रखे जाने के उपरान्त न्यायिक हिरासत में दिनांक 14-2-79 को भेजा गया। अनुसंधान पूर्ण हो चुका है। आवश्यक तकमीलात कर चालान शीघ्र ही प्रस्तुत किया जायगा।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 8 देखें।)

एस. पी. ऑफिस नागौर का निरीक्षण

272. श्री हरजी राम बुरडक (लाडनूं) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या एस. पी. ग्राफिस नागौर का वर्ष 1978-79 में ग्राई.जी. पी. व डी.ग्राई. जी.पी. ने कभी निरीक्षण किया ? यदि हां, तो कब कब किस किस के द्वारा तथा उनके द्वारा दी गई निरीक्षण रिपोर्ट की प्रतियां सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त निरीक्षण रिपोर्ट्स की तामील कहां तक हुई ?

(3) निरीक्षण रिपोर्ट की तामील करने की क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है तथा इसमें क्या प्रक्रिया अपनाई गई ?

उत्तर

(1) वर्ष 1978-79 में महानिरीक्षक, राजस्थान द्वारा नागौर पुलिस अधीक्षक कार्यालय का कोई निरीक्षण नहीं किया गया। पुलिस उप महानिरीक्षक, जोधपुर रेंज द्वारा दिनांक 18-1-79 से 21-1-79 तक निरीक्षण किया गया था। उप महानिरीक्षक के अन्य आवश्यक कार्यों में व्यस्त होने के कारण निरीक्षण टिप्पणी अभी लिखी नहीं जा सकी है।

(2) निरीक्षण टिप्पणी भिजवाने के पश्चात् ही तामील के बारे में स्थिति ज्ञात हो सकेगी।

(3) निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रत्येक टिप्पणी पर ब्यौरेवार जवाब दिये जाते हैं। जिन पर निरीक्षण कर्त्ता अपना निर्णय लेते हैं। अभी निरीक्षण टिप्पणी नहीं भेजी गई है। अतः उपरोक्त निरीक्षण में अपनाई गई प्रक्रिया का प्रश्न पैदा नहीं होता।

सतर्कता समिति नागौर के आदेशानुसार दर्ज मामले

273. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं): क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला सतर्कता समिति नागौर के आदेशानुसार कौन कौन सा मामला किस किस थाने में कब कब दर्ज हुआ तथा उनका चालान कब कब हुआ ?

(2) यदि चालान नहीं हुआ है तो किस स्टेज में केस की तफतीश चल रही है ? फाइलवार तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) इस प्रकार के दर्ज मामलों में अब तक कितने प्रतिशत चालान हुआ और अन्य मामलों के चालान का प्रतिशत क्या है ?

(4) उक्त सारे मामले कब तक चालान कर दिये जायेंगे ?

उत्तर

(1) जिला सतर्कता समिति नागौर द्वारा सीधा ही किसी थाने को किसी भी मामले में जांच करने का अथवा एफ. आई. आर. दर्ज करने का आदेश नहीं दिया गया है। उक्त समिति के निर्णय के आधार पर विभिन्न विभागों द्वारा पुलिस के सुपुर्द की गई जांचों का विवरण संलग्न है।

(2–4) आइटम नं० 1 के उत्तर में विवरण दे दिया गया है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 9 देखें।)

भरतपुर निर्वाचन क्षेत्र में चोरियों के मामले

274. श्री सुरेश कुमार शर्मा (भरतपुर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे–

(1) वर्ष 77–78 और 78–79 में में भरतपुर निर्वाचन क्षेत्र के शहर भरतपुर और ग्रामीण क्षेत्र में कितनी चोरी की घटनाएं हुईं और कितनी चोरियों का माल अब तक बरामद हो चुका ? शहर और ग्रामीण क्षेत्र की सूचना पृथक पृथक सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) भरतपुर शहर कोतवाली के अन्दर चोरी बरामद हुई कितनी साइकिलें एकत्रित हैं ? यह साइकिलें कब से पड़ी हैं तथा इस सिलसिले में कितने व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही की जा चुकी है ?

(3) वर्ष 77–78 और वर्ष 78–79 में साईकिल चोरी की कितनी रिपोर्ट दर्ज हुई और कितने व्यक्तियों को उनकी साईकिल उपलब्ध करा दी गई ?

उत्तर

(1) सूची संलग्न है।

(2) इस समय कोतवाली भरतपुर में चोरी की कोई साइकिलें एकत्रित नहीं हैं। वर्ष 1978 में साईकिल चोरी में 10 व्यक्तियों के खिलाफ चालान अदालत में पेश किया गया।

(3) भरतपुर निर्वाचन क्षेत्र में वर्ष 77 में 83 एवं वर्ष 78 में 68 साइकिलें

(गृह मंत्री)
चोरी होने के अपराध पंजीबद्ध हुए। वर्ष 77 में 9 व्यक्तियों और वर्ष 78 में 10 व्यक्तियों को उनकी साइकिलें उपलब्ध कराई गई।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 10 देखें।)

नागौर में पुलिस सेवाओं का विस्तार

276. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

पुलिस सेवाओं के विस्तार के लिए वर्ष 1978–79 में नागौर जिले के लिए क्या-क्या कार्य किये गये तथा उन पर कितना कितना खर्चा हुआ ?

उत्तर

दो थानों पर वायरलैस सेट लगाये गये। जिन पर करीब 20,000/– का खर्चा हुआ है।

राज्य में औषधालय खोलने की नीति

277. श्री रामप्रसाद लड्ढा (माण्डल): क्या आयुर्वेद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) एक पंचायत समिति के तहत जहां 10 औषधालय हैं वहां नये औषधालय नहीं खोले जायेंगे, क्या सरकार ने एक नीति तय की है ?

(2) क्या पिछली सरकार ने भी ऐसा ही तरीका अपनाया था ?

(3) क्या यह सही है कि पिछले समय में खोले जाने वाले औषधालय नीति के अनुसार न खोले जाकर वोटों के आधार पर खोले गये हैं जिससे औषधालय वांछित स्थानों पर न खुलकर कहीं अन्यत्र खुल गये हैं ?

(4) क्या यह भी सही है कि माण्डल निर्वाचन क्षेत्र के काफी क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर आस पास कोई मेडिकल एड की व्यवस्था नहीं है ?

(5) ऐसी स्थिति में जहां नीति के तहत तो औषधालय नहीं खोले जा सकते हैं पर क्या जनसंख्या के आधार पर एवं अन्य किन्हीं कारणों से उपेक्षित क्षेत्रों में राज्य सरकार औषधालय खोलेगी ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं।

(3) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक औषधालय खोलने हेतु कोई निश्चित नीति नहीं थी किन्तु जनसंख्या आदि के मापदण्ड अवश्य निर्धारित थे। अब मापदण्डों को ध्यान में रखते हुए ग्रामवासियों, विधायकों व अन्य स्थानों से प्राप्त प्रस्तावों में से प्राथमिकता के अनुसार स्थानों का चयन कर जनता की मांग पर ही औषधालय खोले गये हैं।

(4) जी नहीं। इस निर्वाचन क्षेत्र में ऐलोपैथिक सुविधाओं के अलावा 16 आयुर्वेदिक औषधालय संचालित हैं।

(5) छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक प्रत्येक पंचायत समिति में 10 औषधालय

(आयुर्वेद मंत्री)

करने का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है, उसे ही पूरा करने की वित्तीय संसाधनों को ध्यान में रखते हुए आयुर्वेद विभाग द्वारा कोशिश की जायेगी ।

केशोरायपाटन क्षेत्र में औषधालय

278. श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) : क्या आयुर्वेद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) निर्वाचन क्षेत्र केशोरायपाटन में कितने आयुर्वेद औषधालय हैं तथा जनता सरकार बनने के बाद इस क्षेत्र में कितने नये औषधालय कब खोले गये ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) क्या राज्य सरकार की प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर औषधालय खोलने की योजना है ? यदि हां, तो कब से एवं किस आधार पर ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र केशोरायपाटन (जिला बूंदी) में वर्तमान में 11 औषधालय संचालित हैं। राज्य में जनता सरकार के बनने के बाद केवल एक औषधालय (वर्ष 1977-78) ग्राम लवान में खोला गया है ।

(2) जी नहीं। छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक प्रत्येक पंचायत समिति क्षेत्र में 10 औषधालय करने का लक्ष्य है। राज्य में वर्तमान में 2396 औषधालय/चिकित्सालय संचालित हैं जबकि पंचायतें 7,364 हैं। अतः वित्तीय संसाधनों को देखते हुए फिलहाल सभी पंचायत मुख्यालयों पर औषधालय खोलना संभव नहीं है ।

जयपुर जिले में शराब के ठेके व लाईसेंस

279. श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : क्या आबकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) जयपुर जिले में पिछले पांच वर्षों में किन स्थानों पर किन किन व्यक्तियों को कितनी-कितनी धनराशि पर कितने-कितने समय के लिए शराब के ठेके दिये ? सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) क्या यह सही है कि पिछले दो वर्षों में अंग्रेजी शराब की दुकानें खोलने हेतु लाईसेंस दिये गये हैं ? यदि हां, तो जयपुर जिले में खोली गई दुकानों की सूची विवरण सहित सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(3) क्या राज्य सरकार शराबबन्दी हेतु कोई निर्णय लेने जा रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) वांछित विवरण संलग्न है ।

(2) पिछले दो वर्षों में जयपुर जिले में केवल गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड् को ही भारत निर्मित विदेशी मदिरा का थोक एवं रिटेल आन अनुज्ञा पत्र स्वीकृत किया गया है । अन्य कोई अनुज्ञापत्र स्वीकृत नहीं किया गया है ।

(आबकारी मंत्री)

(3) मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 11 देखें।)

धौलपुर क्षेत्र में न्यायालयों की स्थापना

280. श्री जगदीश सिंह (धौलपुर) : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि धौलपुर मुख्यालय पर एडीशनल डिस्ट्रिक्ट जज और चीफ ज्यूडीशियल मजिस्ट्रेट के नये पद सृजित किये गये थे ?

(2) क्या यह सही है कि वहां चीफ ज्यूडीशियल मजिस्ट्रेट की नियुक्ति अभी तक नहीं हुई है ? यदि हां, तो वे कब तक अपना कार्यभार सम्भाल लेंगे ?

(3) क्या बाड़ी मुंसिफ एवं न्यायिक दण्डनायक न्यायालय के लिये पृथक से जेल निर्माण हेतु धनराशि स्वीकृत हुई थी ? यदि हां, तो निर्माण कार्य क्यों नहीं हुआ और कब तक क्रियान्वयन सम्भव है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या धौलपुर और बाड़ी के न्यायिक अधिकारीगण के लिए आवासीय व्यवस्था हेतु भवन निर्माण कार्य वर्ष 79-80 में कराया जावेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या अपर जिला न्यायाधीश का वर्ष 79-80 में नया न्यायालय बनाने की योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी नहीं। केवल एडीशनल डिस्ट्रिक्ट जज का ही पद सृजित किया गया था। जिला मुख्यालय नहीं होने के कारण भारतीय दण्ड संहिता 1973 की धारा 13 के अन्तर्गत मुख्य न्यायिक दण्डनायक का वहां कोई पद सृजित नहीं किया जा सकता है।

(2) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

(3) जी नहीं। बाड़ी में मुन्सिफ एवं न्यायिक दण्डनायक के लिये पृथक से जेल निर्माण हेतु कोई धन राशि स्वीकृत नहीं की गई है।

(4) राज्य सरकार वित्तीय साधनों को दृष्टिगत रखते हुए इस पर विचार करेगी।

(5) बाड़ी में जेल धौलपुर में न्यायिक अधिकारियों के आवासीय गृह तथा धौलपुर में एडीशनल सैशन जज न्यायालय आदि के निर्माण कार्य को वर्ष 79-80 की बजट मांगों तथा सप्तम वित्त आयोग के प्रस्तावों पर अन्तिम निर्णय लेने के बाद वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए कार्य करवाने पर विचार किया जा सकेगा।

राज्य में निजी शिक्षण संस्थाओं को अनुदान

283. श्रीमती श्यामा कुमारी सेंगर (कपासन) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्रीमती श्यामा कुमारी संगर)

(1) राज्य में प्राइवेट और पब्लिक स्कूलों की कितनी संख्या है और उनमें प्रशिक्षित तथा अप्रशिक्षित कितने अध्यापक काम कर रहे हैं ?

(2) क्या यह सही है कि इन सभी अध्यापकों में वे अध्यापक जो अभी ओवरऐज नहीं हुए हैं, सदैव सरकारी नौकरी की तलाश में रहते हैं ?

(3) क्या राज्य सरकार प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में काम करने वाले अध्यापकों को समान सुविधा प्रदान करना चाहती है ? यदि हां, तो इसके लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ताकि दोनों क्षेत्रों में काम कर रहे अध्यापकों को वेतन, भत्ता, आवास, उपचार तथा भविष्य निधि की समान सुविधा उपलब्ध हो सके ?

(4) राज्य में ऐसी कितनी प्राइवेट संस्थायें हैं जिनको राज्य सरकार 60% से 90% या 100% तक अनुदान देती है ?

(5) क्या अनुदान का रुपया संस्था को न देकर स्टाफ को डायरेक्ट पेमेन्ट किया जा सकता है, ताकि अधिक रुपयों पर हस्ताक्षर करवा कर कम देने की प्रवृत्ति पर काबू पाया जा सके और शिक्षक समुदाय राहत की सांस ले सके ?

उत्तर

(1) राज्य में निजी शिक्षण संस्थाओं की सूचना निम्न प्रकार है :—

1) निदेशक प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा

प्राइवेट स्कूल	1290
पब्लिक स्कूल	6

2) संयुक्त निदेशालय

प्राइवेट स्कूल	161

अनुदान नियमों के अन्तर्गत प्रशिक्षित अध्यापक प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय में रखना अनिवार्य है। संस्कृत शिक्षाओं में प्रशिक्षित 744 एवं अप्रशिक्षित 638 अध्यापक हैं।

(2) इस प्रकार की सूचना विभाग में संकलित नहीं की जाती है।

(3) राज्य कर्मचारियों के समान वेतन व भत्ते का प्रावधान अनुदान नियमों में है और उसी के अनुसार दिया जाता है। मकान किराया, चिकित्सा भत्ता दिये जाने के सम्बन्ध में राज्य सरकार भण्डारी समिति की सिफारिशों पर विचार कर रही है।

(4) सूचना निम्न प्रकार है :—

प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा

60 प्रतिशत अनुदान वाली संस्थायें	21
70 प्रतिशत अनुदान वाली संस्थायें	
80 प्रतिशत अनुदान वाली संस्थायें	163
90 प्रतिशत अनुदान वाली संस्थायें	69

संस्कृत शिक्षा

50 प्रतिशत अनुदान प्राप्त	24

(शिक्षा मन्त्री)

60 प्रतिशत अनुदान प्राप्त	9
70 प्रतिशत अनुदान प्राप्त	23
80 प्रतिशत अनुदान प्राप्त	19

(5) अनुदान नियमों के अनुसार संस्था को ही भुगतान करने का प्रावधान है।

राज्य के विश्वविद्यालयों का पुनर्गठन

284. श्री कौशल किशोर जैन (भीलवाड़ा) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य के विश्वविद्यालयों के पुनर्गठन के लिए राज्य सरकार द्वारा गठित 11 सदस्यीय समिति के सदस्य कौन-कौन हैं ?

(2) क्या राज्य सरकार का उदयपुर तथा जोधपुर विश्वविद्यालय का केवल मात्र नगरीय स्वरूप समाप्त करने का विचार है ?

(3) क्या हाड़ौती क्षेत्र के लिए पृथक विश्वविद्यालय की स्थापना के विषय में भी यह समिति विचार करेगी ?

(4) क्या उदयपुर विश्वविद्यालय को मात्र कृषि विश्वविद्यालय रखने पर भी निर्णय लिया जायेगा ?

(5) क्या समिति के सामने उदयपुर विश्वविद्यालय का नाम महाराणा प्रताप विश्वविद्यालय करने का प्रस्ताव भी राज्य सरकार का है ?

उत्तर

(1) समिति के निम्नलिखित सदस्य हैं :

1) प्रोफेसर एम. ओ. माथुर, निदेशक, नेशनल स्टाफ नगर एजूएडी केशनल माइनर्स एण्ड एड मिनिस्ट्रेटर्स, नई दिल्ली (भूतपूर्व उपकुलपति, राजस्थान विश्वविद्यालय)।	अध्यक्ष
2) उपकुलपति, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर।	सदस्य
3) उपकुलपति, उदयपुर वि० वि० उदयपुर।	,,
4) उपकुलपति, जोधपुर वि० वि०, जोधपुर।	,,
5) इन्डियन कौंसिल आफ एग्रीकल्चर रिसर्च, नई दिल्ली का एक प्रतिनिधि।	,,
6) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का एक प्रतिनिधि।	,,
7) वित्त आयुक्त अथवा उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी जो उप-सचिव के स्तर से नीचे का न हो।	,,
8) कृषि आयुक्त।	,,
9) शिक्षा आयुक्त	,,
10) विशिष्ट सचिव शिक्षा	,,
11) निदेशक, कालेज शिक्षा, जयपुर।	सदस्य सचिव

(2) इस समिति के विचारार्थ बिंदुओं में यह बिन्दु नहीं है।

(3) जी नहीं।

(4) समिति के विचार बिन्दुओं में जस्टिस सिंह आयोग की सिफारिशों के प्रकाश

(शिक्षा मन्त्री)

में उदयपुर विश्वविद्यालय के पुनर्गठन के बारे में विचार करना है।

(5) जी नहीं।

राज्य में चुंगी की चोरी की रोकथाम

285. श्रीमती नारंगी देवी (किशनगंज): क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में विभिन्न नगरपालिकाओं को चुंगी के द्वारा कितनी आय प्रति वर्ष होती है? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) चुंगी चोरी रोकने के लिए राज्य सरकार क्या कदम उठा रही है?

उत्तर

(1) विभिन्न नगरपालिकाओं से प्रति वर्ष चुंगी की आय की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) नगरपालिकाएं अपने स्तर पर ही अपने स्टाफ द्वारा चैकिंग कराती हैं और चुंगी चोरी के मामले सामने आने पर नियमानुसार जुर्माना किया जाता है या मुकदमें चलाये जाते हैं।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 12 देखें।)

लाडनूं नगपालिका द्वारा चुंगी की वसूली

286. श्री हरजी राम बुरडक (लाडनूं): क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नगरपालिका सुजानगढ़ व डीडवाना द्वारा इमारती लकड़ी व पुराने टायर ट्यूब पर चुंगी कीमत पर लग रही है? यदि हां, तो किस दर से वसूल की जा रही है?

(2) क्या यह सही है कि नगरपालिका लाडनूं जिला नागौर में उक्त वस्तुओं पर चुंगी वजन के आधार पर लग रही है? यदि हां, तो किस दर से तथा कब से?

(3) क्या यह भी सही है कि नगरपालिका लाडनूं में भी चुंगी अपने पड़ोस की पालिकाओं के अनुसार कीमत पर वसूल करने की स्वीकृति राज्य सरकार से चाही थी? यदि हां, तो कब और कब स्वीकृति दी गई? अगर नहीं दी गई, तो क्यों?

उत्तर

(1) डीडवाना में इमारती लकड़ी व पुराने टायर ट्यूब पर चुंगी की दर क्रमशः दो रुपये प्रति क्विटल व दो रुपये प्रतिशत है और सुजानगढ़ में इमारती लकड़ी व पुराने ट्यूब-टायर पर क्रमशः तीन प्रतिशत व दो प्रतिशत है।

(2) दिनांक 1-9-75 से चुंगी की दर इमारती लकड़ी व पुराने टायर-ट्यूब पर क्रमशः 1 रु० क्विटल तथा 7 रु० व 9रु ० क्विटल है।

(3) स्वीकृति हो चुकी है। आदेश प्रसारित किये जा रहे हैं।

उदयपुर की फैक्ट्रियों को चुंगी मुक्ति प्रमाण-पत्र

287. श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या उदयपुर होजरी फैक्ट्री ने दिनांक 3-5-74 को उद्योग विभाग का चुंगी मुक्ति प्रमाण-पत्र आयुक्त नगर पालिका उदयपुर को प्रस्तुत किया था ?

(2) क्या यह सही है कि मेवाड़ होजरी मिल्स 115, भूपालपुरा, उदयपुर भी इसी प्रकार का काम करती है, को क्यों नहीं दिया गया ?

(3) क्या यह भी सही है कि राजस्थान आईस फैक्ट्री उदयपुर को एक लाख पांच सौ सात रुपये की सेल बिल्टियों पर चुंगी मुक्ति दी गई वह गलत थी ? यदि हां, तो क्यों ? क्या राज्य सरकार संविधान ,अधिकारी के खिलाफ कोई कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(1) दिनांक 8-5-75 को प्रस्तुत किया था।

(2) मेवाड़ होजरी मिल्स को भी नियमानुसार प्रमाण-पत्र के आधार पर ही चुंगी मुक्ति की सुविधा दी गई है।

(3) जी नहीं। इस फैक्ट्री को चुंगी से मुक्ति नहीं दी गई अतः कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उठता।

उदयपुर की सार्वजनिक शिक्षा संस्थाओं को अनुदान

288. श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) उदयपुर जिले में कार्यरत सार्वजनिक शिक्षण संस्थाओं की सूची मय प्रारम्भ होने की तिथि दर्शाते हुए विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) राज्य सरकार द्वारा इन संस्थाओं को किस तिथि से एवं कितनी ग्रांट दी गई ? वर्षवार दी गई ग्रांट की सूची संस्थावार सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह सही है कि भूतपूर्व सरकार ने अपने विचारों से मेल खाने वाली शिक्षण संस्थाओं को अधिक पद एवं अधिक प्रतिशत में अनुदान दिया इसके विपरीत उन संस्थाओं को कम प्रतिशत अनुदान दिया गया जो उसके विचारों से मेल नहीं खाती थी ? यदि हां, तो क्या उनके न्यायोचित हक को मारा नहीं गया ? उनको न्यायोचित हक मिले इसके लिये वर्तमान राज्य सरकार क्या मंशा रखती है ?

उत्तर

(1) उदयपुर जिले में शिक्षण संस्थाओं की सूचना निम्न प्रकार है :—

महाविद्यालय	5
प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय	81
संस्कृत विद्यालय	2

(शिक्षा मन्त्री)

प्राप्त सूचना अनुसार सूची संलग्न है।

(2) सूची संलग्न है।

(3) जी नहीं। अनुदान प्रतिशत का निर्धारण निरीक्षणोपरांत परामर्शदात्री समिति की अभिशंषा पर ही राज्य सरकार तय करती है। इसी प्रकार पदों की स्वीकृति भी दी जाती है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

उदयपुर नगर से अध्यापकों का स्थानान्तरण

289. श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) उदयपुर नगर में सेवारत अध्यापकों का उदयपुर में ठहराव कितने वर्षों से है ? वे अपने सेवाकाल में कुल मिलाकर कितने वर्षों तक उदयपुर नगर में रह चुके हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) पिछले दस वर्षों में उदयपुर नगर से बाहर रहने वाले शिक्षकों ने उदयपुर में आने हेतु कितने प्रार्थना-पत्र दिये ? उनमें से कितने अध्यापकों को इस अवधि में उदयपुर में लाया गया है ?

(3) क्या राज्य सरकार, राजस्थान के विभिन्न बड़े नगरों में अध्यापकों के शहर में अधिकतम ठहराव को निश्चित करने की मंशा रखती है ?

उत्तर

(1) द्वितीय वेतन शृंखला एवं तृतीय वेतन शृंखला अध्यापकों के कुल सेवा काल में उदयपुर नगर के ठहराव की सूची संलग्न है।

(2) पिछले दस वर्षों में उदयपुर नगर से बाहर रहने वाले जिन शिक्षकों ने उदयपुर में आने हेतु आवेदन पत्र दिये उनकी संख्या

द्वि० वे० श्रंक	तृ० वे० श्रंक
1432	3313

उक्त अवधि में जिन अध्यापकों को उदयपुर में लाया गया उनकी संख्या :—

द्वि० वे० श्रंक	तृ० वे० श्रंक
193	304

(3) जी नहीं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

राज्य में शिक्षा के स्तर में समानता

291. श्री बहादुर सिंह (नौहर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या राज्य सरकार शिक्षा स्तर में समानता लाने का इरादा रखती है ? अगर हां, तो कब तक तथा कैसे ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

(2) राज्य सरकार सैकण्डरी स्कूलों में कृषि विज्ञान खोलने के लिये कितना खर्चा लेती है ?

(श्री बहादुर सिंह)

(3) क्या राज्य सरकार गांवों में भी प्राइवेट विद्यालयों को भी अनुदान देने का इरादा रखती है ? अगर हां, तो किस दर्जे के विद्यालय को कितना अनुदान दिया जायेगा ?

(4) क्या राज्य सरकार उन गांवों में विद्यालय खोलने का इरादा रखती है जहां पर तीन कि० मी० तक प्राथमिक विद्यालय नहीं हैं ? अगर हां, तो कब तक ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) प्रश्न अस्पष्ट है।

(2) यदि किसी स्थान पर अन्य सभी मापदण्ड पूरे होते हों तथा जनता अपने व्यय से कोई ऐच्छिक विषय खुलवाना चाहती है तो राज्य सरकार दो वर्ष का सम्पूर्ण आवर्तक व अनावर्तक व्यय अग्रिम जमा करवाती है। कृषि विज्ञान के लिये व्यय लगभग 86,000 रुपये होता है।

(3) राजस्थान के ग्रामीण अंचलों में आज भी अनेक प्राइवेट विद्यालयों को राज्य सरकार द्वारा अनुदान दिया जा रहा है।

(4) राज्य सरकार ने जनसंख्या को नये प्राथमिक विद्यालय खोलने का आधार बनाया है।

राज्य में अनिवार्य शिक्षा योजना

292. श्री बहादुर सिंह (नोहर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य सरकार अनिवार्य शिक्षा कब तक लागू करने का इरादा रखती है ?

(2) राज्य में जनता सरकार बनने के बाद शिक्षा पद्धति में सुधार किया है ?

(3) राज्य सरकार शिक्षा पद्धति में क्या-क्या सुधार करने की योजना बना रही है तथा कब तक लागू हो जावेगी ?

(4) राज्य में कितने गांव ऐसे हैं जिन में प्राथमिक शालायें भी नहीं हैं ?

(5) नोहर तहसील में कितने ऐसे गांव तथा उच्च आबादियां हैं जिनमें प्राथमिक पाठशालायें भी नहीं हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) राज्य सरकार प्राथमिक स्तर पर अनिवार्य शिक्षा प्रारम्भ करने की दिशा में निरन्तर प्रयत्नशील है। निश्चित तिथि बताना सम्भव नहीं है।

(2) शिक्षा पद्धति में सुधार से प्रश्न कर्ता का क्या अभिप्राय है—यह स्पष्ट नहीं है।

(3) खण्ड (2) के समान।

(4) लगभग 11015 ऐसे गांव हैं जिनमें प्राथमिक विद्यालय नहीं हैं।

(5) ऐसी सूची एकत्रित की जा रही है।

नौहर तहसील के गांवों को पीने का पानी

294. श्री बहादुरसिंह (नौहर) : क्या जन स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नौहर तहसील में कितने खारे पानी के गांव हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) राज्य की जनता सरकार ने नौहर तहसील के कितने खारे पानी के गांवों को नई योजना बनाकर पीने का पानी दिया है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) नौहर तहसील के खारे पानी वाले गांवों को पीने का मीठा पानी कब तक दे दिया जावेगा ?

(4) गंधेली साहबा पेयजल योजना कब बनाग्री गयी थी ? इस योजना पर अब तक कितना कार्य हो चुका है ? इस योजना पर अब तक कितना पैसा खर्च हो चुका है ? इस योजना से अब तक कितने गांवों को पानी दिया जा चुका है ? विवरण सदन की मेज पर मय सूची के रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) नौहर तहसील में 143 खारे पानी के गांव हैं। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) राज्य सरकार ने पिछले 2 वर्षों में नौहर तहसील के 7 ग्रामों की योजनायें स्वीकृत की हैं जिसमें से 3 गांवों को पेयजल उपलब्ध करा दिया है। सूची सदन की मेज पर रख दी है।

(3) राज्य सरकार खारे पानी वाले गांवों को पानी उपलब्ध कराने के लिये सतत् प्रयत्नशील है।

(4) क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना राजगढ़, तारानगर, वर्ष 1975-76 में स्वीकृत की गई थी, जिसकी अनुमानित लागत 2·13 करोड़ रुपये है तथा अब तक दिसम्बर, 78 तक रु० 77·20 लाख व्यय किया जा चुका है। ग्राम गंधेली में 6 लाख गैलन का पक्का जलाशय, पम्प हाउस व 2 कच्चे जोहड़ बनाये गये हैं। इसी प्रकार लालनिया में एक स्वच्छ जलाशय मय पम्प हाउस तथा एक कच्चा जोहड़ का निर्माण किया गया है, गन्धेला तथा लालनिया में पानी के बहाव को नियन्त्रित करने के लिये 2 बहाव नियन्त्रित स्तूप बनाये गये हैं और साथ में एक 7 लाख गैलान का स्वच्छ जलाशय बनाया गया है। इसके अतिरिक्त गंधेली व लालनिया तक पावर लाईन डाल दी गई है।

स्वीकृत योजना के प्रथम चरण के प्रथम भाग में केवल 24" व्यास की मेन लाईन डालने का प्रावधान है एवं इसके पूर्ण होने पर साहबा तक जल उपलब्ध हो सकेगा। अभी तक किसी भी ग्राम को पानी नहीं दिया गया है।

(सूची के लिए परिशिष्ट 13 देखें।)

चूरू जिले के गांवों में पेय जल की व्यवस्था

295. श्री हजारीमल सारण (सरदार शहर) : क्या जन स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री हजारीमल सारण)

(1) चूरू जिले के गांवों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिये कितनी और कहां-कहां नई जलदाय योजनायें स्वीकृत की गई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) नई स्वीकृत जलदाय योजनाओं के लिये कितनी धनराशि स्वीकृत की गई तथा कितना खर्चा हुआ व कौन-कौन सी योजनाओं का काम कब कब शुरू किया गया ? योजना वार धनराशि की स्वीकृति व खर्चा का ब्यौरा सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) गंधेली साहवा जलदाय योजना में चूरू जिले के कितने गांव शामिल किये गये हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

(1) चूरू जिले के गांवों को पेय जल उपलब्ध कराने के लिये वर्ष 1978-79 में दस नई योजनायें स्वीकृत की गई। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) गंधेली साहवा जल योजना के नाम से कोई योजना नहीं बनी है। क्षेत्रीय जल योजना राजगढ़ तारानगर नौहर के नाम से एक वृहद् योजना बनाई गई है। इस योजना में चूरू जिले के 202 ग्रामों को पेय जल दिया जाना प्रस्तावित है। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 14 देखें।)

झालावाड़ जिले के गांवों में हैण्ड पम्प की स्वीकृति

296. श्री ईश्वर चन्द्र (पिडावा) : क्या जन स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) हैंड पंप के लिए सन् 77-78 में झालावाड़ जिले के लिए स्वीकृत गांवों की सूची तहसीलवार सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) 22 जून, 77 से 9 फरवरी, 79 तक पिड़ावा विधान सभा क्षेत्र के कितने गांवों में वास्तविक रूप से हैंड पम्प लगा दिए गये हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह सही है कि भू-जल विभाग व जन स्वास्थ्य विभाग में तालमेल न होने के कारण सरकार द्वारा स्वीकृत गांवों में बजट आवंटित होने पर भी हैंड पम्प नहीं लगाये जा सके हैं ? यदि हां, तो इसका क्या निराकरण सरकार कर रही है ?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) 22 जून से 9 फरवरी, 79 तक पिंडावा विधान सभा क्षेत्र में वास्तविक रूप से कोई हैंड पम्प नहीं लगा है।

58

(जन-स्वास्थ्य मन्त्री)

(3) जी नहीं।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 15 देखें।)

जयपुर शहर में ट्रकों का आवागमन

297. श्री ईश्वर चन्द्र (पिडावा) :

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर शहर में ट्रकों के आवागमन पर क्या पाबन्दी है व प्रमुख भीड़ भरे मार्गों पर ट्रकों व भारी वाहन न चलने के बारे में क्या निर्देश दिये गये हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या देहली की तरह आफिस के समय व स्कूलों के समय को ध्यान में रखकर जयपुर का यातायात नियंत्रण किये जाने का राज्य सरकार का इरादा है ? यदि हां, तो कब तक ऐसा संभव होगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि जयपुर में नारायण सिंह के चौराहे पर अबाध गति से रात दिन ट्रक व भारी वाहन चलने से जन जीवन असुरक्षित हो गया है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में राज्य सरकार का क्या विचार है ?

उत्तर

(1) परिवहन विभाग द्वारा दिनांक 14-11-77 को एक अधिसूचना जारी की गई थी जिसके अनुसार रात्रि 9-30 से प्रातः 8-00 बजे तक जयपुर शहर में केवल उन ट्रकों को प्रवेश की अनुमति दी गई थी जो शहर से शहर में ही माल उतारते हों। जो ट्रक शहर में ही माल उतारते और लादते नहीं आ रहे हों उन्हें जयपुर शहर में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। ऐसे ट्रकों को शहर से बाहर निर्धारित बाईपास होकर जाना होता है।

(2) यह प्रश्न राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(3) यह प्रश्न राज्य सरकार के विचाराधीन है।

ग्राम कागमाला तक निगम की बसें

298. श्री रतना राम चौधरी (रानीवाड़ा) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि यातायात मंत्री जी ने ग्राम कागमाला में रोडवेज की बस चलाने का आदेश दिया था परन्तु अभी तक रोडवेज की बसें कागमाला ग्राम में नहीं जाती हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि डामर सड़क से कागमाला ग्राम सिर्फ डेढ़ किलोमीटर ही पड़ता है और पक्की सड़क से ग्राम कागमाला तक ग्रेवल रोड़ बनी हुई है।

(3) क्या यह भी सही है कि पहले रोडवेज की बसें कागमाला ग्राम में जाती थीं परन्तु 8-10 माह से जाना बन्द किया है ?

(श्री रतनाराम चौधरी)

(4) क्या राज्य सरकार पुनः इस ग्राम में रोडवेज की बसें चलाना चालू करवा देगी ? अगर हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां। माननीय यातायात मंत्री द्वारा रानीवाड़ा से भीनमाल चलने वाली बस को वाया कागमाला ग्राम होकर चलाने की व्यवस्था हेतु निर्देश दिये गये थे। लेकिन मुख्य मार्ग से कागमाला ग्राम तक $1\frac{1}{2}$ कि० मी० का मार्ग पूर्ण रूप से कच्चा, सकड़ा तथा वाहन संचालन योग्य नहीं होने की वजह से वाहन संचालन सम्भव नहीं हो पाया है।

(2) यह सही है कि मुख्य मार्ग से कागमाला ग्राम $1\frac{1}{2}$ कि. मी. है लेकिन यह मार्ग पूर्णतया कच्चा तथा सकड़ा है, जिससे वाहन संचालन सम्भव नहीं है।

(3) 2-3 वर्ष पूर्व आबू रोड़ आगार द्वारा संचालित जालौर आबू रोड़ वाली बस को कागमाला ग्राम तक परीक्षण के तौर पर चलाया गया था, लेकिन मुख्य सड़क से ग्राम के मार्ग की दशा खराब होने की वजह से इसे बन्द कर दिया गया।

(4) मार्ग की स्थिति में सुधार होने पर उक्त ग्राम तक वाहन संचालित किया जाना सम्भव होगा।

चित्तौड़गढ़–इन्दौर वाया छोटी सादडी मार्ग पर निगम की बसें

299. **श्री कारूभाई मीणा** (प्रतापगढ़): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या राज्य सरकार की चित्तौड़गढ–इंदौर वाया छोटी सादड़ी–प्रतापगढ़ ढलोर रतलाम, होकर प्रतापगढ़, कोटा वाया चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, अहमदाबाद वाया प्रतापगढ़–बांसवाड़ा व प्रतापगढ़–उदयपुर वाया छोटी सादड़ी, निम्बाहेड़ा, मंगलवाड़ मार्गों पर निगम की बसें चलाने की योजना है ?

उत्तर

चित्तौड़गढ़ से इन्दौर वाया छोटी सादड़ी–प्रतापगढ़–ढलोर–रतलाम एवं प्रतापगढ़ से अहमदाबाद वाया बांसवाड़ा अन्तर्राज्यीय मार्ग है। अतः इन पर निगम वाहनें तभी संचालित की जा सकती हैं जबकि मध्यप्रदेश एवं गुजरात राज्यों के साथ यातायात समझौता हो जावे। समझौता होने के पश्चात ही वाहन संचालन संभव होगा।

प्रतापगढ़ से कोटा वाया चित्तौड़गढ़ मार्ग का चित्तौड़गढ़ से प्रतापगढ़ तक का मार्ग राष्ट्रीयकृत नहीं है। इस मार्ग की राष्ट्रीयकरण की योजना राज्य सरकार के विचाराधीन है जिसका अनुमोदन होने के पश्चात ही उक्त मार्ग पर सीधी सेवा संचालित किया जाना सम्भव होगा। प्रतापगढ़ से उदयपुर वाया छोटी सादड़ी–निम्बहेड़ा–मंगलवाड़ मार्ग का मंगलवाड़ से निम्बाहेड़ा तक का भाग राष्ट्रीयकृत नहीं है। अतः निगम द्वारा वाहन संचालन सम्भव नहीं है। उक्त मार्ग की राष्ट्रीयकरण योजना निगम के विचाराधीन है।

(60)

ग्राम डोराई (वेगूं) में हैण्ड पम्प लगाने की स्वीकृति

300. श्री एच. एन. शर्मा (वेगूं) : क्या जन-स्वास्थ्य मन्त्री यह वताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या ग्राम डोराई तहसील वेगूं में हैंड पम्प लगाने हेतु राज्य सरकार ने कोई धनराशि स्वीकृत की थी ? अगर हां, तो कितनी ?

(2) क्या उक्त राशि स्वीकृत किये जाने के पश्चात् जन-स्वास्थ्य विभाग ने ग्राम डोराई में हैंड पम्प लगाने हेतु कार्य शुरू किया है ? अगर नहीं, तो किन कारणों से अभी तक कार्य शुरू नहीं किया गया है ?

उत्तर

(1) जी हां। 0.30 लाख रु० लागत की योजना स्वीकृत की थी।

(2) हैंड पम्प के निर्माण का दायित्व भू-जल विभाग का है।

बाड़मेर जिले के गांवों की नल–कूपों की योजना की स्वीकृति

301. श्री वृद्धि चन्द जैन (बाड़मेर) : क्या जन-स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग ने बाड़मेर जिले की शिव तहसील के रातड़ी नलकूप से ग्राम मौरवाव, पौसाल, भाक आदि ग्रामों की जनता की जल समस्या को हल करने के लिये ग्रामीण जल प्रदाय योजना बना कर गत वर्ष स्वीकृति प्रदान की थी ? यदि हां, तो उक्त ग्रामीण जल प्रदाय योजना के अंतर्गत अब तक क्या प्रगति हुई है ? विस्तृत जानकारी सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) रातड़ी एवं भीवाड़ नल कूपों का पानी कैसा है और उनकी जल क्षमता प्रति घंटा कितनी है ?

(3) क्या यह सही है कि भीवाड़ नल-कूप का पानी रातड़ी के मुकाबले खारा है और उसकी जल क्षमता भी बहुत ही कम है ?

(4) क्या यह सही है कि जन-स्वास्थ्य विभाग उक्त ग्रामीण जल प्रदाय स्रोत को रातड़ी नल कूप से भीवाड़ नलकूप में बदलने का निर्णय लेने जा रहा है ? यदि हां, तो किसके लाभ के लिये और किसके दवाव के कारण ऐसा किया जा रहा है ?

(5) क्या यह सही है कि विभाग ने उक्त रातड़ी नलकूप को भू-जल विभाग को सौंप दिया है ? यदि हां, तो इसका क्या उद्देश्य है ?

(6) क्या यह सही है कि राज्य सरकार रातड़ी नलकूप को कुछ व्यक्तियों को लाभ देने के लिये उन्हें दे रही है ? यदि हां, तो किन किन को लाभ के लिये ? उनके नाम मय पतों के सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(7) क्या उक्त निर्णय और कदम से दस हजार ग्रामीण जनता के पानी की समस्या के हल में बाधा नहीं पहुंचेगी और

(श्री वृद्धि चन्द जैन)

क्या उनके हितों पर कुठाराघात नहीं पहुंचेगा ?

उत्तर

(1) जी हां। योजना की अनुमानित लागत 29 लाख रुपये है, दिसम्बर, 78 तक 20.95 लाख रुपये की राशि व्यय की जा चुकी है। मौरवाव से स्रोत की तरफ 6,5 कि0 मी0 लाइन डाल दी गई है। प्रस्तावित योजना के अनुसार सभी ग्रामों में जलाशय आदि का कार्य पूर्ण हो चुका है। ग्राम मौरवाव से झाक व बटाड़ा की तरफ 2.5 कि0 मी0 लाइन डाल दी गई है एवं कार्य प्रगति पर है। पम्पिंग सेट आदि प्राप्त कर लिये गये हैं।

(2) रातड़ी एवं भीवाड़ नलकूपों का पानी पीने योग्य है एवं इनकी जल क्षमता क्रमशः 10,000 एवं 4,000 गैलन प्रति घण्टा है।

(3) दोनों नलकूपों का पानी पीने योग्य है, यह सही है कि भीवाड़ नलकूप की जल क्षमता रातड़ी नलकूप से कम है।

(4) जी नहीं।

(5) जी हां। फिलहाल सिंचाई कार्य के लिये नलकूप काम में लिये जाने का उद्देश्य है।

(6) जी नहीं।

(7) जी नहीं।

'सीलू' क्षेत्रीय नल-जल योजना

302. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर) : क्या जन स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सांचौर के लूणी नैयड़ क्षेत्र में पीने का पानी खारा है एवं ग्रामीण लोग खड्डे खोद कर कच्ची मिट्टी मिला हुआ पानी पीते हैं, जिससे अनेक बीमारियों से बारहों मास पीड़ित रहते हैं ? अगर हां, तो इस क्षेत्र के गांवों में पीने का मीठा स्वच्छ पानी ग्रामीण लोगों को उपलब्ध कराने के बारे में राज्य सरकार क्या सोच रही है ? इस क्षेत्र में ऐसे कितने ग्राम हैं, जहां पीने का मीठा पानी उपलब्ध करवाना है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त ग्राम में पीने का मीठा पानी किस प्रकार कब तक उपलब्ध करवा दिया जावेगा ?

(3) क्या यह सही है कि 'सीलू' क्षेत्रीय नल-जल योजना संशोधित की गई है ? अगर हां, तो संशोधित योजना कब तक क्रियान्वित की जाकर प्रस्तावित गांवों में सब जगह पीने का पानी पहुंचा दिया जावेगा ? क्या इस योजना द्वारा गोलासण हनुमान के मन्दिर पर आने वाले यात्रियों के लिये भी पीने के पानी की व्यवस्था करवा दी जावेगी ?

(4) क्या यह भी सही है कि हैंडेचा क्षेत्रीय नल-जल योजना द्वारा गलीया, "राम देवजी के मन्दिर की पौव" पर जनता द्वारा पीने के पानी की व्यवस्था की मांग की गई है ? अगर हां, तो वहां पर पीने की व्यवस्था कब तक करवा दी जावेगी ? क्या उक्त योजना द्वारा बीछावाड़ी के तीन होजों

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

एवं सरवाना गांव के हौज में बराबर पानी नहीं पहुंच रहा है ? अगर हां, तो वहां पर नियमित रूप से पीने का पानी हौजों में पहुंचाने की कब तक क्या व्यवस्था की जावेगी।

(5) क्या यह भी सही है कि देवड़ा भाव क्षेत्रीय नल–जल योजना द्वारा ग्राम गुडाहेमा, घरणावा, सैली, अरणखोल, वगैरह में बने हुए टैंकों में पानी नियमित रूप से नहीं पहुंच रहा है ? अगर हां, तो वहां पर नियमित रूप से पानी पहुंचाने की कब तक क्या व्यवस्था की जावेगी ? क्या इस योजना के तहत ग्राम इटावा एवं बमल व तातड़ा में पीने के पानी की व्यवस्था करवा दी जावेगी ?

(6) क्या सांकड़–पालड़ीपुर क्षेत्रीय नल जल योजना द्वारा ग्राम पुर की ढाणियों में एवं ग्राम घाणता, हाडेतर आदि में पीने के पानी की मांग की गई है ? अगर हां, तो इस योजना के अन्तर्गत उक्त गांवों में हौज बनाकर पानी सप्लाई कब तक करवा दिया जावेगा ?

(7) क्या यह भी सही है कि हरियाली जाखल क्षेत्रीय नल-जल योजना द्वारा ग्राम जाखल एवं ग्राम डेडवा में ग्रामीण जनता ने अन्य उपयुक्त स्थानों पर हौज निर्माण की मांग की है, जहां ज्यादा से ज्यादा लोगों को पानी की सुविधा मिल सके ? अगर हां, तो लोगों की मांग के अनुसार क्या ग्राम जाखल एवं डेडवा के हौज निर्माण स्थान बदल कर बनवा दिये जायेंगे ? इस योजना द्वारा क्या ग्राम सिवाड़ा, सागडवा, भोटड़ा, रतनपुरा, एवं चीतलवाना में पीने के पानी की व्यवस्था सरकार कर सकेगी ?

(8) क्या यह सही है कि लाछीवाड़, मूरावा क्षेत्रीय नल जल योजना द्वारा सूने गर आबाद खेड़े दधुड़ा, बनदेव, तेतरोल आदि स्थानों में भी पानी की योजना बनाई है ? अगर हां, तो क्या सरकार उन स्थानों के बजाय ग्राम पावला हरिजन बास एवं नैनोल ग्राम में होज बनवा कर पानी सप्लाई करवाना उचित समझेगी ? अगर हां, तो इस प्रकार योजना संशोधित कब तक करवा दी जावेगी ?

उत्तर

(1) यह सही है कि सांचौर तहसील के लूणी बहाव वाले नेयड़ क्षेत्र के अधिकतर ग्रामों में पीने का पानी खारा है। राज्य सरकार समस्याग्रस्त ग्रामों में मीठा पानी उपलब्ध कराने को कटिबद्ध है। 54 ग्राम ऐसे हैं जहां पीने योग्य पानी उपलब्ध कराना है। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) राज्य सरकार समस्याग्रस्त ग्रामों में पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिये सतत् प्रयत्नशील है।

(3) जी हां। संशोधित योजना शीघ्र ही पूर्ण क्रियान्वित की जायेगी। इस योजना के सभी गांवों में सुचारू रूप से जल वितरण किया जा रहा है। स्वीकृत योजना में इस का कोई प्रावधान नहीं है।

(4) जी हां। परन्तु स्वीकृत योजना में इसका प्रावधान नहीं है। बिछावाड़ी एवं सरवाना गांव के हौजों में पानी बिना बाधा के दिया जा रहा है।

(जन स्वास्थ्य मंत्री)

(5) क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना देवड़ा गांव हेमागुड़ा के सभी गांवों में जल वितरण सुचारू रूप से चल रहा है। गांव इटावा, अमल, तातड़ा गांव स्वीकृत जल योजना में सम्मिलित नहीं हैं। अतः इस योजना के तहत इनमें जल वितरण करना सम्भव नहीं है।

(6) स्वीकृत क्षेत्रीय जल योजना सांकड़ पालडीपुर में पुर की ढाणियों, गांव धान्ता, हाडेतर आदि का कोई प्रावधान नहीं है। अतः वहां हौज बना कर जल वितरण करना सम्भव नहीं है।

(7) क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना हरियाली जाखल में उच्च जलाशय बनाना है। व डेडवा एवं देवल में पानी के हौज सरपंच के द्वारा बताये स्थानों पर जनता की सुविधा अनुसार बनाये गये हैं। ग्रामों सिवाड़ा, सावाड़ा, सागावां, मोटवा, रतनपुर एवं चितलवाना स्वीकृत योजना में सम्मिलित नहीं है। अतः जल वितरण करना सम्भव नहीं है।

(8) जी हां। क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना सुरावा लच्छीवाड़ा में वाली, वधुला व बनवेव ढिटोव गांव सम्मलित हैं एवं ग्राम आकर खेटे इस योजना में प्रस्तावित नहीं है। योजना में स्वीकृत ग्रामों को ही पानी दिया जा सकेगा।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 16 देखें।)

बाड़मेर जिले में भू-जल विभाग द्वारा विस्तृत सर्वेक्षण

303. श्री वृद्धि चन्द जैन (बाड़मेर) : क्या भू-जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बाड़मेर जिले में विस्तृत सर्वेक्षण का कार्य कब शुरू हुआ ?

(2) जिले में विस्तृत सर्वेक्षण कार्यक्रम के बाद में विभाग ने क्या योजना बनाई थी ? उक्त योजना की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) उक्त योजना के अनुसार जिले में विस्तृत सर्वेक्षण का कार्य अब तक कहां कहां कम्प्लीट कर दिया गया है और उसके क्या क्या परिणाम रहे हैं ?

(4) क्या यह सही है कि काफी अरसे से जिले में सीनियर हाइड्रोलोजिस्ट के पद के रिक्त होने से और ड्रिलिंग मशीनों की पर्याप्त व्यवस्था न होने से विस्तृत सर्वेक्षण के कार्य की प्रगति में बड़ी बाधा पड़ी है ? यदि हां, तो इसके लिये विभाग क्या पर्याप्त कदम उठाने जा रहा है ? विस्तृत विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) बाड़मेर जिले में विस्तृत सर्वेक्षण का कार्य सन् 1976-77 में शुरू हुआ।

(2) जिले में विस्तृत सर्वेक्षण कार्यक्रम के बारे में विभाग ने योजना बनाई थी।

(3) उक्त योजना के अनुसार सम्पूर्ण जिले में एक साथ सर्वेक्षण किया जा रहा है। सर्वेक्षण कार्य समाप्त होने पर सर्वेक्षण कार्य समाप्त होने पर सर्वेक्षण के परिणाम की रिपोर्ट प्रस्तुत की जा सकेगी। उक्त रिपोर्ट 1982 में प्रस्तुत की जा सकेगी।

(4) जी हां। नियुक्ति हेतु व ड्रिलिंग मशीनें प्राप्त करने हेतु आवश्यक प्रयत्न किए जा रहे हैं।

धौलपुर व बाड़ी नगरों में पाइप लाइन

304. श्री जगदीश सिंह (धौलपुर) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या धौलपुर तथा बाड़ी की टंकी नगर के उपभोग के अनुसार पूरी क्षमता की है ?

(2) क्या धौलपुर और बाड़ी नगर में सब जगह पाइप लाइन बिछा दी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक यह काय पूरा हो जावेगा ?

(3) क्या यह सही है कि बाड़ी और धौलपुर नगर की पाइप लाइन जगह जगह लीक कर रही है और उसकी मरम्मत नहीं हुई है ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही नहीं है कि धौलपुर नगर के मोहल्ला कायस्थपाड़ा में पानी नहीं पहुंचता और विभाग इस समस्या के हल करने में असफल रहा है ? यदि हां, तो क्यों और कब तक जिन मोहल्लों में पानी नहीं पहुंचता पानी की सप्लाई सही प्रकार व्यवस्थित हो जावेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। पर्याप्त क्षमता है।

(2) स्वीकृत योजनानुसार पाइप लाइनें डाल दी गई हैं। जो स्थान बकाया रह गये हैं उनके लिए तकमीनों की जांच की जा रही है व धन की उपलब्धता के अनुसार कार्य किया जा सकेगा।

(3) जी नहीं। जब कभी पाइप लाइनों में लीकेज की सूचना मिलती है तुरन्त बाद ही मरम्मत की कार्यवाही कर लीकेज ठीक कर दी जाती है।

(4) कायस्थों के मोहल्ले में पानी पूर्ण दवाब से नहीं मिलता है। विभाग समस्या के समाधान के लिये प्रयत्नशील है।

सूरतगढ़ तहसील के गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था

305. श्री हरचन्द सिंह (पीलीबंगा): क्या जन स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य सरकार, सूरतगढ़ तहसील के खारा सम्भाग के गांवों ढुकराना, फरीदसर, चाडसर, रत्तासर-ऐटा. गुसांईसर, कालूसर, सुरजनसर, सोमासर को मीठा पानी उपलब्ध कराने की कोई योजना बना रही है ?

(2) अगर हां, तो कब तक उक्त गांवों को पानी उपलब्ध हो जावेगा।

उत्तर

(1) व (2) सूरतगढ़ तहसील के खारा सम्भाग के ग्राम ढुकराना, फरीदसर, चाडसर रत्तासर, ऐटा गुसांईसर तथा कालूसर, जिला आयोजना समिति द्वारा प्रस्तावित है। इन ग्रामों को योजना बनाने हेतु तकनीकी जांच की जा रही है, तत्पश्चात् धन की उपलब्धि एवं प्राथमिकता के अनुसार स्वीकृति की कार्यवाही की जा सकेगी। ग्राम सुरजनसर तथा सोमासर पर अभी विचार नहीं किया जा सकेगा क्योंकि ये जिला आयोजना समिति द्वारा प्रस्तावित नहीं है।

उदयपुर डिपो से रवाना होने वाली बसें

306. **श्री गुलाब चन्द कटारिया** (उदयपुर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) उदयपुर डिपो से चलने वाली कौन-कौन सी बसें पिछले चार माह में कितनी देरी से चलीं, कितनी रद्द की गईं और उनके क्या कारण थे ?

(2) जो बसें रद्द की गईं उनकी सूचना बस स्टेण्ड पर कितने समय पहले डिपो अधिकारी भेज देता है ?

(3) बसों के समय पर नहीं चलने के कारण पिछले चार माह में किस-किस के द्वारा शिकायतें, शिकायत पुस्तिका में लिखी गईं तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) वांछित सूचना सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जो वाहनें रद्द की जाती हैं उसकी सूचना समय से पूर्व पूछताछ शाखा के जरिये यात्रियों को दे दी जाती है। जो सेवायें आय कम होने के कारण निरस्त की गईं, तत्संबंधित सूचना दो दिन पहले डिपो द्वारा दी गई।

(3) बसें समय पर नहीं चलने के कारण गत चार माह में 28 शिकायतें परिवाद पुस्तिका में विधान सभा सदस्यों, सरपंचों एवं अन्य नागरिकों द्वारा की गईं, जिसमें से 15 शिकायतों के सम्बन्ध में कार्यशाला टाइम कीपर, चालकों एवं कार्यशाला प्रभारी से स्पष्टीकरण मांगा गया है एवं 13 शिकायतों के संदर्भ में परिचालकों के खिलाफ उचित दण्ड देने हेतु कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है।

(सूचना के लिये कृपया परिशिष्ट 17 देखें।)

राज्य के बस रूटों पर बसों की कमी

307. **श्री मूलचन्द सामरिया** (दौसा): क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अधिकांश बस रूटों पर बसों की कमी के कारण यात्रियों को भारी परेशानी हो रही है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार बस रूटों पर प्राइवेट बसों को परमिट देकर बसों की संख्या बढ़ायेगी ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या राज्य सरकार नये बस परमिट देते समय अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन-जाति के लोगों का आरक्षण रखेगी ? यदि हां, तो किस प्रतिशत पर ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। जिन-जिन मार्गों का राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ है उन पर चलने वाली यात्री बसों में ऊपर अधिक भीड़ होना पाया जाता है तो उनका सर्वे करवा कर मार्गों के स्कोप में विधिवत वृद्धि की जाती है।

निगम द्वारा राष्ट्रीयकृत मार्गों पर यातायात उपलब्धता की दृष्टि से वर्ष में 2

(यातायात मन्त्री)

बार विस्तृत जांच पड़ताल कर आवश्यकता अनुसार संचालन हेतु वाहन उपलब्ध कराई जाती है। कभी ऐसा हो जाता है कि वाहनों में यान्त्रिक खराबी की वजह से ब्रेक डाउन हो जाने से किसी मार्ग पर समय पर वाहन नहीं भेजी जा सके। इससे यात्रियों को परेशानी हो जाती है। बसों में भीड़-भाड़ कम करने हेतु वर्ष 1979–80 में आवश्यक वित्तीय साधन उपलब्ध होने पर 232 वाहन बढ़ते हुये यात्री भार की पूर्ति के लिये लगाया जाना प्रस्तावित है।

(2) मोटर वाहन अधिनियम 1939 के नियम 47 के अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों के परमिट देने के लिए आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। ऐसा प्रावधान करने का मामला केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है।

भीलवाड़ा जिले की बस रूट्स से जुड़ी पंचायतें

308. श्री रामप्रसाद लड्ढा (माण्डल): क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) भीलवाड़ा जिले में ऐसी कितनी पंचायतें हैं जो बस रूट से जुड़ी हुई नहीं हैं ?

(2) भीलवाड़ा जिले में ऐसी कितनी बसें चलती हैं जिनके परमिट में उस गांव का नाम होने पर भी पंचायत तक नहीं जाती है ?

(3) जो पंचायतें बस सुविधा से जुड़ी हुई नहीं हैं उनके लिए राज्य सरकार क्या व्यवस्था कब से करेगी ?

उत्तर

(1) सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) ऐसे दो गांव हैं—

1. सुटेफा :—भीलवाड़ा-वेगूं मार्ग पर रास्ता खराब होने से वहां बस नहीं जाती। यह मार्ग से दो किलोमीटर दूर है।

2. मुशी:—भीलवाड़ा-गुलाबपुरा वाया बनेड़ा मार्ग पर है। मार्ग से एक किलोमीटर दूर पड़ता है।

(3) भीलवाड़ा जिले में पंचायतों को बस व्यवस्था से जोड़ने के लिए कई मार्गों की बढ़ोतरी उनका डाइवर्सन एवं नये मार्ग खोलने के प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष विचाराधीन हैं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 18 देखें।)

ग्राम खेजड़ली की पानी की टंकी

309. श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : क्या जन-स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) ग्राम खेजड़ली तहसील जोधपुर में जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की टंकी बनी हुई थी ? उसका निर्माण कब व कितनी लागत से किया गया।

(2) ग्राम खेजड़ली कलां में जो टंकी बनी हुई थी, इस टाइप की राजस्थान में कितनी व कहां कहां पर बनी हुई हैं और उनमें से आज तक कितनी टंकियां क्षतिग्रस्त हुई हैं ?

(श्री रामसिंह विश्नोई)

(3) खेजड़ली कलां की टंकी के निर्माण का ठेका कब एवं किस ठेकेदार को किस अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया गया और अभी तक उसे कितनी धनराशि का भुगतान करना शेष है ? जो टंकियां क्षतिग्रस्त हुई हैं उनके हर्जाने के लिए विभाग ने क्या कार्यवाही की है तथा इस क्षतिग्रस्त टंकी का पुनः निर्माण कब तक हो सकेगा ?

(4) क्या यह सही है कि टंकी के अभाव में नल योजना के अन्तर्गत जो गांव आये हुए हैं, उनमें पीने का पानी सही व पूर्ण रूप से नहीं पहुंच रहा है ? यदि हां, तो नई टंकी का पुनः निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) खेजड़ली की टंकी का निर्माण वर्ष 73–74 में हुआ व इसकी लागत 1,10,000 रु० है।

(2) खेजड़ली की टंकी की तरह की राज्य में 14 टंकियां बनाई गई हैं जिसमें से 3 टंकियां खेजड़ली को मिलाकर क्षतिग्रस्त हुई हैं। सूची संलग्न है।

(3) इस टंकी का ठेका दिनाक 24-5-73 को मै. यंग इण्डिया इन्जीनियर्स को मुख्य अभियन्ता, जयपुर द्वारा स्वीकृत किया गया था। अभी तक 16,939 धनराशि का भुगतान करना शेष है। ठेकेदार का विभाग में जो भी बकाया है उसे रोक दिया गया गया है। जो टंकियां क्षतिग्रस्त हुई उनकी जांच का कार्य प्रगति पर है, तत्पश्चात् ही हर्जाने इत्यादि के लिए अग्रिम कार्यवाही की जानी सम्भव है। जांच पूर्ण होने के पश्चात् ही क्षतिग्रस्त टंकी के स्थान पर पुनः निर्माण की कार्यवाही की जा सकेगी।

(4) जी नहीं। कई बार विजली की सप्लाई में व्यवधान होने पर अन्तिम छोर के भागों में पानी का वितरण नियमित नहीं रह पाता है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 19 देखें।)

पंचायत समीति लूणी क्षेत्र के गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था

310. श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : क्या भू-जल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पंचायत समिति क्षेत्र लूणी व बिलाड़ा क्षेत्र के ग्रामों का भू-जल सम्बन्धी सर्वेक्षण किस वर्ष में हुआ था ? सर्वेक्षण रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि भू-जल सम्बन्धी सर्वे हुए कई वर्ष बीत चुके हैं। उसके बाद पिछले पांच वर्षों से पश्चिमी राजस्थान में अत्यधिक वर्षा होने से अनेकों ग्रामों में भू-जल स्तर बढ़ गया है व अनेकों कुएं खुद गये हैं व पंपिंग सेट लगाकर खेती की जा रही है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार या विभाग इस क्षेत्र के ग्रामों के पुनः भू-जल सम्बन्धी सर्वेक्षण कराने के बारे में विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) बिलाड़ा व लूणी पंचायत समितियों के ग्रामों का अर्द्ध-विस्तृत भू-जल

(68)

(भू जल मन्त्री)

सर्वेक्षण क्रमशः 1971-72 एवं 1973-74 में किया गया था। दोनों पंचायत समितियों के अर्द्ध-विस्तृत सर्वेक्षण की रिपोर्ट की एक-एक प्रति प्रस्तुत है।

(2) जी हां। परन्तु अब लूणी बेसिन में 77-78 से विस्तृत भू-जल सर्वेक्षण प्रारंभ कर दिया गया है। इसका लाभ दोनों पंचायत समितियों के क्षेत्र के ग्रामों को होगा। अब तक इस सर्वेक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत 711 कुओं को जांचा जा चुका है तथा 708 कुओं से पानी एकत्र किया जा चुका है। 66 कुओं के रेड्यूस्ड लेवेल निकाले जा चुके हैं एवं भू-भौतिकी सर्वेक्षण में 50 ध्वनियां की जा चुकी हैं।

(रिपोर्ट विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

श्री श्योपतसिंह मकासर का व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

श्री श्योपतसिंह मकासर : On a point of personal clarificatioan.मुख्य मन्त्री ने यह कहा कि गंगानगर के जिलाधीश ने जब कुछ सीलिंग के केसेज री ओपन किये तो हम लोग जनता के प्रतिनिधि उनके खिलाफ हो गये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्यमन्त्री) : यह नहीं कहा था।

श्री श्योपतसिंह मकासर : यही कहा था। आपने कहा कि सीलिंग से प्रभावित लोगों से जमीन लेकर जब जिलाधीश ने हरिजनों को देना शुरू किया तो सारे के सारे जन प्रतिनिधि जिलाधीश के खिलाफ हो गये। माननीय उपाध्यक्ष, पहले तो मैं एक बात कह देना चाहता हूं कि जब मुख्य मन्त्री जी दिल्ली में थे चार महीने पहले, जोधपुर हाउस में, तो मुख्य मन्त्री के पास कुछ लोग आये थे और कहा था कि सीलिंग के केसेज री ओपन नहीं होने चाहिये। मैं भी वहां मौजूद था और अगर आपके अन्दर ईमानदारी है तो मुख्य मन्त्री बता दें कि श्योपतसिंह ने क्या कहा था? मैंने उस बात का विरोध किया था और कहा था कि री ओपन होने चाहिये। यह उनके रूबरू बात हुई है। फिर कौन से जन प्रतिनिधि ने खिलाफत की? क्या जनता पार्टी के प्रोफेसर केदार चाहते हैं कि सीलिंग के केसेज री ओपन नहीं हों? श्योपतसिंह ने तो क्लीयर कह दिया कि वह री ओपन करने की खिलाफत में नहीं है। तो क्या श्री केदारनाथ ने खिलाफत की? यह जिलाधीश के तबादले की बात तब आई, जब एजीटेशन हुआ। आपने कहा कि जाट और राजपूत की लड़ाई नहीं होने दूंगा। मैंने तो बहुत पहले ही यह बात कह दी थी, और आप इसके लिये कोई बधाई के पात्र नहीं हैं। कोई भी व्यक्ति जो समाजवाद में आस्था रखता है, वह इस तरह की लड़ाई नहीं चाहता। लेकिन यह जहर आपके अधिकारियों ने फैलाया सर्विसेज के अन्दर, आपकी नौकरशाही ने फैलाया। और अब आप कहते हैं कि जाट और राजपूत की लड़ाई की बात करके इसको राजनीतिक कलर न दिया जाये....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप अपने बारे में ही केवल स्पष्टीकरण दे दें।

श्री श्योपतसिंह मकासर : यह आपकी कमजोरी है कि आपके अधिकारी आपके कब्जे में नहीं हैं। हमने जाटवाद की बात

(श्री श्योपतसिंह मकासर)

कभी नहीं कही। लेकिन उस जिलाधीश के कहने पर हमारे बच्चों के सर फोड़ दिये गये, हमारे यहां मास्टर पीटे गये, प्रोफेसर पीटे गये, शहर से बाहर ले जाकर पीटे गये....

श्री उपाध्यक्ष : आप कह चुके। आपने अपने बारे में स्पष्टीकरण दे दिया, अब आप विराजें।

श्री श्योपतसिंह मकासर : इसलिये अगर आपका यह इलजाम है, तो वह आपकी जनता पार्टी के लीडर्स के खिलाफ है और वह जवाब दें। श्योपतसिंह ने तो क्लीयर कर दिया।

श्री केदारनाथ (श्रम मन्त्री) : सदन में कुछ भ्रम पैदा किया गया है। गंगानगर शहर के छात्रों पर आन्दोलन में जिला प्रशासन द्वारा एक्सेस ज्यादतियां की गई उसके विरोध में आन्दोलन शुरू हुआ। राजनैतिक पार्टियों का आन्दोलन सीलिंग व किसी जाति के विरोध में नहीं था। मैं स्वयं भूख हड़तालियों की भूख हड़ताल समाप्त करवाने गया था। गंगानगर जिले के लोगों ने जो भी आज तक आन्दोलन किए हैं उनके पीछे ठोस राजनैतिक आधार रहे हैं।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : माननीय उपाध्यक्ष, मैं भी पाइन्ट आफ पर्सनल एक्सप्लेनेशन पर बोलना चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये, माननीय सदस्य, आपका कोई स्पष्टीकरण देने का प्रश्न नहीं है। कृपया विराजिये।

(व्यवधान)

श्री गुरुशरण छाबड़ा : जब यह आन्दोलन हुआ, और ट्रान्सफर की बात मेरे जिले में आई। एक आरोप सीलिंग के बारे में आया जो कि रूलिंग पार्टी के मेम्बर्स खिलाफ हैं। मैं चाहूंगा कि मुख्य मन्त्री ने यदि कुछ विधायकों के कहने पर, जो कि सीलिंग कैसेज को री ओपन नहीं करवाना चाहते थे, जिलाधीश का ट्रान्सफर किया है, तो अनुचित है, और यदि स्टूडेन्ट एजीटेशन के कारण किया है, तो हम स्वागत करते हैं।

श्री श्योपतसिंह मकासर : मुख्य मन्त्री ने....

श्री गुरुशरण छाबड़ा : बात तो सुनो आप। आप बेकार हमारे मुख्य मन्त्री को....

श्री श्योपतसिंह मकासर : आप × × × करते हो। एक तरफ तो उनको शराबी कहते हो, और यहां × × × की तरह बात करते हो।

श्री गुरुशरण छाबड़ा : × × × आप करते हो।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्योपत सिंह जी, कृपया आप बिराजें।

(व्यवधान)

श्री कौशल किशोर जैन : माननीय श्योपत सिंह जी अगर आप चिल्ला सकते हैं, तो हम भी चिल्ला सकते हैं।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य ने × × × शब्द

× × × शब्द अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अपघोषित किये गये।

(श्री कौशल किशोर जैन)

का प्रयोग किया है, वह शब्द वापिस लें। इस तरह के शब्द कहना सदन का अपमान है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप इस तरह से बोलें कि आसन भी कुछ सुन सके।

श्री निर्मल कुमार सकलेचा : माननीय उपाध्यक्ष, श्योपत सिंह जी इतने नाराज क्यों हो रहे हैं ?

श्री कौशल किशोर जैन : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है। व्यवस्था का प्रश्न है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय मेरा। स्वयं एक माननीय सदस्य क्या दूसरे माननीय सदस्य के लिये × × × शब्द का प्रयोग कर सकते हैं ? क्या यह संसदीय है और अगर संसदीय नहीं है तो इसे कार्यवाही से निकालिये।

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : इनको इजाजत नहीं दूंगा....

(व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया : यह सदन के लिये शोभा नहीं देता हैं। माननीय सदस्य को संसदीय परम्परा का ध्यान रखना चाहिये।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय कटारिया जी, आप बिराजे। माननीय गुप्ता जी आप बिराजे। माननीय श्योपत सिंह जी, आप भी बिराजें।

(व्यवधान)

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : मुख्य मन्त्री जी इस सदन के नेता है, उन पर आरोप लगाया है....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्योपत सिंह जी आप अपनी बात को पुरजोर शब्दों के साथ कहना चाहते हैं लेकिन दूसरों की बात को सुनने के लिये आपको भी धैर्य और सन्तोष रखना चाहिये। आप खुद चर्चा करते हैं, आप अपनी खुद की भाषा में कहना चाहते हैं और कहते हैं। आपके बारे में या किसी समस्या के बारे में आपके विचारों से कोई बात मेल नहीं खाती है तो आप अपने कहने के ढंग से ही दूसरे माननीय सदस्यों को भी बाध्य करते हैं, यह उचित नहीं है।

श्री श्योपत सिंह मकासर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सीलिंग के बारे में पालिटिकल माहौल बनाना चाहते हैं....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्योपत सिंह जी आप बिराजें।

श्री श्योपतसिंह मकासर : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने 30 साल जिन्दगी के गुजारे हैं। यहां हर एक आदमी खड़े होकर × × × करते हैं। सीलिंग की जमीन की बात है, यह कोई मामूली बात नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्योपत सिंह जी जो बात मैंने अभी कही, उसको इतनी

× × × शब्द अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अप घोषित किये गये।

(श्री उपाध्यक्ष)

जल्दी क्यों चरितार्थ कर रहे हैं। अगर इस तरह के शब्द कहे गये हैं तो एक्सपंज किये जायेंगे।

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई : इनको × × × कहा है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं देख लूंगा जो भी सदन की कार्यवाही अंकित है, उसको मैं देख लूंगा और एक्सपंज करवा दूंगा। अब स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

(व्यवधान)

श्री मदनसिंह दांता : आज की कार्यवाही केवल आप, आप और आप तीनों ही चलायें, हम चले जांय यहां से।

श्री श्योपत सिंह मकासर : किसने कहा बैठे रहो।

श्री मदन सिंह दांता : दूसरी भी बात होगी कोई यहां।

(व्यवधान)

सदन का सारा समय जाया करते हैं। आपने ही 30 वर्ष राजनीति में गुजारे हैं दूसरों ने गुजारे ही नहीं जैसे।

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को यह कहना चाहता हूं कि सदन किसी एक माननीय सदस्य की बपौती नहीं है।

(व्यवधान)

श्री शिवचरण सिह : यह षड्यन्त्र है....

श्री उपाध्यक्ष : कृपाया विराजें।

श्री शिवचरण सिंह : यह षड्यन्त्र है। सारे राजस्थान का....

(व्यवधान)

यही कारण है कि हल्ला करते रहो।

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई : फर्जी तार भेज दिये ...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रघुनाथ जी आप कृपया विराजिये।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

(1) सर्व श्री राम रघुनाथ चौधरी, रामेश्वर लाल चौधरी व अब्दुल अजीज सदस्य विधान सभा की ओर से दिनांक 13 मार्च को रुपयों के लेन देन के एक मामले को लेकर ग्राम पालेडी पंचायत समिति कुचामन जिला नागौर के एक हरिजन निवासी श्री रामचन्द्र के पोते की कुछ सवर्णों द्वारा पिटाई की जाकर हत्या करने की घटना के विषय में।

इस प्रस्ताव पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जावेगा।

(2) श्री श्योपत सिंह मकासर, सदस्य विधान सभा की ओर से राज्य कर्मचारी

× × × शब्द अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अपघोषित किया गया।

(श्री उपाध्यक्ष)
संयुक्त महासंघ द्वारा 16-17 मार्च से प्रदेश में कलम बन्द हड़ताल की घोषणा तथा 19 तारीख से आम हड़ताल की घोषणा के विषय में।

इस प्रस्ताव पर राज्य सरकार की ओर से एक वक्तव्य दिया जावे। इस आधार पर मैं प्रस्ताव को अस्वीकार करता हूं।

(3) श्री शीश राम ओला, सदस्य विधान सभा की ओर से जिला झुंझनू में बिजली के पावर कनेक्शन कुओं से काटे जाने के विषय में।

(4) श्री मूलचन्द डागा, सदस्य विधान सभा की ओर से गत 13 मार्च को जयपुर शहर में झालानियों के रास्ते में एक फर्म के चौकीदार की हत्या कर दिये जाने के विषय में।

यह प्रस्ताव राज्य सरकार की सूचनार्थ भेजे जा रहे हैं और मैं इन्हें स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

(5) श्री रघुनाथ विश्नोई, सदस्य विधान सभा की ओर से नगरपालिका क्षेत्र सांचौर में अनुसूचित जाति धर्मशाला एवं शिवजी के मन्दिर को हटाने हेतु परगना अधिकारी भीनमाल द्वारा बेदखली के आदेश देने से उत्पन्न स्थिति के विषय में।

(6) श्री मदन सिंह दांता, सदस्य विधान सभा की ओर से पीने वाली दवाइयों को छोड़कर अन्य ऐसी वस्तुओं के जो जन साधारण के स्वास्थ्य को बिगाड़ती हैं, सरकार द्वारा कानूनी रूप से बन्द करने के विषय में।

ये प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं और मैं इन्हें स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

श्री मदन सिंह दांता : इसके लिये तो मर रहे हैं लोग और हड़ताल कर रहे हैं, आप यही व्यवस्था देंगे क्या ?

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामरघुनाथ चौधरी।

श्री रामरघुनाथ चौधरी (डेगाना) : उपाध्यक्ष महोदय, निरन्तर जो दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं मार पीट की हत्याओं की घटती जा रही है, उस कड़ी ये यह कड़ी और जुड़ गई है यह बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। दिनांक 13-3-79 को ग्राम पालेड़ी ग्राम में जो कि पंचायत समिति कुचामन जिला नागौर के अन्तर्गत आती है, वहां का निवासी रामचन्द्र हरिजन जिसका पोता उम्र 18 साल का उधर सवर्ण लोगों के मोहल्ले में से निकल रहा था। कुछ लोगों ने उसको पकड़ लिया और पकड़ कर यह कहा कि तुम्हारे दादा से पैसे मांगते हैं और तुम्हारा दादा हिसाब नहीं करता। उस लड़के ने यह कहा कि मुझे जानकारी नहीं है इतना कहने पर ही वे उग्र हो गये और उसको घर ले गये और घर ले जाकर मार पिटाई की और निरन्तर उसकी मार पिटाई करते रहे वातावरण को इतना आंतकित कर दिया कि कोई छुड़ाने वाला नहीं था। सरपंच ने भी उन लोगों के साथ मारपीट में भाग लिया, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस घटना का दुर्भाग्यपूर्ण अन्त जब लगा

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

जब उन्होंने मार पीट कर उसको अधमरा कर दिया कुछ लोगों ने कहा अगर यह मर गया तो हम सब मारे जाएंगे इस पर उन्होंने सांठ गांठ कर सरपंच के कहने पर उसको बिजली के तार से छुआ दिया, आप बिजली का नतीजा सोच सकते हैं। बिजली के तार से छूने के बाद उसको मृत्यु हो गई। मृत्यु हो जाने के बाद सब लोगों ने मिलकर एक अन्य षडयंत्र और किया कि अगर इस लाश का पोस्टमार्टम हुआ तो निश्चित रूप से डाक्टर इसकी मौत का कारण मारपीट का बताएगा और जितने निशान हैं वे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आयेंगे। इसलिए इन लोगों ने पोस्टमार्टम भी नहीं होने दिया और उसकी लाश को रफा दफा कर दिया, लाश को जला दिया। इससे ज्यादा, उपाध्यक्ष महोदय, दुर्भाग्यपूर्ण घटना और क्या हो सकती है। एक ही हरिजन परिवार गांव में था और उस हरिजन परिवार को पुलिस थाने में भी जाने नहीं दिया। उनको इतना आतंकित कर दिया कि वह हिम्मत ही नहीं कर सके कि गांव से बाहर भी जा सके। यह 13 तारीख की घटना थी, 14 को होली का मिलन था। 14 तारीख को रंग होली होने से नहीं जा सके और 15 तारीख को किसी न किसी तरह से अन्य लोगों को सूचना उन्होंने पहुंचाई। परबतसर के माननीय सदस्य जेठमलजी और कुचामन के माननीय सदस्य रामेश्वरजी, तक सूचना पहुंचाई और 15 तारीख को हमें सूचना मिली कि ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है जिसकी पुलिस में रिपोर्ट तक दर्ज नहीं हो सकी है।

इसलिए हमें खेद है, उपाध्यक्ष महोदय, यह जो अत्याचार, मारपीट की घटनायें दिन प्रतिदिन घटती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं और पुलिस निरंकुश होती जा रही है, बिल्कुल भी ध्यान नही दे रहीं है। गांव वाले इतने आतंकित हैं कि कोई आकर रिपोर्ट नहीं लिखा सकता। उनको रिपोर्ट लिखाने का मौका नहीं दिया जाता है और चूंकि हरिजन बहुत ही दबे हुए हैं, बहुत गरीब कौम है, गांव में जहां पर एक, दो, तीन परिवार रहते हैं। जिनकी जनसंख्या बहुत कम है, वहां पर तो और भी ज्यादा आतंकित होते हैं। मैं चाहूंगा कि आप सम्पूर्ण जांच का कार्य सी. आई. डी. को सुपुर्द कर दें और यहीं से इसकी जांच करवायें। क्योंकि यह छोटी मोटी घटना नहीं है, मारपीट तक ही सीमित होती तो भी कोई बात नहीं थी लेकिन मृत्यु की घटना हुई है। मारपीट की घटना होने पर तो एस. पी. जांच कर सकते थे लेकिन मारपीट ही नहीं बल्कि हत्या कर दी गई और हत्या करने के बाद पोस्टमार्टम तक नहीं हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं गृह मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि वे आश्वासन दें कि इसकी जांच सी. आई. डी के सुपुर्द कर रहे हैं और यहां से किसी बड़े अफसर को भेज कर जांच करवायेंगे। साथ ही जो दुखी परिवार है जिनके साथ यह घटना घटित हुई है उनको इमदाद देने के बारे में भी आश्वासन दें।

श्री रामेश्वरलाल चौधरी (नावां): उपाध्यक्ष महोदय, मैं थोड़े में........

श्री सम्पतराम (गृह मंत्री): मैं ही कह देता हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य

(श्री सम्पतराम)
ने अभी जो एक नौजवान के मारे जाने की घटना के बारे में बताया है, मैं मानता हूँ कि अगर यह घटना सही है, वास्तविक है तो बहुत गम्भीर मामला है। मैं भी इसे इसी गम्भीरता के साथ लेना चाहता हूं। इसकी जांच सी. आई. डी. से करायें या और किसी अधिकारी से, मैं यकीन दिलाता हूं कि आपको भी शायद संतोष होगा। मैं चाहे किसी भी पुलिस अधिकारी को, जिस को मैं ठीक समझूंगा उसको जांच के लिए भेजूंगा और इससे आपको भी सन्तोष होगा।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आप अभी बता दें।

श्री सम्पतराम : अभी तो नहीं बता सकूंगा, बाद में बात कर लूंगा।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : ये अगर-मगर की बात नहीं करें।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : मैं तो एक ही प्रश्न पूछता हूं। गृह मन्त्री जी ने जो फरमाया, उपाध्यक्ष महोदय, हमें पूर्ण सन्तोष है और हम यह मान कर चलते हैं कि जो कुछ भी जांच गृह मंत्री जी जिस अधिकारी से भी करायेंगे, जांच का काम जिस किसी अधिकारी को देंगे, पूर्ण सच्चाई और निष्पक्षता के साथ करेंगे। पर इसके साथ ही मैं यह आश्वासन भी चाहता हूं कि जो रिपोर्ट आपको प्राप्त हो उससे सदन को अवगत करायें और पीड़ित परिवार को मदद करने के बारे में भी घोषणा करें।

श्री सम्पतराम : यह जांच कर सदन में लाता हूं या नहीं, यह तो अलग से बात है। आप चाहेंगे तो मैं आपको अवगत करा दूंगा, आपसे बातचीत कर लूंगा जांच से पूर्व, जांच के दौरान और उसके बाद भी आपसे बात कर लूंगा।

श्री रामेश्वरलाल चौधरी (नावां) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो यही निवेदन करूंगा कि यह जाति विशेष का गांव है और जो घटना घटी है वहां पर एक ही हरिजन परिवार था इसलिए न तो कोई गवाह देगा, न उसके पक्ष में बात करेंगे। यह सारी स्थिति समझ कर किसी अफसर को लगायें ताकि सारी बात क्लीयर हो सके।

श्री सम्पतराम : राजस्थान के बारे में, मैं भी सारी स्थिति को जानता हूं, मेरी सारी उम्र यहीं पर गुजरी है, मैं दबे हुए परिवारों की कठिनाई को जानता हूं और जिस तरह की कुत्सित भावना है उससे हम को डरना नहीं चाहिए। हमको अपना मोरल ऊंचा रखना चाहिए। आप भी मदद करें और सभी मिल कर, सभी के सहयोग से षडयन्त्र का पता लगायें। आपने जो कहा है उसकी भी सावधानी बर्त लेंगे।

श्री जेठमल बरबड (परबतसर) : यह राम नाम के रेबारी कौम का गांव है....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप गृह मन्त्री से विस्तार से बात कर लें।

श्री जेठमल बरबड : गांव में कोई भी आदमी जाएगा तो वे बिल्कुल गवाही नहीं देंगे, आप अपने विश्वसनीय अधिकारी को भेज कर जांच करायें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शीशराम ओला ।

श्री शीशराम ओला (पिलानी) : माननीय उपाध्यक्ष जी, झुंझुनू जिला पिछले तीन चार वर्षों से लगातार अकाल से पीड़ित रहा है और इस वर्ष भयंकर बाढ़ भी वहां पर आई । काफी लोगों के खेत उजड़ गए, कच्ची मिट्टी खेतों पर आ जाने से खेत काश्त के योग्य नही रहे । कई कुएं डूब गए, वह बिल्कुल मिट्टी से भर गए । पम्पिग सैट डूब गए, बिजली की मोटर सब डूब गई और इसके कारण काफी हानि हुई है । वहां नहरी एरिया भी नहीं है । नहरों से कोई सिंचाई नही होती है, कुएं पर बिजली लगा कर सभी काश्तकार अपनी जमीन पर काश्त करते हैं । कुओं पर सिंचाई के माध्यम से बिजली विभाग ने इस वर्ष, अभी जब कि फसल के पकने का वक्त है, इन दिनों में अन्धाधुध कनेक्शन काटने शुरू कर दिए हैं.। इसका नतीजा यह हुआ कि पिछली बार अकाल था, इस फसल से कुछ आशायें थी कि वह अपने बच्चों का निर्वाह कर सकेंगे, काश्त कर सकेंगे और अपने पशु धन के लिए चारा पैदा कर लेंगे लेकिन वह सारे कुओं के कनेक्शन काट देने से वह सारी आशायें समाप्त हो गईं और कनेक्शन काट देने से काश्तकारों की सारी फसलें जल गईं और कुओं पर कनेक्शन भी उन लोगों के काटे गए हैं जिन पर कोई पैसा बिल्कुल बकाया नहीं था । बिजली विभाग ने ऐसे कनेक्शन काटे जिन पर कोई बकाया नहीं था । कई जगहों पर औरतें थीं, उनके घर वाले बाजार में सामान लेने गए हुए थे, जब कनेक्शन काटने के लिए बिजली विभाग के कर्मचारी गए खेतों पर तो उन औरतें ने कहा कि हमारे घर के आदमी नहीं आ जाते हैं तब तक कनेक्शन नहीं काटें लेकिन उनको हाथ पकड़ कर बाहर निकाल दिया और मोटरों पर पानी डाल दिया । इस प्रकार का काम बिजली विभाग के कर्मचारियों ने औरतों के साथ किया है । यही नहीं, बिजली विभाग ने पुलिस को साथ ले जाकर पुलिस की देख रेख में कनेक्शन काटे हैं और कनेक्शन ही नहीं काटे बल्कि बिजली के खम्बों के सारे तारों को हटाकर और बण्डल बांध कर दफ्तर में ले गए । मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि आखिर बिजली विभाग काश्तकारों के साथ क्या न्याय करना चाहता है । पैसा दे दिया, बिल का कोई पैसा बकाया नहीं है फिर भी कनेक्शन काट दिए । अगर किसी का पैसा भी बाकी था, रेवेन्यू का पैसा लेना था तो भी ऐसे समय में जबकि फसल की सिंचाई हो रही है, फसल पकने पर है, ऐसी सूरत में कनेक्शन नहीं काटना चाहिए । यदि कुओं से सिंचाई नहीं कर सकेंगे, कुए पर से बिजली के कनेक्शन काट दिए तो वे अपने खेत से आमदनी नहीं कर सकेंगे और किसी तरह का रेवेन्यू भी नहीं दे सकते क्योंकि उसके पास कोई पैदा ही नहीं हुआ । उसके बच्चों की पढ़ाई, उसके घर का सारा खर्चा, उसके यहां विवाह शादी और कपड़े की, मकान की, मवेशी की व्यवस्था करने के लिए और किसी तरह की मदद नहीं है । केवल खेतों का ही आधार है और इस खेती के माध्यम से ही वह सब कुछ करना चाहता है । एक तरफ तो उसकी सारी फसल को बर्बाद कर दिया और दूसरी तरफ यह बिजली विभाग इस तरह से अत्याचार कर रहा है, उसके बिजली के कनेक्शन काट देने से झुंझुनू जिले

(श्री शीशराम ओला)

के काश्तकारों की ऐसी दशा बना दी है कि वह अपना निर्वाह नहीं कर सकता। उसकी आर्थिक दशा इतनी कमजोर हो गई है कि उसका जिन्दा रहना कठिन हो गया है और अगले साल में जब खेती का समय आएगा तो अपनी खेती भी नहीं कर सकेगा, ऐसी हालत बिजली विभाग ने कातश्कारों की ऐसी दशा बना दी है। मैं आपके माध्यम से यह चाहूंगा कि इस प्रकार के जितने भी केसेज हैं, जितने भी कनेक्शन काटे हैं उन सब के खिलाफ आप जाँच करायें और यदि बिजली विभाग का बिल बाकी नहीं था उसके बाद भी कनेक्शन काटा गया है तो उन अधिकारियों और उन कर्मचारियों को सजा तो मिलनी ही चाहिए साथ ही काश्तकारों का जो हर्जाना हुआ है उनके कनेक्शन काटने से चाहे किसी की गलती हो, उनको पूर्णतया मुआवजा सरकार को दिलाना चाहिए बिजली विभाग से। मैं आपको मन्त्री जी, उपाध्यक्ष महोदय, के माध्यम से एक दो उदाहरण प्रस्तुत करूं। हजारों की संख्या में कनेक्शन काटे गए हैं। पेपाराम भाखर की ढाणी का निवासी है। बिजली विभाग ने उसके अगेंस्ट 4722 रुपये बकाया निकाले। उसने बिजली विभाग को दरख्वास्त दी कि एक साथ पैसा देना मुश्किल होगा, कृपया किश्तें कर दें। उन्होंने दो किश्तें बना दी। एक किश्त 2300 रुपये की और दूसरी किश्त 2432 रुपये की। उसने पहली किश्त 7-11-78 को 2300 रुपये की जमा करा दी और किश्त जमा करा देने के बाद उसका कनेक्शन काट दिया गया। फिर वह किश्त का बिल लेकर गया। रसीद नं० 43414 के जरिये, दिनांक 7-11-78। जब बिजली विभाग के पास गया तो उन्होंने 20 रुपये जमा कराने को कहा, तब कनेक्शन जोड़ने के आदेश देंगे उसको भी वह बर्दाश्त कर गया। दूसरी किश्त में 2672 रु० जमा कराये। 2432 रु० तो किश्त के और 240 रु० और जो बिल के और आ गये 5-1-79 को। 5-1-79 को कम्पलीट पैसा जमा करा दिया। उसके बाद 6 तारीख को बिजली विभाग ने उसके कुएं का कनेक्शन काट दिया। कनेक्शन ही नहीं काट दिया, तार उठाकर ले गये। पुलिस से किसान को भयभीत किया गया कि वह कहीं जा न सके........

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

ऐसे उदाहरण एक नहीं आपको हजारों की संख्या में मिलेंगे, ऐसे कुएं, ऐसे गांव, ऐसे काश्तकार मिलेंगे जिनके कनेक्शन काट दिये, उनके प्रति कुछ बकाया नहीं है। मनमाने ढंग से, अंधाधुंध तरीके से, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से चाहूंगा कि जिन जिन काश्तकारों के कनेक्शन काटे गये हैं गलत तरीके से, जिनकी बकाया नहीं थी, उन्हें निश्चित रूप से मुआवजा दिया जाये क्योंकि सारी फसल खराब हो गई और इसके लिये जो अधिकारी या कर्मचारी दोषी हैं, उनके खिलाफ एक्शन हो, उनको सजा मिलनी चाहिये। बिजली विभाग द्वारा धांधली से झुंझुनू जिले में कनेक्शन काटे जाने से काश्तकारों को जो नुकसान हुआ है, आर्थिक दृष्टि से जो भारी नुकसान हुआ है, उनकी समस्या, आपके माध्यम से हाउस के समक्ष रखी। मैं मंत्री महोदय से चाहूंगा कि इसमें तत्काल कार्यवाही करें। क्या कार्यवाही हो उससे भी हमें अवगत करायें।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (विद्युत मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, झुंझुनू जिले में करीब 7 हजार कृषि उपभोक्ता हैं। बकाया वसूली के मामले में विद्युत मण्डल का दृष्टिकोण काफी उदार रहा है। पिछले वर्षों में भी मण्डल द्वारा ये निर्देश दिये गये थे कि रबी सीजन में किसी भी उपभोक्ता का कनेक्शन बकाया रुपया जमा न कराने या जमा कराने में देरी के कारण न काटा जावे। इन आदेशों से कृषि उपभोक्ताओं को बकाया रकम जमा कराने में बहुत राहत मिली। यही नहीं, बल्कि रुपया जमा कराने की अवधि जो पहले 15–5–78 तक निर्धारित की गई थी उसे भी कृषि उपभोक्ताओं की कठिनाईयों को देखते हुए बाद में बढ़ाकर 30 जून, 1978 कर दिया गया। ऐसे कृषि उपभोक्ता जो अपना बकाया चुकाने के इच्छुक हैं उनके लिए किश्तों में भुगतान करने की सुविधा उपलब्ध है। मण्डल के सदस्य और अधिकारी अन्य श्रेणी के उपभोक्ताओं की तुलना में कृषि उपभोक्ताओं द्वारा बकाया रुपया जमा कराने में काफी उदार दृष्टिकोण अपनाते हैं।

मण्डल के इस प्रकार के रुख के बावजूद भी झुंझुनू जिले में जनवरी के अन्त तक करीब 2326 उपभोक्ताओं में लगभग 59.38 लाख रुपये बकाया हो गये थे। हालांकि बकाया रकम जमा कराने के लिये बढ़ाई गई अवधि समाप्त हो चुकी थी, फिर भी बुआई व रबी की फसल के कारण कृषि उपभोक्ताओं की दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए मण्डल ने इस उम्मीद में कि ये उपभोक्ता अपनी जिम्मेदारी समझ कर रुपया जमा करवायेंगे, कनेक्शन काटने की कार्यवाही नहीं की। परन्तु चूंकि अधिकांश उपभोक्ताओं ने बकाया राशि जमा नहीं कराई, विवश होकर मण्डल ने भारतीय विद्युत अधिनियम 1910 की धारा (24) 1 के अनुसार बिजली के कनेक्शन काटने की कार्यवाही की। अतः यह कहना सत्य नहीं है कि कनेक्शन अन्धाधुन्ध तरीके से अकारण काटे जा रहे हैं अपितु सच यह है कि बकाया की वसूली के लिये मण्डल ने नियमानुसार ही कार्यवाही की है।

मण्डल के सामने अनेकों ऐसे मामले आये जिनमें उपभोक्ताओं को जिस राशि के बिल दिये गये या असेसमेंट किया गया उस पर उन्हें एतराज था। ऐसे मामलों में मण्डल ने अधीक्षण अभियन्ता, मुख्य अभियन्ता को रिप्रेजेन्टेशन की सुनवाई कर फैसले के लिये प्राधिकृत किया। अधीक्षण अभियन्ता द्वारा सुनवाई करके निपटाये गये मामलों के अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल ने झुंझुनू जिले में करीब 368 केसेज में सम्बद्ध उपभोक्ता को व्यक्तिगत रूप से सुनकर फैसले दिये। फैसले देते समय सम्बन्धित उपभोक्ताओं को उनके द्वारा चुकाई जाने वाली अनुमानित राशि भी बतला दी गई। इस प्रकार राशि बतलाने पर यदि किसी उपभोक्ता ने किश्तों में भुगतान की सुविधा चाही तो फैसले की सुनवाई में साथ ही मुख्य अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता द्वारा किश्तों के आदेश भी दे दिये गये। उस समय किश्त की सुविधा न मांगने पर भी यदि कोई कृषि उपभोक्ता बाद में किश्तों में भुगतान की सुविधा चाहता हो तो उसके लिये अधीक्षण अभियन्ता द्वारा अनुमति दे दी जाती है।

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

उपरोक्त सुविधा के बावजूद भी बकाया राशि जमा न कराने के कारण झुंझुनू जिले में करीब 1149 कृषि उपभोक्ताग्रों के कनेक्शन्स माह फरवरी, 79 में काटे गये। इनमें से करीब 740 उपभोक्ताग्रों के कनेक्शन बाद में बकाया राशि या पहली किश्त जमा कराने पर पुनः चालू कर दिये गये हैं। मण्डल ने हाल ही में ग्रादेश निकाला है कि यदि किसी कृषि उपभोक्ता का कनेक्शन बाकी रकम जमा नहीं कराने के कारण कटा हुग्रा है ग्रौर वह तुरन्त पहली किश्त में बाकी रकम का 25 प्रतिशत ग्रथवा रुपये 500 जो भी कम हो जमा करा दे तो उसके कनेक्शन को चालू कर दिया जावे ग्रगर वह इस बात को मंजूर करे कि बाकी रकम को तीन बराबर माहवारी किश्तों में जो ग्रप्रैल, मई ग्रौर जून, 1979 में ग्रथवा दो किश्तों में जो ग्रप्रैल ग्रौर जून, 79 में (जो भी कन्ज्यूमर की इच्छा हो) दे देगा। लेकिन यदि कोई कृषि उपभोक्ता बाकी रकम उपरोक्त तरीके से जमा नहीं करावेगा तो उसका कनेक्शन फौरन काट दिया जावेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, ग्रापके माध्यम से कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्य ने कुछ सूचनायें दी हैं, उसकी जाँच के उपरान्त किसी प्रकार की कार्यवाही करनी होगी, किसी ग्रधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करनी होगी तो वह कार्यवाही ग्रवश्य की जायेगी। एक बात ग्रौर निवेदन करना चाहता हूं ग्रगर इस तरह से कोई बिल जमा न कराये....

श्री मदनसिंह दांता : यह कौन कहना चाहता है। झुंझुनूं की बात हो रही है, सारे राजस्थान का सवाल पैदा नहीं होता।

श्री शीशराम ग्रोला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी है कि माननीय विद्युत मन्त्री जी ने डिटेल में सारी स्थिति स्पष्ट की लेकिन कानून की भाषा काश्तकार नहीं जानता है। वह केवल बिल के पैसे जमा कराना जानता है। सर्वप्रथम तो यह गलत है, ग्रगर पैसे जमा नहीं कराता है तो सिंचाई के समय कनेक्शन काटिये, ग्रक्टूबर में रोकिये, सिंचाई ही नहीं करे।

दूसरे, मैं कहना चाहूंगा कि बिजली विभाग, विद्युत बोर्ड एक कामर्शियल डिपार्टमेंट है। उसने यदि किसानों के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया तो निश्चित रूप से नुकसान होगा। ग्राज यदि काश्तकार ग्रापके खिलाफ खड़ा हो गया तो ग्रापका वहाँ पर जाना मुश्किल हो जायेगा। ग्राप पुलिस की मदद से ग्रौर इस प्रकार की हरकतें करें, ग्रौरतों के हाथ पकड़ कर खींचें, मैं ग्रापको एक नहीं सैंकड़ों उदाहरण देने के लिये तैयार हूं। ग्राप इनक्वायरी कमीशन बिठाइये। मैं सबूत दूंगा। ग्रापने जितने भी झुंझुनू में कनेक्शन काटे हैं उनमें 60 प्रतिशत के पैसे जमा हैं उनके खिलाफ एक पैसा भी बकाया नहीं है। 13-13 हजार रुपये के झूठे बिल ग्राज भी मौजूद हैं। ग्रधीक्षण ग्रभियन्ता बिजली विभाग को ग्रपील की उसकी ग्राज तक सुनवाई नहीं हुई।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो-तीन मिनट ग्रौर लूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं सुझाव के रूप में निवेदन करना चाहूंगा। माननीय मन्त्री महोदय ने इतना कह दिया इस प्रकार के हार्ड केसेज हैं तो वे खुद इस बात के लिये इच्छुक हैं आप उनसे मिल लें।

श्री शीशराम ओला : बस दो तीन मिनट....

श्री उपाध्यक्ष : इससे कोई समस्या का निराकरण नहीं होगा।

श्री रामेश्वर लाल चौधरी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे जिले में भी....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया विराजें।

श्री रामेश्वर लाल चौधरी : एक झुंझुनू जिले की ही बात नहीं है।

(व्यवधान)

(व्यवस्था-सूचक घंटी)

श्री रामेश्वर लाल चौधरी : इसलिये या तो आप काश्त करने दें....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया विराजें।

श्री शीशराम ओला : में आपकी आज्ञा, का पालन करूंगा लेकिन यह बड़ी महत्वपूर्ण समस्या है जो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। मुझे खुशी है की विद्युत मंत्री जी का उत्तर बहुत ही सहयोगपूर्ण है। आज हमारे जिले में अकाल होने के बावजूद भी जहां लोगों को कोई रोजगार नहीं है, काश्तकार सड़क पर काम करने नहीं जाता, वह भूखा रहने को तैयार है। वह अपने खेत में ही काम कर सकता है। उसकी भी कुछ मर्यादायें हैं। तो ऐसे लोगों को इस कठिन समय में कनेक्शन काट देने से निश्चित रूप से यह ऐसी भयंकर समस्या है और वह भी इस अकाल के समय में, विषम परिस्थिति में मंत्री जी ने आदेश दिये हैं। इन दिनों में ही तो फसल को पानी देने की जरूरत होती है और बिजली विभाग द्वारा कनेक्शन काट दिये गये जिससे उन लोगों की फसलें जल गईं। मैं विनम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि सिर्फ उन्हीं के कनेक्शन काटे जायं जिनके पैसे बकाया हैं। मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं बिजली विभाग के करोड़ों के बकाया है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में, बड़े बड़े काश्तकारों में और उद्योगों में। ये छोटे छोटे काश्तकार जिनमें बहुत थोड़े पैसे हैं और जो परिस्थितियों के मारे हैं फिर भी उनके कनेक्शन पुलिस के बल प्रयोग से काटना उचित प्रतीत नहीं होता।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक मिनट। इसकी जांच करवावें, उपाध्यक्ष महोदय, इसके लिये कमीशन बिठावें। यदि लोगों में जिनके खिलाफ बकाया हो तो एक्शन लिया जाय लेकिन यदि झूठे ही कनेक्शन काट दिये गये हैं तो इस सदन में मेरा निवेदन है और आप मानेंगे कि मैंने गलत निवेदन नहीं किया था। इसलिये मेहरबानी करके इस पर कंट्रोल किया जाय। अगर आज किसी से किसान

(श्री शीशराम ओला)
पुलिस के आदमी की तरह भयभीत है तो आपके बिजली कर्मचारियों से, इन भेड़ियों से दुःखी है। इस बात को आप रोकिये। वर्ना काश्तकार और आपके बीच में इस प्रकार का कटाव आ जायेगा कि अगर आप आर. ए. सी. मिलिट्री लगायेंगे तो भी काश्तकार आपके डिपार्टमेंट को बख्शेगा नहीं, इसलिये मेहरबानी करके जांच फर्मावें और कमजोर व्यक्तियों को सहायता दें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्योपतसिंह जी।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कुछ 1–2 मुद्दे उठाये हैं। मैंने आपके माध्यम से निवेदन किया था। पिछले वर्ष भी 15 मई फिर डेट बढ़ाई गई। यह मैं इसलिये निवेदन करना चाहता हूं कि वहां 25 प्रतिशत हो या 500, आज नहीं आज के 15 दिन पहले आदेश प्रसारित हो गये और जैसा कि मैंने निवेदन किया कि कोई इस प्रकार की स्पेसिफिक बात बतायेंगे तो मैं निश्चित रूप से कार्यवाही करूंगा।

(व्यवधान)

श्री शीशराल ओला : सारे पैसे किसानों ने जमा करा दिये हैं फिर भी....

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : वही तो मैंने कहा इनक्वायरी कराने हेतु। माननीय सदस्य ने बड़ी फैक्ट्रीज की, बड़े जमींदारों की बात कही बकाया की, तो जिनमें ड्यूज हैं उनसे विद्युत बोर्ड इसी प्रकार कड़ाई से सारी वसूली करता रहेगा जिनके खिलाफ बकाया हैं।

श्री शीशराम ओला : झुंझुनू जिले के अलावा विद्युत बोर्ड के जितने बकाया हैं....

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : आप बता दें....

श्री मदनसिंह दांता : अगर यह बात सही है जो माननीय विधायक ने कही तो, You will have to suspend them.

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय ने कह दिया है कि जांच करवायेंगे।

श्री श्योपतसिंह मकासर : माननीय मंत्री महोदय जवाब देवें इससे पहले मैं कुछ जरूरी बात अर्ज करना चाहता हूं, मैं उपाध्यक्ष महोदय पूछना चाहूंगा मेरे प्रस्ताव पर वे स्टेटमेंट कब देंगे ?

श्री सूर्यनारायण चौधरी (उद्योग मन्त्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को विनम्रतापूर्वक निवेदन करूं कि सारे मुद्दे पर राज्य सरकार की बात चल रही है और आज इस बात को न उठावें। एक-दो दिन में....

श्री श्योपतसिंह मकासर : मैं प्रेस नहीं करूंगा लेकिन मैं 1–2 बात इसलिये कहना चाहूंगा कि यह आन्दोलन अभी 17–18 तारीख को तो जो कर्मचारी महासंघ है, मैं कोई फैक्ट्स पर नहीं जा रहा हूं। संघ दो हैं एक संयुक्त कर्मचारी महासंघ और एक अखिल राजस्थान कर्मचारी महासंघ। दोनों के प्रतिनिधियों को बुला कर मांगों पर विचार करना चाहिये, दोनों की डिमाण्ड्स हैं। कहीं ऐसा न हो कि आप कुछ किस्म के लोग हैं उनसे तो बात कर लें और बाकी

(श्री श्योपतसिंह मकासर)
की बात, जो बहुत बड़ी तादाद में कर्मचारी महासंघ में है, दोनों को बुला कर, सुन कर स्टेटमेंट दें। मेरी मंशा है कि राजस्थान के कर्मचारियों को आन्दोलन में उतरना नहीं पड़े इसलिये यह जरूरी है कि दोनों महासंघों के कर्मचारियों से बात की जाय।

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, यह कर्मचारियों की मांगों के संबंध में....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अगर आप अनुपस्थित रहते हैं तो यह मेरी ड्यूटी नहीं है कि मैं जानकारी दूं।

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय श्योपतसिंह जी का नाम कैसे आया मैं यह पूछना चाहूंगा। मेरा भी था। मैं यही पूछ रहा हूं स्थगन प्रस्ताव मेरा भी था अभी आपने एक नाम पाइन्ट आउट किया इसलिये मैं....

श्री उपाध्यक्ष : मैं इस बारे में जानकारी दे दूंगा। मुझे सूची दी गई है उसमें आपका नाम नहीं है।

श्री रामनारायण चौधरी : मेरी मांग भी थी।

श्री उपाध्यक्ष : जहां तक आपका स्थगन प्रस्ताव देने का संबंध है, आपका नाम नहीं है....

श्री रामनाराण चौधरी : तो दूसरे का स्थगन प्रस्ताव कैसे आ गया।

श्री उपाध्यक्ष : अगर आपका प्रस्ताव....

श्री रामनारायण चौधरी : अगर नहीं। मैं व्यवस्था चाहता हूं कि जब मैंने स्थगन प्रस्ताव दे दिया और मेरे स्थगन प्रस्ताव को आपने राज्य सरकार के पास भेजा है और जब स्पीकर साहब ने यह कहा था कि वक्तव्य दिलायेंगे और माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि वक्तव्य देंगे, उसके बाद दूसरे माननीय सदस्य का स्थगन प्रस्ताव आया और आपने व्यवस्था दे दी कि स्टेटमेंट दिया जाय तो मैं यह व्यवस्था चाहता हूं कि जब आलरेडी एक स्थगन प्रस्ताव पेंडिंग है तो दूसरा कैसे उसी विषय पर एन्टरटेन हुआ है?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्योपतसिंह जी इसका उत्तर मुझे देने दें। आप बिराजिये। आपका स्थगन प्रस्ताव, माननीय रामनारायण जी, और किसी विषय के सम्बन्ध में है और इस विषय के सम्बन्ध में प्राथमिकता आपको मिलेगी उस पर वक्तव्य दिया जायगा तो उस पर चर्चा में आपको प्राथमिकता दी जायगी।

श्री रामनारायण चौधरी : मान्यवर, आन ए पाइंट आफ आर्डर....

श्री दाऊदयाल जोशी : क्या पाइंट आफ आर्डर?

श्री रानमारायण चौधरी : मान्यवर, मेरा पाइन्ट आफ आर्डर यह है कि मेरा एक स्थगन प्रस्ताव आलरेडी पेंडिंग है और उसको आपने सरकार के पास भेज दिया है तो क्या उसी विषय पर कोई माननीय सदस्य दूसरा स्थगन प्रस्ताव दे सकता है, क्या उसको सरकार के पास जानकारी

(श्री रामनारायण चौधरी)
के लिए भेज सकते हैं और उसके ऊपर स्टेटमेंट दिलवा सकते हैं जब तक कि पहले वाला का डिसपोजल न हो।

श्री उपाध्यक्ष : दोनों स्थगन प्रस्तावों का विषय एक दूसरे से सम्बन्धित नहीं है। अलग-अलग मुद्दे हैं इसलिए यह उसमें शामिल नहीं है।

श्री रामनारायण चौधरी : मान्यवर, इस पर स्टेटमेंट दिलवायें। 700 आदमियों को गिरफ्तार किया गया और सारे राजस्थान में एक डिलेमा छाया हुआ है। सरकार की क्या नीति है यह मालूम नहीं। हमें बिल्कुल अन्धकार में रखा जा रहा है। स्टेटमेंट आज आपको दिलवाना चाहिए। मुख्य मंत्री जी ने हां की थी। 700 आदमियों को होली के एक दिन पहले छोड़ा गया है तो क्यों गिरफ्तार किया गया और क्यों छोड़ दिया गया? इसका स्पष्टीकरण किया जाय।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : यह सब नाटक था।

श्री रामनारायण चौधरी : नाटक को बन्द करें और स्टेटमेंट दिलवायें।

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह कह देना कि बात चल रही है पर्याप्त नहीं है।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : यह पर्याप्त है समझदार आदमी के लिए तो।

श्री रघुनाथ विश्नोई : समझदारी का ठेका तो आपने ही लिया है और तो कोई समझदार है नहीं।

श्री दाऊदयाल जोशी : इनके बाद आप हैं नं।

श्री सूरजपाल सिंह : और फिर आप हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा।

श्री मूलचन्द डागा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब से जनता पार्टी शासनारूढ़ हुई है तब से जन-जीवन खतरे में पड़ गया है। आपका पुलिस का बजट 25 करोड़ से बढ़कर 30 करोड़ हो गया है........

श्री केदारनाथ शर्मा : बजट पर बोल रहे हैं क्या?

श्री रघुनन्दन व्यास : कटमोशन पर बोल रहे हैं लेकिन कटौती प्रस्ताव तो पेश नहीं हुए।

एक माननीय सदस्य : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है।

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय, 13 मार्च की रात के समय झामनदास की जो झालानियों के रास्ते में हत्या हुई उससे सारा वातावरण सनसनीपूर्ण बना। हमारा पुलिस का शासन इस प्रकार से निष्क्रिय हो चुका है कि चोर, उचक्के और अपराधपेशा लोगों का हौसला बुलन्द हो गया है, और इनके लिए जितने भी प्रिवेन्टिव मेजर्स हैं वह सारे प्रिवेन्टिव मेजर्स पुलिस विभाग नहीं ले रहा। अगर प्रिवेन्टिव मेजर्स बराबर लेते और गुण्डों को शायद अन्दर रखते तो चोर, उचक्के और अपराधपेशा लोग जो हैं उनके खिलाफ आप कोई कार्यवाही करते तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार की घटनाएं आये दिन नहीं होती मैं समझता हूं कि पुलिस में

(श्री मूलचन्द डागा)

आत्महीनता आ गई है। कोतवाली के पीछे ही आम रास्ते पर एक आदमी की हत्या कर दें। चोर मकान में प्रवेश करें, बिजली के खम्बे के सहारे प्रवेश कर जायं और अन्दर जाकर कई घन्टे उसमें रह जायं मकान के अन्दर और रहने के बाद बाहर आ जायं और चोर पकड़े न जायं, हत्या का पता न लगे, यह क्या है ? क्या पुलिस अपना गश्त का काम करती ही नहीं है ? मैंने अभी कहा था कि बजट बढ़ता जाता है, एक साल में आपने 5 करोड़ का उसका बजट बढ़ा दिया। ठीक है। 25 करोड़ की जगह 30 करोड़ बजट बन गया, लेकिन क्या पुलिस की गश्त भी होती है या नहीं ? बेचारा झामनदास जो चौकीदार था उसकी हत्या की गई और हत्या करने के बाद आज तीन रोज हो गये लेकिन हत्यारों का पता नहीं लगा ? और शहर के बीच में और जयपुर के अन्दर जहां कि राजधानी है राजस्थान की, जहां गृह मंत्री जी और सारा मंत्रिमण्डल बैठता है, और इस प्रकार से होली के दिनों में जब कि लोगों की चहल-पहल रहती है, लोगों का आवागमन रहता है, इन गुण्डों ने, इस प्रकार के अपराधपेशा लोगों ने यह घृणित कार्य किया। आप यह बतायें कि क्रिमिनल प्रोसीज एक्ट के अन्दर कौन से सैक्शन के अन्दर 107 से लेकर 110 तक तथा आपका जो गुण्डा एक्ट बना हुआ है उस गुण्डा एक्ट के अन्दर आपने अपने शासनकाल में कितने लोगों को राउण्डअप किया है। बराबर घटनाएं होती हैं। यह एक दिन की घटना नहीं है रोज ही अखबारों में इस प्रकार की घटनाएं सुनते हैं। मुझे आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि तीन दिन हो गये और हत्यारों का पता नहीं लगा है ? और पुलिस स्टेशन कितनी दूर ? बिल्कुल उसके पीछे ही झालानियों का रास्ता है। उसके आगे ही कोतवाली है जहां कि पुलिस कम से कम रात में दो बार गश्त देती है। सारी जगह खून बिखरा हुआ है, सड़क पर मारा है और बोरी से दबी हुई लाश मिली, चाकू के घाव मिले और आज तक मालूम नहीं हुआ। इस प्रकार से जन-जीवन को खतरे में डालने का हम समझते हैं बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। आखिरकार राजस्थान की राजधानी जयपुर में जहां पर हम लोग रहते हैं इस प्रकार की घटना घटे यह कोई पुलिस के लिए, पुलिस विभाग के लिए शोभाजनक बात नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रघुनाथ विश्नोई, मंत्री महोदय कहना चाहते हैं।

श्री सम्पतराम (गृह मन्त्री) : माननीय डागा साहब, ने इसकी ओर ध्यान आकर्षित किया है। यह तो सही बात है कि आज हमारे समाजिक जीवन में अव्यवस्था आ गई है और असामाजिक तत्व विध्वन्सा करने लगे। डागा साहब, जानते हैं कि हर जगह कोई न कोई घटना हो जाती है। आपने सदन में फर्माया कि कोई कार्यवाही नहीं हुई लेकिन इस घटना की मुझे उसके घटित होने के बाद ही, एक दो घन्टे बाद ही जानकारी हुई थी तो उस वक्त मैने एस. पी. को कहा था कि शीघ्र ही पहुंचो। पुलिस विभाग सतर्कता से काम कर रहा है और कुछ लोगों को पकड़ा है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और अर्ज करना चाहता हूं कि पहले शायद जयपुर में किसी थाने के अन्दर घटना होती थी और उस थाने के अन्दर जो भी तैनात

(८५)

(श्री सम्पतराम)
ग्रधिकारी होते थे वही उसकी जांच करते थे । ग्राजकल चूंकि सिटी एक है तो विभिन्न तरीकों से इस तरह से पुलिस विभाग को गठित कर रखा है कि घटना होती है तो तुरन्त पकड़ में ग्रा जाती है । ग्रभी कुछ दिन पहले एक बच्चे को उठाकर ले गये तो उसको पकड़ा है ग्रौर एक बस को उठाया तो दूसरी जगह से पकड़ा । ग्राज यह कहने की जरूरत नहीं है कि कौन सी पार्टी कौन सी सड़क पर जायगी ग्रौर कहां पर क्या क्या प्रबन्ध करेगी । यह पहले से ही व्यवस्था कर रखी है । लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि समाज के ग्रन्दर ग्रसामाजिक तत्व पैदा होते रहते है ग्रौर गड़बड़ करते रहते हैं....

श्री रघुनाथ विश्नोई : ग्रब ज्यादा होता है ।

श्री सम्पत राम : वह मैं बाद में बताऊंगा ।

हम यह चाहते हैं ग्रौर ग्राप भी यह चाहते हैं कि ऐसी घटना रुके ग्रौर ऐसी घटनाग्रों को हमने रोकने की कोशिश की है । मैं ग्रापको बताऊंगा कि ग्रभी कुछ दिन पहले एक सिपाही को कुछ जेबकतरों को पकड़ने के कारण चाकू मार दिया गया । जो बड़ी बड़ी घटनाएं करते थे उनको पकड़ने की कोशिश की, ग्रौर हमने पुलिस की बराबर यह व्यवस्था की है कि जो ग्रनडिजायरेबल एलीमेंट्स थे उनकी पुलिस के कुछ कमजोर वर्गों से एक प्रकार से ग्रनहोली एलायन्स हो गया था इसलिए उनका पकड़ा जाना ग्रसम्भव सा हो गया था तो हमने सारी व्यवस्था को हटा लिया है ग्रौर उसमें परिवर्तन लाने की कोशिश की है ताकि नये ग्रादमी ग्रायें ग्रौर नये तरीके से वह सारी व्यवस्था करें ।

शहर में बहुत से ग्रादमी होते हैं ग्रौर मेरे ख्याल से हमारे यहां का भी निकल जायगा लेकिन कुछ बाहर के लोग हैं कुछ कन्जर हैं, कुछ बावरी हैं ग्रौर निम्न स्तर के लोग हैं वह इन दुर्घटनाग्रों में सम्मिलित होते हैं । पुलिस यदि किसी भी ग्रादमी को पकड़े, पूछताछ करे ग्रौर सख्ती करे तो सदन के माननीय सदस्य कहेंगे कि पुलिस की ज्यादती होगी । भीख मांगने वाले भी जो लोग हैं वह भी इन गुण्डों में मिल गये हैं ।

मैंने बहुत लोगों को ग्राइडेण्टीफाई किया है । हम जितना कर सकते हैं, वह कर रहे हैं....

श्री मूलचन्द डागा : साहब बात यह है....

श्री सम्पतराम : ग्राप सुन लीजिए ।

चोर पकड़े जायेंगे । हम कोशिश कर रहे हैं ।

श्री मूलचन्द डागा : मेरा तो प्रश्न यह है कि यह जो गुण्डा एलीमेण्ट हैं, उनको ग्राप पहले ही पकड़ लें । ग्राप इस प्रकार की कार्यवाही करें ।

श्री सम्पतराम : ग्रापने जो सुझाव दिया है उस पर मैं गौर करूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रघुनाथ विश्नोई ।

श्री मदनसिंह दांता : जन जागरण पार्टी ने तो पहले ही होम मिनिस्टर को लिखा

(श्री मदनसिंह दांता)

है। आप तो हमें बुलाकर सुनते नहीं हैं। आपने ही सारा ठेका ले रखा है। यह कैसे लुकआउट हो सकता है।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय समाज कल्याण मन्त्री महोदय और साथ ही राजस्व मन्त्री महोदय का भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जालौर जिले के सांचौर नगरपालिका क्षेत्र में जो अनुसूचित जाति के लोग हैं उन्होंने चन्दा करके धर्मशाला और मन्दिर बनाया है। वे अपनी पूजा करते हैं। उनकी एक धर्मशाला है। जिस पर उनका 25–30 सालों से कब्जा है। जिसमें एक फूलों का बगीचा बना हुआ है। बगीचे में अनार, नींबू, बादाम और तरह तरह के पेड़ों का बगीचा है। वहां के तहसीलदार ने एक आर्डर पास किया था उस जमीन के नियमन करने का और एस.डी.ओ. भीनमाल के पास भेजा था। परगना अधिकारी भीनमाल ने इनका कब्जा हटाने का गलत आदेश दिया है जिससे कि वहां एक अजीब स्थिति पैदा हो गई है। बगीचे के अन्दर एक बहुत बड़ा विश्राम करने का एवं रहने का स्थान बना हुआ है। न मालूम किस तरह की कार्यवाही करके उसकी बेदखली करने के लिए आदेश किये गये हैं। कलेक्टर चतुर्वेदी जी वहां जा चुके हैं। यह बहुत बड़ा उपयोगी बगीचा है। अनुसूचित जाति के लोगों के लिए एक सुन्दर स्थान बनाया हुआ है। अनुसूचित जाति के और सभी तरह के लोग वहां पर आते हैं और वहां दर्शन करते हैं, विश्राम करते हैं। ऐसा स्थान बना हुआ है।

(व्यवधान)

सांचौर की एक मात्र सार्वजनिक, जहां गरीब लोग ठहरते हैं, धर्मशाला है। वहां शिवजी का मन्दिर जो है। वहां के जो एम. पी. साहब हैं, वह भी वहां रोज जाते हैं और विश्राम करते हैं। रघुनन्दन जी बैठे हैं। वे भी जानते हैं।

श्री रघुनन्दन व्यास : वह तो रेगूलर वे में एस. डी. ओ. को जा सकता है। एस. डी. ओ. ने तो बेदखली का हुक्म दे दिया है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : मैं यह नहीं कहता हूं कि सरकार की बदनीयती है। कार्यालयों में फाइलें कई वर्षों तक पड़ी रहती हैं। मेरा ख्याल है, किसी गलती से बिना मौके देखे गलत ऐसे आदेश एस. डी. ओ. भीनमाल के हो गये हैं। बेदखल करने के आदेश पहुंचे हैं अगर बेदखली की गई तो सैंकड़ों अनुसूचित जाति के लोग वहां पहुंचेंगे। वहां पर लॉ और आर्डर कायम करने की स्थिति पैदा हो गई है। मैंने वहां पर जाकर उन लोगों को समझाकर शान्त किया है। मैंने उनको यह कहा कि कानूनी कार्यवाही से यह काम कर लिया जाएगा। लोग एप्लीकेशन देते हैं। मेरा ख्याल है, बगैर ध्यान के यह आदेश पास हो गया होगा। मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह कहना चाहूंगा कि यह लॉ एण्ड आर्डर की पोजीशन या एजीटेशन का रूप धारण नहीं कर ले। वहां पर 100 बच्चे भी पढ़ते हैं। यह कोई पोलिटिकल मामला नहीं है। मैं इस ओर माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करता हूं। इस प्रस्ताव के द्वारा

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

मेरा यही निवेदन है। तीन चार दिन से मैं आया हूं। मैं उनको शान्त करके आया हूं। आप कह दें। जो भी कायदे के अनुसार कार्यवाही हो वह कर ली जाये। तोड़ फोड़ी करने की ऐसीं इमर्जेंसी में भी कार्यवाही नहीं हुई है। इसलिए वहाँ के लोगों के दिलों में ऐसा नहीं हो। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से यह चाहूंगा। आप स्टेटमेंट दें या न दें। आप मामले को नोट करलें और टेलीफोन कलेक्टर को कर दें ताकि आगे की स्थिति खराब नहीं हो। इसको शीघ्र ही हल कर लिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मन्त्री जी कुछ कहेंगे।

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री (राजस्व मन्त्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विषय में कलेक्टर जालौर से जानकारी करूंगा। लेकिन जो कुछ बताया गया है, उसके आधार पर अपील हो सकती है। स्थगन आदेश लिये जा सकते हैं। फिर भी मैं इसके बारे में मालूम करूंगा।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आप मालूम कर लें।

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री : मैं मालूम करूंगा।

श्री मदनसिंह दांता : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा शराबबन्दी का स्थगन प्रस्ताव था। जब से इन दो नेताओं ने यह कहा है, अगर ऐसा किया गया तो मैं स्तीफा दे दूंगा। आपने जोधपुर में शराबबन्दी करके अच्छी बात की है। जो भी ऐसे प्रश्न आये। पुराने जमाने में इस बात के निर्णय करने के लिए शास्त्र होते थे। आज भी शास्त्र हैं। आज का शास्त्र भारत का कान्स्टीट्युशन है। कान्स्टीट्युशन के अनुच्छेद 27 को देख लें। वह कौन सी चीज है। दवाइयों की चीजों को छोड़कर जो इन्जूरियस टू दी हैल्थ हैं उनको छोड़कर, गवर्नमेंट सेल बन्द कर देगी तो उसका निर्णय डाक्टरों से क्यों नहीं लेते हैं। फिर उनको भूख हड़ताल में क्यों मरवाते हैं? फिर ऐसे आदमी, ऐसे हीरो नहीं मिलेंगे। आप भैरोंसिंह शेखावत से स्तीफा दिला रहे हैं। आप अप्रैल से निश्चय कर लें। दारु ही नहीं, सुलफा है, गांजा है। ये सभी ऐसी चीजें हैं। जो हैल्थ के लिए ऐसी हैं। अगर डाक्टर कह दें तो शराब बिल्कुल खतम होनी चाहिए। फिर वह कहेंगे, गांजे को भी खतम करो। वह भी इन्जूरियस टू दी हैल्थ है। इसके अलावा मैं मन्त्री महोदय, आपको सलाह देना चाहता हूं। शराब नशा देती है। बीयर शराब नहीं है। बीयर से ठण्डा नशा होता है। उससे पेशाब ज्यादा उतरेगा। परन्तु वह आदमी पागल नहीं होगा। खाने में रोटी जरूर ज्यादा मांगेगा। जहाँ आज गलत शराब निकालते हैं। आप कहें तो मैं ठेका दिला सकता हूं। बीयर में एक लिमिटेड क्वांटिटी है। बीयर को आप चलायें। आपको 25 करोड़ मिल जायेंगे। यह बीयर शराब है। इसकी ढाई रुपया बोतल कर दें। जो बोतल वापिस भेज देगा उसको 12 आना वापस मिल जायेंगे। अगर कोई 10 बोतल भी पी लेता है तो उसका दिमाग खराब नहीं होगा।

(व्यवधान)

आप इसको हंसी में नहीं डालें। आपको 25 करोड़ एडवांस मिल जायेंगे। आप बीयर की फैक्ट्री दे दो।

(श्री मदनसिंह दांता)

आदमी बीयर से मर नहीं जाय या उसको नुकसान नहीं हो जाय, उसके लिए डाक्टर गारण्टी देवें, इसको मजाक के विचार से मत लीजिये। आज शराबबन्दी के लिये सत्याग्रह पर बैठ रहे हैं, कल अमल के लिए भी बैठेंगे, उसके लिए भी सत्याग्रह होंगे। आप डाक्टर से पूछिये कि कौन सी चीज है जो इन्जूरियस टू दी हैल्थ है। इस में आपको ठेकेदारों को मुआवजा भी देने का सवाल आएगा। उनके नौकरों का क्या होगा। इसके लिए आज एक नेता कहते हैं कि मैं भूख हड़ताल पर बैठूंगा, अगर ये दोनों नहीं होंगे तो क्या हिन्दुस्तान मर जायगा। हम न्यायालय में क्यों नहीं गए।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

डाक्टर इस बारे में सलाह दे सकता है, इस लिए मेरा निवेदन है, आप इसको मजाक नहीं मान कर, आपका हितकारी मान कर, आप डाक्टर से पूछिये कि भारत के संविधान की मन्शा क्या है। जिस प्रकार आज एक नेता शराबबन्दी के लिए बैठ रहे हैं तो दूसरी जो ज्यादा खतरनाक चीजें हैं दूसरे आदमी उनके लिए भी हड़ताल करेंगें इस लिए आप सही चीज को देखिए। आप ड्राई एरिया में बीयर का ठेका दे दीजिये, यह बन्द हो जायगी और कोई गड़बड़ भी नहीं होगी और व्हिस्की और ब्राण्डी जो जहर है, डाक्टर उसको दवाई के रूप में दे सकते हैं, संखिया जहर है उपाध्यक्ष महोदय, उसको डाक्टर कण्ट्रोल करते हैं, आप डाक्टरों का बोर्ड बना दीजिये।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

वह क्या सलाह देता है, भारत का कान्स्टीट्यूशन आपको क्या सलाह देता है, इससे इस समस्या का हल हो सकता है।

श्री उपाध्यक्ष : अब बजट की सामान्य चर्चा का उत्तर माननीय वित्त मन्त्री जी देंगे—

श्री मदनसिंह दांता : पहले मेरी बात का उत्तर देने दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : उन्होंने आपकी बात को बहुत गंभीरता से सुना है।

श्री मदनसिंह दांता : वो तो नहीं मरेंगे और कोई मेरा साथी मर गया तो आपका काला मुंह हो जायगा।

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई। अब माननीय वित्त मन्त्री महोदय, बजट की चर्चा का उत्तर देंगे।

श्री रतनलाल वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, कल आखिर में मेरा नाम रह गया था, मुझे अपने विचार प्रकट करने हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय वर्मा जी जो कार्यक्रम आज का बना हुआ है, उसमें अब यह सम्भव नहीं है आपको समय देना।

श्री रतनलाल वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, तीन रोज से मेरा नाम लिस्ट में था और कल भी रह गया। मैं दस मिनट से सवा दस मिनट नही लूंगा और ठोस सुझाव देना चाहता हूं जिससे सरकार को आमदनी भी होगी और किसानों पर भार नहीं पड़ेगा।

श्री उपाध्यक्ष : आप कृपया बिराजिये। माननीय वित्त मन्त्री जी की चर्चा का उत्तर देना है।

श्री रतनलाल वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा बोलना बहुत जरूरी है, मेरी भावना अंदर की अंदर रह जायगी।

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मन्त्री महोदय।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं माननीय सदस्यों का आभार प्रदर्शित करूंगा जिन्होंने राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत 1979-80 के आय-व्ययक पर गहरा अध्ययन कर सरकार के सामने अपने सुझाव भी दिये, आलोचना भी की और जो समस्याएं सरकार के सामने खड़ी हैं उन समस्याओं का समाधान किस प्रकार से किया जाय, इस सम्बन्ध में मार्ग-दर्शन भी किया।

(1.55 म. प.)

(श्री लक्ष्मणसिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

अध्यक्ष महोदय, सदन को यह अच्छी तरह से जानकारी है कि हमारा प्रदेश एक पिछड़ा हुआ प्रदेश है, पिछले तीस वर्षों के योजनाबद्ध विकास के बावजूद भी हम इस बात का दावा कर सकें कि राजस्थान अब पिछड़ा हुआ प्रदेश नहीं है। राजस्थान अन्य राज्यों की तुलना में....

श्री खेतसिंह राठौड़ : भूखा-नंगा नहीं है।

एक माननीय सदस्य : आपने ही बनाया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह बात सही है भूखा-नंगा नहीं है और आपकी तमन्ना है कि राजस्थान भूखा-नंगा हो।

श्री मथुरादास माथुर : आप अपनी बात कहिए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आज जहां भी राजस्थान की चर्चा होती है अकाल के नाम पर, राजस्थान में कितना खर्चा हुआ, अकाल के लिए कितनी आर्थिक सहायता चाही गई, अकाल के कारण से पिछड़ा हुआ प्रदेश है, अकाल के कारण से हमारा विकास अवरुद्ध है, इस नाम से राजस्थान का सर्वत्र उपहास होता है। अब मैं यदि अपने मुंह से कहूंगा तो शायद विरोधी दल के माननीय सदस्य इस बात से थोड़ा खिन्न होंगे कि आज राजस्थान का वह उपहास नहीं है। राजस्थान में राजस्व अभियान, राजस्थान में अन्त्योदय योजना के क्षेत्र में, राजस्थान में काम के बदले अनाज इन सारे कामों से जो राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में, राजस्थान के गरीबों में, राजस्थान के उपेक्षित वर्ग में जो एक उत्साह का संचार हुआ है उससे जनमानस में यह धारणा बन गई है कि राजस्थान अब विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। यह भी माननीय सदस्य जानते हैं कि जिस समय पिछली सरकार ने हमें चार्ज दिया था उस समय 76 करोड़ का घाटा था, उस स्थिति में हमें छोड़ गए थे, बजट भाषण में आपने देखा होगा कि पिछले डेढ़ दो वर्षों में हमने लगभग इस घाटे की पूर्ति कर ली, थोड़ा-बहुत घाटा बचा है।

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

इस आधार पर, हमने अपने काम का श्री गरोश कहाँ से किया था, उसका अनुमान लगाया जा सकता है। यह केवल मैं इस बात को कह रहा हूं, इस पर ही विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है लेकिन पिछले डेढ़ वर्षों में जो चार उप चुनाव हुए उन चुनावों में जनता पार्टी की विजय से जो कुछ मैं कह रहा हूं उसकी जनता ने भी पुष्टि की है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : फूट रही है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : भगवान करे यह फूट आप में बनी रहे।

श्री मथुरादास माथुर : आप तो अपनी इस फूट को संभालो।

श्री भैरोंसिह शेखावत : आपको इस फूट से लाभ मिलने वाला नहीं है।

मैं निवेदन यह कर रहा था कि 77-78 में हमारी योजना 168 करोड़ की थी, आप एक बात को अच्छी तरह से सुन लें कि राजस्थान में अगर विकास का काम हमको करना है और राजस्थान को पिछड़ेपन से अगर निकालना है तो हमें योजना का आकार बढ़ाना पड़ेगा। यदि राजस्थान में योजना का आकार छोटा रहता है और छोटे आकार के कारण राजस्थान के विकास का काम अवरुद्ध रहता है तो चाहे कितनी ही चर्चा करते रहें कि राजस्थान में अमुक प्रकार का पिछड़ापन है, और उसको दूर करना चाहें तो भी वह पिछड़ापन दूर नहीं होगा। इसलिए चाहे साहस करके, चाहे जिस व्यवस्था से हमें इस बात का प्रयत्न करना पड़ेगा कि राजस्थान की योजना का आकार बड़ा हो, प्रति व्यक्ति प्लान आउट ले बढ़े।

सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि इस आधार पर हमने क्या प्रयास किए हैं। निश्चित रूप से मेरा विश्वास है कि सदन और विशेष तौर से विरोधी पक्ष के माननीय सदस्य इस बात की प्रशंसा करेंगे कि 1977-78 की वार्षिक योजना 168 करोड़ की वार्षिक योजना से राजस्थान की सारी विकास गतिविधियां चलती रहें और आगे बढ़ती रहें यह सम्भव नहीं है। इसलिए हमने दो महीने में प्रयास किया कि इस योजना को 199 करोड़ की बनाई। 199 करोड़ की योजना बनाकर ही संतोष नहीं कर लिया, हमारे सामने यह लगन थी कि दूसरे राज्यों की योजना का आकार बढ़ता जा रहा है, विकास की गति बढ़ती जा रही है। यदि हम इस होड़ में किसी प्रकार से पीछे रह गए तो आज स्थिति यही है कि राजस्थान पिछड़ा हुआ है, कल जाकर यह स्थिति भी आ सकती है कि हमारे पड़ोसी राज्य हमसे बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाएं तो उनका विकास हमारे लिए शोषण का काम करेगा। इससे हमें बचने की बड़ी आवश्यकता है और इस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सन् 1978-79 की जो वार्षिक योजना थी उस वार्षिक योजना को हमने 199 करोड़ से बढ़ाकर 235 करोड़ किया। इस 235 करोड़ की योजना पर फिर से विचार किया, साधन जुटाए और सहायता ली उसका परिणाम यह निकला कि 1979-80 में हमारी योजना 276 करोड़ रुपये की हुई है। अब आप अन्दाज लगायें 168 करोड़ से 199 करोड़, 199 से 235 करोड़, 235 से 275 करोड़, यह 16 से 19 प्रतिशत की

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

वृद्धि हुई है और मैं कह सकता हूं कि 13 वर्षों में 1966 से 1979 तक, आज तक कभी भी राजस्थान में प्रति व्यक्ति प्लान आउट ले आल इण्डिया एवरेज से ऊपर नहीं गया। चौथी पंचवर्षीय योजना में प्रति व्यक्ति योजनागत खर्चा 120) रु० स्टेट का था और 140) नेशनल एवरेज था। पांचवी योजना में 140) रुपया स्टेट का था और 165) नेशनल एवरेज था। 1979-80 में यह पहली बार हमने रिवर्स किया है और रिवर्स करने का परिणाम यह निकला कि आज प्रति व्यक्ति व्यय हमारा 107) है जब कि नेशनल एवरेज 105) है। मैं समझता हूं यह राजस्थान के लिए गर्व की बात है। 13 वर्षों में पहली बार राजस्थान इस पिछड़ेपन से निकलकर प्रति व्यक्ति योजनागत व्यय में आल इण्डिया एवरेज से ऊंचा निकला। एक वर्ष की योजना में ऊपर निकला है तो अगली योजना जो बनने वाली है उसमें मेरा विश्वास है कि भारत सरकार से जो सहायता मिली है, वित्त आयोग से जो हमें सहायता मिली है और हमारे साधन जो जुटा रहे हैं, सबके बल पर हम इस योजना के आकार को इस सीमा तक ले जायेंगे कि राजस्थान का विकास अवरुद्ध नहीं हो और आगे से आगे विकास करता रहे। इस वर्ष की 276 करोड़ की योजना में, जैसा मैंने कहा, 16 से 19 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यदि आप दूसरे राज्यों का मुकाबला करें तो मैं कह सकता हूं कि हरियाणा, महाराष्ट्र और गुजरात को छोड़ कर बाकी सब योजनाओं में वृद्धि केवल 2 प्रतिशत की हुई। कई राज्यों में जो पिछले वर्ष उनकी योजना थी, उसके मुकाबले में इस वर्ष योजना कम है और सारा एवरेज निकालें तो उस एवरेज के आधार पर यह पता लगेगा कि अन्य 14 राज्यों में से 3 को छोड़ कर बाकी 11 राज्यों की योजना में जो वृद्धि हुई है वह केवल 2 प्रतिशत है और राजस्थान में 16 से 19 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो योजना के आकार को हमने छोटा नहीं किया, बढ़ाया है।

इन पिछले तीन वर्षों में, 1977-78, 1978-79 व 1979-80 में हम 709 करोड़ योजनागत व्यय कर रहे हैं। यह रकम मामूली नही है। पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना और चौथी पंचवर्षीय योजना अर्थात् इन 20 वर्षों में जो आपने पैसा खर्च किया उसके मुकाबले में जनता पार्टी का शासन तीन वर्ष से है, तीन वर्षों में इन योजनाओं के अन्तर्गत हम 709 रुपये खर्च करेंगे जो आप के 20 वर्षों के खर्च से ज्यादा है। ये आंकड़े इसलिए देना चाहता हूं ताकि सदन को इस बात की जानकारी मिल जाए कि राज्य सरकार ने क्या एफर्ट्स किये हैं। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि पांचवीं योजना में 1974-75 से लेकर 1978-79 तक चालू योजना 550 करोड़ की आपने बनाई। इस योजना का फाइनल क्लोज-अप 843 करोड़ का हुआ। हमने प्रयास करके 843 करोड़ तक पहुंचाया है। एक प्रकार से दुगुनी सी योजना बनाई है तो योजना का जितना पैसा खर्च होगा, निश्चित रूप से राजस्थान के विकास की गति अपने आप बढ़ती जायेगी। तो छठी योजना 5 साल में 843 रुपये की हुई। पिछले तीन वर्षों में पिछली बार हमने सिवाय एक्साइज के कोई टैक्स नहीं लगाया। आप इस बात का स्वयं अन्दाजा लगायें कि हमने तो टैक्स नहीं लगाया,

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

योजना का आकार बढ़ाया। हर सैक्टर में खर्चा बढ़ा है। आखिर इसका कारण क्या होता है? कारण केवल एक है कि हमने मितव्ययता की है, फालतू खर्चा रोका है। सैक्टोरोल एडजस्टमैंट इस प्रकार से किया है जिसके कारण हर सैक्टर में प्रगति होती रहे, विकास होता रहे। इस बात को लेकर मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि आखिर पिछले तीन वर्षों में हमने किस किस क्षेत्र में क्या-क्या खर्चा किया है। इरिगेशन एण्ड पावर : 1976-77 में 105 करोड़ खर्चा किया, 1977-78 में 115 करोड़ खर्चा किया, 1978-79 में 139 करोड़ और अगले वर्ष के लिए 157 करोड़ का प्रावधान रखा है। वाटर सप्लाई में 1976-77 में 11.51 करोड़ था, 1977-78 में 11.65, 1978-79 में 13·45 करोड़ और अगले वर्ष के लिए 20·12 करोड़ का प्रावधान रखा है। इससे भी आप अंदाज लगा सकते हैं कि पीने के पानी की समस्या का समाधान करने के लिए हमने किस प्रकार के प्रयास किए हैं। इंडस्ट्रीज एण्ड माइन्स में 1977-78 में 6·71 करोड़ का प्रावधान था, 1978-79 में 8·19, 1979-80 में 12·56 करोड़। एजूकेशन में 1976-77 में 9·69, 1978-79 में 13·40 करोड़ हुआ। कई माननीय सदस्यों ने आपत्ति की कि इस वर्ष 8·80 करोड़ है जो 13·40 के मुकाबले में कम है, इसका उत्तर मैं आगे दूंगा। मेडिकल एण्ड हेल्थ 3·12 से आरम्भ किया 1977-78 में और 1978-79 में 3·61 था, 1979-80 की स्थिति भी निवेदन करना चाहूंगा। रोड्स और कम्युनिकेशन्स में भी आज 35 करोड़ रुपये का प्रावधान रखकर चल रहे हैं। सारी वृद्धि इस बात का संकेत है कि जिन बातों को लेकर राजस्थान के विकास के लिए इन्फ्रा स्ट्रक्चर तैयार हो जाए, बेसिक एमेनिटीज लोगों को मिल जाएं, उन आइटम्स पर हम ज्यादा से ज्यादा खर्च करें। एजूकेशन व मेडिकल में जो आपको कम दीखता है इसका कारण यह है कि सातवें वित्त आयोग की रिपोर्ट आने के बाद इन दो सैक्टर्स का सारा खर्चा था उसका अधिकांश भाग नान प्लान के अन्दर चला गया और उन फिगर्स से आपको पता लगेगा कि नान-प्लान खर्चा बढ़ा है। विकास के काम इस तरह के नहीं हैं कि हमेशा प्लान में शामिल किए जा सकें, उनको नान-प्लान में ट्रांसफर करना पड़ेगा। मेडिकल और हेल्थ में नान प्लान में 26·35 करोड़ था इस वर्ष 32·64 है। इसी प्रकार एजूकेशन में पिछली बार 98·72 करोड़ था अब हमने 115·99 करोड़ रखे हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन सैक्टरों में भी हमने किसी प्रकार की कमी नहीं की। अब हमारा मद है सैन्ट्रल स्पोन्सर्ड स्कीम का और इस सैन्ट्रल स्पोन्सर्ड स्कीम के मातहत भारत सरकार योजनायें बनाती है। वह योजनायें राज्य सरकारों के पास आती हैं और राज्य सरकार उनको एग्जीक्यूट करती है। उन योजनाओं के अन्तर्गत भी हमने भारत सरकार से ज्यादा से ज्यादा लेने की कोशिश की है। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि 1976-77 में इस योजना के अन्तर्गत और सैन्ट्रल स्पोन्सर्ड स्कीम के अन्तर्गत हमें केवल 42 करोड़ रुपया मिला, 197 -78 में 50 करोड़ रुपया मिला 1978-79 में 78 करोड़ रुपया मिला और 1979-80 में 100 करोड़ रुपया मिलने का हमें अनुमान है। अब आप अन्दाजा लगा सकते

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

हैं कि 1974-75 में केवल 22 करोड़ मिला था, 1975-76 में 39 करोड़ मिला, 1976-77 में 42 करोड़ मिला यानि केवल तीन वर्षों में 103 करोड़ रुपया मिला और हम अकेले एक वर्ष में 1979-80 में 100 करोड़ रुपये का प्रावधान लेकर चल रहे हैं और पिछले वर्ष 78 करोड़ रुपया लिया। 1977-78 और 78-79 में 50 करोड़, और 78 करोड़ रुपया यानि दोनों मिला कर 123 करोड़ रुपया मिला और इस वर्ष का यदि 100 करोड़ और मिला दें तो 223 करोड़ रुपये हो गया। इसके विपरीत आपने अपने समय में तीन वर्षों में 103 करोड़ रुपया ही लिया। इससे सारी स्थिति का अनुमान हो जायेगा।

मैं, अध्यक्ष महोदय, यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि ड्राट प्रोन एरिया प्रोजेक्ट स्कीम के अन्तर्गत 1974 से लेकर 1977 तक आपने केवल 13 करोड़ रुपया खर्च किया है और इस वर्ष हम 18 करोड़ रुपये खर्च करने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। तो आपने तीन वर्षों में 13 करोड़ रुपया खर्च किया और हम एक वर्ष में इस प्रोजेक्ट स्कीम के अन्तर्गत 18 करोड़ रुपया खर्च करने का प्रावधान लेकर चल रहे हैं। कई माननीय सदस्य बोल रहे थे कि डैजर्ट एरियाज के लिए डवलपमेंट के काम नहीं होंगे। तो जो नहीं हुए वह हमारे सामने हैं और जो हमने प्रयास किये वह भी आपके सामने है।

मरुस्थल विकास में 3 डिस्ट्रिक्ट को छोड़ दिया था और वह डिस्ट्रिक्ट्स थे सीकर, झुंझुनूं और गंगानगर। इन डिस्ट्रिक्ट को छोड़ने का कारण क्या हो सकता है, कह नहीं सकता, राजनैतिक कारणों से इन क्षेत्रों का विकास करना उस समय की सरकार के लिए उचित नहीं था, यह तो मैं नहीं कह सकता लेकिन हमने इस असंतुलन को दूर करने के लिए व्यवस्था की है। इन तीनों जिलों में 8·50 करोड़ रुपया डेयरी के काम में खर्च किया जायेगा और 2·50 करोड़ रुपया इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए खर्च किया जायेगा। इससे अन्दाजा होगा कि जिन जिलों सीकर, झुंझुनूं और गंगानगर को आप पीछे छोड़ गये थे वह भी अब आगे बढ़ने की तैयारी करने लगे हैं और अन्य जिलों के साथ शीघ्र ही आ जायेंगे। इस आशा के साथ इस प्रकार का हमने प्रावधान किया हैं।

जहां तक एस० एफ० डी० ए० का प्रश्न आता है 6 सालों में 6 करोड़ रुपया खर्च किया है। आपको जान कर खुशी होगी कि 1978-79 में 14 करोड़ रुपया खर्च करने का लक्ष्य है। यदि इसमें कुछ कमी रही और खर्च नहीं कर पाये तो मुश्किल से एक दो करोड़ की कमी हो सकती है। हम निश्चित रूप से 12–13 करोड़ रुपया खर्च कर लेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि दुगुना लोनिंग होगा और लोगों को कर्ज मिलेगा। छोटे काश्तकार एस० एफ० डी० ए० से आइडेन्टीफाई हुए हैं और उनकी बहबूदी अपने आप में निश्चित रूप से होगी। 6 जिलों में केवल एस०एफ०डी०ए० ने काम चालू किया था और हमने अपने प्रयास से सारे जिलों में काश्तकारों को इससे राहत देने की योजना बनाई है और उनको राहत मिलती जा रही है।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि कई माननीय सदस्यों ने यह प्रश्न उठाया कि हमने ग्रान्ट इन एड का विरोध कर ग्रान्ट इन एड नहीं ली। इसलिये भारत सरकार से हमको पैसा नहीं मिला और जो भी मिला है वह बहुत कम है। माननीय जोशी जी, जो राजस्थान के भूतपूर्व मुख्य मन्त्री भी हैं ने एक कोटेशन फाइनेन्स कमीशन के सामने जो मेमोरेन्डम हमने दिया उस मेमोरेन्डम के आधार पर दिया और यह कहा कि हमने ग्रान्ट इन एड लेने की कोशिश नहीं की और इस कारण से हमको ग्रान्ट इन एड नहीं मिली। उन्होंने कोटेशन यह दिया जो मैं सदन के सामने पढ़ कर सुनाना चाहूंगा : "The share of divisable taxes is elastic and gets benefit of buoyancy, while the the grants-in-aid of revenues remain fixed. The States which get grant-in-aid to fill their revenue gaps, thus stand in a disadvantage for long."

यह हमने फाइनेन्स कमीशन के सामने अपनी बात कही। मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि आर्टिकल 276 के अन्तर्गत हमें ग्रान्ट मिलती है वह राइट नहीं है बल्कि वह डिस्क्रिशन है और डिस्क्रिशन इस आधार पर है कि हमारा जो टोटल नान-प्लान एक्सपेन्डीचर है उसमें हमारी आय को पहले माइनस करते हैं और जो बाद में बचता है उसमें से फाइनेन्स कमीशन के द्वारा हमारे टैक्सेस और बाकी के शुल्क के आधार पर राशि मिलने वाली है वह माइनस होती है और जो गैप होता है उसको ग्रान्ट इन एड से पूरा करते हैं। तो यह ग्रान्ट इन एड कोई राइट नहीं है बल्कि डिस्क्रिशनरी है और डिस्क्रिशनरी हमारा रेवेन्यु गैप को पूरा करने के लिये होता है। लेकिन जैसा माननीय हरिदेव जी जोशी ने कोटेशन दिया मैं दूसरा कोटेशन सदन के सामने पढ़ कर सुनाना चाहूंगा उससे सारी स्थिति स्पष्ट हो जायेगी। वह कोटेशन यह है "The State Government would like to emphasise that the scheme of devolution evolved by the Commission must strike a delicate balance between covering the non-plan revenue gaps in all the States by their share of divisable taxes duties alone on the one hand avoiding the unnecessary erosion of the resources left with the Center on the other. The sharing is considered as a matter of right, while Article 275 grants tend to carry with them an implied suggestion of financial indiscipline or inadequate resources mobilisation effort. Secondly, the backward States would have the advantage of partaking to a greater extent in the buoyance of the Central revenues."

अब यह जो मैंने पढ़ कर सुनाया यह जो हमने फाइनेन्स कमीशन को मेमोरेन्डम दिया उसका नहीं है बल्कि यह जिस समय हरिदेव जी जोशी मुख्य मंत्री थे और फाइनेन्स कमीशन के सामने जो उन्होंने मेमोरेन्डम पेश किया है यह उसका एक्सट्रेक्ट है। इससे आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि भूतपूर्व मुख्य मंत्री जी जिस बात के लिये आरोप

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

लगा रहे हैं वह आरोप नहीं है। वह उस समय सरकार में थे और उन्होंने ही फाइनेन्स कमीशन के सामने यह बात कही थी। उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया है कि डिस्क्रिशनरी ग्रान्ट देना फाइनेन्शल इनडिसिप्लीन का द्योतक है। जहां यह होगा वहां ऐसी स्थिति होगी। वहां आर्टिकल 275 के मातहत डिस्क्रिशनरी ग्रान्ट मिलेगी। आज के इस प्रश्न के ऊपर यदि आप गम्भीरता से विचार करें तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आखिर यह ग्रान्ट कितनी स्टेट्स को इस वर्ष मिली है। मेरी जानकारी के अनुसार केवल उड़ीसा राज्य को मिली है। पिछले वर्षों में कई राज्यों को ग्रांट मिलती थी क्योंकि फाइनेन्शल इनडिसिप्लीन था और रेवेन्यु गैप ज्यादा था। वहां ग्रांट मिली लेकिन जहां फाइनेन्शल इनडिसिप्लीन ही नहीं है और जो ग्रांट से हिस्सा मिलने वाला है वह डिस्क्रिशनरी है। यदि टैक्स का शेयर ज्यादा मिलता है तो हमें ग्रांट की आवश्यकता नहीं है। हमें इन टोटल यह देखना पड़ेगा कि राजस्थान को सातवें फाइनेन्स कमीशन से क्या मिला। मैं इसलिये निवेदन कर रहा था कि जोशी जी कोट करते समय यह भूल गये कि उनका कोटेशन ही उनके खिलाफ में पड़ेगा। उन्होंने जो बात स्वीकार की है उस समय वह बहुत अच्छी थी लेकिन आज जब सरकार ने दूसरे रूप को रखा है इसलिये वह बुरा मान कर चल रहे हैं। लेकिन मैं उनसे यह अपेक्षा नहीं करता था। स्वयं जिस बात के लिये फाइनेन्स कमीशन के सामने अपना रिप्रेजेन्टेशन करते रहे उन्हीं बातों को आधार बना कर उनकी आलोचना करें। मैं यह कहूंगा कि फाइनेन्शल इनडिसिप्लीन की ात कह रहा हूं वह इसी हालत में द्योतक होती है कि हम भारत सरकार के सामने याचक के रूप में खड़े होते। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पिछले साल फाइनेन्स कमीशन में रीवेल्युएशन हुआ था वह 9609 करोड़ रुपये का था और सातवें फाइनेन्स कमीशन ने जो 20,800 करोड़ रुपये का किया है इससे आप अन्दाजा लगायें कि दुगुने से ज्यादा रकम फाइनेन्स कमीशन ने वितरित की है। मैंने कहा कि उड़ीसा में और एक पहाड़ी राज्य है उसमें ऐसी स्थिति रही है लेकिन बाकी के किसी राज्य में डेफिसिट नहीं रहा और इसलिये नहीं रहा कि भारत सरकार से 20,800 करोड़ रुपये का हिस्सा मिला उसके कारण टोटल डेफिसिट कवर हो गया। आप इससे अन्दाजा लगा सकते हैं कि सातवें फाइनेन्स कमीशन से सारी राशि मिलने के बाद हमारी आयोजना का घाटा 663 करोड़ रुपया आंका गया वह सारा पूरा हुआ और सैवन्थ फाइनेन्स कमीशन ने हमारे लिये 220 करोड़ रुपया सरप्लस छोड़ा। टोटल क्या मिला है, मैं आपकी जानकारी के लिए कहना चाहता हूं, 883 करोड़ रुपया मिला है। इस बात से आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि हमारी तरफ से कोई कमी नहीं है। पिछली बार जो कुछ मिला, उससे ज्यादा मिला है। 74–75 में छठे वित्त आयोग ने केवल 6 करोड़ रुपया छोड़ा है। 1979–80 में 42 करोड़ रुपया हम प्लान के लिए ले रहे हैं। इससे आपको अन्दाजा होना चाहिये कि भारत सरकार से लेने में हमने किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं की है। जितना हम ले सकते थे, जितना प्रयत्न हम कर सकते थे वह करके हमने लिया है। एक प्रश्न यहां यह उठाया गया

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

है, एन. डी. सी. में दो हजार करोड़ रुपये का डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन था। कई माननीय सदस्यों की राय थी कि गाडगिल फार्मूले से पैसा मिलना चाहिये था। इनकम और पापूलेशन, दोनों के एड्जस्टमेंट के आधार पर पैसा मिला है। यह बात मैं मानता हूं कि अगर गाडगिल फार्मूले से पैसा मिलता तो 115 या 116 करोड़ रुपये की आय होती और भारत सरकार ने जो फार्मूला इवाल्व किया उसके हिसाब से 103 करोड़ रुपये मिले। इसकी मैं जानकारी देना चाहता हूं जिस समय नेशनल डवलपमेंट कौंसिल में एक क्वेश्चन खड़ा हुआ कि सैन्ट्रल सपोन्सर्ड स्कीमों में भारत सरकार का हस्तक्षेप ज्यादा है। इसको मद्देनजर रखते हुये 6 हजार करोड़ रुपया पूरा लेकर जनरल में डाल दिया जाये। स्टेट्स में उनका डिस्बर्समेंट हो। वह आधार क्या हो। हमने यह देखा यह 6 हजार करोड़ रुपया पूरा सैंट्रल स्पान्सर्ड स्कीम से निकाल कर यदि किसी फार्मूले के आधार पर राजस्थान को मिलता है तो मेरा अनुमान था कि सैन्ट्रल स्पान्सर्ड स्कीम, जैसा कि आपको बताया, में 79-80 में हम ज्यादा पैसा ले रहे हैं तो हमारा मकसद इससे सिद्ध नहीं होता था। आज सारी सैन्ट्रल स्कीम का पैसा जनरल में डाल कर सारी स्टेट्स को डिस्सवर्समेंट किया जाये। बैलेन्स्ड व्यू लिया जाये। 2 हजार करोड़ रुपया निकाला जाये। जिस समय यह बात आई उस समय हमने स्पष्ट कहा कि फाइनेन्स कमीशन के अवार्ड के अनुसार जिन स्टेट्स का रेवेन्यू सरप्लस कम रह गया है या 14 स्टेट्स में एवरेज में कम रह गया है, यह दो हजार करोड़ रुपया लेकर उस कमी को पूरा किया जाये। एन. डी. सी. में डिबेट हुई। इसके लिये एक सब कमेटी अपाइंट की गई। सारा विवाद चलता रहा। यह बंटवारा किस आधार पर करें। वर्किंग ग्रुप बना। 8 राज्यों के मुख्य मंत्री थे। राजस्थान से मैं था। कोई कामन फार्मूला बने। 8 राज्यों में, राजस्थान, केरल, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडू, यू० पी०, उड़ीसा आदि। यह तय किया गया कि सारा 2 हजार करोड़ रुपये का बंटवारा इस आधार पर हो कि कृषि का हमारा जो गैप है वह आल इण्डिया लेवल तक पहुंच जाये। एन० डी० सी० के अन्दर सारे मामले को रखा गया, परिणाम यह निकला कि जिन स्टेट्स के अन्दर अपने रिसोर्सेज हैं जैसे पंजाब, भारत सरकार पैसा दे या न दे, वह सारी योजनायें, अपने रिसोर्सेस से योजनाओं का भावी भार लेकर चल रहे हैं। हरियाणा की भी यही स्थिति है। गुजरात की भी यही स्थिति है भारत सरकार पर निर्भर नहीं करते। जब अपनी स्टेट को हिस्सा मिलने की बात आती है, एडवांस्ड स्टेट ने भी ग्रुप खड़ा कर दिया, इसका हिस्सा हर राज्य को मिलना चाहिये। कई आरोप-प्रत्यारोप लगाये गये कि स्टेट्स टैक्स मोबीलाजेशन नहीं करते, एडमिनिस्ट्रेशन ठीक नहीं रखते। जनरल कांशस यह बनी; यह 2 हजार रुपये का बंटवारा सभी राज्यों में करना पड़ेगा। कई फार्मूले डिस्कस हुए। अन्त में एन. डी. सी. में टोटल इन्कम असेस की और हमको 103 करोड़ रुपया मिला। हम गाडगिल फार्मूले के आधार पर मांग करते थे, 115 करोड़ रुपया दिया जाय। मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा, माननीय परसराम जी ने व्यंग्य से बात कही थी कि हम 600 करोड़ रुपये के

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

ऊपर नजर लगाकर बैठे हुए हैं। मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, यदि यह घोषणा करूं कि कितना रुपया मिलने वाला है तो उपयुक्त नहीं होगा लेकिन सदन को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 600 करोड़ रुपया जो योजना कमीशन के पास बचा है उसका अधिकांश भाग रेवेन्यू गैप को पूरा करने के लिये उड़ीसा और राजस्थान को मिलेगा और बाकी बचा हुआ दूसरे राज्यों को मिलेगा। इस आधार पर निवेदन करना चाहता हूं जितने भी प्रयास किये हैं, प्रयासों में किसी भी स्टेज पर हमने कोई कमी नहीं की है। फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट को देखा होगा। एक तरफ टोटल पापूलेशन की एक तरफ पावर्टी लाइन को बेस बनाया। हमने जो रिपोर्ट दी थी उसके आधार पर लगभग 56 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा से नीचे के लोग हैं। इसके अन्तर्गत फाइनेंस कमीशन ने जो डिस्बर्समेंट किया है उसमें कुछ कमी की है। उस कमी को लेकर हमने एन. डी. सी. में विरोध किया। रथ और डाडेकर का जो फार्मूला था, एन. डी. सी. ने रिजेक्ट कर दिया और यह फैसला कर दिया। इस फार्मूले के कारण जो कमी रही हैं उन कमियों की पूर्ति किस प्रकार की जाय। गरीबी की रेखा से नीचे वास्तव में कितने लोग निवास करते हैं उसके लिये एक कमेटी नियुक्त की है। उस कमेटी का निर्णय आने तक या निर्णय आने के बाद इस क्षेत्र में निश्चित रूप से सहायता मिलेगी। यह आधार है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, मैं सदन के माननीय सदस्यों से कोई दावा नहीं करता कि मेरा भारत सरकार पर ज्यादा प्रभाव है, मैं इतना दावा जरूर कर सकता हूं कि राजस्थान के हित में भारत सरकार से जितना लाया जा सके, उसके लाने में, कोशिश करने में किसी प्रकार की कमी नहीं रखूंगा। मैं इसमें नहीं जाना चाहता कि इतना कम मिला या इतना ज्यादा मिला, टोटल देखना चाहिये। टोटल देखने से आपको विश्वास हो जायेगा कि पिछले वर्षों के मुकाबले हम बहुत ज्यादा भारत सरकार से लाये हैं। मैं यह चाहता था, अध्यक्ष महोदय, हमने बजट स्पीच में फाइनेन्स कमीशन की बात और बाकी की बात जान बूझ कर रखी थी और रख कर विरोधी दल के माननीय सदस्यों को यह मौका दिया था कि इस बारे में सरकार के हाथ मजबूत करें। स्थिति यह रही कि हाथ मजबूत करने के बजाय यह कोशिश की गई कि सरकार को किस प्रकार लांछन लगा कर कमजोर किया जाये, इस बात की चेष्टा की गई है। आप को यह कहना चाहिये था कि राजस्थान की सरकार को ज्यादा पैसा देना चाहिये, भारत सरकार को ज्यादा पैसा देना चाहिये। फाइनेन्स कमीशन ने जो कमियां रखीं उनकी पूर्ति आपकी ताकत को लेकर भारत सरकार से संघर्ष करता। अब मेरे पास केवल जनता पार्टी की ताकत है........

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप जब विरोध पक्ष में थे इसी तरह से विरोध किया करते थे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिये निवेदन कर रहा था कि आखिर फाइनेन्स कमीशन हो या भारत सरकार हो। यदि उन लोगों के सामने समस्या रखी जाय तो उसका हल निश्चित रूप से होता है। माननीय माथुर साहब जानते हैं जिस

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)
समय गाडगिल फार्मूला आपने स्वीकार किया था, इस सदन में चर्चा हुई थी और उसका हमने विरोध किया था। आपने कहा था कि गाडगिल फार्मूला बहुत उपयुक्त है लेकिन इस फार्मूले के इस आधार पर हमने आलोचना की थी, मुझे याद है जब मैं विधान सभा का सदस्य था और विरोध में बैठता था, विरोध किया था और विरोध इसलिये किया था कि उस फार्मूले के अनुसार 60 पर्सेन्ट पापूलेशन के आधार पर पैसा मिलता था और वह पापूलेशन का आधार नहीं होना चाहिये, क्षेत्र का आधार होना चाहिये। 60 पर्सेन्ट को घटा कर 50 पर्सेन्ट पापूलेशन के बेसिस पर और 10 परसेन्ट एरिया के आधार पर मिलता है तो राजस्थान की स्थिति बेहतर होगी। इसको भारत सरकार ने स्वीकार नहीं किया और इसलिये स्वीकार नहीं किया कि जिन राज्यों की पापूलेशन ज्यादा है वे हमेशा यही कोशिश करते हैं कि पापूलेशन के फैक्टर को कम नहीं किया जाय लेकिन एक फैक्टर जरूर है कि अब हमारा उसमें 10 पर्सेन्ट रखा हुआ है, क्योंकि हमने कहा कि इस खाते में तो हमें कुछ नहीं मिलता। उनका कहना यह रहता है कि टैक्स एफर्ट्स नहीं किये और यदि किये तो उस मात्रा में नहीं किये कि इस 10 पर्सेन्ट के आधार पर हम ज्यादा से ज्यादा धन ले लें।

गाडगिल फार्मूले के आधार पर जहां टैक्स एफर्ट्स का प्रश्न आता है उन सबका टोटल नतीजा यह निकला जितना धन मिलना चाहिये था, नहीं मिला। मैं माननीय सदस्यों से जानना चाहूंगा हम अपनी तरफ से प्रस्ताव रखेंगे कि इस गाडगिल फार्मूले में क्षेत्र को भी महत्व दिया जाय। आज राजस्थान में कितना ही रुपया लाया जाय यदि हम जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, जोधपुर का विकास करना चाहते हैं तो इतना पैसा खर्च होता है कि जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। शहरों के पास हास्पिटल खोल दें तो शहर के आस पास की जनता लाभ उठा सकती है लेकिन यदि जैसलमेर में या किसी छोटे कस्बे में डिस्पेन्सरी खोलते हैं तो वहां कम लोग उसका लाभ उठा सकते हैं। यदि सड़क बनाते हैं तो उसका लाभ भी उतना नहीं मिलता है, बिजली देते हैं तो वह भी रेमुनरेट नहीं होती क्योंकि सारा राजस्थान पिछड़ा क्षेत्र है और इस पिछड़े क्षेत्र के विकास के लिये, इस इन्फ्रा स्ट्रक्चर के लिये भारत सरकार को पैसा देना चाहिये। मैं चाहूंगा, आगे समय आने पर माननीय सदस्य इस बात के लिये तैयार होंगे कि भारत सरकार पर मिल कर दबाव डालें कि हमारे क्षेत्र की समस्यायें विशेष और उन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, हमने 235 करोड़ का प्लान बनाया और केवल इसको 235 करोड़ पर ही नहीं छोड़ा, इसको भी हमने बढ़ाया है। जैसा कल मैंने निवेदन किया था कि फूड फार वर्क कार्यक्रम में 28 करोड़ रुपया इन्स्टीट्यूशनल फाइनेन्स से लेना चाहा है। आप आंकड़े देख लें जो इन्स्टीट्यूशनल फाइनेन्स से पिछले सालों मे मदद नहीं मिलती थी उससे ज्यादा इस साल हमने लिये हैं। इसी तरह बैंक का लोन स्टेगनेन्ट हो गया था, हमने बैंकों से भी बातचीत की और भारत सरकार द्वारा बैंकों पर दबाव डलवाया और आज उस रेश्यो में

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

आ गये हैं कि राजस्थान के बैंक लोगों को कर्ज देने को तैयार हो गये हैं। मैं बता दूं, राजस्थान का गरीब आदमी बैंक से कर्जा लेने का साहस नहीं कर सकता था और वह नहीं समझता था कि इसमें मेरा भी हिस्सा है और मुझे भी बैंक से रुपया मिलना चाहिये लेकिन आज वह इस बात को समझ गया है कि मुझे भी बैंक से कर्जा मिल सकता है। आपको यह जान कर भी खुशी होगी कि बैंक हमेशा गारन्टी और सिक्योरिटी का झगड़ा किया करता था कि जब तक लोन गारन्टी और सिक्योरिटी नहीं देगा उसको नहीं मिल सकता था लेकिन आज हमने यह भी व्यवस्था कर ली है कि यदि गरीब आदमी बैंक से कर्जा लेता है तो उसको किसी प्रकार की गारन्टी और सिक्योरिटी देने की आवश्यकता नहीं है। वह एक बोण्ड भर कर दे दें वही उसकी गारण्टी और सिक्योरिटी होगी। यदि गरीब आदमी पांच हजार का कर्जा लेना चाहता है तो उसे बैंक में पांच आदमियों को भी ले जाने की भी आवश्यकता नहीं होगी बल्कि जिस चीज के लिए वह पैसा ले रहा है उसको वह बैंक मोर्टगेज कर दे, उसकी वही गारण्टी और सिक्योरिटी होगी। अब राजस्थान के गरीब लोगों को भी बैंकों से पैसा मिलने लगा है। माथुर साहब, खेतसिंहजी साहब, आपके जमाने में गरीबों के लिए बैंक खुला हुआ नहीं था।

(व्यवधान)

मैं मानता हूं कि उस गरीबी में आप नहीं आते हैं आप कह सकते हैं कि व्यक्तिगत रूप से आपको कोई लाभ नहीं हुआ। वैसे भी कांग्रेस पार्टी को कर्जा मिलता तो उससे कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि कांग्रेस में गरीबों का सहयोग है ही नहीं। इसी कारण गरीबों को पैसा मिलता है तो आपका नाराज होना स्वाभाविक है।

श्री वृद्धिचन्द जैन : बैंकों का राष्ट्रीयकरण किसने किया ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप बहुत बोले हैं, अब हमको बोल लेने दीजिये। तो, अध्यक्ष महोदय, इस आधार पर मैं कहना चाहता हूं और एक प्रश्न यह उठाया गया कि फूड फार वर्क में काम कच्चे हुए हैं, मैं आज आपको जानकारी देना चाहता हूं, कल सदन में भी इसकी चर्चा हुई थी कि कई जिलों में अभी भुगतान बाकी है। मैंने उसी डिबेट का आधार लेकर हिन्दुस्तान के कृषि मन्त्री जी से बात की और मैंने बताया कि किसी तरह भी आप शाम तक 50 हजार अलाट कीजिये नहीं तो विधान सभा में इसका विरोध होगा। उन्होंने शाम होने तक के लिये आश्वासन दिया और बता दिया कि कितना अलाटमेंट चाहते हैं तो हम तो विधान सभा से लाभ उठाने का भरसक प्रयत्न करते हैं और उठाते हैं।

अब मैं निवेदन करना चाहूंगा जितने कच्चे काम हुए हैं, उनके बारे में चिन्ता आपकी भी स्वाभाविक है और हमारी चिन्ता भी स्वाभाविक है। जो कच्चे काम हुए हैं उनको हम पक्का नहीं कर पाये तो जो कुछ इन्वेस्टमेंट हुआ है वह बेकार हो सकता है। इसी आधार हमने पी० डब्ल्यू० डी० से और डी०पी०ए०पी० से पैसा एक जगह इकट्ठा करवा लिया जो उन सड़कों को पक्का कराने के काम में लिया जायगा और उन सब

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)
कच्ची सड़कों को पक्का करवाने की बात कर रहे हैं। पी० डब्ल्यू० डी० में जितना फेमिन रिलीफ में काम आ सकता है, उस पैसे से हम पक्का करने की बात कर रहे हैं ताकि वे सारे काम राजस्थान के असेट्स के रूप में बने रहें और उनका कामों का किसी प्रकार डेटिरियोरेशन न हो। मैं इस आधार पर यह भी निवेदन करना चाहता हूं, राजस्थान ने फूड फार वर्क का ही काम नहीं किया बल्कि हर क्षेत्र में प्रगति करने की कोशिश की है। मैं उदाहरण के लिये कहना चाहता हूं 1969 से 77 तक इन 8 वर्षों में, माननीय खेतसिंहजी याद करिये, आर. आइ. एम. डी. सी. से केवल आपने 10 करोड़ का अनुबन्ध किया था। अब हमने वर्ष 77-78 और 78-79 में केवल इन दो सालों में ही 24 करोड़ का अनुबन्ध आर. आई. एम. डी. सी. से किया है। आप स्वयं भी विचार कर सकते हैं कि कितनी प्रगति इन दो सालों में हुई है। आर. एफ. सी. और आर. आई. एम. डी. सी, ने 15 करोड़ की सहायता पिछले वर्ष दी है जो कि पहले के मुकाबले में 45 प्रतिशत अधिक है। मैं समझता हूं इसको सुन कर हर आदमी को खुशी होगी। अब मैं आपको एक जानकारी और भी देना चाहता हूं कि अब आर. एफ. सी. से 98 प्रतिशत लोन छोटे उद्योगों को मिल सकता है। यदि हम यह समझते हैं कि राजस्थान का औद्योगिक दृष्टि से विकास करना है तो जब तक इन छोटे उद्योगों को नहीं पनपायेंगे तब तक राजस्थान का सही विकास नहीं हो सकता है। हम केवल बड़े प्रोजेक्ट्स के पीछे ही रहे उससे वास्तविक विकास राजस्थान का होने वाला नहीं है। बड़े उद्योगों का कितना पोटेन्शियल होगा, कितना मनी उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा? इन सबमें समय भी काफी लगता है और जिस मात्रा में लाभ मिलना चाहिये उतना नहीं मिल पाता है इसलिये हमने प्रयत्न किया कि राजस्थान में छोटे उद्योग स्थापित किये जायं। आर. एफ. सी. ने 98 प्रतिशत अपना लोन इन छोटे उद्योगों को देना तय किया है।

मैं एक जानकारी और देना चाहता हूं। जैसा कि कहा गया है कि जनता पार्टी की सरकार में जो लोग है वे पूंजीपतियों के साथ है। यदि हम पूंजीपतियों के साथ होते तो आर. एफ. सी. का लोन जैसा पहले देते थे, पूंजीपतियों को ही जाता। हमने केवल राजस्थान में गरीब आदमियों को किस प्रकार लोन मिले और किस प्रकार उनको प्रोत्साहन मिले, इसकी चिन्ता की है। इसका मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। राजस्थान स्टेट स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन पहले केवल 40 प्रतिशत माल छोटे उद्यमियों से लेता था और राजस्थान स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज कार्पोरेशन 60 प्रतिशत माल बिचौलियों से खरीदता था। आज आपको जान कर यह खुशी होगी कि 95 प्रतिशत माल सीधे दस्तकारों और इन छोटे उद्यमियों से खरीदा जाता है और बिचौलियों का सफाया कर दिया गया है। आप नाराज तो होंगे कि बिचौलियों का सफाया कर दिया है लेकिन मेरी मजबूरी है। हमने राजस्थान से इन बिचौलियों को दूर कर दिया है और इसके लिए आप मुझे क्षमा करें। बिचौलियों की वकालत आप कर सकते हैं, मैं नहीं करता और इसलिए मैं तो केवल माफी मांगना चाहूंगा।

इसी प्रकार, अध्यक्ष महोदय, इंडस्ट्रियल सैंटर्स हैं। 9 जिलों के अन्दर इंडस्ट्रियल

(१००)

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

सैंटर्स हमने खोले और सारा जो राजस्थान है उसके अन्दर भी हम ध्यान देंगे। मैं आपको सामने आंकड़े दूंगा उससे यह पता चलेगा कि इंडस्ट्रियल सैंटर्स के लिये भी हमने कितने अधिक काम किये हैं, कितने यूनिट खोले हैं। पहले जहां 77-78 में 2253 स्थायी यूनिट, परमानेंट यूनिटें लगाई गई और 1184 अस्थाई यूनिटें लगाई गई हैं उसी प्रकार से 78-79 में 4128 अस्थायी यूनिटें राजस्थान में लगी हैं और 1727 यूनिटें स्थायी रूप से राजस्थान में लगी हैं। इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि राजस्थान किस प्रकार से उद्योगों के लिये काम कर रहा है।

मुझे ज्यादा अफसोस इस बात से हुआ कि जब हमारे भूतपूर्व मुख्य मन्त्री ने कहा और बड़े दम्भ के साथ कहा कि हमने 72 से लेकर 77 तक केवल 27 करोड़ रुपयों के एडीशनल रिसोर्सेज का मोबीलाइजेशन किया है और आपकी गवर्नमेंट के द्वारा केवल 31 करोड़ के एडीशनल रिसोर्सेज मोबीलाइज करने की बात है। और यहां तक कह दिया कि इसके मुकाबले में हम क्या रिकार्ड कायम कर रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हम तो जो कुछ रिकार्ड कायम कर रहे हैं वह आपके सामने है, हम राजस्थान में रिकार्ड बनाना चाहते हैं जिस राजस्थान में पिछले तीस वर्षों में आप लोगों ने एडीशनल रिसोर्सेज मोबीलाइजेशन में कुछ नहीं किया, उसी का परिणाम था कि योजनाओं का आकार छोटा हो गया, दूसरे राज्यों के मुकाबले में राजस्थान छोटा रह गया। आप, माथुर साहब, एक बात को निश्चित रूप से समझ लें कि एक बार किसी न किसी गवर्नमेंट को अनपापूलर होना पड़ेगा, आलोचना का शिकार होना पड़ेगा। मैं आलोचना का शिकार हो जाऊं इसकी चिन्ता की बात नहीं है लेकिन राजस्थान अन्य प्रदेशों से आगे चला जाय, राजस्थान का पिछड़ापन दूर हो जाय और राजस्थान के लोग कह दें कि राजस्थान, हरियाणा, पंजाब या किसी और प्रदेश से किसी प्रकार पीछे नहीं है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।....

श्री मथुरादास माथुर : अभी इलेक्शन बहुत दूर हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इलेक्शन में तो मैं सोचता हूं कि यह फूड फोर वर्क ही आपको चौपट कर जायेगा, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं होगी। इसलिये मैं आप लोगों को चेता रहा हूं, मुझे फूड फोर वर्क का दर्द आपका मालूम है और यह फूड फोर वर्क आपकी जड़ें खोद रहा है और हमारी जड़ें गहरी कर रहा है........

श्री जयकृष्ण शर्मा : हम कहते हैं कि यह सद्बुद्धि आपकी बरकरार रहे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : राजस्थान के लिए जो कुछ किया गया है उसके आधार पर मैं इस सम्बन्ध में आपसे निवेदन कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय, यहां पर दो तीन प्रश्न एडीशनल रिसोर्सेज मोबीलाइजेशन के प्रश्न को लेकर उठाये और खास तौर से करों को लेकर बड़ी आलोचना की गई। यह आलोचना करते-करते यहां तक कह गये की

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

बजट व्यापारियों का बजट है। इस बजट में व्यापारियों को राहत दी गई। हमने जो कानून में संशोधन करने की बात की, जो इम्प्रिजनमेंट का प्रावधान था कानून में उस इम्प्रिजनमेंट को पैनल्टी में कन्वर्ट करने की बात की है, उसको लेकर कई माननीय सदस्यों ने कह दिया कि यह व्यापारियों की सरकार है। मैं पूछता हूं यह कानून कब बना? इमर्जेन्सी के दिनों में। और इमर्जेंसी से लेकर आज तक इस सदन को जानकारी होगी कि एक भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया गया। केवल इस कानून का डर बिठाया गया और डर राज्य की आय बढ़ाने के लिए नहीं बिठाया गया। किस की आय बढ़ाने के लिए डर बिठाया गया यह आप भी जानते हैं लेकिन सरकार की आय बढ़ाने के लिए डर नहीं बिठाया गया। कानून के अन्दर जो यह इम्प्रिजनमेंट का प्रावीजन है उसको अगर गहराई से देखें तो एक लाख से ऊपर जिस व्यापारी का टर्न ओवर है और जो रजिस्ट्रेशन नहीं कराता है उसके इम्प्रिजनमेंट का प्रावीजन किया गया। इसके आधार पर पहले उसको सजा हो और सजा होने के बाद उसका रजिस्ट्रेशन हो और रजिस्ट्रेशन होने के बाद हम पैनल्टी वसूल कर सकते हैं। पाँच छः वर्षों तक हमको इन्तजार करना पड़ेगा पैनल्टी लेने के लिए। उसको सजा हो या नहीं हो, फिर भी पांच छः साल तक इन्तजार करना पड़ेगा। हमने केवल यह संशोधन किया है कि हम उस सजा के प्रोवीजन को हटायें और पैनल्टी के प्रोवीजन को लागू करें ताकि एक लाख से अधिक जिसका टर्न ओवर है उसका रजिस्ट्रेशन हो और पैनल्टी के रूप में सरकार को पैसा मिल सके। अब सदन ही जानकारी कर ले कि यह व्यापारियों के हित में किया गया है या व्यापारियों के अगेंस्ट में किया है। जो व्यापारी टैक्स की चोरी करता है उस चोरी को रोकने के लिए किया गया है या चोरी को प्रोत्साहन देने की गरज से किया गया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रश्न पर यदि आप कोई चर्चा करना चाहेंगे कि यह व्यापारियों के फायदे के लिए किया गया है तो मुझे ऐसा लगता है कि या तो खेतसिंह जी अनभिज्ञता के कारण बोल गये हैं या कोई न कोई व्यापारियों की इस नाम से यह मांग रही है कि पांच छः वर्ष तक टैक्स चुकाने से बच जाते हैं वह तुरन्त हम से पैसा वसूल करने की जो सरकार तैयारी कर रही है, उससे हमें किसी प्रकार से मुक्ति मिल जाय।

दूसरी बात यह कही गई कि जो हमने 12 पर्सेंट से 15 पर्सेंट रेट आफ इंट्रेस्ट की बात की है और 18 पर्सेंट से घटा कर 15 पर्सेंट कर दिया है उसके कारण व्यापारियों को बहुत बड़ी राहत मिली है। मैं ऐसा समझता हूं कि जहां 12 पर्सेंट से 15 पर्सेंट किया है और ऊपर 18 पर्सेंट से घटा कर 15 पर्सेंट किया है उसके पीछे यही भावना है कि एक पाइन्ट पर आकर हम सारा रुपया वसूल कर सकें। मैं ऐसा समझता हूं कि आपकी भावना यह रही है कि राज्य की आमदनी में किसी प्रकार से भूल से भी कमी नहीं हो, बढ़ोतरी होती रहे। तो मैं वित्त मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि उस 18 पर्सेंट को तो 18 पर्सेंट ही रखें और जो 12 पर्सेंट किया गया है उसको 15 पर्सेंट कर दें ताकि हमारी आय में किसी प्रकार की क्षति नहीं रहे।

(102)

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

अध्यक्ष महोदय, यहां पर सिंचाई शुल्क के बारे में बड़े जोर शोर से बातें कही गई और यह कहा गया कि जनता पार्टी की सरकार ने यह सारा बजट किसान विरोधी बजट बनाया है। आपने सारे बजट को देखा होगा। इस बजट में 67 पर्सेंट रुपया गांवों के लिए खर्च हो रहा है। आपको यह भी पता होगा कि आज तक गांवों में स्कूल और दवाखाने खोलने के लिए कोशिश नहीं की गई।

(व्यवधान)

आप सुनते जाइये। जो दो वर्षों में हमने खोले हैं उसके अनुपात में आपने नहीं खोले। आज स्कूल और दवाखाने खोले गये हैं तो वे केवल गांवों में खोले हैं और इस पर भी श्रीमान मथुरादास जी माथुर यह कहते हैं कि गांवों में स्कूल इसलिए खोल दिये गये कि उनमें आर. एस. एस. की शाखायें लगाई जा सकें। माथुर साहब गांवों के अन्दर जहां तक आप पहुंच सकते हैं, आर. एस. एस. उतनी दूर तक नहीं पहुंच सकता है। इसलिए हमारा दृष्टिकोण यही रहा है कि हम तो गांव वालों को स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं। यह कहना कि गांव वाले स्कूल में नहीं पढ़ें या स्कूल में पढ़ेंगे तो आर एस. एस. के होंगे, दोनों में से आप तय कर लें कि आर. एस. एस. के डर से गांव वालों को पढ़ने की इजाजत देना चाहते हैं या नहीं या गांव वालों को अनपढ़ रखा जाय। आप इस आधार पर मंजूर करेंगे कि गांवों में स्कूल खोले जायं, गांवों में स्कूल खुलें और दवाखाने गांवों में खुलें।

श्री श्योपतसिंह मकासर : आप तो स्कूल खोलिए, आर. एस. एस. को ये देख लेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इनकी ही बात कह रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैंने अभी आंकड़े दिए थे सिंचाई और विद्युत विभाग के। यहां पर आंकड़ों के आधार पर मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज तक बिजली का कितना तार हुआ है, इसका भी थोड़ा बहुत अन्दाजा आपको होगा कि 1977 में मार्च, 77 तक आपने केवल 127 स्कीम्स मंजूर कराईं। केवल 127 और हमने 1977–78 में 5-3-79 तक आर. ई. सी. की 73 स्कीमें मंजूर कराई है। इससे आपको अन्दाजा लगेगा कि बिजली का कितना विस्तार हो रहा है। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि इलेक्ट्रिक कंजम्पशन के आधार पर जिस प्रकार से प्रतिशत बढ़ा है उससे आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि राजस्थान में बिजली के मामले में काफी विस्तार हो रहा है। यह बिजली शहरों में ही काम में आती हो ऐसी बात नहीं है, आज गांवों में भी बिजली ज्यादा जाती है। आज तो गांवों में भी लोग बिजली का उपभोग कर रहे हैं, शिक्षा का उपभोग कर रहे हैं, सड़कों का उपभोग कर रहे हैं, चिकित्सा सुविधा का उपभोग कर रहे हैं। इस आधार पर चर्चा करना आवश्यक था और इसी आधार पर मैंने यह बात कही है। माननीय माथुर साहब, आपको पश्चाताप होगा, आपको याद होगा कि इसी सदन में एक बार इस बात की चर्चा हुई थी कि भाखरा से जो बिजली जनरेट होती थी उसमें 25 मेघावाट बिजली

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

कामन पूल से जनरेशन कास्ट पर हमको मिलेगी और इसी शर्त पर मिलेगी कि हमारे यहां फर्टीलाइजर प्लाण्ट हो। इस तरह की बिजली लेना चाहें तो 1966 में, दिसम्बर 1966 में सैकिंड यूनिट आपरेट करने लगा और उसके तुरन्त बाद 25 मेगावाट बिजली मिलनी चाहिए थी लेकिन माननीय वृद्धिचन्द जी, आपको याद दिलाना चाहता हूं जब कि पब्लिक अण्डरटेकिंग कमेटी में था आप अच्छी तरह से जानते हैं, हमने कहा, 25 मेगावाट बिजली राजस्थान को मिलनी चाहिये। इसका मतलब लगभग सवा करोड़ रुपया सालाना की आय जनरेशन कास्ट पर लें, इसके अन्दर 1·20 करोड़ आती है वह सारी बिजली जिन लोगों को मिलनी चाहिये थी उनको आप लोगों ने नहीं देने दी। आप चर्चा करते हैं कि जनता पार्टी पूंजीपतियों से मिली हुई है मगर आपकी सरकार ने श्री राम फर्टीलाइजर से समझौता करके 35 मेगावाट की परमीशन दी, इसका नतीजा यह निकला कि गये वर्ष तक हम 25 मेगावाट बिजली भाखरा कामन पूल से नहीं ला सके और राजस्थान को 10-12 करोड़ का घाटा हुआ। हमने भाखरा कामन पूल से 25 मेगावाट बिजली गये साल से देना शुरू किया। पूंजीपतियों के विरोध करने की बात आपको अपना मुंह शीशे में देख कर कहनी चाहिये जिससे आपको अन्दाजा हो जायेगा।

एक माननीय सदस्य : आप उनको शीशा दिखा रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं निवेदन करना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, जो हमने 25 प्रतिशत सैटलमेंट रेट बढ़ाई, माननीय सदस्यों ने उसका भी विरोध किया है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पिछले वर्षों में जिन 4-5 जगहों पर सैटलमेंट हुआ वहां 183 प्रतिशत रेट्स बढ़ी हैं। आप अन्दाजा लगावें कि 25 प्रतिशत इसके सामने कुछ भी नहीं है। 20 वर्षो से सैटलमेंट हुआ। 20 वर्षों के बाद में 3 वर्षों को छोड़ कर कोई सैटलमेंट नहीं हुआ है तो वहां पर हमने केवल 25 प्रतिशत बढ़ाया है। भूतपूर्व राजस्व मंत्री जी जानते हैं कि 25 प्रतिशत टैक्स बढ़ाने का प्रावधान है। सदन में इस बात की चर्चा हुई कि सैटलमेंट होना चाहिये। मैं समझता हूं कि कई गांवों में अकाल पड़ा और सीकर, झूंझुनू और बीकानेर जिलों में फसल को कातरा खा गया, कातरे ने जिस प्रकार से फसल को चौपट किया वह आपसे छिपा नहीं है। उनको हमने राहत दी है। वित्त मंत्री जी से मैं अपनी ओर से निवेदन करना चाहूंगा कि वहां जो 25 प्रतिशत का टैक्स बढ़ाया है, लैण्ड रेवेन्यू बढ़ाया है वह समाप्त कर दें। अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि गंगानगर से, कोटा से आने वाले माननीय सदस्यगण इरिगेशन सैक्टर से आने वाले माननीय सदस्य सिंचाई शुल्क में जो बढ़ोतरी की है उस पर आपत्ति कर रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा कि इस आपत्ति का बेस क्या है, इसके बाद जो कुछ तथ्य है मैं आपके सामने रख दूंगा। मैं निवेदन करना चाहूंगा, राजस्थान में 159 लाख हैक्टेयर जमीन पर खेती होती है, इसमें 31·50 लाख हैक्टेयर यानि 20 प्रतिशत भाग में सिंचाई होती है। इस सिंचाई के भाग में तालाबों, नहरों से 15·50 लाख हैक्टेयर जमीन सिंचित होती है और कुओं से 16 लाख हैक्टेयर जमीन पर

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

सिंचाई होती है। केवल 10·5 प्रतिशत काश्तकारों को नहरी सुविधा मिलती है। सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने में राजस्थान सरकार का खर्चा 1 हैक्टेयर पर 675) रुपये खर्च होता है और उस पर हम वसूल कर रहे हैं केवल 55 रुपये। 1 हैक्टेयर का रख रखाव, उसका संचालन, उसका ब्याज, इसके लिये खर्चा करना पड़ता है 675 रुपये और वसूल करते हैं 55 रुपये। अब हमने जो रेट्स दी हैं उनके आधार पर वसूल कर रहे हैं, 66·50 रुपये 55 रुपये के अगेन्स्ट में मिलते हैं। अब प्रश्न आता है 10·10 प्रतिशत जो काश्तकार इस सिंचाई सुविधा का लाभ उठाते हैं उनको सब्सिडाइज हम कर रहे हैं। इसका खर्चा पानी लेने वाले लोग भी भुगतें या राजस्थान की बाकी की 90 प्रतिशत भुगते........

श्री श्योपतसिंह मकासर : मेरा एक सवाल है मुख्य मंत्री महोदय........

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप जो कहना चाहते हैं वही मैं कहूंगा। इस सिंचाई से जो पैदावार होती है, जो अनाज का उत्पादन होता है उससे अनाज की समस्या का समाधान होता है तो इन्डायरेक्ट टैक्सेज के आधार पर जो इन्कम होती है, इन्डायरेक्ट टैक्सेज का भार तो पूरे राजस्थान की जनता पर पड़ता है तो जितना खाद्यान का उत्पादन होता है उसका लाभ पूरी जनता को मिल रहा है, तो आज जो कूवों से सिंचाई होती है उसका 400 से लेकर 600 रुपया प्रति हैक्टेयर तक खर्चा आता है और सिंचाई पर लेते हैं केवल 55 रुपया प्रति हैक्टेयर। इन दोनों में कोई तालमेल नहीं है इसलिये आज एक किसान भी कह सकता है कि इससे उसे कितना बेनिफिट हो रहा है। तो इस बात पर कभी न कभी इस सदन को भी विचार करना पड़ेगा कि 10 प्रतिशत काश्तकारों को जो लाभ मिलता है उसके कारण सरकार को जो घाटा हो रहा है उसकी पूर्ति 90 प्रतिशत किसानों को करनी चाहिये या 10 प्रतिशत किसानों को। तो यह जो एक 90 प्रतिशत का विसियस सर्किल बन गया है इससे राजस्थान को निकालना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं किया गया तो मैं सदन को जानकारी देना चाहूंगा कि 10 प्रतिशत जिन लोगों के पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है वह कोई बढ़ने वाली नहीं है। राजस्थान को अब केवल गंगा यमुना का पानी ही मिल सकता है। नर्मदा से पानी हम ले रहे हैं, भाखरा से पानी हमें मिल रहा है। अब यदि कोई पानी का साधन रहा है तो गंगा और यमुना का है। बाकी कोई साधन नहीं बचा है। ऐसी स्थिति में आपको इस विशाल दृष्टिकोण से विचार करना पड़ेगा। राजस्थान के इन बाकी काश्तकारों को भी सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना चाहते हैं तो आपको विचार करना पड़ेगा कि अब पानी लिफ्ट सिंचाई योजनाओं से ही मिल सकता है और लिफ्ट सिंचाई की कोस्ट ज्यादा होगी। आप राजस्थान के चहुंमुखी विकास की चिन्ता करते हैं। अगर राजस्थान में सिंचाई का क्षेत्र ज्यादा से ज्यादा बढ़े तो हमें यह फैसला करना पड़ेगा कि जिन लोगों को सिंचाई का लाभ मिलता है और जिन लोगों को सिंचाई का लाभ नहीं मिल रहा है इसकी आम जनता में कोई आपत्ति नहीं होगी। अगर हमने यह रास्ता नहीं अपनाया तो चाहे पानी की बात हो, चाहे बिजली की, चाहे पेय जल की, पानी के विकास की बात

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

हो, राजस्थान में जितनी हम प्रगति करना चाहते हैं उतनी प्रगति नहीं कर पायेंगे, हमारा सारा काम ठप्प हो जायेगा। राजस्थान में इन्फ्रा स्ट्रक्चर तैयार नहीं होगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि सिंचाई की उपलब्धियों का भार राजस्थान की गरीब जनता, गरीब किसान पर न पड़े। इसके लिये भी हम व्यवस्था करना चाहेंगे। इसके लिये सैल सिस्टम के आधार पर इसको इन्ट्रोड्यूज कर दें, इरिगेशन की इंटेंसिटी का बेसिस बना कर यह सिस्टम इंट्रोड्यूज करें जिससे गरीब काश्तकार बच जाय और धनी काश्तकारों पर ज्यादा से ज्यादा भार पड़े। जिस प्रकार वेस्ट बंगाल में टैक्स स्ट्रक्चर बनाया गया है, गरीबों को कम और अमीरों को ज्यादा, इस पर हम विचार कर रहे हैं कि बंगाल के पैटर्न को राजस्थान में लागू कर दें तो मैं समझता हूं कि आप सभी लोग इसका समर्थन करेंगे। मैं इस स्थिति में, अध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक इन्फ्रा स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है, माननीय सदस्यों ने अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं इसके लिये मैं समझता हूं कि यातायात मन्त्री जी, जल प्रदाय विभाग के मन्त्री जी ने काफी स्पष्टीकरण किया, बाकी स्थिति को माननीय वित्त मन्त्री जी देख रहे हैं।

श्री किशनसिंह भाटी : वेस्टर्न राजस्थान की भेड़ बकरियों का क्या होगा? इसके लिये माननीय मुख्य मंत्री जी बता दें कृपया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं समझता हूं, बीच में आप इंटरफीयर ना करें।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, इस सदन में राज्य कर्मचारियों के प्रश्न को लेकर माननीय सदस्यों ने कई बार आपत्ति की और सरकार का दुःख जानने की कोशिश की। इस सदन को जानकारी होगी कि हमने जब से शासन संभाला, हमने कोशिश की कि सरकारी कर्मचारियों में ज्यादा से ज्यादा संतोष रहे, कर्मचारी राज्य के हर काम के भागीदार बनें और मन से भाग लें। सबसे पहले आवश्यकता इस बात की होनी चाहिए कि सरकारी कर्मचारियों की ग्रीवान्सेज को जल्दी से जल्दी मीट किया जाय। हमने सरकारी कर्मचारियों के पास फार्म भेजे और फार्म भेज कर उनकी सब समस्याओं को जाना। आपको यह सुन कर खुशी होगी कि 1,80,000 शिकायतें हमारे पास आई। हमने एक अभियान चला कर एक लाख शिकायतों का निराकरण किया, और उसके कारण से आज सरकारी कर्मचारियों में काफी संतोष है।

मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि सरकारी कर्मचारियों........

श्री रामनारायण चौधरी : फिर सेक्रेटेरियट क्यों बन्द हुआ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह बन्द नहीं आप जाइये।

श्री राम नारायण चौधरी : आपने हाथ जोड़े।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने सरकारी कर्मचारियों के सामने हाथ जोड़े हैं तो कुछ बुरा नहीं किया। वह सरकारी कर्मचारी मेरे हैं। आपको सरकारी कर्मचारी इतनी दूर लगते हैं तो उसकी मुझे चिन्ता नहीं है। वह आपसे दूर हैं और दूर ही रहेंगे।

(१०६)

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते आदि सारों को रेगुलेराइज करने में और महंगाई भत्ता देने में एक वर्ष, डेढ़ वर्ष पहले लगभग 15–16 करोड़ रुपया खर्च किया गया है। इससे सरकारी कर्मचारियों की समस्याओं का काफी समाधान हुआ है। लेकिन इस सदन को जानकारी के लिए निवेदन कर दूं कि राणावत पे कमीशन के बाद राजस्थान में कोई पे कमीशन की नियुक्ति नहीं हुई है। 1979 में पे का रिवीजन हुआ। रिवीजन के बाद की स्थिति को हमने देखा कि इसमें इतनी एनोमोलीज हैं कि एक एक को लेकर सार्ट आउट करें और उनका समाधान निकालने की कोशिश करें तो एक एनोमोली को दूर करेंगे तो उसके कारण 2-3 एनोमोलीज और हो जायगी। इसलिए राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि सारी बातों का समाधान करने के लिए एक वेतन कमीशन की नियुक्ति कर दें ताकि वेतन सम्बन्धी सारी एनोमोलीज को दूर किया जा सके।

मैं साथ ही यह भी निवेदन कर दूं कि राजस्थान के 26 जिलों में से 14 जिलों में मकान का किराया भत्ता मिलता है और 12 जिलों में नहीं मिलता है। हमने इस सारी स्थिति को देखा है, और अन्य राज्यों की स्थिति को भी देखा है। जहां पर जिले का हैडक्वार्टर है वहां पर मकानों की समस्या व्यापक रूप से है। जहां पर कन्सेन्ट्रेशन आफ आफिसेज का होता है, वहां लोगों का ज्यादा कन्सेन्ट्रेशन होता है तो मकानों का किराया भी बढ़ता है। इसलिये राज्य सरकार ने यह फैसला किया है कि जिन जिलों में मकान किराया भत्ता मिलता है जिला केन्द्रों पर तो केन्द्रों जिला अन्य पर उन जिला केन्द्रों के समानान्तर मकान का किराया भत्ता दे दिया जाय। मैं समझता हूं कि वृद्धिचन्द जी जैन को इससे बहुत ज्यादा खुशी हुई होगी क्योंकि जब वह आ रहे थे तो बाड़मेर के कर्मचारियों ने उनसे यह मांग की थी कि वहां जाकर इस बात की मांग करें, लेकिन वृद्धिचन्दजी ने मांग नहीं रखी। कोई चिन्ता की बात नहीं....

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : मैंने आज ही स्थगन प्रस्ताव रखा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, अब मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस सारे बजट को आप यदि इन टोटेलिटी देखेंगे तो आप इस निष्कर्ष पर पहुचेंगे कि राजस्थान स्टेगनेन्सी से आगे निकला है और इसका हमने प्रयास किया है....

श्री रामनारायण चौधरी : यथास्थिति है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यथास्थिति तो आपकी है बजट की नहीं। आप तो जहां थे वहीं हैं। वहीं नहीं आप पीछे हट गये हैं। परसरामजी जहां बैठते थे उस बैंच पर आप बैठ गये हैं तो स्टेगनेन्ट तो आप हैं। आप पीछे हट गये हैं। श्री रामनारायण जी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप जिस तरह से पीछे हटे हैं राजस्थान की योजनाएं पीछे

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

नहीं हटेंगी। परसरामजी जिस तरह से आगे बढ़े हैं उस तरह से राजस्थान की योजनाएं आगे बढ़ेंगी।

मैं यह इसलिए निवेदन कर रहा था....

श्री रामनारायण चौधरी : परसरामजी पीछे रह गये या....

कई माननीय सदस्य : बैठ जाइये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, इस आधार पर मैं आप सब लोगों से निवेदन करना चाहूंगा....

श्री श्योपतसिंह मकासर : शराब के बारे में....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : शराब के बारे में भी बोलूंगा जब बोलने का अवसर आयेगा। आज नहीं।

मैं यह आप लोगों से निवेदन करना चाहता था कि विरोध पक्ष के नेता आलोचना करें और सरकार को सुझाव दें इसमें किसी को कोई शिकायत नहीं है। हम लोगों ने बजट में कमियां रखी हैं और भारत सरकार के सामने राजस्थान का प्रतिनिधित्व करने में किसी प्रकार की कोताई हुई है या कमजोरी दिखाई है उसकी आपको निश्चित रूप से आलोचना करनी चाहिये। मैं तो एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि हम एक प्रयास कर रहे हैं राजस्थान को पिछड़ेपन से आगे ले जाने के लिये उसमें आपका निश्चित रूप से हमें सहयोग मिले और राजस्थान के विकास की गति आगे बढ़े। इस उद्देश्य के साथ और भावना के साथ बजट हमने प्रस्तुत किया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब डिमाण्ड आयेगी तो जो माननीय सदस्यों के भाव हैं उनका जवाब दूंगा। आज इतना ही कह कर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री मदनसिंह दांता : अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव था। आप कुछ शराबबंदी पर बोलें। आज राजस्थान की जनता....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह काम तो हमने आपको सौंप रखा है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : आपकी और मेरी बात हो चुकी है आज।

श्री माननीय सदस्य : तो बैठ जाइये।

श्री आदित्येन्द्र (वित्त मन्त्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान सरकार का यह तीसरा बजट है। इससे पहले मैं माननीय सदस्यों को स्मरण कराऊं कि 6 सितम्बर सन् 77 को 1977-78 के परिवर्तित अनुमान पेश किये गये थे। उसके बाद मार्च, सन् 78 में 1978-79 के बजट अनुमान प्रस्तुत किये थे। इन तीनों ही बजटों को पढ़ने के बाद यह साफ हो जाता है कि जो 80 प्रतिशत जनता को हमने चुनाव के समय वचन दिया था हम निरन्तर उस 80 प्रतिशत जनता के लिए काम करेंगे, और 80 प्रतिशत जनता को आगे बढ़ायेंगे जो

(श्री आदित्येन्द्र)

गांवों में रहती है। इन तीनों बजटों के जो आंकड़े हैं वह बताते हैं कि यह तीनों भी बजट ग्रामोन्मुखी हैं और तीनों ही बजटों में ग्रामीण जनता के विकास के लिये और साथ में शहरों की जनता का भी कोई विरोध नहीं उनके भी विकास के लिए हमने काफी प्रावधान रखा है। जहां तक ग्रामीण जनता का सवाल है आज ग्रामीण जनता में काफी उत्साह व उमंग है। क्योंकि पहले के बजट में एक लीकेज पाया गया कि सबसे पहले ढाई हैक्टेयर तक असिंचित भूमि को लगान से मुक्त कर देंगे। इसके अलावा एक अन्त्योदय का विचार भी 1977-78 के परिवर्तित बजट में दिया है और 1978-79 में अन्त्योदय योजना को कार्यान्वित किया गया और उसकी क्रियान्विति से हमें विश्वास है कि काफी सफलता मिली है, और आगे अगर निरन्तर इस प्रकार का प्रयास रहा तो यह अन्त्योदय योजना, जो 1977-78 में प्रारम्भ की गई थी, कामयाब होगी।

अब की बार जो 1979-80 का बजट प्रस्तुत किया गया है इसके बारे में पिछले 5-6 रोज से बहस हो रही है। माननीय सदस्यों ने अपने अपने विचार रखे हैं। विपक्षी दल के माननीय सदस्यों ने जिस प्रकार से आलोचना की है उन आलोचनाओं से मुझे भी कभी कभी ऐसा सन्देह होता है कि क्या यह आलोचनाएं रचनात्मक हैं, या आलोचना के लिए ही आलोचना हैं। बहुत से माननीय सदस्यों ने इसको किसान-विरोधी बताया है, और किसी ने इसको प्रतिक्रियावादी या निराशावादी बताया है, और किसी ने इस बजट को व्यापारियों का समर्थक बताया है। परन्तु इसको ध्यान से पढ़ने के बाद में आप यह मानेंगे कि बजट जहां किसानों का पक्षपाती है जिनकी हमने अभी तक उपेक्षा की है उन किसानों को यह आगे बढ़ाने का बजट है उसके साथ में किसी का विरोध भी नहीं है।

यानी एक प्रकार से राजस्थान में जो भी लोग रहते हैं उनको आगे बढ़ाने का बजट है। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि यह जो बजट है, इस बजट की सभी को सराहना करनी चाहिए थी, स्वागत करना चाहिए था। लेकिन कुछ माननीय सदस्यों ने कुछ आपत्तियां उठाईं। मैं समझता हूं कि सभी आपत्तियों का उत्तर देना तो सम्भव नहीं है। जो भी आपत्तियां उठाई हैं, उनमें अधिकांश आपत्तियों का उत्तर हमारे माननीय मुख्य मन्त्री जी ने दे दिया है।

विपक्षी दल के नेता माननीय मदेरणा साहब ने यह कहा अपने भाषण में कि जो वित्तीय करों की दर 7% से 8% अध्यादेश के द्वारा की गई है, यह अवैधानिक है। ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं।

(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : यह तो नहीं कहा है। इतना तो मैं भी समझता हूं। 7.% की जगह सैल्स टैक्स 8.% लगाने का अधिकार आपके पास था। आपने बजट से 15 दिन पहले लगाया है वह बजट के द्वारा लगाना चाहिए था। यह कहा था।

एक माननीय सदस्य : विरोधी दल के भूतपूर्व माननीय नेता रामनारायण जी ने कहा था।

श्री आदित्येन्द्र : यह हमें इसलिए करना पड़ा कि नयी योजना 269 करोड़ की आयी। जिस समय योजना कमीशन यह चाहता था कि आप अपने वित्तीय साधन क्या रखते हैं। उन वित्तीय साधनों को बताने के लिए यह करना पड़ा। नहीं तो हमें जब यह मालूम था, विधान सभा का अधिवेशन आ रहा था तो विधान सभा के अधिवेशन में ही हमें यह करना चाहिए था।

दूसरी बात कुछ माननीय सदस्यों ने कही है कि योजना भिन्न व्यय और प्रशासनिक व्यय में निरन्तर वृद्धि हो रही है। इसलिए पूंजीगत घाटा हो रहा है। लेकिन आप तीनों बजटों को पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा, 1977–78 के बजट में जो भूतपूर्व सरकार ने रखा, 7.52 करोड़ घाटा था वह 14.52 करोड़ हो गया। निरन्तर घाटे में वृद्धि हो रही है। इसलिए बिल्कुल साफ है, यह बजट जिस प्रकार का होना चाहिए उसमें हम प्रशासनिक व्यय में या योजना भिन्न व्यय में कोई वृद्धि नहीं कर रहे हैं। कुछ माननीय सदस्यों ने यह कहा है कि आप बात तो बहुत करते हैं लेकिन इसके विपरीत आपने बहुत खर्चा भी बताया है। हमने 198 करोड़, 168 करोड़ की जगह 198 करोड़ का कर दिया। यह खर्चा इतना सुनियोजित हुआ पर कोई परिणाम नहीं निकला। परिणाम यह निकला कि खर्च प्रति व्यक्ति 315 की जगह 308 रह गया। माननीय सदस्य, आप इस पर विचार करें। अकेला पूंजी विनियोजन का लाभ कुछ समय के बाद ही मिलता है। पूंजी विनियोजन पिछले साल किया। एक दो योजनाएं पूरी हो जायें तो उसके बाद ही मालूम पड़ता है। क्या लाभ मिलता है। इसी तरह से कुछ माननीय सदस्यों ने खास तोर से यह चिन्ता व्यक्त की है कि राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट में कुछ घोटाले है, कुछ भ्रष्टाचार है। तो इस सम्बन्ध में आपकी जानकारी के लिए यह बताना चाहता हूं कि एक फैक्ट फाइण्डिग अथारिटी एक व्यक्ति की, जो रिटायर्ड आई. ए. एस. हैं, रामसिंह जी, बना दी हैं। उनको यह बता दिया गया है कि वह निश्चित समय तक रिपोर्ट दे दें। वह अक्टूबर तक रिपोर्ट दे देंगे। जो भी व्यक्ति दोषी पाये जायेंगे, उनको दण्ड दिया जाएगा।

(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : रामसिंह जी कौन? अलवर वाले?

श्री आदित्येन्द्र : वास्तव में थोड़ा सा दुःख हुआ। बहुत से लोग जो बजट को ठीक समझते थे, उन्होंने बजट का स्वागत भी किया। उन्होंने करों को दोष दिया। यह आप सभी जानते हैं कि जब तक आय-व्यय में सन्तुलन नहीं होगा, उस समय तक कोई भी काम चल नहीं सकता है। न कोई व्यक्तिगत संस्था चल सकती है, न राज ही चल सकता है। एक तरफ विकास व्यय में बड़ी तेजी से वृद्धि हो। आय 164 करोड़ की जगह 270 करोड़ की हो गई है। और दूसरे काम हुए। दूसरी तरफ अगर हमने मान लिया, हम हर प्रकार के करों की वृद्धि करें तो भी ठीक नहीं मालूम पड़ता। लेकिन कुछ ऐसा हो भी गया है। जब हम किसी को यह कहते हैं कि आपको लाभ पहुंचेगा तो.......

(व्यवधान)

लेकिन जब हम यह कहते हैं कि कर्जा है, तो कर्जा बताने का शायद उनको साहस नहीं होगा। लेकिन फिर भी जैसा कि मुख्य मन्त्री जी ने कहा है, उस पर हमने विचार किया। पांच दिन की बहस में, विशेष तौर से भू-राजस्व के सम्बन्ध में लगभग सभी ने विरोध किया है। सभी यह चाहते हैं कि भू-राजस्व में जो वृद्धि इस समय की जा रही है, बजट में दिखाई गई है 25%, उसको समाप्त किया जाये। ठीक है, बन्दोबस्त में, सैटलमेंट में, बहुत सी ऐसी जगह हैं, 96 तहसीलें, जिनमें बन्दोबस्त 20-20 साल से नहीं हुआ है। उनमें भी 85 ऐसी हैं, जिनमें 30 वर्ष हो गये हैं, बन्दोबस्त अभी नहीं हुआ है। सैटलमेण्ट हो जाता है तो सैटलमेण्ट होने के बाद भू-राजस्व में वृद्धि 84% कई जगह वृद्धि हुई है। यहां पर 25% भू-राजस्व में वृद्धि रखी गई है। इसलिए इस भू-राजस्व की वृद्धि पर मुख्य मन्त्री जी ने भी कहा है। आप सब ने भी कहा है। हमने भी विचार किया है, इसलिए मैं इसको वापस लेता हूं।

इसके अलावा ऐसी जगह भी हैं जहां पर कि बहुत से लोगों ने कुएं बनाए है और उन कुओं को बने हुए बीस-बीस साल से अधिक हो गए हैं, उनके बारे में भी आलोचना हुई है तो वह भी कर प्रस्ताव भू-राजस्व का ही एक भाग है, वह भी मैं वापस लेता हूं।

श्री टीकमचन्द कान्त (जालौर) : भेड़ बकरियों के बारे में—

श्री आदित्येन्द्र : अध्यक्ष महोदय,....

श्री मथुरादास माथुर : आपने क्या वापस लिया है मास्टर साहब, जरा फिर से फर्मा दें—

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मन्त्री) : यह किसानों की बात है, आपके समझ में नहीं आएगी।

श्री आदित्येन्द्र : जिन कुओं को बने हुए बीस-बीस साल से अधिक हो गए हैं वहां पर अपने आप ही जमीन की किस्म बदल जाती है, बारानी की जगह चाही हो जाती है, और चाही जमीन पर लगान बढ़ जाता है, इसलिए उसको वापस लेता हूं।

इसी प्रकार जिन क्षेत्रों में नहरें आई हैं उनके बारे में भी बैठ कर इस सम्बन्ध में विचार करेंगे और दूसरी बातों के बारे में, अभी माननीय मुख्य मन्त्री ने भी कहा है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : भेड़ बकरी पर ?

श्री आदित्येन्द्र : भेड़-बकरी का जहां तक सवाल है, यह ठीक है, हम विचार कर रहे हैं। इस सम्बन्ध में निवेदन करना है कि हमने जांच की है कि आज भेड़ और बकरी की कीमत सौ रुपये से लेकर दो-ढाई सौ तक है और भेड़ बकरी पर अभी तक पांच पर्सेन्ट की दर से बिक्री कर था और अब जो बजट में प्रस्ताव है वह पांच रुपये का है, ऐसा करने से....

श्री माधोसिंह (रेवदर) : माननीय वित्त मन्त्रीजी, इसके साथ ही मैं यह निवेदन कर रहा था कि पांच रुपया ही नहीं, चराई का

(श्री माधोसिंह)

भी कर लगाने का प्रस्ताव है, उसके बारे में आपकी क्या पालिसी है।

(व्यवधान)

श्री आदित्येन्द्र : तो ये जो कर प्रस्तावों के सम्बन्ध में और जो बातें हैं, उनके बारे में जैसे सिंचाई के बारे में कई माननीय सदस्यों ने कहा कि हमें आपत्ति नहीं है, सिंचाई की दरें बड़े-बड़े आदमियों के लिए दुगुनी और चौगुनी कर दी जायं। माननीय श्योपतसिंह जी ने कहा कि किसी के पास अगर बड़ी होल्डिंग हो और उनके पास सिंचित भूमि भी ज्यादा हो, उसके ऊपर तीन गुना और चौगुना कर लगा दिया जाय तो हर्ज नहीं है। इसलिए इसको देखने के लिए, जैसा कि मुख्य मन्त्री जी ने भी कहा, विचार किया जायगा।

श्री श्योपतसिंह मकासर : कर दो, विचार क्या करना है।

(व्यवधान)

श्री आदित्येन्द्र : सैल्स टैक्स के बारे में व्यापारियों के लिए जो रियायतें बतलाईं कि सैल्स टैक्स व्यापारी लोग जमा नहीं कराते हैं, तो अभी तक तो ऐसा नियम था कि तीन महीने तक जमा नहीं कराते थे, या तीन महीने के अन्दर अन्दर जमा कराते थे तो 12 पर्सेन्ट व्याज लगता था और तीन महीने के बाद समय हो जाता तो 18 पर्सेन्ट व्याज देना होगा। अभी जो प्रस्ताव किया गया था उसमें यह था कि 18 से 15 किया जाय दोनों के लिए। अब इन दोनों

(श्री आदित्येन्द्र)

के लिए 15 पर्सेन्ट होगा क्योंकि आज कल बैंक में भी व्याज की दर 15 से 18 पर्सेन्ट हो गई है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : ठीक है।

श्री आदित्येन्द्र : तीन महीने से पहले जमा करा देते हैं तो 18 पर्सेन्ट की जगह पर 15 पर्सेन्ट कर दिया था, अब यह 18 पर्सेन्ट रहा और जो तीन महीने से कम की अवधि में जमा करा देते हैं तो 12 पर्सेन्ट था उसको 15 पर्सेन्ट कर दिया है।

श्रीमती सुमित्रासिंह : बहुत अच्छा, मास्टर साहब।

श्री आदित्येन्द्र : इसके अलावा जो जो माननीय सदस्यों ने विचार प्रगट किए उनके बारे में जब फाइनेन्स बिल आएगा तब बात-चीत कर लेंगे। अब मैं माननीय सदस्यों को शराबबंन्दी के बारे में एक दो शब्द कहना चाहता हूं।

(व्यवधान)

श्री शिवचरणसिंह : डोडा और भांग के सम्बन्ध में भी—

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुझे ऐसा लगता है कि शराबबन्दी के प्रश्न पर विरोधी दल के माननीय सदस्य ज्यादा चिन्तित हैं, इसलिए डर है कि शराब का प्रभाव तो नहीं बढ़ रहा है।

(व्यवधान)

श्री आदित्येन्द्र : मेरे विचार पूर्ण शराब बन्दी के बारे में सभी लोगों को विदित है। माननीय सदस्यों ने भी अधिकतर पूर्ण शराबबन्दी के बारे में कहा है और कुछ माननीय सदस्यों ने तो यहां तक कहा है कि शराब के साथ जितनी भी नशीली चीजें हैं उनका चलन भी बन्द कर दिया जाय। यह बात मैं मानता हूं कि सभी प्रकार की नशीली चीजों को बन्द किया जाना चाहिए लेकिन उन तमाम नशीली चीजों में शराब एक ऐसी चीज है जो कि सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली चीज है।

(व्यवधान)

श्री मदनसिंह दांता : Ask doctor, आप डाक्टर नहीं हैं। आर्टिकल 47 क्या कहता है ?

श्रीमती सुमित्रासिंह : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर, सर।

श्री अध्यक्ष : यस, पाइन्ट आफ आर्डर।

श्रीमती सुमित्रासिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय वित्त मन्त्री जी जानते हैं शराब का असर शरीर पर खराब पड़ता है और बाकी नशीली चीजें दिमाग पर खराब असर डालती हैं। तो क्या आप यह चाहते हैं कि शरीर स्वस्थ रहे ? दिमाग को आप खराब रखना चाहते हैं ?

श्री अध्यक्ष : मास्टर साहब, आप जारी रखिये।

श्री आदित्येन्द्र : इसलिए आप इस बात से चिन्तित हैं कि शराबबन्दी के बारे में क्या घोषणा होने वाली है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि शराबबन्दी के बारे में एक या दो दिन में घोषणा हो जायगी। इसी प्रकार से जो कुछ भी होगा वह आपके सामने रख दूंगा।

(व्यवधान)

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री रामकरणसिंह (कोटपूतली) : यह कहिए कि एक या दो दिन में शराबबन्दी की घोषणा कर देंगे।

श्री आदित्येन्द्र : और माननीय सदस्यों से अपील करता हूं कि ये जो बजट प्रस्ताव हैं, उनको सर्व सम्मति से पारित करें।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुन्झुनू) : अध्यक्ष महोदय, मैंने बजट पर हुई बहस के दौरान निवेदन किया था कि प्रति व्यक्ति आय 1977–78 के मुकाबले में 1978–79 में कम हो गई है, 323 से 308 हो गई है और मैंने यह भी निवेदन किया था जब आपने शासन संभाला था उस समय लिट्रेसी दर 19.77 थी जो अब घट गई है। क्या दोनों बातें आप स्वीकार करते है ?

श्री नवरंग सिंह : शराबबन्दी के बारे में लम्बे समय से अनिश्चित स्थिति है। वित्त मन्त्री ने एक दो दिन के लिये कहा है। 103 सदस्यों ने ज्ञापन पर हस्ताक्षर करके मुख्य मन्त्री व अन्य अधि–

(श्री नवरंगसिंह)

कारियों को दिया है कि शराबबन्दी होनी चाहिए । इसलिए वित्त मन्त्री इस सम्बन्ध में स्पष्ट घोषणा करें, संदेह की स्थिति में सदन को न रखें ।

श्री श्योपत सिंह मकासर : ज्ञापन पर दस्तखत करने वाले सदस्यों ने डबल पीना शुरू कर दिया है ।

(व्यवधान)

श्री रतन लाल वर्मा : मैंने थर्ड क्लास व सैकिन्ड क्लास के लिए कहा था कि इसमें पानी की मात्रा कम आती है । आपने स्पष्ट नहीं किया ।

(व्यवधान)

श्री बाल कृष्ण थानवी (फलौदी) : वित्त मन्त्री ने कहा कि दो तीन दिन में शराबबन्दी के बारे में घोषणा कर दूंगा । घोषणा क्या करेंगे ? शराब 1 अप्रेल से बन्द करने की घोषणा करेंगे या इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे या नहीं करेंगे ? आप क्या घोषणा करने वाले हैं ? शराबबन्दी होनी चाहिए.......

(व्यवधान)

स्पष्ट घोषणा होनी चाहिए कि एक अप्रेल से शराब बन्द होगी ।

श्री गुल मोहम्मद (जौहरी बाजार जयपुर) : एक दो दिन में वित्त मन्त्री शराबबन्दी की घोषणा कर दगे, यह सदन की प्रोसीडिंग्स में आ चुका है ।

घोषणा

अनुदान की मांगों पर विचार के लिये समय का विभाजन

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई । बजट की द्वितीय अवस्था, सैकिन्ड रीडिंग । अनुदानों की मांगों पर विचार करने से पूर्व इस सम्बन्ध में गत कुछ वर्षों से जो व्यवस्था अपनाई गई है उस सम्बन्ध में मैं माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा । जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित होगा, मांगें समूह में प्रस्तुत की जावेंगी । मांगों पर कटौती प्रस्तावों की संख्या काफी होती है इस कारण संभव नहीं होगा कि सभी माननीय सदस्यों को बोलने का अवसर प्राप्त हो सके । जैसी कि पिछले वर्षों में परिपाटी रही है, सभी मांगों पर दिए गए कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किए हुए समझे जाएं और उन्हें सदन में पृथक से प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी । जिस माननीय सदस्य का नाम पुकारा जाये वे अपने सारे कटौती प्रस्तावों पर एक साथ उसी समय बोलने की कृपा करें । किसी पार्टी के माननीय नेता या प्रमुख सदस्य, जो उनकी पार्टी की ओर से बोलना चाहें, अपने विचार व्यक्त कर सकेंगे ।

माननीय सदस्यों को यह भी ज्ञात होगा कि मांगों पर होने वाली बहस के दौरान उठाए गए प्रश्नों के उत्तर मन्त्री महोदय द्वारा उसी दिन दिए जायेंगे और उसके बाद उन मांगों पर मतदान होगा । जिन कटौती प्रस्तावों के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों को समयाभाव के कारण उत्तर नहीं मिल सके तो उनके आग्रह पर सरकार की ओर से

(श्री अध्यक्ष)

सम्बन्धित माननीय सदस्यों को लिखित उत्तर मिल जायें ऐसा मेरा निवेदन है।

मांगों पर विचार व्यक्त करने के लिए, मोटे तौर पर सरकारी पक्ष को 3 घंटे का समय दिया जायगा जिसमें मन्त्रियों द्वारा उत्तर दिए जाने का समय भी सम्मिलित होगा। अन्य दलों के लिए समय का विभाजन निम्न प्रकार होगा :—

कांग्रेस (आई)	40 मिनट
कांग्रेस	25 मिनट
प्रगतिशील दल	20 मिनट
सी0 पी0 एम0	10 मिनट
सी0 पी0 आई0	10 मिनट
निर्दलीय	15 मिनट

श्री मूलचंद डागा : आन ए पाइंट आफ आर्डर सर।

श्री अध्यक्ष : मांगों को मूव करने दिया जाये।

व्यवस्था का प्रश्न

सदन की बैठक की अवधि

श्री मूलचंद डागा : श्रीमान् यह रूल 12 (2) की जो मन्शा है :

"Sittings of the House shall, subject to the direction of the Speaker, ordinarily commence at 11.00 A. M. and conclude at 5.00 P. M."

लेकिन रोजाना दो दो मांगें आ जायं, जब कार्य सलाहकार समिति की मीटिंग आपकी अध्यक्षता में हुई, उस समय यह सवाल उठाया गया कि सदन का संचालन रात को 11–12 बजे तक होता रहता है। अब 3½ बजे हैं और 4 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू होगी। जो आपने समय निर्धारित किया है उसके हिसाब से 11 रात के बजेंगे। न हमें बोलने का मौका मिलेगा और दूसरे दिन हम अपनी तैयारी करके नहीं आ सकते तो हम अपने कर्त्तव्य के प्रति न्याय नहीं कर सकते। सदन में आते हैं और कटौती प्रस्तावों पर यूं ही बोल जाते हैं। या तो आप वोट आफ अकाउंट पास करवा दें, उसके बाद कुछ दिन और सदन का सत्र बढ़ायें या कहिए कि एक पार्टी के सदस्य ही बोलेंगे और बाकी सारे सदस्य हां कहेंगे। यह तरीका नहीं होगा कि 4–5 घंटे में सदस्य अपनी बात कह दें, 12–12 बजे रात तक बैठे रहें, तो वे अपने कर्त्तव्य के साथ न्याय नहीं करेंगे। हम सारा साहित्य पढ़ नहीं पाते, पूरा अध्ययन नहीं कर सकते। कार्य सलाहकार समिति के सामने सवाल रखा था कि इस प्रकार से कार्यवाही चलती है, 2–2 मांगें एक साथ हैं। न्याय व वन दोनों महत्वपूर्ण मांग है। आपने सरकारी पक्ष के लिए 3 घंटे किसलिए रखे और विपक्ष के लिए उससे भी कम? एक व्यक्ति एक विषय पर केवल 5 मिनट भी नहीं बोल सकेगा, तो क्या उनके साथ न्याय होगा?

श्री नवनीत पालीवाल (मुख्य सचेतक) : मार्ग दर्शन होगा।

श्री मूलचंद डागा : आप सचेतक हैं, बताइए क्या मार्ग दर्शन होगा ? दो मांगों को एक साथ रखा है और आपने विभिन्न दलों के लिए 10–10, 15–15 मिनट रखे हैं।

श्री रघुनन्दन व्यास : सबसे बड़ी सेवा यह होगी कि डागा जी मांगों पर बिल्कुल नहीं बोले, मौन रहें।

श्री मूलचंद डागा : बड़ी अच्छी सेवा की।

श्री श्योपत सिंह मकासर : कटौती प्रस्तावों पर विरोधी पक्ष का बोलना समझ में आता है। सत्ता पक्ष के लोग तो भाषण देने के लिए आए हैं। हमको एक एक बजे तक बिठा रखें यह जरूरी नहीं है। ये नेता के पास जायं, मंत्री के पास जायं और काम करायें। बाकी एक एक दो दो बजे तक सैकड़ों लोगों को कैद करके रखना और पाबन्द रखना उचित नहीं है। यह सत्ता पक्ष का कोड़ा मार का काम होगा कि कौन कौन से सदस्य बोलें कौन नहीं बोलें। इससे पहले कटौती प्रस्तावों पर बातें होती रही हैं मगर सदन कभी भी एक बजे तक नहीं चला। रोज 12 बजेंगे एक बजेंगे तो हम इनकी फालतू बातें सुनने नहीं आए हैं।

श्री मदन सिंह दांता : मैं पाइन्ट आफ आर्डर के सपोर्ट में बोल रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : आपको अगर बोलना है तो आप बोलिये। मेरी बात भी आप कृपया सुनने की कृपा करें।

अनुदान की मांग पर विचार के लिए समय का विभाजन

श्री जयकृष्ण शर्मा (थानागाजी) : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर, सर। अध्यक्ष महोदय, मेरा दल एक सबसे बड़ा दल है विरोधी दल में और उसका कर्त्तव्य हो जाता है कि बजट के समय में इस सरकार को एक ऐसा मार्ग दिखलाये कि जो भूलभुलैया है, जो बजट में तरह तरह की गड़बड़ियां पैदा की हैं उनकी ओर हमारा दल इंगित करे इसलिए विरोधी पक्ष में बड़ा दल होने के नाते जो 40 मिनट मेरे दल को मिले हैं मैं समझता हूं कि इस दल के साथ न्याय नहीं होगा और एक तानाशाही मनोवृत्ति को पनपाने का मौका आप इस सरकार को देंगे। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि आपको चाहिए कि आप इसमें सहयोग दें और विपक्षी दल को बोलने का मौका पूरा इस बजट के ऊपर दिया जाये। कांग्रेस दल को 25 मिनट और कांग्रेस (आई) को 40 मिनट दिये हैं तो क्या 25 मिनट में न्याय प्रशासन और वन विभाग में जो बहुत अनियमिततायें हैं उनकी ओर ध्यान दिला सकेंगे ?

एक माननीय सदस्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, पाइन्ट आफ आर्डर नहीं है। यह तो भाषण है।

श्री जयकृष्ण शर्मा : जैसी परम्परा पहले रही है, आप पुराना इतिहास उठा कर देख लें। इस सदन में मुझे भी 13 साल रहने का मौका मिला है। मैं कहना चाहता हूं कि विरोधी पक्ष को जो समय निर्धारित किया है वह हमारे साथ न्यायसंगत नहीं होगा, ऐसा मेरा आपसे अनुरोध है।

श्री मदन सिंह दांता : मैं, अध्यक्ष महोदय, डागा साहब को सपोर्ट करता हूं।

116

(श्री मदनसिंह दांता)

हमें एक दिक्कत है। न तो राज्यपाल महोदय के भाषण में हम कुछ अपनी बातें रख सके और बजट के अन्दर भी जो बातें रखीं उनका न शेखावत जी ने जवाब दिया। हमारे इलाके की जो डिमाण्ड हैं जैसे पुलिस की है या दूसरी हैं और वहां क्या हरकतें होती हैं यहां आकर अपने इलाके की बात नहीं रखें तो मैं समझता हूं कि जनता हमें फिर यहां नहीं आने देगी। आप विरोधी पक्ष को भी समय दें ताकि हम अपने इलाके के कटौती प्रस्तावों पर बोल सकें। यह मेरा आपको कहना है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यों ने मेरा ध्यान जिस ओर आकर्षित किया है उसके साथ एक हद तक मेरी सहानुभूति है। मैं यदि कहूं कि माननीय सदस्य श्री जयकृष्ण जी ने जो आरोप लगाया कि अधिनायकवादी व्यवस्था होगी तो इस सदन की तो परम्परा हमेशा जनतांत्रिक रही है और यहां पर अधिनायकवाद नहीं चलता। मेरी व्यथा के साथ भी आप जरा गम्भीरतापूर्वक विचार करेंगे, मेरी यह आशा है। इसके साथ ही साथ विपक्ष को मैं यह विश्वास दिलाना चाहता हूं क्योंकि विपक्ष में मैं भी बैठा हूं और विपक्ष की मानसिक व्यथा के साथ मेरी सहानुभूति है। मैंने जो व्यवस्था दी है वह मैंने कहा है मोटे तौर पर है। उस पर लकीर का फकीर होकर आसन बिलकुल व्यवस्था यही दे कि मेरी व्यवस्था अन्तिम और फाइनल है, ऐसा नहीं है।

साथ ही साथ मैं शासन पक्ष के ऊपर भी कुठाराघात नहीं कर सकता। माननीय सदस्यों को, जो इस ओर विराजमान हैं, उनसे पुरजोर शब्दों में निवेदन करूंगा कि आपस में बैठ कर यह समझ लें। मुख्य सचेतक महोदय को भी यही कहूंगा कि आपस में बैठ कर समझ लें और 10-15 कट मोशन व्यवस्थित ढंग से और शालीनता के साथ, तथ्यों के सहित वह रखें तो मेरे लिए सुविधाजनक और सुख की व्यवस्था होगी।

उसके साथ ही साथ आपको जो भी दिल खोल कर कहना होगा वह कह सकेंगे। मैंने यह भी संकेत किया है कि दल के जो नेता हैं एक दल का एक सदस्य अब 15 मिनट में बोले तो नाम के वास्ते मुझे कुछ तो व्यवस्था देनी पड़ती है क्योंकि यह मेरे प्रिडिसेसर के अनुसार व्यवस्था है और मुझे भी व्यवस्था देनी होती है। 15 मिनट के बजाय 25 मिनट भी हो सकते हैं लेकिन सभी माननीय सदस्यों से मेरा करबद्ध अनुरोध है कि मेरे सचिवालय के कर्मचारियों ने बहुत पुरजोर शब्दों में मेरा ध्यान आकर्षित किया और मैं उचित समझता हूं कि आप सभी को भी उनकी दिक्कतों के संबंध में अवगत कराऊं। कर्मचारीगण एक एक बजे तक शार्ट हैण्ड में प्रासीडिंग्स नोट करें और दूसरे दिन 11 बजे आवें यह बड़ा स्ट्रेन्युअस हो जाता है, माननीय सदस्यगण यह दृष्टिकोण उचित है या नहीं। आपका यह सदन है। आपका ही यह बजट है। पारित तो होगा लेकिन उसको शान से पारित करके, व्यवस्थित ढंग से पारित करके यह मेरे ख्याल में सदन की परम्परा बनी आई है, यही निभायेंगे, मुझे विश्वास है। इसलिये 8 बजे के बाद या हद से हद 9 बजे के बाद यह कार्यवाही न चले, ऐसा सहयोग प्रदान करें। इसके साथ साथ आप मेरी भर्त्सना करें, आप मेरा ध्यान आकर्षित करें आपका जन्म सिद्ध अधिकार है आलोचना करने का, मैं उदारतापूर्वक व्यवस्था दूंगा। इस व्यवस्था में कुठाराघात नहीं कर सकता

(श्री अध्यक्ष)

सन्तुलित रूप में जो कुछ भी जरूरी होगा वह बहुमत के आधार पर नहीं होगा। इन मांगों को अपन पारित करेंगे, इतना मेरा निवेदन है।

माननीय श्री मनोहरसिंह।

श्री मनोहरसिंह मेहता (माण्डलगढ़) : मुझे यह निवेदन करना है कि जीरो आवर का समय दो घंटे की बजाय बहुत कम कर दिया जाये। दूसरा मेरा यह निवेदन करना है कि जब हम कट मोशन्स यहां देते हैं, जब हम अपने क्षेत्र में जाते हैं तो कम से कम कह सकते हैं कि हमारी समस्याओं के बारे में हमने क्या किया। सारी समस्यायें हल नहीं हो सकतीं लेकिन हमने आपके लिये यह किया है और मामलों को पूरी तरह रखा है।

श्री अध्यक्ष : जो कट मोशन्स हैं सबका उत्तर दिलाऊंगा, ऐसी मेरी आशा है। ट्रेजरी बैन्चेज से यह अनुरोध किया है ..

श्री मनोहरसिंह मेहता : 5, 7 मिनट से अधिक किसी को समय नहीं देंगे....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, 110 मोशन्स हैं, 1, 1 मिनट भी दूं तो कितने होते हैं।

श्री मूलचन्द डागा : श्रीमान, 110 नहीं हैं, 300 कट मोशन्स हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैंने तो कहा 110 कट मोशन्स है। सैक्रेटरी साहब ने बताया है 450 कट मोशन्स है जो 110 माननीय सदस्यों द्वारा दिये गये हैं। जो मैंने कहा, एक साथ आप बोल दीजिये।

श्री मूलचन्द डागा : कैसे बोलेंगे, अध्यक्ष महोदय ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप शासन पक्ष में रहे हैं। 3, 4 कट मोशन्स 10, 10 मिनट के अन्दर हम लोग बोल कर निपट गये हैं। आपको कोई न कोई सहयोग देना होगा। बिना सहयोग के, आसन के द्वारा आप सब को सन्तुष्ट कर सकूं, संभव नहीं है।

श्री मूलचन्द डागा : 4 0 कट मोशन्स हैं।

श्री अध्यक्ष : यह चर्चा हो इससे पहले कोई न कोई कान्सेन्शस के द्वारा एग्रीमेंट होना चाहिये।

श्री प्रद्युम्नसिंह : लोक सभा में यह परम्परा है ...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इस विधान सभा की व्यवस्थायें तो इतनी उच्च-स्तरीय हैं ...

श्री प्रद्युम्नसिंह : लोक सभा में हर दल की जैसे जिसकी स्ट्रेंग्थ है उस हिसाब से समय दे दें तो डिबेट के अन्दर तैयारी करके अधिक समय बोल सकेंगे। जो आपने व्यवस्था दी है हम आपकी व्यवस्था को मानते हैं। मैं आपसे निवेदन यह करता हूं कि दलों की तरफ से नाम आने चाहिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : आपने जो व्यवस्था दी है, हम स्वीकार करते हैं। लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगी कि जो परम्परा ऐसी पड़ गई है कम से कम

(श्रीमती उजला अरोड़ा)
उस पर विचार करना चाहिये। सदन की कार्यवाही 40, 45 दिन चलती है यह बहुत कम है। यह बहुत विचारणीय प्रश्न है। जो भी चुनकर आता है उसका जनता के प्रति उत्तरदायित्व है उसको पूरा करने का अवसर नहीं मिलता। हाउस की कार्यवाही ज्यादा दिन चले। सरकार सामने आने को क्यों पसन्द नहीं करती ? इस पर विचार किया जाना चाहिये। यह मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, आगामी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में मैं आपको निवेदन कर रहा हूं कि आप उपस्थित हों और अपने बहुमूल्य सुझाव वहां पर रखें।

श्री मूलचन्द डागा : सवाल यह है, 400 कट मोशन्स हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, पालीवाल जी, खेतसिंह जी, मेरा सहयोग करें।

श्री गुल मोहम्मद : मेरा निवेदन है जीरो आवर आधा घंटा कर लें तो ठीक रहेगा। हर सदस्य बोलना चाहेगा।

श्री रघुनन्दन व्यास : सारे लोग बोलना चाहेंगे। डागा जी को नहीं बोलना है तो नहीं बोलें। चाहे एक मिनट के लिये खड़े हों, निश्चित रूप से सुझाव देना चाहेंगे।

श्री अध्यक्ष : आगे चलता हूं। फिर मैं दोहराता हूं। इस लिस्ट से नहीं बोलूंगा, चिट से बोलूंगा

(व्यवधान)

श्री रघुनन्दन व्यास : फिर कटौती प्रस्ताव देने की परिपाटी समाप्त करनी चाहिये। जैसा सचेतक महोदय चाहें, यह तो अन्याय है।

श्री अध्यक्ष : व्यास जी, तो मैं क्या करूं।

(व्यवधान)

क्या यह प्रस्ताव सदन में लाना चाहते हैं माननीय सदस्य कि जीरो आवर डिस्पेन्स विद किया जाय। आप कहें तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की एक्स्ट्रा आर्डिनरी मीटिंग कल बुलाऊं और उसमें इस प्रश्न पर विचार किया जाय कि जीरो आवर डिस्पेन्स विद हो कि नहीं। वैसे तो बहुमत के आधार पर यह प्रश्न हल नहीं हो सकता।

श्री गुल मोहम्मद : अध्यक्ष महोदय, हम लोगों को बोलने का....

श्री अध्यक्ष : माननीय विरोधी दल के नेता महोदय।

श्री परसराम मदेरणा (भोपालगढ़) : माननीय अध्यक्ष जी, आपने जो व्यवस्था दी, उसका सारांश यह है कि जितने भी 400 के आसपास कटौती प्रस्ताव हैं 110 माननीय सदस्यों ने प्रस्तुत किये हैं, एक साथ मूव किये हुए समझे जायें। दूसरा आपने समय का विभाजन किया। तीसरा, आपने यह व्यवस्था दी कि समय के विभाजन में कुल मिलाकर 5 घंटे बनते हैं। इसका मतलब यह कि 8 या 9 बजे तक समाप्त हो जाना चाहिये। आपने समय का बटवारा किया। थोड़ा सा निवेदन करना था कि कट मोशन्स के द्वारा सरकार की नीतियों के बारे में, और उसके कार्य कलापों के बारे में विरोध पक्ष ज्यादा सुझाव दे सकेगा।

(श्री परसराम मदेरणा)

संख्या के अनुपात में समय का बंटवारा किया गया है यह हमारे साथ न्याय नहीं है, इस पर कृपा करके पुनर्विचार करें।

दूसरा, जहां तक जयपुर से आनी वाली माननीय सदस्या कह रही थीं मेरा स्वयं का यह सुझाव था कि डिमाण्ड्स एक दिन में पारित न करवाई जा कर सरकार को वोट आन अकाउंट करवा लेना चाहिये, जैसी लोक सभा की परम्परा है, तीन, चार दिन एक डिमाण्ड पर बहस चलती है क्योंकि माननीय सदस्यों की रात को देर से जायें तो तैयारी नहीं हो सकती। आपके जो सचिवालय कर्मचारी और अधिकारी गण है उनकी भी मुसीबत और परेशानी की सहज ही कल्पना कर सकता हूं इसलिये मेरा आपसे निवेदन है, आज समय तो हो गया है चार बजे का और अभी तक डिमान्ड्स मूव नहीं हुई हैं, क्योंकि सरकार ने किन्हीं कारणों से उत्तर देने के समय में फेर बदल किया है इसलिये आज 9-00 बजे तक चला सकते हैं लेकिन 9-00 बजे तक भी ज्यादा है उससे पूर्व में जो आपने व्यवस्था दी है उससे मैं यह समझा हूं कि सत्तारूढ़ दल के माननीय सदस्य यह समझ बैठें हैं कि सबका प्रस्ताव मूव हो गया है इसलिये बोलने की सबको इजाजत दी जायगी लेकिन यह नहीं है। वे ही माननीय सदस्य बोल सकेंगे जिनका नाम चीफ व्हिप द्वारा या पार्टी द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। लेकिन समय के बंटवारे के बारे में मेरा निवेदन है आप दुबारा विचार करें।

श्री अध्यक्ष : विरोधी दल के माननीय नेता महोदय ने यही निवेदन किया है कि जिसका नाम चीफ व्हिप द्वारा और शासन पक्ष के चीफ व्हिप द्वारा मिले और जो कुछ वे निर्णय लें उसके बारे में चिट के द्वारा मुझे सूचित करें ताकि मैं निर्णय करूं। अगर यह भी सम्भव न हो तो शासन पक्ष को चार घंटे में से $2\frac{1}{4}$ या $2\frac{1}{2}$ घंटे देकर $1\frac{1}{2}$ घंटा विरोधी पक्ष को दूं।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया था और एक पत्र भी दिया था कि शून्य काल दो घंटे के बजाय एक घंटा ही रखें। मेरा ख्याल है इसका बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में विचार नहीं हुआ। मैंने कई माननीय सदस्यों के हस्ताक्षर से वह पत्र दिया था। जो शून्य काल की परम्परा एक घंटे की है वही रखें और दूसरा मेरा सुझाव है कि प्रातः 11-00 बजे के बजाय हम लोग 10-00 बजे ही मिलें। इस तरह दो घंटे और मिल जायेंगे और माननीय सदस्य अपने अपने बहुमूल्य सुझाव भी दे सकेंगे।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, जो कुछ भी सुझाव आये हैं, उन सब पर विचार हो चुका है। यदि आवश्यकता होगी तो पुनः विचार भी किया जा सकता है। आप इस समस्या को बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में रख सकती हैं। जो कुछ हो, सदन आपका है लेकिन आज के लिये मैंने जो व्यवस्था दी है वही रहेगी। मंत्री महोदय....

(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय ...

श्री अध्यक्ष : श्री रामप्रसाद लड्ढा।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (मान्डल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने कट मोशन्स दिये हैं आपकी व्यवस्था के पश्चात, जैसा आप बता रहे हैं उसके अनुसार हमको समय नहीं मिलेगा। विरोधी पक्ष के महानुभाव, सदस्य गण एडजोर्नमेंट मोशन के नाम पर, काल अटेन्शन के नाम पर अपने क्षेत्र की समस्याओं को रख सकते हैं जब कि सत्ता पक्ष के लोगों को बजट की डिमान्ड्स के समय में ही बोलने का अवसर मिलता है इसलिये जिनके कट मोशन आये हों, उन सबको बोलने का मौका दें, चाहे पांच मिनट का ही समय मिले और चाहे तो तीन तीन मिनट का ही समय दें लेकिन बोलने का मौका सबको मिलना ही चाहिये।

श्री अध्यक्ष : माननीय राम प्रसाद जी लड्ढा, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आपने एकदम 27 कट मोशन दिये हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ निवेदन करना चाहती हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, आप बुद्धिमान हैं, आप तो ..

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मेरी बात को तो कहने दीजिये, अध्यक्ष महोदय ...

श्री अध्यक्ष : कहिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाह रही थी और आपकी व्यवस्था का सम्मान करते हुए मैं ध्यान दिलाना चाहती हूं कि 27 साल के विधान सभा के इतिहास में जो माननीय सदस्य कटौती प्रस्ताव देते हैं उनका प्रायोरिटी लिस्ट में नाम आ जाता है। अब आप नई व्यवस्था देकर ऐसे लोगों को समय दे रहे हैं जो मुख्य सचेतक महोदय के कृपा पात्र रहे हैं और बाकी सारे सदस्यों को वंचित कर रहे हैं। पहले कटौती प्रस्ताव देते थे और बोलने की सूची में आ जाते थे। अब आपने उनका कृपा पात्र बनने के लिये मजबूर कर दिया, यह उचित नहीं है।

श्री रघुनन्दन व्यास : मैं माननीय सुमित्रा जी का समर्थन करता हूं दिलो जान से।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, सभी समस्याएं मनुष्य कृत हैं और कोई भी व्यवस्था परफेक्ट नहीं हो सकती है उसमें कहीं न कहीं खामी रहती है। अगर कोई आज खामी है व्यवस्था में तो आपके सुझावों के द्वारा सुधार आयेगा। आप के बहुमूल्य सुझावों पर मैं गंभीरतापूर्वक विचार करूंगा। लेकिन आज की व्यवस्था में बहस जारी होगी।

(व्यवधान)

श्री अयूब खां (तिजारा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट आप मुझे दे दीजिये।

श्री अध्यक्ष : श्री अयूब खां।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं

(श्रीमती सुमित्रासिंह)

कि इस ग्रासन के द्वारा जो व्यवस्था दी जाती है वह रिकार्ड हो जाती है और ग्राने वाले समय के लिये वह एक दिशा निर्देश करती है, इसलिये माननीय ग्रध्यक्ष जी, मैं पुनः निवेदन करूंगी कि ग्राप इस पर पुनः विचार करें। यह जो व्यवस्था दी है उससे उन सारे माननीय सदस्यों, जो ग्रपने कर्तव्यों के प्रति जागरुक हैं, समय से पूर्व ही ग्रपने कटौती प्रस्ताव दे देते हैं, पर कुठाराघात होगा। इसलिये मैं पुनः निवेदन करूंगी कि ग्राप ग्रपनी व्यवस्था को बदलें ग्रौर चीफ व्हिप के कृपा पात्र बनने के लिये हमें मजबूर न करें।

श्री प्रद्युम्न सिंह : इसमें कृपा पात्र बनने की कोई बात नहीं है। यह तो पार्टी के ग्रनुसाशन की बात है। पार्टी का ग्रपना ग्रनुशासन भी तो होता है।

(व्यवधान)

श्री नूरा (मसूदा) : माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, ग्रासन की व्यवस्था को सिरोधार्य किया जाना चाहिये।

श्री ग्रयूब खां : माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, ग्राप हमको चीफ व्हिप की कृपा पर मत छोड़िये। कट मोशन्स की लिस्ट को ही ग्राप देखिये ग्रौर उसके ग्रनुसार ही माननीय सदस्यों को बोलने का ग्रवसर दीजिये। यह तो ऐसा लगता है कि मिल मिला कर कोई सौदा हुग्रा है।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला ग्ररोड़ा : जिन माननीय सदस्यों ने कटौती प्रस्ताव पहले दिये हैं, उनको पहले बोलने का ग्रवसर मिलना चाहिये।

(व्यवधान)

श्री ग्रध्यक्ष : श्री बहादुर सिंह।

श्री बहादुर सिंह : माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, मेरा भी यही सुझाव है कि माननीय सदस्यों को मुख्य सचेतक की कृपा पर मत छोड़िये ग्रौर जो लिस्ट ग्राई है, उसके ग्रनुसार ही बोलने का ग्रवसर दें।

श्री मदनसिंह दांता : ग्राइन्दा सदन में एक नया ढंग होगा, इनको ग्राप चुनते हो....

(व्यवधान)

श्री ग्रयध्क्ष : श्री गिरधारीलाल भार्गव।

श्री गिरधारीलाल भार्गव (किशनपोल बाजार) : माननीय ग्रध्यक्ष जी, यह पहली बार ग्राज सुनने को मिल रहा है। ग्राप भी विरोधी दल के नेता रहे हैं। हर मेम्बर, जो विधान सभा का सदस्य चुन कर ग्राया है, यदि ग्रपने ग्रपने निर्वाचन क्षेत्र की बात यहां पर नहीं कहेगा तो फिर वह किस स्थान पर जाकर कहेगा। मेरा निवेदन है कि ग्राज तक, मैं समझता हूँ, जीरो ग्रावर कभी एक घंटे से ग्रागे नहीं बढ़ता था वह ग्राज तीन तीन घंटे चल रहा है। विरोधी दल को समय मिले ग्रौर सत्ता पक्ष के लोग ग्रपनी बात को नहीं रख सकें तो फिर सत्तारूढ़ दल के लोग ग्रपनी बात कह नहीं सकेंगे, हम लोग ग्रपनी बात को कह नहीं सकेंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि ग्रगर ग्रापने टाइम की व्यवस्था कर दी है....

(श्री गिरधारी लाल भार्गव)

(व्यवधान)

कृपया शांत रहें। जिस प्रकार से आज व्यवस्था की गई कि माननीय वित्त मन्त्री का उत्तर आज हुआ····

श्री रघुनाथ विश्नोई : आप जब यहां बैठते थे तो आप भी दो-दो घंटे लेते थे, उस बात को आप भूल गये क्या ?

श्री श्योपतसिंह मकासर : सदन के यही तो एक मात्र रजनीश हैं।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मेरा निवेदन है कि वित्त मन्त्री जी का उत्तर जिस प्रकार आज हुआ है, उसी प्रकार मन्त्री महोदय का उत्तर प्रातःकाल 11 बजे से 12 बजे तक हो सकता है। जीरो आवर के बाद में, एक बजे के बाद में उत्तर करवा दीजिए लेकिन जो कटौती प्रस्ताव रखे गये हैं, जिन माननीय सदस्यों ने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये है उनको बोलने का मौका अवश्य मिलना चाहिए। मैं समझता हूं कि कई माननीय सदस्य इस बात को समझ नहीं पाये हैं। माननीय सदस्यों के अधिकारों का हनन हो रहा है तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप ही तो बचायेंगे, आप ही उनकी रक्षा करेंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि यह पुरानी परम्परा रही है, उसकी पालना होनी चाहिए।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री शर्मा, फिर आप, फिर आप और फिर खतम।

न्याय प्रशासन विभाग का प्रगति विवरण

श्री एच एन. शर्मा (बेगू) : माननीय अध्यक्ष महोदय, बोलने के बारे में यह वाद-विवाद हो रहा है, मैं नई जानकारी सदन के सामने रखना चाहता हूं। आज जो कट-मोशन न्याय प्रशासन के बारे में रखे गये हैं, उन कटौती प्रस्तावों पर माननीय सदस्यों को बोलना है। लेकिन बड़ा दुःख है कि न्याय प्रशासन का प्रगति विवरण या प्रगति पत्र प्राप्त ही नहीं हुआ है। जब न्याय प्रशासन के बारे में कोई जानकारी ही नहीं हो, किसी प्रकार का प्रगति विवरण माननीय सदस्यों के सामने ही नहीं हो तो फिर आज इस पर किसी प्रकार की बहस नहीं रखी जाय। इसलिए जो वन विभाग की माँग है, वन के ऊपर प्रगति विवरण प्राप्त हो गया है, उसके कटौती प्रस्तावों पर ही विचार किया जावे और न्याय प्रशासन पर जो कटौती प्रस्ताव है उन पर विचार नहीं होना चाहिए। आशा है, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप हमारे साथ न्याय करेंगे।

श्री भंवरलाल ऐरन : माननीय अध्यक्ष महोदय,····

(व्यवधान)

श्री नवनीत पालीवाल : समय बढ़ाने के लिए इतना समय लिया जा रहा है और फिर समय बढ़ाने पर आपत्ति करेंगे।

श्री भंवरलाल ऐरन (नसीराबाद) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहूंगा कि कल कार्य सूची में जिस तरह से माननीय वित्त मन्त्री महोदय को एडजस्ट किया गया है, समय बदल गया है, उसी तरह से इस कार्य सूची में संशोधन करके यदि मांग पर दो दिन की बहस रख कर कल उत्तर देते हुए अनुदान की मांगें पारित की जावें तो कोई एतराज की बात नहीं है। कार्य सूची में

(श्री भंवरलाल ऐरन)

तब्दीली की जा सकती है। एक-एक डिमाण्ड पर दो-दो दिन बहस रखी जावे। तो मेरा विनम्र शब्दों में निवेदन है कि क्योंकि हमारे अधिकारों की रक्षा केवल आप कर सकते हैं, हमारे अधिकार केवल आपके पास सुरक्षित हैं, अतः मैं निवेदन करूंगा कि आज की मांग है उसको दो दिन रख कर कल पारित की जाय।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का और सरकारी पक्ष के सभी महानुभावों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जैसा विरोधी दल के माननीय नेता ने सुझाव दिया कि गवर्नमेंट वोट आन अकाउन्ट ले ले और फिर बाद में पूरी बहस के बाद मांगें पारित हों तभी जाकर कट मोशन्स पर पूरी डिबेट हो सकती है। एक दिन में पाँच-पांच डिमाण्ड कैसे पास हो सकती है। यह पहला मौका है, माननीय अध्यक्ष महोदय, जब आठ दिन में सारी डिमाण्ड पास करा रहे हैं और 27 तारीख को बजट को खतम करा रहे हैं। इस तरह से उन पर बोलने का मौका नहीं मिलेगा। आपने यह फर्माया है कि चीफ व्हिप बोलने वाले महानुभावों की लिस्ट देंगे। मैंने कट मोशन दिया है राजस्व पर और चीफ व्हिप कहेंगे कि कृषि पर बोलना है तो उससे क्या फायदा होगा जब कि मैं राजस्व पर बोलना चाहता हूं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय सत्ता पक्ष के सदस्यों से कि यह आपका विषय है, असेम्बली ज्यादा दिन चलानी चाहिए, ज्यादा टाइम तक डिमाण्ड्स पर बहस होनी चाहिए, यही सबसे अच्छा हल है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस पर विचार होना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री एच. एन. शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने अभी क्वेश्चन उठाया और आपको निवेदन किया कि न्याय प्रशासन का कोई प्रगति विवरण या प्रगति पत्र या प्रशासनिक प्रतिवेदन, निष्पादन आय-व्ययक लेखा जोखा माननीय सदस्यों को प्राप्त नहीं हुआ है। मैं निवेदन करता हूं कि ऐसी हालत में न्याय प्रशासन के कटौती प्रस्तावों के ऊपर किस प्रकार से चर्चा की जावे? इस तरह से चर्चा करना न्यायसंगत नहीं होगा। मेरा निवेदन है कि केवल वन विभाग के कटौती प्रस्तावों पर चर्चा की जावे और न्याय प्रशासन पर बाद में विचार हो।

श्री गुल मोहम्मद : आ गया है।

श्री एच. एन. शर्मा : नहीं आया है। सेक्रेटरी साहब से जाकर पूछो।

श्री ओंकार लाल चौहान (अटरू) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भी यही निवेदन करना चाहता हूं कि न्याय प्रशासन के सम्बन्ध में वार्षिक प्रतिवेदन मिलना चाहिए था वह सेक्रेटेरियट से नहीं मिला है। आप अन्दाजा लगा सकते हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, वार्षिक प्रतिवेदन के अभाव में इस डिमाण्ड पर चर्चा की जावे क्या यह न्याय संगत होगा? इसीलिए अभी इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ने जो मेरा ध्यान आकर्षित किया है वह बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार को चाहिए कि प्रतिवेदन समय पर अवश्य प्रस्तुत करे। अगर

(श्री अध्यक्ष)

ऐसा नहीं हुआ है तो सरकार की बड़ी भारी भूल है ।

श्रीमती सुमित्रासिंह : न्याय मन्त्री जी माफी मांगें ।

अनुदान की मांग पर विचार के लिए समय का नियतन

श्री परसराम मदेरणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन की नियम समिति बनी थी और प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों में संशोधन करने के लिए उस समिति ने सिफारिश की थी जिसके अध्यक्ष स्वयं माननीय अध्यक्ष महोदय हैं। अभी माननीय सदस्य सालोदिया जी कह रहे थे कि डिमाण्ड पर विचार करने के लिये समय ज्यादा मिलना चाहिए। यह नियम समिति की सिफारिश थी, जो सदन के पटल पर सिफारिशें रखी गई थीं और सदन के पटल पर रखने के सात दिन के भीतर एतराज करना था। सत्तारूढ़ दल के माननीय सदस्यों ने कई एतराज किए। नियम समिति ने जो सिफारिश की थी कि एक डिमाण्ड पर दो दो दिन तक विचार हो, एक दिन में पारित होने का प्रश्न ही नहीं है। हम इन डिमाण्ड्स को तो मुख्य डिमाण्ड मानते हैं, जिन पर निश्चित तौर पर हर वर्ष वाद-विवाद होगा, हर वर्ष जिन पर चर्चा होगी। उस पर भी एतराज किया गया था। अगर एतराज नहीं होता तो नियमों में संशोधन हो जाता और संशोधन होने के बाद उस पर उसके अनुसार चर्चा होती लेकिन पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने जो एतराज करवाये सत्तारूढ़ दल के माननीय सदस्यों से उसकी वजह से यह सारा व्यवधान खड़ा हुआ है, परेशानी खड़ी हुई है। इसलिए नियम समिति के अध्यक्ष, जो स्वयं माननीय अध्यक्ष महोदय हैं, से हमने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में कहा कि वोट ओन अकाउन्ट ले लें तो गवर्नमेंट कहती है कि नहीं, हम तो आठ दिन में ही बजट पास करायेंगे। ऐसी हालत में विरोधी पक्ष के सामने क्या रास्ता रह जाता है। सत्तारूढ़ दल के सदस्यों के सामने भी दूसरा विकल्प नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है कि नियम समिति की जिस तरह से उपेक्षा की गई है यह जिस प्रकार की डेरोगेटरी प्रक्रिया अपनाई गई है जो नहीं अपनानी चाहिए थी, जो एतराज कर रहे थे, अध्यक्ष महोदय के सामने मिनिस्टर फोर पार्लियामेंट अफेयर्स ने जिन बातों पर सरकार की तरफ से स्वयं सहमति दी थी उन पर एतराज करवा दिया जिससे यह स्थिति हुई है। इसलिए मैं चाहता हूं कि यह जो डेडलोक आया है सदन के सामने, उसके सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय के सामने सभी पक्षों को बैठ कर बात करनी चाहिए। एक ही संशोधन हमने नियमों में प्रस्तावित किया है, वह भी सशोधन स्वीकार नहीं करते हैं जिससे यह स्थिति खड़ी हुई है। बजट पास कराना चाहते हैं और सत्तारूढ़ दल के सदस्य बोलना भी चाहते हैं। केवल आठ दिन में सारी डिमाण्ड्स पास कराना, एक-एक दिन में दो-दो डिमाण्ड्स पास कराना चाहते हैं और माननीय सदस्यों को बोलने का अवसर भी नहीं देना चाहते हैं तो हमारा निवेदन है कि आप किसी तरह से बहुमत के आधार पर किसी सुझाव को स्वीकार करें उसमें एतराज नहीं है, लेकिन पूरे समय का इस तरह से बंटवारा हो कि सभी को बोलने का अवसर मिल सके। अभी एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि

(श्री परसराम मदेरणा)

हम हमारी डिमाण्ड कब रखेंगे और अगर डिमाण्ड रखेंगे तो चीफ व्हिप के कुण्ड के अन्दर रहना पड़ेगा। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अन्दर कुछ न कुछ व्हिप का आधार होता है, पार्टी अनुशासन के आधार पर चलना पड़ेगा नहीं तो हर एक सदस्य बोलेगा फिर सदन की कार्यवाही कैसे पूरी होगी।

अब अध्यक्ष महोदय ने कह दिया हर सदस्य बोलते हैं तो रात के दो बजेंगे। इसका रास्ता क्या निकाला जाय, यह सदन के सोचने की बात है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप अपने स्थान को छोड़ कर ...

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, इनको अपने स्थान पर बुलाया जाय और फिर प्रश्न पूछने दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, गत विधान सभाओं में हमेशा यह परम्परा रही है कि माननीय सदस्य जो स्थान नियत है उसी स्थान पर बैठ कर बोलेंगे।

श्री किशनसिंह भाटी (जैसलमेर) : मैं अपने स्थान पर आता हूं, अध्यक्ष महोदय। मुझे बोलने का मौका दिया जाय और स्थान पर पहुंचने तक ट्रान्जिट टाइम देने की कृपा करें।

अध्यक्ष महोदय, नियम समिति का मैं सदस्य रहा हूं। इस ओर आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा। बजट हफ्ते में भी पास करवाया जा सकता है और बजट पंजाब या हरियाणा में भी रिकमण्ड हुआ तीन दिन में ही पास करने का। हिटलर ने तो थर्ड जर्मन रीच में एक दिन में ही पास करा दिया था। आपातकाल में भी कुछ ऐसा ही हुआ। लेकिन हमने नियम समिति में सैद्धान्तिक रूप से इण्डियन पार्लियामेंट की इन्सीडेन्ट ली है और इसलिए हमने तय किया था कि डिमाण्ड्स पर ज्यादा से ज्यादा बहस हो। कम से कम 8 घंटे रखे जायं लेकिन जैसा कि माननीय विरोधी दल के नेता ने कहा अगर मन्त्री, संसदीय मामलात ने यह अनडेमोक्रेटिक कदम उठाया है तो यह गलत है। पिछली चार विधान सभाओं में जैसा कि पहले हो चुका है चाहे सेक्रेटेरिएट को तकलीफ हो, डेमोक्रेसी में जो ट्रेण्ड राजस्थान में पहले डवलप हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग बुला कर उस पर विचार किया जाय। कोई रास्ता निकाला जाय।

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्री महोदय, मैं भी दो शब्द निवेदन करूंगा। माननीय सदस्यों की भावना को ध्यान में रखते हुए मैं कल ही बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की एक्स्ट्रा आर्डिनरी, असाधारण मीटिंग बुलाऊंगा। रहा सवाल नियम समिति के प्रतिवेदन के सम्बन्ध में। नियम समिति का प्रतिवेदन मैं समझता हूं एक महत्वपूर्ण प्रतिवेदन है। वह प्रतिवेदन सर्व सम्मति के द्वारा निर्णीत है और सरकार के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है। उसको सरकार माने या न माने यह सरकार के विचारार्थ एक महत्वपूर्ण विषय हो सकता है। कई सदनों और पार्लियामेन्ट की यह परम्परा रही है कि महत्वपूर्ण आर्थिक विषय एक मिनट में भी पारित हुए लेकिन वे भी एक शर्त के ऊपर विपक्ष के सहयोग से। जहां पर विपक्ष का सहयोग नहीं है वहां पर नियम समिति का जो प्रतिवेदन है वह अपना वजन रखता है। मैं नहीं कहता कि सरकार उसे स्वीकार ही

(श्री अध्यक्ष)

कर ले, लेकिन उसको लाइटली सेट असाइड, मजाक के तौर पर डिस्पोज आफ करना मेरे खयाल से सरकार के लिए शोभनीय नहीं होगा। इतना ही मैं कहूंगा। माननीय मन्त्री महोदय कुछ कहना चाहेंगे। उनकी बात सुनें। मन्त्री महोदय को निवेदन करूंगा।

श्री सूर्यनारायण चौधरी (मंत्री, संसदीय कार्य) : अध्यक्ष महोदय, माननीय विरोधी पक्ष के नेता महोदय ने नियम समिति की सिफारिशों की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए जो कुछ अपने विचार व्यक्त किये हैं उसमें मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि नियम समिति के सम्मुख जब मैं उपस्थित हुआ था तो कंसल्टेटिव कमेटी के फोर्मेशन के अलावा मैंने किसी प्रश्न पर अपनी ओर से फाइनल कमिटमेंट नहीं दिया। आपका भी निर्देश था, अध्यक्ष महोदय कि मैं सदन के नेता से जो आपके सुझाव हैं, विचारार्थ इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं उन पर परामर्श करके आपको एक महीने में पत्र लिखूं। मैंने आपको एक महीने में पत्र लिखा है वह आपको मिला होगा। अब मेरे ऊपर आरोप लगाया गया है कि जिन विषयों को मैंने स्वीकार कर लिया मैं समझता हूं कि अगर कोई दूसरा सदस्य कहता, माननीय अध्यक्ष महोदय, तो मुझे दुःख नहीं होता। लेकिन माननीय विपक्ष के नेता ने इस प्रकार का आरोप लगाया, तो मैं इसे उचित नहीं समझता। जहां तक नियम समिति के प्रतिवेदन का प्रश्न है, नियमों में प्रावधान है कि 7 दिन के अन्दर-अन्दर कोई भी सदस्य उस प्रतिवेदन पर अपना आब्जेक्शन प्रस्तुत कर सकते हैं, यह नियमों में प्रावधान है। इसके अन्तर्गत आब्जेक्शन प्रस्तुत हुए हैं। मैं इस बात के लिये मना नहीं करता क्योंकि आब्जेक्शन प्रस्तुत करने में मेरी भी सहमति थी, इससे भी मैं इन्कार नहीं करता। लेकिन यह नियमों में पहले से चला आ रहा था। जहां तक दूसरे प्रश्न पर माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये कि अधिक समय मिलना चाहिए, कम से कम 8 घण्टे तो डिबेट होनी चाहिए, यह सदन आपका है, जिस तरह से आप निर्णय करेंगे, इस सरकार को शिरोधार्य होगा। सरकार सदन के मातहत है, सदन सरकार के मातहत नहीं है। जो कुछ आप निर्णय करेंगे, सरकार बाउण्ड है। मैं किसी प्रकार से सदन के अधिकारों के सम्बन्ध में सरकार की तरफ से कोई भी आक्षेप लगाने की धृष्टता नहीं कर सकूंगा। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा माननीय विरोधी पक्ष के नेता महोदय में आज जो जनतन्त्र के प्रति, जन प्रतिनिधियों के प्रति जो सम्मान की भावना जागी है....

श्री किशनसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, ये रूल्स हैं।

(व्यवधान)

यह हाउस के प्रोसीजर की चीजों में कहां से पालिटिक्स आ जाती है।

(व्यवधान)

श्री सूर्यनारायण चौधरी : एक मिनट।

(व्यवधान)

मैं माननीय मदेरणा साहब का व्यक्तिगत रूप से आभारी हूं। जिस नियम के बारे में डिमाण्ड आ रही है यह पिछले 25–30 साल से आ रही है इसे बदलने की आवश्यकता, अगर सदन उचित समझेगा तो बदलेगा।

(127)

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : आपने पार्लियामेंट्री अफेयर्स में लिख कर दिया। Parliamentary committee have framed the rules. आप चाहते हैं कि जनता पार्टी की व्यवस्था लूली रहे, लंगड़ी रहे।

(व्यवधान)

श्री सूर्यनारायण चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे जो पुराने साथी हैं इनको मैं अच्छी तरह से जानता हूं। इनको कहने का पूरा हक है।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : क्या जानते हैं।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : एक मिनट आप सुन लें।

मेरा प्रस्ताव सिर्फ यह था कि Consultative Committee inconsc-n nt prevailing in the parliament....

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : यह उनके कारण है। यह रूल आप बनाते तो हमें एतराज नहीं है।

श्री किशनसिंह भाटी : That is correct.

श्री सूर्यनारायण चौधरी : Please hear me first.

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : जैसा कि लोकसभा में हैं। यहां पर इस बात की गलती रह गई तो आप स्वीकार करने को तैयार हूं ?

नये मेम्बर को कहें लेकिन उसमें....

श्री परसराम मदेरणा : माननीय अध्यक्ष जी, मैंने दो मुद्दों पर सदन का ध्यान आकर्षित किया है। एक मुद्दा तो यह है कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने स्वयं ने जो एतराज किया है या एतराज करवाये हैं उनमें वह भागीदार है। यह मैं आक्षेप नहीं लगा रहा हूं। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर को नियमों में जो कुछ भी एतराज करना है वह एतराज करें। यह आपका राइट है। वह राइट आपने एक्सर्साइज किया है और आगे करेंगे तो उसकी इजाजत है। दूसरा मैंने कहा है पार्लियामेन्ट्री कन्सल्टेटिव कमेटी के सम्बन्ध में। पहले ही अध्यक्ष महोदय के सामने इसका प्रावधान नियमों में कर दिया था। उसके मानने के बाद भी उस क्लाज पर, उस नियम पर एतराज किया गया। तो वही बात हुई। फिर मुझे दुःख हुआ कि मैंने कुछ कह दिया। मैं नम्रतापूर्वक निवेदन कर रहा हूं कि पार्लियामेन्ट्री अफेयर्स मिनिस्टर उस कमेटी में आये जिस समिति के अध्यक्ष, चैयरमेन माननीय अध्यक्ष हैं, और उसका सर्वसम्मति से स्वीकृत प्रतिवेदन है उस प्रतिवेदन में किन किन मुद्दों पर एतराज करना चाहिए उसके बारे में जिस तरह की बातें मन्त्रिमण्डल में रखी हैं, वह गलत परम्परा डाली है और आप प्रजातन्त्र की दुहाई की बात कर रहे हैं। हम तो विरोधी पक्ष के दो-तीन ही सदस्य थे। उसमें तीन-चौथाई सदस्य सत्तारूढ़ दल के हैं। कमेटी की रिपोर्ट सर्वसम्मत है, मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि जो कुछ भी 11 सजेशन आये हैं उनका इनिशियेटर सत्तारूढ़ दल है। हम जानते थे कि हम कोई इनिशियेटिव लेकर किसी नियम में संशोधन की बात करेंगे। उसके बाद उसके ऊपर अपनी राय भी दी है। आप हर संशोधन को

(128)

(श्री परसराम मदेरणा)

रूट आउट करेंगे सत्तारूढ़ दल के द्वारा संशोधन दिये गये हैं, और प्रजातन्त्र की दुहाई देते है। आप पीछे रहे और बेक ग्राउण्ड में रहकर सत्तारूढ़ दल के माननीय सदस्यों के द्वारा सर्वसम्पति से स्वीकृत नियमों में संशोधन करने की बात कराई है। मैंने दो मुद्दो पर ही कहा है। उन दोनों बातों को आप स्वीकार करते हुए मुझे दुःख है कि आप मुझ पर आक्षेप लगा रहे है। मैंने यथार्थ बात कही थी।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : आपने उस कमेटी का अपमान किया है, यह बड़ी गम्भीर बात है। पार्लियामेन्ट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने सदस्यों को कह कर एतराज दिलवाये हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब इस पर ज्यादा विचार नहीं होगा।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : You will have to bear the consequences.

इसके लिए राजस्थान की जनता आपको माफ नहीं करेगी।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : ठीक है।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : Every pie you have to pay of the car you used.

आप मेम्बरों को अपनी बात सदन में कहने से रोकते है। आप इस सदन की कार्यवाही को रोक रहे है....

श्री दाऊदयाल जोशी : कार्यवाही तो आप रोक रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री मदनसिंह दांता : We are not school boys.

श्री नवनीत पालीवाल : अध्यक्ष महोदय ने अपनी व्यवस्था दे दी।

श्री रघुनाथ विश्नोई : कहां दे दी।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : स्पीकर महोदय....

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : That is corr ct.

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य....

श्री रतनलाल वर्मा (भिनाय) : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा माननीय सदस्यों से आपके माध्यम से कि जो सदन में शुरू से जब से सदन प्रारम्भ हो और शाम को चाहे 8 बजे चाहे 9 बजे सदन स्थगित हो तब तक सदन में बैठा रहे, यह नहीं चल सकता है ...

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : आप यह मुख्य मन्त्री से कहें।

(व्यवधान)

श्री मदनसिंह दांता : We are not school boys.

श्री रतनलाल वर्मा : यह मेरा सुझाव है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सयस्य, आप

(श्री अध्यक्ष)

कृपया स्थान ग्रहण करें। यह व्यवस्था का प्रश्न तो नहीं है, लेकिन एक बहुमूल्य सुझाव है।

श्री मथुरादास माथुर (डीडवाना) : अध्यक्ष महोदय, इस सदन के सामने बहुत बड़ा अहम सवाल पेश किया गया है। आपने व्यवस्था दी है जिसमें आपने यह कहा कि चीफ व्हिप बोलने वालों की लिस्ट बनाकर पेश करें उसी हिसाब से आप नाम पुकारेंगे और उधर के माननीय सदस्यों ने एतराज किया है कि वह मानने को तैयार नहीं हैं, और सचेतक चाहे इस ओर वाले सदस्य के हों चाहे उस ओर वाले सदस्य हो उनके लिए मुश्किल हो गया है। हमारे पास 7 दिन का समय है। 31 तारीख तक बजट पास करना है, फाइनेन्स बिल पास करना है, और एप्रोप्रियेशन बिल पास करना है। इधर मिनिस्टर फार पार्लियामेन्ट्री अफेयर्स ने हम लोगों पर प्रजातन्त्र का हामी कह कर कटाक्ष किया तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 52 से हमारा यह सदन चल रहा है और 52 से आज तक माननीय सदस्यों की इस बात की इच्छा रही है बहस में हिस्सा लेने की, और प्रजातन्त्र को मजबूत बनाने की। उस वक्त शुरुआत थी हमारे यहां पर प्रजातन्त्र की और आज जितना प्रजातन्त्र विकसित होता जा रहा है, और जैसे जैसे लोगों की भावना बढ़ती जा रही है, और चेतना आती जा रही है तो यह उस चेतना का द्योतक है कि सभी माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं और अपनी अपनी कान्स्टीटुएंसी के बारे में अपना फर्ज अदा करना चाहते हैं।

यह बड़ा प्रश्न है कि जैसे रूल्स कमेटी ने सुझाव दिये थे और जो पार्लियामेंट की परम्परा है कि आप बजट पेश करें और बजट भाषण हो जाय और उस पर बहस हो जाय तो आप वोट ओन एकाउन्ट तीन महीने का ले लें और फिर बाद में डिमाण्ड पर बैठ कर बहस हो जाय और फिर उसके बाद में आप बजट पास करें। यह पार्लियामेंट की परम्परा है और अपने यहां भी उस परम्परा को डाल रहे हैं। यह सुझाव हम लोगों ने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में दिया था लेकिन सदन के नेता उसको मानने को तैयार नहीं थे। मैं यह निवेदन करूंगा कि माननीय अध्यक्ष बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग फिर बुलावें और यह सुझाव रखें जैसा कि अभी अभी कहा है कि आप वोट ओन अकाउन्ट पास करा लें और फिर डिमाण्ड पर डिस्कशन का बाद में मौका मिले ताकि सब लोग बोल सकें और हम भी अपने सुझाव दे सकें। यह सुझाव भी हम तब दे सकते हैं जब कि डिपार्टमेंटल के वर्किंग के प्रतिवेदन हमें समय से 5–6 दिन पहले मिलें। प्रतिवेदन भी जो भी आते हैं वह इस बुरी तरह से साइक्लोस्टाइल्ड होते हैं कि रात को हम पढ़ नहीं सकते। आप लाखों रुपया खर्च करते है तो आप अपने डिपार्टमेन्ट्स के प्रतिवेदन भी अच्छी तरह से छपा कर एक खूबसूरत तरीके से सदन के सामने पेश नहीं कर सके। तो आसन को ओर से इस बारे में सरकार को कई बार ताड़ना मिली है कि वह प्रतिवेदन पेश करे तो कम से कम 5–6 दिन पहले पेश हो ताकि हम उसको पढ़ ले और सदन में अपने कटमोशन के जरिये सुझाव दे सकें। हाइपोथेटिकल कटमोशन बना दिया जब कि रिपोर्ट नहीं आई। आप क्या सदन को मजाक में लेना चाहते हैं।

(श्री मथुरादास माथुर)

आपके पास सारे साधन हैं, आपके पास कोई कमी नहीं है। इसलिए मेरा सुझाव है कि आज बहस किसी तरह से चला ली जाय और कल से आप विरोधी दल के नेता और हम सब जितने भी इस ओर बैठे हुए हैं वह लोग निर्णय कर लें।

जो इन्होंने सुझाव दिया है रतनलालजी तो 11 बजे से 5 बजे तक अगर बैठे तो वही बोल सकेंगे तो यह चीज कोई चलने वाली नहीं है। आपका मुख्य मन्त्री बोल कर चला जाता है उसको भी बोलने न दें।

श्री रतनलाल वर्मा : हां न बोलने दें।

श्री मथुरादास माथुर : हम तो फिर भी यहां बैठकर बोलते तो हैं। वह तो मिनिस्टर कन्सर्न्ड की राय लेते हैं इसलिए कभी बैठते ही नहीं है। मेरा निवेदन है कि आप जो भी जल्दी से कल के लिए डिसीजन ले लें।

श्री मूलचन्द डागा : हाउस को एडजोर्न करने की राय है।

श्री अध्यक्ष : माननीय मथुरादास जी के सुझाव के लिए मैं आभारी हूं, और कल मैं अवश्य बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग बुलाऊंगा, मैने जो कुछ भी बात कही सदन के अन्दर वह कोई निर्णय या व्यवस्था नहीं है। वह सुझाव ही है। उसको सुझावों के रूप में माना जाय क्योंकि मैं सदन की इच्छा जानना चाहता था। रहा सवाल प्रतिवेदनों का यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। अगर प्रतिवेदन ही नहीं है तो कोई बहस नहीं, किस पर बहस करें।

कई माननीय सदस्य। शेम, शेम!

श्री अध्यक्ष : कोई आधार ही नहीं है।

मैं विपक्ष में जब कभी बैठता था तो इस सम्बन्ध में मैने भी आपत्ति उठाई थी। उस समय सुखाड़िया जी मुख्य मन्त्री थे। जोशी जी और बरकत साहब भी मुख्य मन्त्री थे। विपक्ष की आपत्तियों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया गया है। सरकार को अगर अधिवेशन की कार्यवाही चलानी है तो सुचारु रूप से ही चलेगी। अन्यथा खेद के साथ में डिमाण्ड पर बहस होने की अनुमति नहीं दूंगा।

मेरा भी कर्त्तव्य है। प्रतिवेदन प्रस्तुत करे। प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात ही डिमाण्ड पर विचार हो सकता है। कल बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में बुलाऊंगा।

माननीय मन्त्री महोदय।

श्री मूलचन्द डागा : आप हाउस एडजोर्न कर दीजिए।

श्री अध्यक्ष : डिमाण्ड इण्ट्रोड्यूज हो जाने दीजिए। उसके सम्बन्ध में तो आपत्ति नहीं है।

(व्यवधान)

माननीय मन्त्री महोदय।

श्री ओंकारलाल चौहान : अध्यक्ष महोदय, आपने व्यवस्था दी है। कट मोशन मूव हुए हैं। अगर कोई माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : सदन की यह परम्परा रही है। इस सम्बन्ध में मैंने सुझाव दिया था। पहले जो व्यवस्था रही है, इस सम्बन्ध में, यह मैने कहा था।

एक माननीय सदस्य : मूव करो।

अनुदान की मांग
मांग संख्या 9–वन की प्रस्तुति

श्री हरिसिंह यादव (यातायात मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या–9 वन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 9,05,13,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाये।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आपने जो मार्ग दर्शन किया है....

एक माननीय सदस्य : आदेश दिया है।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : आदेश दिया है। मैं क्षमा चाहता हूं। आदेश दिया है।

एक माननीय सदस्य : क्षमा किया आपको।

श्री खेतसिंह राठौड़ : पहले आप उनकी डिमाण्ड पर हां–ना तो करवायें।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, आपने जो आदेश दिया है, उस पर सरकार की तरफ से भविष्य में पालन करने की कोशिश करूंगा। आपको पूर्ण रूप से विश्वास दिलाना चाहता हूं और विशेष रूप से निवेदन करना चाहता हूं कि आज की कार्यवाही में जो महत्वपूर्ण है दूसरी डिमाण्ड उसको भी मूव करने की विशेष अनुमति दें।

श्री प्रद्युम्न सिंह : This is order not nirdeshan.

श्री अध्यक्ष : वन के सम्बन्ध में प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं हुआ ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : हो गया है।

श्री अध्यक्ष : चर्चा प्रारम्भ हो।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : विशेष अनुमति दें।

श्री अध्यक्ष : विशेष अनुमति देता हूं। चर्चा उस पर करें।

श्री एच. एन. शर्मा : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने खेद प्रकट नहीं किया है।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : मैं खेद प्रकट करता हूं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जो कह दिया है, वह पर्याप्त है। मैं सधन्यवाद स्वीकार करता हूं।

श्री मथुरादास माथुर : आपने डिमाण्ड

(श्री मथुरादास माथुर)

पेश करने की इजाजत दी है। मेरा निवेदन है....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री मथुरादास माथुर : अध्यक्ष महोदय, हम बहस कैसे करेंगे। पब्लिक प्रासीक्यूटर भ्रष्टाचार कर डाले, रिपोर्ट तो आने दें। हम क्या बहस करेंगे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यों की ऐसी इच्छा है तो मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि मेरे 18 साल के विधान सभा के जीवन में कभी ऐसी बात नहीं हुई है। तो अब माननीय मन्त्री महोदय, अगर सदन को आप से कोई मतलब ही नहीं है तो उसकी व्यवस्था के लिए मेरी पूर्ण सहानुभूति है।

अतः मेरा यह निवेदन है कि सदन की कार्यवाही कल दिनांक 17-3-79 प्रातः 11-00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

परिशिष्ट 1

तारांकित प्रश्न सं० 287 की लीज डीड व नोटिस

LEASE DEED

This lease agreement made this Fourteenth day of September in the year One Thousand Nine Hundred Sixty Six at Jaipur BETWEEN IMPROVEMENT TRUST, JAIPUR (hereinafter called "THE LESSOR" of the One Part) and RAJASTHAN CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY, Jaipur, a private limited company incorporated under the Jaipur Companies Act, 1942, (hereinafter called "THE LESSEE" of the other part).

The lessor and the lessee agree as under :—

(1) The lessor has demised the land situated on Mirza Ismail Road between Man Prakash Talkies and Chand Shilp Shala and measuring North to South (i) Towards Chand Shilp Shala 234 Ft. (ii) towards Man Prakash Talkies 236′-9″ East to West (i) along with city wall 347′-9″ (ii) along M. I. Road 346′-0″ having a total area of 1·87 acress and bounded as under :—

North : City Wall.

South : M. I. Road.

East : Chand Shilp Shala.

West : Man Prakash Talkies.

Upto the lessee on lease on the terms and conditions hereinafter appearing. The said land has been shown on the plan annexed herewith.

(2) The lease shall be deemed to have come into force with effect from the Fourteenth day of September One Thousand Nine Hundred Sixty Six and shall extend to a term of Ninety Nine years during which period the lessee shall pay to the lessor an annual rent of rupee one in advance on or before the first day of April every year at the office of the Improvement Trust, Jaipur, or at such other office which may be authorised by the Lessor from time to time for the purpose. The first of such payments for the period from the 14th September, 1966 to the Ist April, 1967 shall be made on the date of execution of these presents.

(134)

(3) The lesser excepts and reserves unto himself all the mines and minerals etc. in or under the aforesaid land and full rights and powers at all times to do all acts, things which may be necessary or expedient for the purpose of searching for working, obtaining, removing and enjoying the same without providing or leaving any vertical support for the surface of the said land or for any building for the time being standing thereon.

(4) The lessee shall within the period of two years from the Fourteenth day of September One Thousand Nine Hundred and Sixty Six complete the construction of the building as per plan approved by the Government. If the building is not completed within the said period or such period of extension as may be granted by the Lessor by special order, the lease shall cease and the land shall revert to the lessor free of all encumbrances.

(5) The lessee shall use the land for the construction of the buildings for the office of the Chamber of Commerce and Industry, Industrial Museum, Assembly Hall and other connected buildings. These buildings shall be used for all normal and usual purposes of the Chamber. The lessee shall also be entitled to rent out some portions of the buildings to public utility bodies such as a branch of a Nationalised Bank, Rajasthan Financial Corporation, proposed State Industrial Development Corporation Ltd., Rajasthan Small Industries Corporation Ltd., Trade Associations of all Rajasthan Character and other like institutions. The le see shall be entitled to levy admission charges for Industrial Museum and fee for the use of various halls and conference rooms, and recover these charges from all persons and bodies which use the building.

(6) In consideration of the lessor permitting the use of a portion of the buildings for providing accomodation to public utility organisations of rent in the manner Stated in the preceding para and in lieu of any share to which the state Government may be deemed to be entitled out of the net income, if any, from rent, in consideration of the land having been leased at a nominal rate the lessee shall allow the following facilities to the lessor :–

(a) the lessee shall earmark and provide free of charge 300 Sq. Ft. of clear space in the Industrial Museum of the lessee on

(135)

the lease hold premisses for the display of the exhibits of the Government of Rajasthan or of their nominee. The hall shall also be available for educational and cultural purposes.

(b) the lessee shall permit the use of the Assembly Hall of the building to the Government of Rajasthan for fifteen days in the year, free of charge.

(c) The lessee shall exhibit in the Industrial Museum article desired to be exhibited by the Industrial Department of Government.

(d) The lessee shall provide free of charge 400 Sq. Ft. clear space out of the covered area in the building to the Director of Tourism for Official Use.

(7) The demised land and buildings thereon shall not be used for any political purpose.

(8) That the lessee further takes not to use the land and building for any other purposes then the purposes mentioned herein, and if the lessee shall use the land for any other purposes without prior permission of the Government, it will be in the discretion of the Government to determine the lease, if established that the lessee has wilfully contravened the provisions of the lease.

(9) Any breach by the lessee or by any person claiming through or under him of any of the covenents or conditions contained herein or on his part to be observed or performed then and in any such case, it shall be lawfull of the lessor to re-enter upon and take possession of the plot and the building and fixtures thereon and thereupon this lease shall cease and determine and the lessee shall not be entitled to any compensation whatsoever.

(10) The lessee will constitute a Council to be known as Rajasthan Economic Development Council for the utilisation of the net income, which might accure to the Chamber, because of the rental income of its premises, which the lessee proposes to erect on the said land. The Council, shall consists of three representatives of the Rajasthan Financial Corporation. The Chamber will hand over the net income left to the said council to be utili-

sed by it for various studies and survey and research work concerned with the Economic Development of Rajasthan.

(11) On the lessee paying the rent hereby reserved and abiding by other terms of this agreement the lessee shall be free to enjoy the land peacefully until this lease shall subsist.

(12) That no urban Assessment shall be charged on the land given on rent for 99 years.

IN WITNESS WHERE OF the parties have signed these presents in the presence of the following witnessess :—

Signed for and on behalf of the Governor of the State of Rajasthan.	Signed on behalf of the Rajasthan Chamber of Commerce, and Industry, Jaipur.
Sd/- **K. M. Sahai** *Secretary* Improvement Trust, Jaipur	*Sd/-* **G. S. Purohit** *Hony. Secretary*
Witness 1) Sd/-	Witness 1) Sd/-
Witness 2) Sd/-	Witness 2) Sd/-

AGREEMENT AMENDING THE LEASE AGREEMENT

AN AGREEMENT made on the 19th day of March 1968 BETWEEN THE Improvement Trust, Jaipur, hereinafter called 'the lessor' of the one part and the Rajasthan Chamber of Commerce and Industry, Jaipur, a public limited company incorporated under the Jaipur Companies Act, 1942 and having its registered office at Jaipur, hereinafter called 'lessee' of the other part.

WHEREAS by a lease agreement dated the 14th day of September One Thousand Nine Hundred Sixty Six and made between the same persons as are parties hereto and in the same order (hereinafter called the 'Principal deed') the lessor leased out to the lessee land situated on Mirza Ismail Road between the Man Prakash Talkies and the Chand Shilp Shala and the Principal deed has been registered at No. 2513 in Book No. 1 Volume No. 304/A pages 185 to 190 in the Sub-Registrar's Office, at Jaipur.

AND WHREAS the parties have agreed to amend the principal deed in the manner hereinafter appering.

NOW THESE PRESENT WITNESS and the parties hereto hereby agree as follows :

1. That the principal deed shall be so read and construed as if :—
   (a) in clause (5) of the principal deed for the word 'Nationalized' occuring after the word "a branch of a" the 'word' scheduled' were substituted, between the words 'Rajasthan Financial Corporation,' and the words 'proposed State Industrial Development Corporation' there were inserted the words 'the Life Insurance Corporation of India' and between the words 'Rajasthan Small Industries Corporation Ltd.' and 'trade Associations' there were inserted the words 'Industry and'.

   (b) in sub-clause (a) of clause (6) of the principal deed the sentence "The Hall shall also be available for educational and cultural purposed" were deleted and the sub-clause (c) of the same clause was also deleted.

   (c) in clause (7) of the principal deed, after the words 'any political purpose' there were inserted the words 'The hall shall, however, be available for educational and cultural purposes'.

2. The parties hereto agree that the above mentioned in the amendments shall be deemed always to have been incorporated in the principal deed and the principal deed shall be construed and read as if the amendments incorporated hereby origionally existed in the principal deed.

3. That as amended and modified as aforesaid the principal deed shall remain fully binding on the parties and of full force and effect.

IN WITNESS WHEREOF the parties hereto have signed this Agreement on the date and year first hereinbefore written.

Signed on behalf of the Lessor.	Signed on behalf of the Lessee.

Sd/-
(Radhey Kant Sharma)
Secretary
Improvement Trust,
Jaipur.

Witnesses
1. Sd/-
2. Sd/-

Sd/-
(G. S. Purohit)
Honorary Secretary,
Rajasthan Chamber of Commerce
& Industry, Jaipur.

Witnesses
1. Sd/-
2. Sd/-

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
TOWN PLANNING DEPARTMENT

To,

The Secretary,
Improvement Trust,
Jaipur.

No. F. 3 91) TP/63 Jaipur the 6-1-70

Sub. :—Lease of land for building of the Chamber of Commerce and Industry Extension of time limit for construction of building.

Sir,

In continuation of this Department sanction of even number dated 7-2-69 I am directed to say that the time limit for construction of building of Rajasthan Chamber of Commerce and Industry is hereby extended for a further period of one year with effect from 14-9-70 and no further extension will be granted.

Yours faithfully,
Assistant Secretary to Govt.

Copy forwarded to the Hony. Secretary, Rajasthan Chamber of Commerce and Industry, Jaipur with reference to his letter No. Rec/3338 dated 7-11-70. It is also stated that this is the last extension for construction of building and the construction upto 14-9-71 should be completed before the expiry of the extended period.

Sd/-
Asstt. Secretary to Govt.

Town Planning Department

To,

The Hony. Secretary,
Rajasthan Chamber of Commerce and Industry,
Jaipur.

No. F.3/91/TP/68 Jaipur the 15-3-71

Sub. :—Lease of Land for building of the Chamber of Commerce and Industry Extension of time limit for construction of Buildings.

Sir,

I am directed to refer to your letter No. RCC/258 dated 21st Jan. 1971 and to invite your attention to condition No. 4 of the lease deed which itself is clear and accordingly the building is to be completed within the scheduled period.

I am further directed to request you to show cause as to why the lease may not be terminated as the Chamber of Commerce and Industry have not been able to fulfil the terms and conditions of the allotment.

Yours faithfully,
Sd/- 10-3-71
Asstt. Secy. to Govt.

परिशिष्ट–2

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर

सीकर नगर में गन्दे पानी की निकासी

293. श्री रिणमल सिंह (सीकर) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सीकर नगर परिषद् की ओर से मोहल्ला खटीकान व मोचियान में से गन्दा पानी निकालने के लिए एक लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस योजना को शुरू भी कर दिया गया था किन्तु एक सवर्ण जाति के व्यक्ति के विरोध के कारण उक्त योजना का कार्य बन्द कर दिया गया है ?

(3) क्या राज्य सरकार उक्त योजना को तुरन्त ही पुनः चालू करना चाहती है जिससे अनुसूचित जाति के दो मोहल्लों को गन्दे पानी व बरसाती पानी से राहत मिल सके ?

उत्तर

(1) जी हाँ।

(2) कार्य प्रारम्भ किया था परन्तु न्यायालय के स्थगन आदेश के कारण अब बन्द है।

(3) अदालत से स्थगन आदेश हटने पर कार्य प्रारम्भ कर दिया जावेगा।

ग्राम खेजडला में पड़ा भारतीय खाद्य निगम का गेहूं

294. श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) ग्राम खेजडला, तहसील बिलाड़ा में भारतीय खाद्य निगम का कितनी मात्रा में गेहूं, कब से राजस्थान स्टेट वेयर हाउस के गोदामों में रखा हुआ है तथा प्रतिमाह कितना किराया गोदाम मालिक को देना पड़ता है ?

(2) क्या यह सही है कि इन गोदामों में रखा हुआ सारा गेहूं गत वर्ष वहां के मैनेजर व कर्मचारियों की लापरवाही से व पोध संरक्षण दवाइयों के दुरुपयोग करने से खराब हो गया, जिससे सरकार को लाखों रुपयों का नुकसान हुआ ? यदि हां, तो सरकार ने वहां के मैनेजर व कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है या क्या करने जा रही है ?

उत्तर

(1) ग्राम खेजडला, तहसील बिलाड़ा में भारतीय खाद्य निगम का दिनांक 3-1-76 से 4-8-76 के बीच में 2220 मेट्रिक टन गेहूं भण्डारण के लिये राजस्थान राज्य भण्डार गृह खेजडला के किराये के गोदामों में जमा करवाया गया।

समय समय पर डिलीवरी लेने के पश्चात् 25-1-79 को केन्द्र पर 357 मेट्रिक टन गेहूं शेष रहा है।

(खाद्य मंत्री)

इस केन्द्र पर 2283 मेट्रिक टन भण्डारण क्षमता के 45 गोदाम 2243 रुपया प्रति माह के किराये पर विभिन्न व्यक्तियों से लिए गये। जैसे जैसे खाद्य निगम द्वारा डिलीवरी ली गई, गोदाम खाली कर मालिकों को सौंपे गये। इस समय 981 मेट्रिक टन क्षमता के 32 गोदाम 963/– रु. प्रति माह किराये पर निगम के पास हैं।

(2) जी नहीं। 1674 मेट्रिक टन गेहूं की श्रेणी में गिरावट आई। गिरावट आने का कारण भण्डारण स्थान की कमी थी। स्थान की कमी के कारण बोरियों के चट्टे लगाते समय, चट्टों के चारों ओर हवा, निरीक्षण आदि के लिए गलियारे नहीं छोड़े जा सके।

श्रेणी में गिरावट आने से गेहूं छनाई करवा कर अपग्रेड किया गया जिस पर 1,13,825·07 का व्यय/नुकसान हुआ। 357 टन शेष रहे गेहूं की डिलीवरी होने के पश्चात् पूर्ण नुकसान की जानकारी हो सकेगी।

तत्कालीन भण्डार प्रभारी द्वारा समय समय पर निरीक्षण नहीं करने के कारण उसके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही जारी है।

हिन्डौन डिपो में एस. टी. टी. पद हेतु चयन

296. श्री उमराव सिंह गूजर (महुआ): क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सन् 1976 में हिण्डौन डिपो के अन्दर 146 आदमियों का एस. टी. टी. चयन किया गया, जिनमें 146 वें व्यक्ति को जो पैनल में अन्तिम था अपाइन्टमेंट दे दिया और बहुत से आदमी जिनका पैनल में नम्बर पहले आता था आज भी मारे मारे फिर रहे हैं और उन्हें नहीं लिया गया?

(2) क्या यह सही है कि इस पैनल के अधिकतर आदमियों को एस. टी. टी. नियुक्ति दी गई जबकि बहुतेरों को डेली वेजेज पर लिया गया है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या जिस आदमी की गल्ती से इस पैनल के व्यक्तियों के साथ खिलवाड़ की गई उस व्यक्ति पर राज्य सरकार कोई एक्शन लेगी? तथा उन व्यक्तियों की क्षतिपूर्ति करेगी या फिर राज्य सरकार का क्या इरादा है?

उत्तर

(1) मार्च, सन् 1976 में हिण्डौन आगार में यातायात प्रशिक्षणार्थी पद पर नियुक्ति हेतु 36 व्यक्तियों का पैनल बनाया गया था। उस पैनल में से 114 व्यक्तियों की नियुक्तियां कर दी गई तथा शेष 22 व्यक्तियों के पते उपलब्ध नहीं होने के कारण नियुक्ति नहीं की जा सकी।

(2) उक्त पैनल के आधार पर 109 नियुक्तियां यातायात प्रशिक्षणार्थी के पद पर दी गई तथा पांच व्यक्ति डेली वेजेज पर लिये गये। आपातकाल में हटाये गये परिचालकों की अपील पर पुनः निगम सेवा में नियुक्तियां दी जानी थीं, इस कारण नियमित नियुक्तियां नहीं की जाकर डेली वेजेज पर भी नियुक्तियां दी गईं।

(142)

(यातायात मंत्री)

(3) उपरोक्त बाईस व्यक्तियों के पते कार्यालय में उपलब्ध क्यों नहीं थे, इस मुद्दे पर जांच प्रारम्भ की जा रही है तथा जांच के निष्कर्षों के आधार पर दोषी पाये जाने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी।

दिल्ली स्थित प्रवासगृहों में विधायकों को ठहरने की सुविधा

297. श्री करतारसिंह (किशनगढ़): क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राज्य सरकार के दिल्ली स्थित राजस्थान हाउस, बीकानेर हाउस एवं जोधपुर हाउस में किन किन व्यक्तियों को, किन किन शर्तों पर ठहरने की सुविधा प्राप्त है?

(2) क्या यह सही है कि उक्त भवन में विधायकों की केवल मात्र माह में एक बार ही लगातार तीन दिन तक ठहरने की सुविधा रियायती दरों पर प्राप्त है? यदि हां, तो क्या यह नियम मन्त्रियों एवं अधिकारियों पर भी लागू होता है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य सरकार के दिल्ली स्थित जोधपुर हाउस में केवल राज्यपाल महोदय एवं मन्त्रीगणों को ही ठहरने की सुविधा है।

राजस्थान हाउस एवं बीकानेर हाउस में राज्य के अधिकृत अधिकारीगण एवं संसद सदस्य, विधान सभा सदस्य एवं राज्य सरकार द्वारा नियुक्त सरकारी समितियों के सदस्य जो राजकार्य से यात्रा पर गये हों, इन व्यक्तियों को सुविधा रियायती दरों पर प्राप्त है।

(2) उक्त दोनों भवनों में विधायकों को लगातार 2 दिन व एक माह में ज्यादा से ज्यादा 4 दिन रियायती दर पर ठहरने की सुविधा प्राप्त है। यदि विधायक किसी समिति या कमेटी के सदस्य के रूप में जाते हैं तो उनके अधिक दिनों तक ठहरने पर कोई पाबन्दी नहीं है।

यह मन्त्रियों एवं अधिकारियों पर लागू नहीं होता है।

कागदीवाड़ा, जयपुर में पीने के पानी की व्यवस्था

298. श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर, ग्रामीण): क्या जन स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि जयपुर शहर के परकोटे के पास बसे ग्राम कागदीवाडा में पीने का पानी जो कि कुओं से प्राप्त होता है काफी खारा व स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है? अगर हां, तो क्या राज्य सरकार वहां पर पीने के पानी के सार्वजनिक नल लगवाने का विचार रखती है? अगर हां, तो कब तक? अगर नहीं, तो क्यों?

उत्तर

निर्धारित मानदण्डों के अनुसार यह पानी पीने योग्य है। इस क्षेत्र में पहले से दो सार्वजनिक नल लगे हुये हैं जो निर्धारित मानदण्डों के अनुसार हैं।

राज्य में चुंगी की समाप्ति

299. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं):– क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नगरपालिकाओं द्वारा वसूल की जा रही चुंगी को समाप्त करने का मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब से ?

(2) राज्य सरकार द्वारा चुंगी समाप्त करने के लिए अभी तक क्या क्या कदम उठाये गये हैं ?

(3) राज्य सरकार नगरपालिकाओं को घाटा पूर्ति के लिए किस प्रकार से क्या सहायता देने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां। 6 दिसम्बर, 1977 से विचाराधीन है।

(2) परीक्षण हेतु कमेटी का गठन किया गया था। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी है जो अब राज्य सरकार के परीक्षणाधीन है।

(3) मामले में अन्तिम निर्णय होने पर ही इस बारे में कुछ कहा जा सकेगा।

राज्य में प्राथमिक शालायें खोलने का आधार

301. श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य में सन् 1978-79 में जो प्राइमरी स्कूल खोले गये हैं उनके लिये क्या मापदण्ड अपनाया गया ?

(2) सन् 1979-80 में जो प्राइमरी स्कूल खोले जायेंगे उनके लिये क्या माप दण्ड अपनाने का राज्य सरकार विचार रखती है ?

(3) क्या शिक्षा विभाग रेगिस्तानी क्षेत्रों में दूरी और रेवेन्यू ग्रामों में जिनकी जनसंख्या एक हजार से आठ हजार तक है उनमें एक से अधिक प्राइमरी स्कूल के खोलने के लिये ढाणियों के चार सौ की जनसंख्या के समूहों का माप दण्ड अपनायेगा ?

उत्तर

(1) सामान्य क्षेत्रों में 400 की जनसंख्या वाले स्थानों पर तथा रेगिस्तानी व आदिवासी क्षेत्रों में 350 की जनसंख्या वाले स्थानों पर प्राथमिक स्कूल खोले गये हैं।

(2) अगले वर्ष सामान्य क्षेत्रों में 330 तथा जनजाति व मरू क्षेत्रों में 300 की जनसंख्या वाले स्थानों पर प्राथमिक विद्यालय खोले जायेंगे।

(3) जी नहीं।

पंचायत समितियों के व्यय में पशु चिकित्सा की व्यवस्था

303. श्री सूरजपालसिंह (भीनमाल) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—–

(श्री सूरजपालसिंह)

क्या यह सही है कि पंचायत समिति की निजी आय से सभी मदों में व्यय का प्रावधान है मगर पशु चिकित्सा हेतु औषधियां खरीदने के लिए प्रावधान नहीं है ? अगर हां, तो क्यों ?

उत्तर

जी हां। विभाग द्वारा निजी आय से पंचायत समिति द्वारा प्राथमिकताऐं ही तय की हुई हैं वह निम्न प्रकार से 'अ' एवं 'ब' श्रेणी की हैं। 'अ' श्रेणी के आइटम्स पर पंचायत समिति को अनिवार्यतः खर्च करना होता है।

'अ' श्रेणी

1—स्टाफ के लिए कुल अनुदान (लम्प-सम ग्रान्ट) में कम पड़ने वाला व्यय।

2—एक वरिष्ठ लिपिक एवं एक कनिष्ठ लिपिक पर खर्च।

3—पंचायत समिति कर्मचारियों की मेडिकल बिलों का भुगतान।

4—पंचायत समिति के सदस्यों का भत्ता।

5—पंचायत समिति के लेखों की आडिट फीस।

6—पंचायत समिति के कर्मचारियों के प्रोवीडेन्ट फण्ड हेतु रकम एवं ब्याज का खर्चा।

7—अधिक उत्पादन योजना (हाई ईल्डिंग प्रोग्राम) के अन्तर्गत रासायनिक खाद व बीज की वसूली पर पटवारियों को दिये जाने वाले कमीशन का खर्चा।

8—शिक्षा उप कर से प्राप्त आय का शिक्षा सम्बन्धी प्रवृतियों पर खर्च।

9—पंचायत समिति कार्यालय भवन पर खर्च।

10—खाद एवं बीज वितरण तथा अन्य ऋण वितरण योजनाओं पर हानि।

'ब' श्रेणी

1—जन सहयोग में पड़ रही कमी को पूर्ण करने हेतु व्यय।

2—पंचायत समिति की बैठकों में चाय आदि पर व्यय।

3—पंचायत समिति जीपों पर निर्धारित सीमा से अधिक पैट्रोल पर खर्च।

4—पंचायत समिति के कर्मचारियों को साईकिल खरीदने हेतु ऋण देना।

5—किसी विकास कार्यक्रम को बढ़ावा देने हेतु पंचायत समिति द्वारा बनायी गई योजनाओं पर खर्च।

6—स्टाफ क्वार्टर की मरम्मत आदि पर खर्च।

7—पंचायत समिति द्वारा चालू की गई योजनाओं जैसे ट्रेक्टर, पम्पिग सेट, कुएं

(पंचायत मंत्री)
गहरे कराने की मशीन, कृषि फार्म इत्यादि के क्रियान्विति पर स्टाफ व अन्य व्यय।

8—पंचायत समिति के कर्मचारियों को अनुदान स्वरूप सहायता।

9—जिला परिषदों की निजी आय बढ़ाने हेतु योगदान पर किया गया खर्चा।

10–पंचायत समिति की जीप के बदलने (रिप्लेस्मेन्ट) पर खर्च।

11–पंचायत समिति पर लगे हुए टेलीफोन पर व्यय।

पशु चिकित्सा औषधियां खरीदने के लिए पंचायत समितियों जिलाधीशों से प्रस्ताव प्राप्त होने पर समय समय पर प्रस्तावों की जांच करके स्वीकृतियां दी जाती हैं।

राजस्थान पथ परिवहन निगम की यूनियन के पदाधिकारियों के कार्य

304. श्री आलम अली खां (फतहपुर) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में यूनियन बनी हुई है उनके पदाधिकारियों से राज्य सरकार कोई कार्य नहीं लेती है? यदि हाँ, तो क्या पदाधिकारियों से कोई कार्य नहीं लेने के संबन्ध में कोई नियम बने हुए हैं? यदि नहीं, तो क्या राज्य सरकार ऐसे कर्मचारियों और अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है?

(2) क्या यह भी सही है कि यूनियन के लोग अपनी मर्जी से भी कई बार आवागमन के रूट को बिना अधिकारियों की स्वीकृति के रोक देते हैं? यदि हां, तो अब तक इस प्रकार के मामलों में क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में केवल मान्यता प्राप्त यूनियन, राजस्थान स्टेट रोडवेज एम्पलाईज यूनियन (एटक) के कुछ पदाधिकारियों को कार्य-मुक्त कर रखा है। इस सम्बन्ध में कोई नियम नहीं बने हुए हैं परन्तु यूनियन द्वारा इस सम्बन्ध में मांग किये जाने पर आपसी वार्तालाप के फलस्वरूप यह सुविधा प्रदान की गई है।

(2) जी नहीं।

समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड के अन्तर्गत चल रही परिवार कल्याण व बाल कल्याण योजनायें

305. श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड के अन्तर्गत परिवार एवं बाल कल्याण योजना चल रही है? क्या इसका सारा खर्चा राज्य सरकार वहन कर रही है? यदि हां, तो कब से?

(श्री गोपाल पचेरवाल)

(2) क्या उक्त योजना में कार्यरत कर्मचारियों पर राजस्थान सेवा नियम लागू हैं ?

(3) क्या उन कर्मचारियों को वेतन भत्ते आदि राज्य कर्मचारियों के समान ही दिए जाते हैं ? तो क्या वेतन आदि का समय पर भुगतान होता है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या उन कर्मचारियों के वेतन से सी. पी. एफ. की राशि काटी जाती है ? यदि हां, तो क्या नियमानुसार सी. पी. एफ. अकाउंट में जमा कराई जाती है ?

उत्तर

(1) जी हां। इनका वर्तमान में सारा खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। पूरी सूचना संलग्न सूची में अंकित है।

(2) जी हां। परन्तु पेन्शन नियम लागू नहीं है जिसकी एवज में भविष्य निधि योजना का लाभ देने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जाना विचाराधीन है।

(3) जी हां। कभी कभी अनुदान देर से मिलने के कारण वेतन आदि का भुगतान समय पर नहीं होता है। रायपुर, कुम्हेर, सिकराय, श्रीमाधोपुर एवं थानागाजी इन पांच योजनाओं का पूर्ण व्यय भार सरकार द्वारा वहन करने का अन्तिम निर्णय अभी नहीं लिया गया है। खर्च की स्वीकृति सितम्बर, 1978 माह तक ही दी गई है जिसके कारण भुगतान में विलम्ब हुआ है।

(4) जी हां। राज्य सरकार का सी. पी. एफ. का हिस्सा देने के निर्णय होने पर यह उनके सी. पी. एफ. अकाउन्ट में जमा करा दी जायेगी।

सूची परिवार एवं बाल कल्याण योजनाएं तथा दिनांक, जब से इनका खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है।

क्र. सं.	नाम योजना	दिनांक जब से राज्य सरकार द्वारा पूर्ण व्यय भार का उत्तरदायित्व आया है।
1	2	3
1.	गोविन्दगढ़	1–4–76
2.	झालरापाटन	1–4–76
3.	मालवी	1–4–75
4.	मण्डोर	1–4–73
5.	कोटड़ी	1–4–77

1	2	3
6.	झोटवाडा	1–4–73
7.	सिरोही	1–4–77
8.	रायपुर	1–4–78
9.	कुम्हेर	1–4–78
10.	सिकराय	1–4–78
11.	श्रीमाधोपुर	1–4–78
12.	थानागाजी	1–4–78

झालावाड़ जिले में आयुर्वेद चिकित्सा की सुविधा

307. श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा (झालावाड़) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) झालावाड़ जिले में प्रत्येक पंचायत समिति में आयुर्वेदिक औषधालय कहां कहां पर स्थापित हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि कई स्थानों पर एलोपैथिक एवं आयुर्वेदक दोनों चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हैं और क्या राज्य सरकार उचित नहीं समझती कि इन दोनों को पृथक् पृथक् रखा जाना जन हित में आवश्यक होगा ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति वार संचालित आयुर्वेदिक, यूनानी व होम्योपैथिक औषधालयों व चिकित्सालयों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) यह सही है कि कई स्थानों पर एलोपैथिक एवं आयुर्वेदिक दोनों चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध हैं। इन दोनों को पृथक् पृथक् रखा जाना फिलाहाल आवश्यक नहीं है।

जिला झालावाड़ में संचालित आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथिक औषधालयों की पंचायत समिति वार सूची

ग्रामीण क्षेत्र में औषधालय, चिकित्सालय

		ग्राम का नाम जहां औषधालय है।	चिकित्सा पद्धति
1	2	3	4
पंचायत समिति	खानपुर	1. पनवाड़	आयुर्वेदिक
		2. हरिगढ़	,,

(148)

1	2	3	4
		3. दही खेडा	आयुर्वेदिक
		4. जोल्या	,,
		5. तारज	,,
		6. गोलाना	,,
		7. भीमसागर डेम	,,
पंचायत समिति	डग	1. डग	आयुर्वेदिक
		2. दूधालिया	,,
		3. कराधन	,,
		4. देवगढ़	,,
		5. घतूरिया	,,
		6. कुंडला	,,
		7. उन्हेल नागादेव	,,
		8. बेडला	,,
		9. चौमहल्ला	,,
		10. नन्दपुर	,,
		11. आवर	,,
पंचायत समिति	झालरापाटन	1. कनवाडा	आयुर्वेदिक
		2. मन्डावर	,,
		3. पीपलिया	,,
		4. गुरडिया जोगा	,,
		5. झूमकी	,,
		6. पनवासा	,,
		7. भीलवाडी	,,
		8. समराई	,,
		9. रामनिवास घाटोद	,,
		10. रूपारेल	,,
		11. मिश्रोली	,,

1	2	3	4
पंचायत समिति	बकानी	1. रीछवा	आयुर्वेदिक
		2. रटलाई	,,
		3. सरडा	,,
		4. सलावद	,,
		5. मालता	,,
		6. घाटोली	,,
		7. दित्याखेडी	,,
		8. देवरी कलां	,,
पंचायत समिति	मनोहरथाना	1. कोलूखेडी	आयुर्वेदिक
		2. लसोडियाशाह	,,
पंचायत समिति	पिडावा	1. हिम्मतगढ़	आयुर्वेदिक
		2. रायपुर	,,
		3. माथनिया	,,
		4. कनवाडी	,,
		5. कोटडी	,,
		6. गादिया	,,
		7. घरोनिया	,,
		8. काली तलाई	,,
		9. उन्हेल सुनेल	,,
		10. फतेगढ़	,,
		11. दुबालिया	,,

शहरी क्षेत्र के औषधालय, चिकित्सालय

1. राज० 'अ' श्रेणी आयुर्वेदिक चिकित्सालय, झालावाड़ ।
2. ,, आयुर्वेदिक औषधालय, पिडावा ।
3. ,, यूनानी ,, ,,
4. ,, होम्योपैथिक ,, झालरापाटन ।

(150)

आपातकाल में पत्रकारों के साथ ज्यादतियां

308. श्री गुरुशरण छाबड़ा (सूरतगढ़) : क्या जन सम्पर्क मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि आपातकाल में पत्रकारों के साथ हुई ज्यादतियों की जांच के लिये भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी की नियुक्ति की गई थी ? यदि हां, तो इस जांच का क्या परिणाम निकला ?

(2) क्या राज्य सरकार उन ज्यादतियों के शिकार पत्रकारों को सुविधा देगी ? यदि हां, तो किस प्रकार की होगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं। लेकिन आपातकाल के दौरान सेंसरशिप के अधिकारों का दुरुपयोग करने, पत्रों के घोषणा पत्रों को निरस्त करने, पत्रकारों को गिरफ्तार करने आदि के संबंध में श्वेत-पत्र तैयार करने के लिए एक भारतीय प्रशासनिक अधिकारी को नियुक्त किया गया था। उस अधिकारी ने श्वेत-पत्र तैयार कर लिया है जिसे शीघ्र ही प्रकाशित कर दिया जायेगा।

(2) आपातकाल के दौरान जिन पत्रों को विज्ञापन सूची से निरस्त कर दिया गया था और जिन पत्रकारों की अधिस्वीकरण की सुविधाएं निरस्त कर दी गई थीं, उन्हें आपातकाल से पूर्व की स्थिति प्रदान कर दी गई है।

राज्य में नई वितरण व्यवस्था

310. श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जुलाई, 1979 से नई वितरण व्यवस्था लागू होने जा रही है ? यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

(2) इस व्यवस्था को राज्य में किस रूप में लागू किया जायगा और कितना खर्चा बढ़ेगा और आज इस पर कुल प्रशासनिक खर्चा कितना है ?

उत्तर

(1) केन्द्र सरकार का जुलाई, 1979 से नई वितरण व्यवस्था प्रारम्भ करने का इरादा है। जिसके मुख्य उद्देश्य निम्न हैं :—

1—आवश्यक वस्तुओं की उत्पादन क्षमता में वृद्धि करना।

2. आवश्यक वस्तुओं की अवाप्ति कर, संग्रहण करना।

3—आवश्यक वस्तुओं का जन वितरण प्रणाली के माध्यम से उपभोक्ताओं को वितरित करवाना।

4—आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में सभी स्थानों के लिये एक-रूपता लाना।

5—आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धि में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के असंतुलन को समाप्त करना।

6—सहकारी संस्थाओं को उक्त कार्य हेतु विकसित करना।

7—उचित मूल्य की दुकानें समुचित संख्या में खोलना।

(2) सार्वजनिक वितरण व्यवस्था केन्द्र सरकार की योजना है। सारे भारत में एकरूपता के लिए योजना की प्रारम्भिक रूप-रेखा केन्द्र सरकार द्वारा तय होगी और इसके बाद ही राज्य सरकार प्रदेश में उसे लागू करेगी। क्योंकि अभी तक केन्द्र सरकार द्वारा विस्तृत रूपरेखा उपलब्ध नहीं हुई है अतः अभी यह कहना संभव नहीं है कि इसे प्रदेश में किस रूप में लागू किया जावेगा व कितना प्रशासनिक खर्चा बढ़ेगा।

राज्य में पूर्ण नशाबन्दी

311. श्री गिरधारीलाल भार्गव (किशनपोल बाजार, जयपुर)।

श्री बहादुर सिंह (नोहर)।

श्री शंकरलाल (जैतारण)।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राजस्थान में कितने जिलों में पूर्ण नशाबन्दी की घोषणा अब तक राज्य सरकार द्वारा की जा चुकी है।

(2) संपूर्ण राजस्थान में पूर्ण शराब-बन्दी कब तक कर दी जावेगी? कृपया निश्चित तिथि बताने का कष्ट करें।

(3) क्या यह सही है कि पूर्ण शराब बन्दी कर दिये जाने के कारण राज्य को होने वाले आर्थिक नुकसान को अन्य प्रकार से पूरा कर लिया जावेगा? यदि हां, तो पूर्ण शराब बन्दी करने में राज्य सरकार को क्या कठिनाई आ रही है?

(4) क्या शराब बन्दी से होने वाले आर्थिक नुकसान की पूर्ति करने के लिये मुख्य मंत्री जी ने केन्द्रीय नेताओं से विचार विमर्श किया है?

उत्तर

(1) राज्य के 13 जिलों तथा अन्य जिलों की 12 तहसीलों में पूर्ण नशा-बंदी की जा चुकी है।

(2) मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(3) मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(4) जी हां।

आपातकाल में राजस्थान स्टेट को-आपरेटिव बैंक जयपुर द्वारा छपवाई गई पास बुकें

312. श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या श्री गुलाबसिंह शक्तावत आपातकाल में राजस्थान स्टेट को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड जयपुर के अध्यक्ष थे?

(2) क्या यह सही है कि उस समय किसानों को ऋण हेतु दी जाने वाली पास बुकें लाखों की तादाद में छपवा कर सभी जिला सहकारी बैंकों को बिना आर्डर 0·25 पैसा प्रति पास बुक के हिसाब से सप्लाई की गई?

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

(3) क्या यह भी सही है कि बैंकों द्वारा सभी जिला सहकारी बैंकों एवं समितियों को जबरदस्ती हजारों पास बुकें भेजी गई और चुंगी एवं ट्रांसपोर्ट का खर्चा उन्हें भुगतना पड़ा ?

(4) क्या यह भी सही है कि ऐसी ही पास बुकें उदयपुर सेन्ट्रल को-ओपरेटिव बैंक कर्मचारी सहकारी समिति 0·12 पैसे में बेच रही थी ? यदि हां, तो उससे नहीं खरीद कर पच्चीस पैसे में श्री गुलाबसिंह जी ने अपने प्रभाव से क्यों भेजी ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां, सम्पूर्ण राज्य में पास बुकों में एक-रूपता लाने की दृष्टि से केन्द्रीय सहकारी बैंकों के अध्यक्षों के सम्मेलन दिनांक 26-4-76 में लिये गये निर्णय एवं विभागीय निर्देशन के आधार पर शीर्ष सहकारी बैंक द्वारा 23 लाख पास बुकें राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय से छपवाई जाकर जिले के केन्द्रीय सहकारी बैंकों को 0·25 पैसा प्रति पास बुक के हिसाब से भेजी गई।

(3) पास बुकें प्रश्न संख्या 2 में दिये गये उत्तर के अनुरूप शीर्ष बैंक द्वारा छपाई जाकर जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों को समितियों की तत्कालीन सदस्यों की संख्या (Existing membership) एवं सदस्यता वृद्धि के लक्ष्यों को ध्यान में रखकर वितरण की गई हैं। पास बुकों को भेजने पर ट्रांसपोर्ट व्यय एवं चुंगी खर्चा सम्बन्धित बैंकों द्वारा वहन किया गया था।

(4) जी नहीं।

राज्य में रत्न उद्योग को कर मुक्त करने का मामला

313. श्री गुल मोहम्मद (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान में रत्न उद्योग पर बहु बिन्दु विक्रय कर है ?

(2) राज्य सरकार की इस उद्योग से कर के रूप में होने वाली आय का ब्यौरा पिछले 15 वर्षों का सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या और किसी राज्य में भी रत्न उद्योग पर बहु बिन्दु विक्रय कर लगा हुआ है ?

(4) यदि नहीं तो क्या राज्य सरकार रत्न उद्योग को कर मुक्त करने का विचार रखती है ?

(5) यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जवाहरात एवं पत्थर (खरड़ को सम्मिलित करते हुए) चाहे वे कीमती अर्द्ध कीमती और मोती (चाहे वह सच्चा हो या कृत्रिम) से आय के आंकड़े वर्ष 1964–65 से पूर्व संग्रहित नहीं किये जाते थे।

(वित्त मंत्री)

वर्ष 1971–72 से कृत्रिम जवाहरात व पत्थर शीर्षक से अलग से सूचना एकत्र की गई है। इससे पूर्व उक्त सूचना में ही सम्मिलित थी।

वर्ष 1976–77 से बाद की सूचना अभी तक एकत्र नहीं हो सकी है, कार्य चालू है।

वर्ष 1964–65 से वर्ष 1976–77 की सूचना परिशिष्ट 'क' में संलग्न है।

(3) सूचना अन्य राज्यों से एकत्रित की जा रही है।

(4) राज्य सरकार ने इस उद्योग के सभी वस्तुओं का परीक्षण करने हेतु एक समिति गठित की है। समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने पर राज्य सरकार विचार करेगी।

(5) उपरोक्त समिति का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर निर्णय लिया जाना संभव होगा।

परिशिष्ट 'क'

नोट—रुपये लाखों में

जवाहरात व पत्थर एवं कृत्रिम जवाहरात व पत्थर से प्राप्त विक्रीकर आय का विवरण

मद	वर्ष												
	64–65	65–66	66–67	67–68	68–69	69–70	70–71	71–72	72–73	73–74	74–75	75–76	76–77
1. जवाहरात एवं पत्थर (Gems & Stone) खरड़ को सम्मिलित करते हुए, (चाहे वे कीमती हों या अर्द्ध कीमती) और मोती (चाहे वह सच्चा हो या कृत्रिम)	0·50	2·07	4·10	6·18	17·95	7·72	15·00	14·47	26·07	25·61	46·74	33·91	37·95
2. कृत्रिम जवाहरात व पत्थर	—	—	—	—	—	—	—	2·46	1·50	2·37	1·43	1·49	1·68

टिप्पणी :—1. मद संख्या में वर्णित आय वर्ष 1964–65 से 1970–71 तक कीमती पत्थर व मोती नामक शीर्ष के अन्तर्गत संग्रहीत की जाती थी।

2. मद संख्या 2 की आय वर्ष 1970–71 तक पद संख्या प्रथम में ही सम्मिलित की जाती थी।

3. 1964–65 से पूर्व आंकड़े संग्रहीत नहीं किये गये थे।

जालौर जिले की सहकारी समितियों में अनुसूचित जाति व जन-जाति की सदस्यता

314. श्री रघुनाथ विश्नोई (जालौर): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार की नीति के अनुसार जिला जालौर में सहकारी समितियों में 1/3 सदस्य अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के बनाने आवश्यक थे ? यदि हां, तो क्या सदस्य बना दिये गये हैं ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं तो क्यों ?

(2) अब तक उपरोक्त सरकारी नीति की पालना न करने की जुम्मेदारी किसकी है तथा उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? भविष्य में कब तक क्या कार्यवाही की जावेगी ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा ऐसी कोई नीति निर्धारित नहीं की गई है जिसके तहत सहकारी समितियों में 1/3 सदस्य अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के होने आवश्यक हों।

(2) ऐसा प्रावधान नहीं होने से कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं है।

राज्य में अभ्रक उद्योग को प्रोत्साहन

315. श्री कौशल किशोर जैन (भीलवाड़ा) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य में अभ्रक की व्यवस्थित कटिंग न होने के कारण अभ्रक को उचित बाजार नहीं मिल रहा है ?

(2) क्या राज्य सरकार ने भारतीय व्यापार निगम के सामने इस प्रकार के प्रशिक्षण की व्यवस्था करने पर 50 प्रतिशत खर्चा वहन करने का प्रस्ताव रखा है ?

(3) क्या यह भी सही है कि अभ्रक कटिंग व्यवस्थित होने पर मिटको मध्य प्रदेश सरकार को यह अनुरोध करेगा कि वह बिहार की अपेक्षा राजस्थान से अभ्रक खरीदे ?

(4) क्या राज्य सरकार राजस्थान में अभ्रक उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए एक बड़ा कारखाना लगाने का विचार कर रही है ?

(5) क्या प्रस्तावित कारखाना भीलवाड़ा में होगा या टोंक में ?

उत्तर

(1) हां, यदि व्यवस्थित कटिंग से तात्पर्य माइका स्प्लिटिंग (Splitting) का है।

(2) हां, हाल ही में दिनांक 29-1-79 को विशिष्ट शासन सचिव खान विभाग के कक्ष में हुई (Mica finding Committee की मीटिंग में यह तय किया गया कि प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी (Trainee) को मिलने वाले 100/-रु० प्रति माह के स्टाईफन्ड (Stipend) की राशि का 50 प्रतिशत राज-

(156)

(खनिज मंत्री)
स्थान राज्य औद्योगिक एवं खनिज विकास निगम या राज्य सरकार वहन करेगी व बाकी 50 प्रतिशत अभ्रक के पट्टेधारी व व्यापारियों द्वारा वहन करना तय किया गया। प्रशिक्षण के लिए व्यक्ति व अभ्रक, पट्टेधारी व व्यापारियों द्वारा उपलब्ध कराया जाना तय हुआ है। स्टाइफन्ड राशि के अलावा बाकी का वेतन अभ्रक के पट्टेधारी व व्यापारियों द्वारा वहन किया जावेगा।

(3) हां। मिटको के अध्यक्ष ने यह आश्वासन दिया है कि माईका स्प्लिटिंग के लिए 100 व्यक्तियों का प्रशिक्षण पूर्ण होने पर, वे मध्य प्रदेश सरकार से यह अनुरोध करेंगे कि भारत हेवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड (बी. एच. ई. एल.) भोपाल, अपनी 120 टन माईका स्प्लिटिंग प्रति वर्ष की मांग की पूर्ति बिहार की अपेक्षा अपने समीप के प्रदेश राजस्थान से करे। यदि यह अनुरोध स्वीकार कर लिया जाता है तो मिटको राजस्थान का छोटी साइज का समस्त अभ्रक, जो स्प्लिटिंग के योग्य है, खरीद लेगा व भीलवाड़ा में माईका स्प्लिटिंग की फैक्ट्री खोल देगा। अध्यक्ष मिटको ने चाहा है कि राज्य सरकार केन्द्र द्वारा इस ओर प्रयास करें।

(4) अभी ऐसी कोई योजना नहीं है।

(5) प्रश्न नहीं उठता।

राजस्थान नहर परियोजना द्वारा जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को पाइपों का बेचान

315. श्री बजरंगलाल शर्मा (बनीपार्क जयपुर) : क्या राजस्थान नहर परियोजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान नहर परियोजना द्वारा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को कुछ पाईप बेचा गया है ? यदि हां, तो कितना और उसका मूल्य क्या है ?

(2) राजस्थान नहर परियोजना ने यह पाइप किस तिथि को किस भाव खरीदा तथा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को किस तिथि को किस भाव से बेचा ?

(3) इस पाइप को बेचने का क्या उद्देश्य था ?

उत्तर

(1) जी हाँ, यह सही है कि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग को राजस्थान नहर परियोजना द्वारा पाईप बेचा गया था। 18" व्यास (डाईमीटर) का 10199 मीटर व 14" व्यास (डाईमीटर) का 3100 मीटर पाईप बेचा गया था। इन पाइपों का मूल्य 13,22,393.37 रुपये था।

(2) पाइप वर्ष 1965 में खरीदा गया था। 18" पाईप की लागत 1133 रुपये प्रति टन व 14" पाइप की लागत 886 रुपये प्रति टन थी। यह पाईप जन अभियांत्रिकी विभाग को लागत कीमत पर ही मार्च, 1978 व जनवरी, 1979 के मध्य दिया गया था।

(राजस्थान नहर परियोजना मंत्री)

(3) यह पाइप जन अभियांत्रिकी विभाग को उनकी आवश्यकतानुसार बीकानेर शहर के वाटर सप्लाई के कार्य हेतु दिया गया था।

राज्य के कारागृहों में विचाराधीन बन्दी

317. श्री ईश्वरचन्द्र (पिड़ावा) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य के कारागृहों में कितने विचाराधीन कैदी (under trial prisoners) किन किन धाराओं के अन्तर्गत कितनी कितनी अवधि से बन्दी हैं ? जिलेवार विवरण देने की कृपा करें।

(2) क्या राज्य सरकार इस श्रेणी के कैदियों को विशेष सुविधा देने का इरादा रखती है ?

उत्तर

(1) राज्य की विभिन्न कारागृहों एवं उप कारागृहों में दिनांक 31-12-78 को 2,795 विचाराधीन बन्दी थे। इन बन्दियों का अपराधानुसार व कारागृह/उप कारागृह में बिताई गयी अवधि का जिलेवार विवरण संलग्न है।

(2) विचाराधीन बन्दियों को वर्तमान में जो सुविधाऐं उपलब्ध हैं, वे पर्याप्त प्रतीत होती हैं। इनके मुकदमों का शीघ्र निपटारा कराने तथा इनकी विचाराधीन अवधि को कम करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर विचार विमर्श किया जा रहा है।

विभिन्न अपराधों के अन्तर्गत विचाराधीन बंदियों द्वारा करागृह में व्यतीत की गई अवधि अनुसार वर्गीकरण

अपराध ।	धारायें	1 माह तक	2 माह तक	3 माह तक	3–6 माह	6–12 माह	12–18 माह	18–24 माह	2–3 वर्ष	3–4 वर्ष	4–5 वर्ष	5–10 वर्ष	10 वर्ष से अधिक	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
हत्या ।	302, 307, 309	244	142	106	134	163	100	15	16	1	–	2	1	924
डकैती ।	395, 396	33	26	21	32	25	36	18	7	–	–	–	–	198
लूट । ठगी ।	393	9	6	2	8	5	–	–	–	–	–	–	–	30
चोरी ।	379, 380, 411, 457	220	94	99	121	68	36	4	12	–	2	–	–	656
धोखा घड़ी ।	417, 420	18	11	8	3	4	1	–	1	–	–	–	–	46
अपहरण ।	365, 366	13	15	5	7	2	3	–	–	–	–	–	–	45
बलात्कार ।	376	19	9	8	11	1	1	–	–	–	–	–	–	49
चोट ।	323, 224, 426	48	38	15	34	8	–	–	1	–	–	–	–	144
आवारागर्दी ।	107, 109, 110 सी. आर. पी. सी.	114	53	12	24	2	–	–	–	–	–	–	–	205

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
अप्राकृतिक मैथुन । 377		1	–	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	4
आर्म्स एक्ट		4	5	8	4	–	–	–	–	–	–	–	–	21
पासपोर्ट एक्ट		15	7	–	8	4	6	–	–	–	–	–	–	40
भ्रष्टाचार । 161		–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
रेलवे एक्ट		12	6	–	1	5	–	–	–	–	–	–	–	24
जुआ एक्ट		7	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	8
आबकारी एक्ट		61	21	10	5	12	–	–	–	–	–	–	–	109
खाद्य पदार्थ में मिलावट एक्ट		2	1	3	–	3	–	–	–	–	–	–	–	9
अन्य		142	49	53	88	–	–	–	–	–	–	–	–	282
योग		962	483	350	434	302	184	37	37	1	2	2	1	2,795

विभिन्न अपराधों के अन्तर्गत विचाराधीन बंदियों का जिले वार विवरण

क्र० सं०	जिले का नाम	हत्या	डकैती	लूट-पाट	चोरी	धोखा धडी	अपहरण	बलात्कार	चोट	आवारा गर्दी	अप्राकृतिक मैथुन	आर्म्स एक्ट	पासपोर्ट एक्ट	भ्रष्टाचार	रेल्वे एक्ट	जुआ एक्ट	आबकारी एक्ट	खाद्य पदार्थ मिलावट एक्ट	अन्य	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	अजमेर	21	—	2	68	2	2	2	26	15	1	—	—	—	—	—	13	—	6	158
2.	अलवर	73	9	1	26	1	—	5	7	10	—	—	—	—	—	—	3	—	48	183
3.	बांसवाड़ा	2	18	4	15	—	4	3	—	8	—	—	—	—	—	—	5	—	2	61
4.	बाड़मेर	7	1	—	7	—	—	3	1	3	—	—	9	—	—	—	—	—	9	40
5.	भरतपुर	77	82	5	20	3	3	2	3	19	—	2	—	—	—	—	1	—	—	217
6.	भीलवाड़ा	26	2	3	14	1	3	1	—	10	—	—	—	—	—	—	2	—	3	65
7.	बीकानेर	40	1	—	10	—	—	—	16	20	—	6	2	—	—	—	7	—	15	117
8.	बूंदी	37	3	—	15	2	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	17	77
9.	चुरू	38	4	—	13	—	—	—	1	6	—	—	—	—	—	—	5	—	—	67
10.	चित्तौड़गढ़	21	—	1	22	4	2	1	8	6	—	—	—	—	—	—	—	—	6	71
11.	डूंगरपुर	18	—	—	3	—	2	—	1	1	—	—	—	—	—	—	4	—	5	32
12.	गंगानगर	85	1	1	23	3	—	3	12	36	2	6	13	—	—	1	14	—	3	204
13.	जयपुर	55	10	3	100	7	8	2	11	20	—	—	6	1	3	—	9	1	84	320
14.	जैसलमेर	10	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	9	—	—	—	—	—	1	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
15.	जालौर	15	2	—	1	—	—	—	3	5	—	—	—	—	—	—	—	—	4	30
16.	झालावाड़	60	—	1	32	3	1	5	20	3	—	2	—	—	—	—	7	—	1	135
17.	झुन्झुनू	10	—	—	6	—	—	—	2	3	—	—	—	—	—	—	5	—	21	47
18.	जोधपुर	25	—	1	18	1	—	—	1	2	—	1	1	—	5	2	7	—	16	80
19.	कोटा	83	23	6	83	15	7	6	14	11	1	3	—	—	16	5	11	6	1	291
20.	नागौर	47	1	—	18	1	2	1	—	3	—	—	—	—	—	—	2	—	11	86
21.	पाली	8	6	—	33	—	3	—	5	4	—	—	—	—	—	—	—	—	10	69
22.	सवाईमाधोपुर	25	24	2	22	1	3	5	—	4	—	—	—	—	—	—	1	—	9	96
23.	सीकर	6	5	—	32	—	—	—	2	2	—	1	—	—	—	—	6	—	3	57
24.	सिरोही	21	1	—	24	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	49
25.	टोंक	60	—	1	7	1	2	3	2	8	—	—	—	—	—	—	2	1	1	88
26.	उदयपुर	54	5	—	44	1	2	5	8	5	—	—	—	—	—	—	4	1	5	134
	योग	924	198	30	656	46	45	49	144	205	4	21	40	1	24	8	109	9	282	2795

बालोतरा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी

318. श्रीमती मदन कौर (पचपदरा) : क्या कारागृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि श्रीमती इन्दिरा गांधी के लोक सभा से निष्कासन के क्रम में बालोतरा (जिला बाड़मेर) में कांग्रेस दल के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया ? कृपया तिथि वार उसकी संख्या दर्शाते हुए विवरण सदन की मेज पर रखें ?

(2) क्या उन कार्यकर्ताओं को उनके बंदी रहने की अवधि में बालोतरा की जेल में रखा गया ? कृपया उन कार्यकर्ताओं के नाम की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उस अवधि में बालोतरा की जेल में उन राजनैतिक बन्दियों के अलावा कोई और भी बन्दी थे ? यदि हां, तो उनकी संख्या और नाम की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) क्या यह सही है बन्दी बनाये गये कार्यकर्ताओं को विषाक्त भोजन दिया गया, जिसके फलस्वरूप कई कार्यकर्ता गंभीर रूप से बीमार हो गये ?

(5) उक्त अवधि में बालोतरा जेल में राशन सप्लाई का किसका ठेका था ? क्या उस ठेकेदार के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई।

(6) क्या यह सही है कि संबंधित ठेकेदार विषाक्त भोजन की घटना के बाद कुछ दिन लापता रहा ? क्या उस ठेकेदार का किसी राजनैतिक दल से संबंध है ? यदि हां, तो किस दल से ?

उत्तर

(1) बालोतरा (जिला बाड़मेर) में कुल 101 आन्दोलनकारी गिरफ्तार होकर उप-कारागृह बालोतरा में रखे गये थे, जिनका तिथिवार विवरण निम्नांकित है :-

[1] दिनांक 20-12-78	54
[2] दिनांक 21-12-78	29
[3] दिनांक 22-12-78	8
[4] दिनांक 23-12-78	7
[5] दिनांक 25-12-78	3
	101

(2) जी हां, परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(3) जी हां। आन्दोलनकारियों के अलावा दिनांक 20-12-78 से दिनांक 28-12-78 तक की अवधि में 9 बंदी इस कारागृह में आए थे, जिनकी सूची परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है।

(4) यह सही नहीं है। ग्यारह आन्दोलनकारी बंदियों द्वारा उल्टी (वमन) की शिकायत करने पर उनका उपचार करा दिया गया।

(5) इस अवधि में श्री मोहनलाल पुत्र पुखराज मोदी का उप-कारागृह, बालोतरा पर राशन सप्लाई का ठेका था।

(कारागृह मंत्री)
विषाक्त सामग्री प्रमाणित होने पर ही ठेकेदार के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है। चूंकि ऐसा नहीं हुआ, अतः कोई कार्यवाही नहीं की गई।

(6) घटना के बाद ठेकेदार लापता नहीं हुआ अपितु दिनांक 23-12-78 को प्रातः 7 बजे प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजनैतिक अनबन के कारण वह राशन सप्लाई नहीं करेगा और राशन सप्लाई पर जो व्यय होगा वह उसे देने को तैयार है। दिनांक 23-12-78 से मोदी के पैसों से श्री जाहरपुरी द्वारा तमाम सामान नियमानुसार क्रय कर आन्दोलनकारियों को 29-12-78 तक दिया गया है। श्री मोहन लाल पुत्र पुखराज ठेकेदार के परिवार का सम्बन्ध जनता पार्टी से है।

परिशिष्ट "क"

दिनांक 20-12-78 से दिनांक 28-12-78 की अवधि में उप-कारागृह, बालोतरा में दाखिल हुए कांग्रेस [आई] आन्दोलन से सम्बन्धित बन्दियों की सूची।

1. श्री खीमाराम पुत्र हरीराम चौधरी।
2. ,, पेमाराम पुत्र फकीराराम मेघवाल।
3. ,, बलवन्त सिंह पुत्र जसवंत सिंह।
4. ,, सज्जन सिंह पुत्र शत्रुशाल सिंह चारण।
5. ,, बलदेव पुत्र पेमाराम सरगरा।
6. ,, हरिया पुत्र चैनाराम।
7. ,, हुकमाराम पुत्र वेजाराम।
8. ,, देवीलाल पुत्र मगना जी माली।
9. ,, पदमा पुत्र वीर जी मेघवाल।
10. ,, ओमप्रकाश पुत्र जोरपुर जी स्वामी।
11. ,, वोताराम पुत्र पिताराम मेघवाल।
12. ,, ईश्वर गोयल पुत्र जयराम गोयल।
13. ,, नीरू राम पुत्र प्रताप जी जटिया।
14. ,, मोहन लाल पुत्र जीणा राम जटिया।
15. ,, घेदर चन्द पुत्र नैना राम जी छांची।
16. ,, अमरा राम पुत्र दुर्गा राम चौधरी।

17. श्री जसराज पुत्र प्रताप जी छांची ।
18. ,, डूंगर सिंह पुत्र बाद सिंह राजपूत ।
19. ,, नेमीचन्द पुत्र चिमना राम मोची ।
20. ,, पनीर पुत्र अल्लाबक्स मुस्मात ।
21. ,, अभय सिंह पुत्र सहदेव सिंह पुरोहित ।
22. ,, लुम्बा राम पुत्र हीरा राम चौधरी ।
23. ,, भील राम पुत्र नाना राम चौधरी ।
24. ,, चम्पालाल पुत्र हरीलाल मेघवाल ।
25. ,, रमेश पुत्र भोलाराम श्रीमाली ।
26. ,, अल्लाबक्श पुत्र नन्नू जी तेली ।
27. ,, मोहन लाल पुत्र देवीलाल नाई ।
28. ,, रमेश कुमार पुत्र रामनिवास ब्राह्मण ।
29. ,, लूणाराम पुत्र उका राम ।
30. ,, बाबूलाल पुत्र गोपाल जी पालीवाल ।
31. , रूपचन्द पुत्र अमरा जी ।
32. ,, नारायण राम पुत्र पदार जी ।
33. ,, गोविन्दराम पुत्र चैना जी मोची ।
34. ,, छगन लाल पुत्र रावत राम मेघवाल ।
35. ,, जोगा राम पुत्र जटार जी प्रजापत ।
36. ,, हजारीराम पुत्र हीरा जी मेघवाल ।
37. ,, कलाराम पुत्र हीमताजी ।
38. ,, लूणकरण पुत्र बालाजी माली ।
39. ,, देवराम पुत्र लक्ष्मण जटिया ।
40. ,, त्रिलोकचन्द पुत्र भैरूलाल माली ।
41. ,, पारस राम पुत्र मांगी लाल ।
42. ,, घेवरचन्द पुत्र गुलाब चन्द कलाल ।
43 ,, राणाराम पुत्र ईदाजी मेघवाल ।
44 ,, रिचमल पुत्र बांका प्रजापत ।
45. ,, राणाराम पुत्र गोमाराम जाट ।

165

46. श्री माईदान पुत्र मेघराज पालीवाल ।
47. ,, भूराराम पुत्र भैराराम जाट ।
48. ,, निमनाराम पुत्र उदाराम भील ।
49. ,, बालाराम पुत्र काबाराम जाट ।
50. ,, भंवरलाल पुत्र कोलाराम ।
51. ,, केसरी मल पुत्र नरसिंह ।
52. ,, अमरा राम पुत्र दौलाराम ।
53. ,, रुगनाथ राम पुत्र पूनमराम ।
54. ,, हरीराम पुत्र किशनराम माली ।

दिनांक 21–12–78

1. ,, मोहन पुत्र मोती राम भील ।
2. ,, भैरा राम पुत्र भगवाना राम जाट ।
3. ,, वनडा राम पुत्र नवाजी मेघवाल ।
4. ,, मांगी लाल पुत्र आईदान ।
5. ,, गबरूद्दीन पुत्र ईदूजी शीरू मुसलमान ।
6. ,, मौ० रफीक नूर मौहम्मद मुसलमान ।
7. ,, वेहना राम पुत्र मोडा जी मेघवाल ।
8. ,, मेहरा पुत्र शमेला ।
9. ,, रावता राम पुत्र नीमना मेघवाल ।
10. ,, पता राम पुत्र काला राम भील ।
11. ,, शिमरथा पुत्र ईद्रा राम जाट ।
12. ,, गोरधन पुत्र भूरा जी नाई ।
13. ,, मांगी लाल पुत्र बीरजी मेघवाल ।
14. ,, संताराम पुत्र कुम्भा राम जाट ।
15. ,, धनराज पुत्र बंशी जी मोची ।
16. ,, केवलचन्द पुत्र तगजी माली ।
17. ,, भीरू जी पुत्र नाथू राम पालीवाल ।
18. ,, शीशराम पुत्र मोडाजी मेघवाल ।

166

19. श्री नरसिंह पुत्र सदा मेघवाल ।
20. ,, रतन लाल पुत्र सीताराम पालीवाल ।
21. ,, केवल चन्द पुत्र मंगला राम मेघवाल ।
22. ,, मीठाराम पुत्र राणा राम ।
23. ,, अल्ला राम पुत्र ताराजी हरिजन ।
24. ,, खीमाराम पुत्र नारायण लाल जाट
25. ,, कुम्भाराम पुत्र रावताराम जाट
26. ,, चतुराराम पुत्र खुरसाराम जाट
27. ,, खेताराम पुत्र पोखर राम जाट
28. ,, रामेश्वर लाल पुत्र अमोलक चन्द
29. ,, चौथाराम पुत्र केवल जी

दिनांक 22–12–78

1. श्री संवरसिंह पुत्र हरिसिंह चारण
2. ,, नेकुता पुत्र जासूसा मुसलमान
3. ,, थाराराम पुत्र सानाराम
4. ,, मालीराम पुत्र हस्तीमल
5. ,, चंदन मल पुत्र ऊकाराम
6. ,, अब्दुल रहमान पुत्र अली जी
7. ,, गिरधारी पुत्र सेवाराम मोची
8. ,, कुन्दन मल पुत्र गुलाराम मोची

परिशिष्ट "ख"

उप-कारागृह बालोतरा के अन्य बंदियों की सूची जो दिनांक 20–12–78 से 28–12–78 की अवधि में उप कारागृह में रहे

क्र, सं.	बंदी का नाम	प्रवेश की दिनांक	अपराध की धारा
1.	सबलसिंह पुत्र गेमरसिंह राजपूत	6–10–77	302 आई.पी.सी.
2.	लाला पुत्र चेतनराम वजीर	6–10–78	302 आई.पी.सी.

3.	खेतोया पुत्र सोना भील	18–11–78	379 आई.पी.सी.
4.	मंगलदास पुत्र वरद दास भील	29–11–78	326 आई.पी.सी.
5.	मनुड़ा पुत्र चांद खां मुसलमान	13–12–78	109 आई.पी.सी.
6.	गोवन्दा पुत्र फूलचन्द सेवक	15–12–78	457, 380 आई.वी.सी.
7.	सी. ग्रो. भेरा पुत्र पोधा बागरी	19–12–78	304. 323 आई.पी.सी.
			114
8.	हाजी खां पुत्र अबू खां मुसलमान	19–12–78	366, 376 आई.पी.सी.
9.	गोरधन पुत्र पूरा भील	23–12–78	457, 380 आई.पी.सी.

राज्य में अधूरी जल प्रदाय योजनाएँ

319. **श्री गंगा सहाय (कठूमर)** : क्या जन स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में कितनी जल प्रदाय योजनाएं आज से 5 वर्ष पूर्व आरम्भ की गई थीं तथा इनमें से कितनी अधूरी पड़ी हुई हैं ?

(2) योजना बनाते समय उसकी कोस्ट आफ कन्सट्रक्शन क्या थी और अब रिवाइज्ड कोस्ट आफ कन्सट्रक्शन क्या है ?

(3) अब तक इन पर कितनी धनराशि खर्च की जा चुकी है ? प्रत्येक योजना की व्यय की जानकारी पृथक्-पृथक् देने की कृपा करें।

उत्तर

(1) आज से पांच वर्ष पूर्व अर्थात् 1973–74 में विभाग द्वारा कुल 29 जल प्रदाय योजना आरम्भ की गयी थीं। इन योजनाओं में आज के दिन केवल एक योजना निर्माणाधीन रही है। शेष सब संधारण में है।

(2) जो योजना आज तक निर्माणाधीन है उसकी आरम्भ की लागत 20.37 लाख रु. थी और आज उसकी लागत 26.19 लाख रु. है।

(3) इस निर्माणाधीन योजना पर अब तक (दिसम्बर, 78) रुपये 26.77 लाख धन राशि खर्च हो चुकी है।

सूची

क्र० सं०	योजना का नाम	जिला	स्वीकृत वर्ष	स्वीकृत लागत	संशोधित स्वीकृति	खर्चा दिसम्बर 78 तक
1.	क्षे० ज० प्र० यो०, जवाई हेमावास	जोधपुर	73–74	20·37 लाख	26·19 लाख	26·77 लाख

धौलपुर उपखंड में सरकारी आवास गृहों का निर्माण

320. श्री जगदीश सिंह (धौलपुर) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि भारत के स्वतन्त्र होने के पश्चात् आज तक धौलपुर उपखण्ड में राजकीय अधिकारीगण के लिए आवास व्यवस्था के लिए कोई निर्माण कार्य नहीं कराया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या वर्ष 1979–80 में धौलपुर मुख्यालय पर आवासीय व्यवस्था हेतु भवन निर्माण की योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है आवासीय निर्माण हेतु गुलाब बाग, ए. डी. एम. निवास और ए. एस. पी. निवास में पर्याप्त स्थान है ?

उत्तर

(1) जी हां। धनाभाव के कारण।

(2) निश्चित प्रस्तावों के प्राप्त होने पर राशि की उपलब्धता को देखते हुये विचार किया जावेगा।

(3) जी हां।

नगर पालिका मान टाऊन में प्रशासक की नियुक्ति

321. श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा)

श्री कुन्जीलाल (वामनवास) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने गत वर्ष राज्य की चुनी हुई नगरपालिकाओं को भंग कर उनमें प्रशासक नियुक्त कर दिये थे ?

(2) क्या यह सही है कि मान टाऊन-नगरपालिका (सवाईमाधोपुर) में कई वर्षों से नोमीनेट कमेटी कार्य कर रही है और आज तक भंग नहीं कर प्रशासक नहीं बिठाया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या राज्य सरकार शीघ्र नोमीनेट कमेटी को भंग कर प्रशासक नियुक्त करेगी ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या राज्य सरकार वहां राज्य की अन्य नगरपालिकों के चुनावों के साथ-साथ चुनाव करवायेगी ? यदि हां, तो कैसे जबकि मतदाता सूची तैयार नहीं की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 1977 में की गई थी।

(2) जी हां। नोटीफाईड एरिया कमेटी होने के कारण भंग नहीं की गई है क्योंकि नगरपालिकाओं को ही भंग किया गया था।

(3) अवधि समाप्त होने पर वर्तमान कमेटी के स्थान पर नियमानुसार अन्य वैकल्पिक व्यवस्था की जा सकेगी।

(4) अन्य नगर पालिकाओं के चुनावों के साथ इसका चुनाव कराना संभव नहीं होगा।

परिशिष्ट–3

अतारांकित प्रश्न संख्या 254 की सूची

अधीनस्थ शाला भवनों की सूची

क्र. सं.	शाला का नाम	भवन की स्थिति
1	2	3
1.	सेवाड़ा	अधूरा निर्माण।
2.	मोखातरा	उपयुक्त भवन नहीं है।
3.	साथरू	निर्माणाधीन।
4.	कूड़ा	उपयुक्त भवन नहीं है।
5.	जैतपुरा	,, ,,
6.	बामनवाड़ा	निर्माणाधीन।
7.	रूपावटी	उपयुक्त भवन नहीं है।
8.	घनवाड़ा	भवन कच्चा।
9.	वाडाभोजा	,, ,,
10.	डाडोकी	निर्माणाधीन।
11.	चान्डपुरा	उपयुक्त भवन नहीं है।
12.	दहीपुरा	,, ,,
13.	चाटवाड़ा	,, ,,
14.	तावीदर	,, ,,
15.	लाखावास	निर्माणाधीन।
16.	बरेठा	उपयुक्त नहीं है।
17.	मारीप	निर्माणाधीन।
18.	सामरानी	उपयुक्त नहीं है।
19.	कोटड़ा	निर्माणाधीन।
20.	करवाड़ा	उपयुक्त नहीं है।
21.	सूरजपाड़ा	—
22.	धूलिया	अपर्याप्त भवन है।

1		3
23.	केर	अपर्याप्त भवन है।
24.	रोड़ा	,, ,,
25.	दूवट	,, ,,
26.	वाडाल	,, ,,
27	सेवाड़िया	निर्माणाधीन।
28.	जालेरा खुर्द	कच्चा भवन।
29.	जालेरा कला	,, ,,
30.	गोलवाड़ा	निर्माणाधीन।

पंचायत समिति जसवन्तपुरा के अधीनस्थ शाला
भवनों की सूची

निम्न 12 विद्यालयों में अपने निजी भवन नहीं है। ये शालायें ग्राम के प्रतिष्ठित व्यक्ति द्वारा बताये गये मकान में चलाई जाती हैं :—

1. उचमत
2. जाविया
3. किवला
4. आम्बातरी
5. सणधरा
6. राजपुरा
7. शिवगढ़
8. धनपुरा
9. डेरडी
10. वाडागोगा
11. आजबर

निम्न पाठशालाओं में पाठ्य सामग्री पर्याप्त नहीं समझी जा रही है :—

1. जाविया
2. किबला
3. सणधरा
4. शिवगढ़
5. धनपुरा
6. डेरडी
7. वाडागोगा

परिशिष्ट–4

अतारांकित प्रश्न संख्या नं० 255 की सूची

काम के बदले अनाज योजना में 5000) रु० से अधिक लागत के स्वीकृत कार्य, जो जिलाधीश द्वारा स्वीकृत किये गए।

पंचायत समिति जैतारण (पाली)

क्र. सं. 1	नाम पंचायत 2	कार्य का नाम 3	सामग्री 4	मजदूरी 5	योग 6
1.	आगेवा	आगेवा गांव में पक्की नालियां	5,310	3,540	8,850
2.	देवरिया	पंचायत घर देवरिया	14,465	8,905	23,370
3.	सागावास	सागावास प्राथमिक शाला	9,975	6,140	16,115
4.	विरोल	बिकरलाई ,, ,,	8,750	5,385	14,135
5.	विरोल	ठाकरवास प्राथमिक विद्यालय	8,750	5,385	14,135
6.	गरनिया	गरनिया में गोचर	2,335	23,325	25,560

173

1	2	3	4	5	6
7.	बलुन्दा	नालियां निर्माण	7,240	4,460	11,700
8.	सेवरिया	चैनपुरा प्राथमिक शाला	8,750	5,385	14,135
9.	कुडकी	शाला भवन कोटलिया	8,750	5,385	14,135
10.	वैडकला	गांव में नालियां	7,200	4,440	11,640
11.	मूम्बलिया	प्रा० शाला भवन	26,925	16,625	43,550
12.	कुडको	पंचायत घर कुडको	14,470	8,900	23,370
13.	फालका	उप स्वास्थ्य केन्द्र फालका	14,840	9,140	23,980
14.	कुडको	कुडको शाला भवन	10,330	6,355	16,685
15.	फालका	उच्च प्राथमिक विद्यालय फालका	31,326	20,890	52,216
16.	फालका	फालका प्रा० शाला भवन	8,490	5,650	14,140
17.	निम्बोल	पंचायत घर निर्माण	14,020	9,350	23,370
18.	डिगरना	पंचायत घर का निर्माण	14,470	8,900	33,370
19.	डिगरना	प्रा० शाला भवन खराडो	8,480	5,660	14,140
20.	कैंकीन्दडा	प्रा० शाला भवन कैंकीन्दडा	8,480	5,660	14,140
21.	मूम्बलिया	प्रा० शाला भवन कठमोर	8,480	5,660	14,140

1	2	3	4	5	6
22.	मूम्बलिया	पंचायत घर मूम्बलिया	14,470	8,900	23,370
23.	ग्रोसरलाई	गौचर टैंक ग्रोसरलाई मरम्मत	2,300	22,990	25,290
24.	ग्रासरलाई	उच्च प्रा० विद्यालय भवन	54;750	36,510	91,260
25.	कालू	छापरिया तालाब को गहरा	600	6,790	7,470
26.	काबलिया	खारचिया में तालाब कार्य	4,490	27,510	32,000
27.	गरनिया	पृथ्वीपुरा प्रा० शाला भवन	24,390	16;350	40,640
28.	लाम्बिया	गावाई तालाब लाम्बिया	2,260	13;585	14;915
29.	लाम्बिया	नालियों का निर्माण लाम्बिया	9,505	5,850	15;255
30.	वैड़कला	ब्राह्मनिया नाडा मरम्मत	1,180	11;770	12,950
31.	केकीन्दडा	गौचर का दूजौड़ तालाब खुदाई	680	6,790	7,470
32.	चांवडिया	गौचर विकास कार्य	820	8,160	8,980
33.	रावडियावास	गौचर तालाब खुदाई	680	6,790	7,470
34.	बाजाकुडी	बाजाकुडी तालाब खुदाई	917	8,210	9,127
35.	रावडियावास	प्राथमिक शाला प्रतापुरा	8,750	5,385	14,135
36.	बाजाकुडी	बाजाकुडी तालाब खुदाई	917	8,210	9,127

(135)

1	2	3	4	5	6
37.	आसरलाई	उत्तर तालाब खुदाई	1,219	10,950	12,169
38.	आसरलाई	दक्षिण तालाब खुदाई	995	8,957	9,952
39.	मोहराई	समोखो तालाब खुदाई	572	5,148	5,720
40.	मोहराई	तालाब खुदाई मोहराई	572	5,148	5,720
41.	फालका	पिपाड़ा तालाब खुदाई	995	8,957	9,952
42.	फालका	तालाब खुदाई फालका	1,816	16,338	18,154
43.	फालका	आकोदिया तालाब खुदाई	995	8,957	9,952
44.	फालका	टीवडी तालाब खुदाई	913	8,217	9,130
45.	,,	पंचायत घर फालका	14,022	9,348	23,370
46.	सेवरिया	प्राथमिक शाला भवन सेवरिया	7,964	5,309	13,273
47.	पाडडा	भाभानवास पुलिया निर्माण	3,205	4,808	8,013
48.	लोटोति	प्रा० शाला भवन लोटोति	6,996	4,664	11,660
49.	ओसरलाई	पंचायत घर निर्माण ओसरलाई	14,022	9,348	23,370
50.	फूलमाल	तालाब खुदाई खिनावडी	572	5,148	5,720
51.	ग्रा० कालू	कालू गांव में सड़क	27,948	18,632	46,580

1	2	3	4	5	6
52.	बलुन्दा	तालाब खुदाई बलुन्दा	3,880	7,120	11,000
53.	लाम्बिया	लाम्बिया में सड़कें	30,730	24,480	55,210
54.	मोहराई	उप स्वास्थ्य केन्द्र मोहराई	16,533	11,022	27,555
55.	बलुन्दा	बलुन्दा गोचर विकास कार्य	1,645	16,435	18,080
56.	आगेवा	उच्च प्राथमिक विद्यालय आगेवा	15,415	10,280	25,695
57.	फालका	फालका में 55 हैक्टर गोचर विकास कार्य	2,460	24,580	27,040
58.	गरनिया	गरनिया से देवरिया रास्ते पर पुलिया	4,810	3,210	8,020
		योग	5,25,346	5,97,480	11,22,826

5000 से अधिक के कार्य जो स्वीकृति हेतु भेजे गये, परन्तु स्वीकृति प्रेषित करने हेतु जिलाधीश कार्यालय में विचाराधीन है।

क्र० सं०	नाम पंचायत	कार्य का नाम	दिनांक जब से विचाराधीन
1.	केकीन्दडा	गढ़ के पास तालाब निर्माण घनेरिया	22–1–79
2.	घोड़ावड़	प्रा० शाला भवन पिपलिया	,,
3.	वलाड़ा	तालाब खुदाई बलाडा	,,
4.	डिगरना	गरवाई तालाब खुदाई खराडी	27–1 -79
5.	गरनिया	गरनिया देवरिया रास्ते पर एनीकट निर्माण	,,
6.	बेडकला	तजाई नाडा रानीवाल	,,
7.	सागावास	गांवाई तालाब सागावास	,,
8.	,,	,, ,, माकरवास	,,
9.	,,	,, ,, जुभान्डा	,,
10.	चावन्डिया	हापू नाडा चावन्डिया	,,
11.	डिगरना	गांवाई तालाब डिगरना	,,
12.	लोटोति	,, ,, रामावास खुर्द	,,
13.	,,	,, ,, लोटोति	,,
14.	,,	लोटोति से खारिया सड़क	15–2–79
15.	डिगरना	गांवाई तालाब सिनला	27–1–79
16.	देवरिया	,, ,, देवरिया	,,
17.	पाटवा	,, ,, जाभनवास	,,
18.	,,	,, ,, राजादन्ड	,,
19.	घोडावड	,, ,, घोडावड	,,
20.	पाटवा	,, ,, पाटवा	,,
21.	घोडावड	,, ,, लासनी	,,
22.	,,	,, ,, पिपलिया	,,

(178)

काम के बदले अनाज योजना के तहत पंचायतों के प्रस्तावों की क्रियान्विति एवं उन पर अनाज उपलब्ध कराया गया।

दिनांक 15-2-79 तक

क्र० सं०	कार्य का नाम	गेहूं की उपलब्धी कराई गई मात्रा		
		क्वि०	किलो	ग्राम
1	2	3	4	5
1. वेडकला				
1.	खुर्रा निर्माण वेडकला	15	–	–
2.	वेड से पृथ्वीपुरा रोड	45	–	–
3.	वेड से लोटोति रास्ता	45	–	–
4.	पंचायत भवन बाउन्डरी वेड	29	72	100
5.	दादाई नाडा खुदाई रानीवाल	49	–	–
		183	72	100
2. देवरिया				
1.	देवरिया औषधालय	30	–	–
2.	देवरिया से गरनिया सड़क	45	–	–
3.	देवरिया तालाब खुदाई	45	–	–
		120	–	–
3. गरनिया				
1.	हुनावास प्रा० शाला बरामदा	33	–	–
2.	पीचका मरम्मत गरनिया	39	82	200
3.	पृथ्वीपुरा वेड सड़क	45	–	–
4.	हुनावास कला से खुर्द रास्ता	37	–	–
		154	82	200

1 2	3	4	5
4. पाठवा			
1. प्रा० विद्यालय राजादण्ड	30	–	–
2. बामनवास रास्ता पुलिया	48	–	–
3. बामनवास सांड निर्माण	39	96	300
	117	96	300
5. वाजाकूडो			
1. प्रा० विद्यालय कमरा	20	–	–
2. तालाब वाजाकुडी	81	91	300
	101	91	300
1. समीखो प्रा० शाला भवन	17	–	–
2. मोदराई शौचालय	18	–	–
3. समीखो तालाब खुदाई	50	–	–
4. मोहराई तालाब खुदाई	50	–	–
5. समीखो प्रा० शा० बाउण्डरी	13	8	300
	148	8	300
1. कावलिया प्रा० वि०	20	–	–
8. फालका			
1. फालका में खुर्रा निर्माण	20	–	–
2. पीपाडा तालाब खुदाई	89	–	–
3. फालका तालाब खुदाई	164	1	600
4. आकोदिया तालाब खुदाई	89	–	–
5. टीबडी तालाब खुदाई	83	4	400
6. पंचायत घर निर्माण	93	13	300
	538	19	300

1	2	3	4	5
9. रास				
1.	पाटन शाला भवन	20	–	–
2.	भीमगढ़ तालाब	40	–	–
3.	निम्बेटी तालाब	40	–	–
4.	केसरपुरा कुई निर्माण	19	60	500
		119	60	500
10. कुडकी				
1.	प्रा० वि० बगतावरपुरा	15	–	–
2.	पंचायत भवन कुडकी	27	–	–
3.	बगतावरपुरा कुई	26	19	900
4.	कुडकी तालाब	43	–	–
5.	कुडकी नालियां निर्माण	20	–	–
6.	कोटडिया कुई निर्माण	40	–	–
7.	मानपुरा कुई निर्माण	38	16	–
		209	35	900
11. आसरलाई				
1.	उत्तरी तालाब खुदाई	100	21	100
2.	दक्षिणी तालाब खुदाई	99	30	900
3.	आसरलाई से मुन्डावा रास्ते पर नाला	13	71	900
4.	आसरलाई टूकड़ा रास्ते पर तालाब	48	–	–
		261	23	900
12. आनन्दपुर कालू				
1.	कालू से फालका रास्ता	50	32	200
2.	कालू से बाकास रास्ता	50	32	200
3.	कालू पंचायत का कमरा	20	–	–
4.	कालू छात्रावास मरम्मत	10	–	–
		130	64	400

1	2	3	4	5
13. सागावास				
1. सागावास खिनावडी रास्ता		34	69	700
2. सागावास आबादी रास्ता		34	–	–
3. सागावास पीचका		12	–	–
4. माकरवास से नीमाज रास्ता		20	–	–
		100	69	700
14. सेवरिया				
1. प्राथमिक शाला निर्माण		53	67	–
2. प्राथमिक शाला चैनपुरा		46	29	300
		99	96	300
15. घोडावड				
1. प्रा० वि० पिपलिया		27	–	–
2. मुन्डावा प्रा० वि०		27	–	–
3. लासनी प्रा० वि०		27	—	—
4. पीपलिया मुन्डावा रास्ता		36	15	100
5. पीपलीया लासनी रास्ता		42	59	–
6. घोडावड प्रा० वि० कमरा		30	–	–
7. बेरी पीपलिया खुर्द		10	–	–
		199	74	100
16. निम्बोल				
1. गावाई पीचका खेलीकोठा		30	–	–
2. तालाब खुदाई		49	85	–
3. लितरिया प्रा० वि०		36	–	–
4. निम्बोल रास्ता मरम्मत		30	–	–
5. कानेचा रास्ता मरम्मत		10	–	–
6. कानेचा प्रा० शा०		30	–	–
7. कानेचा पीचका मरम्मत		30	–	–
		209	85	–

1	2	3	4	5
17. बलाडा				
1. नालियां निर्माण		27	–	–
2. धर्मशाला मरम्मत		5	68	–
3. बलाडा कालू रास्ते पर पुलिया		44	–	–
4. बलाडा तालाब के पास रास्ता		24	–	–
		100	68	–
18. रावडियावास				
1. प्रा० वि० रावडियावास		16	–	–
2. गोचर तालाब खुदाई		22	–	–
3. पेचिका से पंचायत रास्ता		44	87	400
4. पंचायत घर बाउन्डरी		17	–	–
		99	87	400
19. बलुन्दा				
1. तालाब खुदाई		50	–	–
2. नालियां निर्माण		39	58	–
		89	58	–
20. डिगरना				
1. प्रा० वि० बाउन्डरी खराडी		20	–	–
2. पीचका मरम्मत खराडी		15	–	–
3. खराडी तालाब खुदाई		29	86	300
4. प्रा० शा० मरम्मत सिनला		25	–	–
5. पीचका मरम्मत सिनला		10	–	–
		99	86	300

1	2	3	4	5
21. लोटोति				
1. प्रा० शाला भवन		46	22	200
22. फूलमाल				
1. खिनावडी तालाब खुदाई		51	–	–
23. विरोल				
1. प्रा० शाला० मालपुरिया		10	–	–
2. बालवाडी नाडी खुदाई		50	–	–
3. अमून नाडी खुदाई मालपुरिया		40	19	600
		100	19	600
24. आगेवा				
1. शौचालय निर्माण		20	–	–
2. पंचायत भवन बरामदा		24	–	–
3. आबादी खुर्रा निर्माण		8	–	–
4. जल निकास नाला आगेवा		8	–	–
5. जनासनी नाडी खुदाई		40	–	–
		100	–	–
25. मून्दलिया				
1. कठमोर स्कूल निर्माण		30	–	–
2. दयालपुर स्कूल निर्माण		29	96	100
3. रावतां की ढाणी तालाब		50	–	–
		109	96	100
26. टूकडा				
1. प्रा० वि० स्टोर रूम टुकडा निम्बेडा		8	–	–
2. प्रा० वि० निम्बेडा		10	–	–
3. टुकडा रियावाला रास्ता खुर्रा		15	35	900
4. निम्बेडा खुर्द से टुकडा रास्ता		30	–	–
5. सावतराम नाडी खुदाई		40	–	–
		103	35	900

184

1	2	3	4	5
27. लाम्बिया				
1. गावाई खुर्रा निर्माण		10	3	600
2. बगीची के पास खुर्रा निर्माण		10	–	–
3. गोपाल जी मन्दिर के पास खुर्रा		20	–	–
		40	3	600
28. केकीन्दडा				
1. पीचका मरम्मत केकीन्दडा		16	–	–
2. स्कूल बाउन्डरी ,,		6	–	–
3. धनेरिया पीचका		21	43	600
		43	43	600
29. चावण्डिया				
– निल	निल	–	–	–

कुल 107 कार्य हेतु 3700 क्विन्टल अनाज उपरोक्त लिखित अनुसार उपलब्ध कराया गया।

परिशिष्ट-5

अतारांकित प्र० सं० 267 की सूची

तहसील वार भू-आवंटन एवं कब्जा

तहसील का नाम	परिवार की संख्या जिनको भू-आवंटन किया गया।		कुल आवंटित भूमि एकड़ में		भूमि पर कब्जा किया गया	
	प्र० चरण	द्वि० चरण	प्र० चरण	द्वि० चरण	प्र० चरण	द्वि० चरण
बाड़मेर	311	74	3870	1192	255	70
सिवाना	108	155	644	1034	108	28
चोहटन	193	516	2707	5928	179	259
पचपदरा	182	90	2093	784	142	58
शिव	139	89	1780	214	138	9
योग:—	933	924	11094	11082	832	424

सूची परिवारों की जिनमें भू-आवंटन के लिये आवेदन किया ।

तहसील	आवेदन कर्ता		अब तक आवंटित नहीं की जा सकी	
	प्रथम चरण	द्वितीय चरण	प्रथम चरण	द्वितीय चरण
बाड़मेर	325	185	14	111
सिवाना	108	157	—	2
चोहटन	193	652	—	136
पचपदरा	188	461	6	371
शिव	140	293	1	204
योग :—	954	1748	21	824

परिशिष्ट-6

(अतारांकित प्रश्न संख्या 269 की सूची)

निम्नलिखित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को वर्ष 1978 में थाना कोतवाली, जयपुर में पारितोषिक दिये गये :—

क्रम संख्या 1	नाम अधिकारी/कर्मचारी 2	पद 3
1.	श्री अर्जुनसिंह	पुलिस उप अधीक्षक
2.	श्री सुमेरसिंह	पुलिस निरीक्षक
3.	श्री महावीरसिंह	पुलिस उप निरीक्षक
4.	श्री सत्यभानसिंह	,,
5.	श्री रूपसिंह	,,
6.	श्री भूपालसिंह	,,
7.	श्री आत्माराम	,,
8.	श्री दिनेशचन्द	,,
9.	श्री नोरताराम	,,
10.	श्री ओ. पी. पंवार	,,
11.	श्री मोहनलाल	सहायक पुलिस उप निरीक्षक
12.	श्री जीवनसिंह	,,
13.	श्री गोपाल पुरी	,,
14.	श्री हरीसिंह	,,
15.	श्री अफजल खां	,,
16.	श्री सालम खां	,,
17.	श्री बद्रीनारायण	,,
18.	श्री हरीराम	,,
19.	श्री करणसिंह नं० 2144	हैड कान्स्टेबल
20.	श्री रेवडसिंह नं० 3116	,,
21.	श्री लल्लू प्रसाद नं० 2079	,,
22.	श्री सोहनसिंह नं० 3703	,,
23.	श्री गोकुलसिंह नं० 2568	,,
24.	श्री सन्तलाल नं० 2890	,,
25.	श्री मोहनसिंह नं० 2930	,,

1	2	3
26.	श्री शिवनारायण	हैड कान्स्टेबल
27.	श्री हनुमानसिंह नं० 2574	,,
28.	श्री खुशीराम नं० 1741	,,
29.	श्री गरीबचन्द	,,
30.	श्री मूलचन्द नं० 3195	कान्स्टेबिल
31.	श्री बद्रीराम नं० 2735	,,
32.	श्री महावीरसिंह नं० 2695	,,
33.	श्री मंगलराम	,,
34.	श्री भंवरसिंह नं० 1819	,,
35.	श्री गनी खां नं० 1813	,,
36.	श्री श्रवणलाल नं० 2795	,,
37.	श्री पृथ्वीसिंह नं० 2678	,,
38.	श्री रामदेव नं० 2660	,,
39.	श्री रामगोपाल नं० 1326	,,
40.	श्री गोबिन्दसिंह नं० 1229	,,
41.	श्री हनुमानसिंह नं० 3247	,,
42.	श्री बंशीधर नं 2219	,,
43.	श्री बालीराम नं 1562	,,
44.	श्री राजकपूर नं० 2129	,,
45.	श्री भगवान सहाय नं० 3141	,,
46.	श्री दुर्गाप्रसाद नं० 2744	,,
47.	श्री अब्दुल रज्जाक नं० 1960	,,
48.	श्री किसनचन्द नं० 1617	,,
49.	श्री भगवानसिंह नं० 2256	,,
50.	श्री कालूराम नं० 1925	,,
51.	श्री बालासहाय नं० 2569	,,
52.	श्री रामसिंह नं० 2497	,,
53.	श्री फूलचन्द नं० 2445	,,
54.	श्री चन्दनसिंह नं० 2940	,,
55.	श्री नरपतसिंह नं० 2826	,,
56.	श्री सरदारारास नं० 2151	,,

1	2	3
57.	श्री लल्लूलाल नं० 3237	कान्सटेबल
58.	श्री बनेसिंह नं० 2993	,,
59.	श्री हीरालाल नं० 1237	,,
60.	श्री समर्थाराम नं० 1144	,,
61.	श्री श्यामबिहारी नं० 3103	,,
62.	श्री हरिसिंह नं० 3225	,,
63.	श्री हजारीलाल नं० 1231	,,
64.	श्री महावीर प्रसाद नं० 2748	,,
65.	श्री छोटूराम नं० 3272	,,
66.	श्री मुंशी खां नं० 3138	,,
67.	श्री फूलचन्द नं० 1270	,,
68.	श्री बृजेन्द्र कुमार नं० 1257	,,
69.	श्री कमल प्रकाश नं० 2393	,,
70.	श्री सरदारसिंह नं० 2614	,,
71.	श्री सुरजनसिंह नं० 2388	,,
72.	श्री जस्सूसिंह नं० 1106	,,
73.	श्री यासीन खां नं० 2863	,,
74.	श्री चतरसिंह नं० 1426	,,
75.	श्री अलाद्दीन खां 1355	,,
76.	श्री काशीराम ड्राईवर	,,
77.	श्री इब्राहिम खां	,,

परिशिष्ट–7

(अतारांकित प्रश्न सं० 270 की सूची)

वर्ष 1977-78 में जयपुर शहर में हुए अपराधों की सूची ।

सन्	कत्ल	मानव हत्या	डकैती	रोबरी	नकबजनी	चोरी	बलवा	अन्य आई. पी. सी.	योग
1977	10	5	3	120	732	2135	402	1189	4596
1978	21	1	1	106	564	1854	478	1949	4974

(७१)

वर्ष 1977, 1978 में राजस्थान के शहरों में हुए अपराधों की सूची

क्र. सं.	शहर का नाम	कत्ल	मानव हत्या	डकैती	रोबरी	नकबजनी	चोरी	बलवा	अन्य आई.पी.सी.	योग
1977										
1.	जयपुर	10	5	3	120	732	2135	402	1189	4596
2.	अजमेर	5	—	—	13	42	222	83	534	899
3.	बीकानेर	2	—	3	27	104	178	92	50	456
4.	जोधपुर	7	—	1	47	199	449	169	633	1505
5.	कोटा	14	2	1	45	293	622	137	135	1249
6.	उदयपुर	4	1	6	22	193	277	151	565	1219
1978										
1.	जयपुर	21	1	1	106	564	1854	478	1949	4974
2.	अजमेर									
3.	बीकानेर	5	—	5	18	122	120	107	227	604
4.	जोधपुर	11	—	—	45	195	413	178	648	1490
5.	कोटा									
6.	उदयपुर	3	—	—	19	129	251	124	544	1070

परिशिष्ट–8

(अतारांकित प्रश्न सं० 271 की सूची)

क्र. सं.	नाम फरियादी	मुलजिम का नाम	जुर्म धारा
1	2	3	4
काबिल दस्तन्दाजी पुलिस रिपोर्ट्स			
1.	श्री रामकिशन पुत्र नारायण माली	अज्ञात	380 सा० हि०
2.	श्री रामचन्द्र गुजर सा. गुडानाथावतान	ट्रक ड्राईवर श्री उमरावलाल	279/337 ,,
3.	श्री दुर्गालाल सा. गोरधनपुरा अध्यक्ष ग्राम सेवा तह० समिति, माटूंदा	अज्ञात	436 ,,
4.	श्री फतेहसिंह. एस.एन.ओ. सदर	हजारीलाल मेघवाल, बजपुरा	4(2) एवं. म.नि. अधिनियम
5.	श्री उदाराम सा. शाहपुरा	नन्दा, उदा, भोज्या, सुरज्या, मुस. वरजी सरजू गूजरान, शाहपुरा	147/323/504 ता० हि०
रिपोर्ट नाकाबिल दस्तन्दाजी पुलिस			
6.	श्री शम्भुसिंह नि. बालापुर	देवा, भोज्या, गूजरान सा. देवपुरा	427 ता० हि०
7.	श्री धन्नालाल सा. सोलोर	कजोड, परसा, राधा-किशन, काछीवान	498 ,, ,,
8.	श्री प्रतापसिंह नि. कुवारती	माडू. भोपा शोपुरिया	107 आ० पी०
9.	श्रीमती लछमा राजपूत नि. भेरपुरा	प्रीतमसिंह, हरबख्श सिख, बूंदी	,,
10.	श्री नन्दलाल मेघवाल नि. सोलोर	भंवरलाल नि. सोलोर	,,
11.	श्री भागसिंह सिख सा. भंवरकामाल	चंचल, भगता, छीतर सा. सरस्वती खेड़ा	,,

1	2	3	4
12.	श्री फुंदीलाल मीणा नि० वहादुरपुरिया	श्योकरण मीणा सा. वहादुरपुरिया	323 ता० हि०
13.	श्री चन्द्रलाल गूजर नि. भोजपुरा	श्योदान, रामदेव व मोड़ू भीनमान	107 ता० पी०
14.	श्री श्योराम मीणा सा. गुन्डलिया	रामनारायण मीणा नि. गुण्डालिया	323 ता० हि०
15.	श्रीमती कल्याणी पत्नी देवीलाल माली निवासी बम्बोरी	श्री नन्दा, वालू माली नि. बम्बोरी	,,
16.	श्री ग्रमरा चमार सा. बोडकोटा	प्रभु चमार नि. काटुनारा	323/504ता०हि०
17.	श्री नन्दा नि. देवपुरा	पन्ना व सुगना नि. देवपुरा	107 ता० हि०
18.	श्री गिरीराज पुत्र शिवानन्द, देवपुरा	ग्रोमप्रकाश नि. देवपुरा	504 ता० हि०

सूचना

क्रम. सं.		मुकदमा नं./वर्ष व धारा	नाम मुलजिमान
1.	7/79	325/323/ता० हि०	श्री जोगेन्द्रसिंह, नि० बावड़ी खेडा।
2.	12/79	324/325/34 ता० हि०	श्री गुरुदेवमल पंजाबी, श्रीओमप्रकाश नि० नानकपुरा।
3.	13/79	333/307/379 ता० हि०	श्री चतुर्भुज नि० करजुणा, श्री रामनाथ मेघवाल, श्री मांगीलाल बलाई, श्री गोबरिया भील। श्री दल्ली चन्द मीणा, श्री हजारी मीणा सा० सोन्ती।
4.	16/79	379 ता० हि०	श्री दानाराम कंजर, नि० रामनगर। श्री रेशमिया कंजर, सा० रामनगर।
5.	17/79	324/323/34 ता० हि०	श्री चन्दनसिंह, श्री जस्सासिंह, श्री श्री बल्कारसिंह, श्री कश्मीरासिंह।
6.	18/79	323/325/34 ता० हि०	श्री घासी रेबारी, श्री हजारा रेबारी सा० भीम का खेड़ा।
7.	20/79	279/337 ता० हि०	श्री उमराव लाल मीणा सा० अलवर।
8.	10/79	325 ता० हि०	श्री जफरअली साकिन बूंदी।
9.	25/78	380 ता० हि०	श्री प्रभु पुत्र सुखा गुजर नि० भवानीपुरा।
10.	80/78	332/353/147/148 ता० हि०	श्री मुनिया कंजर नि० रामनगर, श्री भागा कंजर नि० रामनगर।
11.	21/79	436 ता० हि०	श्री रामनारायण पुत्र राधावल्लभ ब्राह्मण, निवासी माटूंदा।
12.	22/79	4(2) एच. मध्य नि. अधिनियम	श्री हजारी मेघवाल निवासी छत्रपुरा।

परिशिष्ट 9

(अतारांकित प्रश्न संख्या 273 का विवरण)

संलग्न विवरण :—

जिला सतर्कता समिति द्वारा पुलिस अधीक्षक नागौर तथा उपखण्ड अधिकारियों एवं प्रशासक नगर पालिका अथवा सम्बन्धित विभाग को एफ. आई. आर. दर्ज करवाने के निर्देश दे दिये गये हैं। ऐसे मामले निम्न हैं :—

( ) श्री लालाराम शोभाराम भावी सा० नाला खुर्द तह० नागौर की शिकायत पर उप खण्ड अधिकारी, नागौर को लिखा गया उन्होंने थानाधिकारी थाना सिवसर को लिखा कि प्रार्थी के खत से सिटिया ले गये हैं। अतः इस पर जांच व आवश्यक कार्य-वाही की जावे। इस पर थाना अधिकारी शिवसर ने जांच की और जो पार्टी (मुल-जीमान) प्रार्थी की सिटिया ले गई उनके विरुद्ध कोर्ट में 29-11-77 को चालान पेश कर दिया।

(2) नगरपालिका लाडनूं का पाइप गायब होने की शिकायत श्री आत्माराम व्यास, लाडनूं प्राप्त होने पर प्रशासक ने जांच करवा कर दिनांक 1-5-78 की बैठक में निर्णय लिया कि प्रशासक इस मामले को पुलिस में देवे, प्रशासक ने 22-7-78 को मामला पुलिस में भेजा। शिकायतकर्त्ता ने सूचित किया कि नगर पालिका द्वारा इस मामले में उचित ढंग से पैरवी नहीं करने पर पुलिस द्वारा मामले में एफ० आर० दे दी गई है। इस पर सतर्कता समिति ने 1-1- 79 को निर्णय लिया कि पुलिस अधीक्षक, नागौर इस सम्बन्ध में दुबारा जांच उप पुलिस अधीक्षक, डीडवाना से करवायें। जांच अभी भी जारी है।

(3) राष्ट्रीय हरिजन छात्रावास, डीडवाना में 75-76 की सहायता का गबन व फर्जी रिकार्ड तैयार करने-यह मामला समाज कल्याण विभाग राज० जयपुर के यहां से विधान सभा में दिये गये आश्वासन पर कार्यवाही करने के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ। मामले की जांच पुलिस अधीक्षक महोदय नगौर को 31-5-78 को सौंपी गई। यह मामला जांच में चल रहा है। गबन संबंधी मामला नहीं पाये जाने की सूचना पुलिस विभाग द्वारा बताई जाने पर उन्हें कहा गया कि जो रिकार्ड जांच का आधार बनाया जा रहा है, वह रिकार्ड फर्जी तैयार किया गया है। अतः पुलिस विभाग को कहा गया कि फर्जी रिकार्ड तैयार किये जाने के सम्बन्ध में जांच की जावे। अभी यह जांच चल रही है।

(4) लाडनूं क्षेत्र में मंडलीय परीक्षा के हिसाब की जांच के सम्बन्ध में यह शिका-यत प्राप्त होने पर शिक्षा विभाग द्वारा जांच करवाई गई, मगर रिकार्ड आदि नहीं मिल

पाने के कारण दिनांक 30-11-78 की जिला सतर्कता को समिति की बैठक में मामले को पुलिस को देकर जांच करवाने के निर्देश दिये गये। पुलिस को मामला शिक्षा विभाग नागौर द्वारा भिजवाया गया मगर एफ० आई० आर० दर्ज इसलिए नहीं की गई कि गबन सम्बन्धी आंकड़े नहीं थे। इस पर अब सतर्कता समिति ने निर्देश दिया कि विभाग इसका पहले आडिट करवा कर सही आंकड़ों से एफ. आई. आर. दर्ज करवाये। यह निर्देश 28-2-79 को हुई जिला सतर्कता समिति की बैठक में दिये गये हैं।

(5) श्री डालचन्द चौहान, भू० पू० सदस्य लाडनूं नगरपालिका द्वारा शिकायत बाबत–नगर पालिका लाडनूं में गड़बड़–इस मामले में उप खण्ड अधिकारी डीडवाना से जांच करवाई गई। जांच से 6 मामलों में गड़बड़ी की जाना पाया गया। अतः इन 6 मामलों को ही पुलिस में देकर जांच करवाई जाने का उप खण्ड अधिकारी, डीडवाना की सतर्कता समिति द्वारा दिनांक 30-11-78 को निर्देश दिया गया। पुलिस विभाग द्वारा इन मामलों के मुकदमें दर्ज कर दिये गये हैं और अनुसंधान जारी है।

(6) नगरपालिका लाडनूं में 196·50 पै० का गबन शिकायत द्वारा श्री आत्माराम व्यास, लाडनूं इस मामले पर जांच करने के बाद प्रशासक नगरपालिका लाडनूं द्वारा 3-1-79 को मामला पुलिस में दर्ज करवा दिया गया है।

(7) श्री बच्छराज नाहटा लाडनूं द्वारा शिकायत बाबत एलोटमेंट आदेश फर्जी होने पर इस मामले की शिकायत प्राप्त होने पर अतिरिक्त जिलाधीश नागौर से जांच करवाई गई जांच की फोटो स्टेट कापी जो शिकायत के साथ पेश हुई थी उनके मुताबिक कोई आदेश अलाटमेंट का होना नहीं पाया गया है। इस पर दिनांक 20-1-79 को उप खण्ड अधिकारी डीडवाना को सारे रिकार्ड भिजवा कर इन मामलों को पुलिस में दिये जाने के निर्देश दिये गये। जिस पर यह मामला उनके द्वारा दि० 17-2-79 को पुलिस में दर्ज करवा दिया गया है।

प्रश्न संख्या (2) के संबंध में :—

केसेज की तफतीश आदि के स्टेज के सम्बन्ध में प्रगति का ब्यौरा प्रश्न एक के उत्तर में दर्शाया गया है।

प्रश्न संख्या (3) के संबंध में :—

अब तक उपरोक्त 7 मामलों में से 1 मामले का चालान हुआ है जिसके अनुसार चालान का प्रतिशत 15 आता है। अन्य कोई मामला नहीं है।

प्रश्न संख्या (4) के संबंध में :—

इन मामलों में शीघ्र अनुसंधान व चालान करने की कार्यवाही के लिये पूर्ण प्रयत्न किये जा रहे हैं।

परिशिष्ट–10

(अतारांकित प्रश्न सं० 274 की सूची)

भरतपुर निर्वाचन क्षेत्र के शहर भरतपुर और ग्रामीण क्षेत्र में वर्ष 77 व 78 में हुई नकबजनी व चोरी की सूची।

क्र. सं.	वर्ष	शहरी क्षेत्र				ग्रामीण क्षेत्र			
		नकबजनी	चोरी	बरामदगी		नकबजनी	चोरी	बरामदगी	
				नकबजनी	चोरी			नकबजनी	चोरी
1.	1977	44	193	11	34	3	10	1	2
2.	1978	28	162	8	34	2	10	—	1

परिशिष्ट 11

अतारांकित प्रश्न संख्या 279 का विवरण

जयपुर नगर की देशी मदिरा दुकान व वर्ष 1973–74 का विवरण

क्रमांक	नाम दुकान		अनुज्ञाधारी	प्राप्त राशि	विशेष विवरण
	मुख्य दुकान	उप दुकान			
1	2	3	4	5	6
1.	हीदा की मोरी	मंडी खटीकान	1. श्री मुनीरखां पुत्र मोलाबक्स । 2. धन्नाराम पुत्र श्री नारायण	2,71,000	
2.	समन्दरकरण	गंगापोल	1. श्री लालमोहम्मद पुत्र भूरेखां । 2. सरवरखां पुत्र महताबखां 3. श्री धन्नाराम पुत्र श्रीनारायण 4. घनश्याम पुत्र टोपनदास ।	5,00,000	
3.	खुर्रा धाभाई	—	श्री मोहन लाल पुत्र चतरमुज ।	5,51,126	
4.	कोठी रैंगरान	कोलियों की कोठी	1. श्री हाकिम अली पुत्र सकरू खां । 2. धन्नाराम पुत्र श्रीनारायण ।	3,51,000	
5.	अजमेरी गेट	गांधी नगर	1. श्री लालूखां पुत्र खाजूखां । 2. सुभानगनी पुत्र बुहरानखां । 3. श्री छोटूखां पुत्र मन्नूखां 4. लाल मोहम्मद पुत्र बुहरानखां ।	10,84,000	

1 2	3	4	5	6
6. चांदपोल	बनीपार्क शीतल निवास	1. श्री मांगीलाल पुत्र भूरेखां। 2. रमजान अली पुत्र ईदू।	13,51,551·61	
7. गनगौरी गेट	ब्रह्मपुरी	श्री श्रीनारायण पुत्र नरपत सहाय।	7,77,777·77	
8. लालकोठी	आदर्श नगर	श्री झंगाराम पुत्र रूपचन्द।	9,45,001·25	
9. पुराना घाट	चौकी घाट	श्री झंगाराम पुत्र रूपचन्द।	3,02,501·55	
10. स्टेशन जयपुर	सौडाला झोटवाड़ा	श्री घुडमल पुत्र जगदीश।	15,51,101·51	
11. दुर्गापुरा	—	श्री लक्ष्मण कुमार पुत्र आसनदास 2. डल्लूमल पुत्र कीमतराम।	1,45,500·00	
		योग	78,30,554·99	

जयपुर नगर की देशी मदिरा दुकान व वर्ष 1974–75 का विवरण

क्रमांक	नाम दुकान		अनुज्ञाधारी का नाम	प्राप्त राशि	विशेष विवरण
	मुख्य दुकान	उप दुकान			
1	2	3	4	5	6
1.	हीदा की मोरी	मंडी खटीकान	श्री चैनसिंह पुत्र अर्जुनसिंह	8,00,000	
2.	समन्दरकरण	गंगापोल	श्री चिरंजीलाल, नारायणसिंह वगैरह	6,51,777.77	
3.	खुर्रा धाभाई	—	श्री मोहनलाल पुत्र चतुर्भुज	5,81,100·00	
4.	कोठी रंगरान	कोलियान की कोठी	श्री रामलाल पुत्र सीताराम	9,50,000·00	1-4-74 से 1-11-74 तक ठेकेदार द्वारा एवं 2-11-74 से 31-3-75 तक राजकीय स्तर पर।
5.	अजमेरी गेट	गांधीनगर	1. श्री सुगनखां पुत्र कमरुखां 2. श्री यासीमखां पुत्र बल्लूखां	12,66,666.66	
6.	चांदपोल	बनीपार्क शीतल निवास	श्री रहमतखां, श्री सोहनलाल, श्री मांगीलाल	25,51,521.97	

1	2	3	4	5	6
7.	गनगौरी गेट	ब्रह्मपुरी	श्री चिरंजीलाल, नारायणसिंह वगैरह	10,11,111.11	
8.	लालकोठी	आदर्शनगर	उपरोक्तानुसार	11,50,777.77	
9.	पुराना घाट	चौकी घाट	श्री मूलचन्द पुत्र प्रभुमल	5,50,000.00	
10.	स्टेशन जयपुर	सौडाला झोटवाडा	श्री रहमतखां, श्री सोहनलाल, श्री मांगीलाल	25,51,521.91	
11.	दुर्गापुरा	—	श्री मोहनलाल पुत्र चतरभुज	1,99,900.00	
			योग	1,23,64,377.25	

९०१

जयपुर नगर की देशी मदिरा दुकान व वर्ष 1975-76

क्रमांक	दुकान का नाम		अनुज्ञाधारी	प्राप्त राशि	विशेष विवरण
	मुख्य दुकान	उप दुकान			
1	2	3	4	5	6
1.	हीदा की मोरी	मंडी खटीकान (वार्ड नं. 7)	गंगानगर शुगर मिल्स लि० जयपुर	82,39,716	
2.	समन्दर करण	गंगापोल	,,		
3.	खुर्रा धाभाई	—	,,		
4.	घाटगेट	वार्ड नं. 26	,,		
	(कौठी रंगरान)	(कोलियान की कौठी)	,,		
5.	अजमेरी गेट	गांधीनगर	,,		
6.	चांदपोल	वनीपार्क शीतल निवास	,,		
7.	गनगोरी गेट	ब्रह्मपुरी	,,		
8.	लालकोठी	आदर्श नगर	,,		
9.	पुराना घाट	चौकी घाट	,,		
10.	स्टेशन जयपुर	सौडाला झोटवाड़ा	,,		
11.	दुर्गापुरा	—	,,		
12.	सांगानेर	—	,,		
13.	आमेर	—	,,		
14.	नीदड़ बैनाड़	—	,,		
15.	कानोता	—	,,		
16.	भांकरोटा	—	,,		
17.	जगतपुरा	—	,,		
18.	मुंडिया रामपुरा	—	,,		
19.	नायला	—	,,		

जयपुर नगर की देशी मदिरा दुकान व वर्ष 1976–77

क्रमांक	नाम दुकान		अनुज्ञाधारी	प्राप्त राशि	विशेष विवरण
	मुख्य दुकान	उप दुकान			
1	2	3	4	5	6
1.	हीदा की मोरी	वार्ड नं. 7 (मंडी खटीकान)	1. देशराज पुत्र बाबूराम लि० गुड़गांव।	1,52,02,090·00 ग्रुप	
2.	समन्दरकरण	गंगापोल	2. चिरन्जी लाल पुत्र नाथूराम।		
3.	खुर्रा धाभाई	—	3. सतपाल पुत्र निरन्जन दास।		
4.	घाटगेट	वार्ड नं. 26 (कोलियान की कोठी)	4. राजकिशन पुत्र सरदाराम लि० पटियाला।		
5.	अजमेरी गेट	गांधी नगर	5. मदन लाल पुत्र प्रभुमल।		
6.	चांदपोल	1. बनीपार्क 2. शीतल निवास	6. वेद प्रकाश पुत्र सांवतराम।		
7.	गणगौरी गेट	ब्रह्मपुरी	7. सतपाल पुत्र चिरन्जी लाल नि० करनाला।		
8.	लालकोठी	आदर्शनगर	8. समरनाथ पुत्र रामचन्द्र ,,		
9.	पुरानाघाट	चौकीघाट	9. सूरजभान पुत्र बरदूमल नि० पटियाला।		

1	2	3	4	5	6
10.	स्टेशन जयपुर	1. सौडाला 2. झोटवाड़ा	10. मदनसिंह पुत्र दिलीपसिंह भाटिया नि० दिल्ली ।		
			11. इकबाल सिंह पुत्र जीवन सिंह नि० चण्डीगढ़ ।		
11.	दुर्गापुरा				
12.	सांगानेर	मुदाना			
13.	आमेर				
14.	नीदड़ बैनाड़ा				
15.	कानौता				
16.	भांकरोटा				
17.	जगतपुरा				
18.	मुडियारामपुरा				
19.	नायला				

जयपुर नगर की देशी मदिरा दुकान व वर्ष 1977–78

क्रमांक	नाम दुकान		अनुज्ञाधारी	प्राप्त राशि	विशेष विवरण
	मुख्य दुकान	उप दुकान			
1			2 3 4 5	6	7
			श्री गुरुदयाल सिंह एण्ड पार्टी		
1.	हीदा की मोरी	वार्ड नं. 7 (मंडी खटीकान)	1. श्री देशराज पुत्र बाबूराम अग्रवाल नि० गुडगांव	2,05,81,881,99 ग्रुप	
2.	समन्दरकरण	गंगापोल	2. श्री सतपाल पुत्र निरन्जनदास ।		
3.	घाटगेट	वार्ड नं० 26 (कोलियान की कोठी)	3. श्री रामकिशन पुत्र सरदाराम नि० पटियाला		
4.	अजमेरी गेट	गांधीनगर	4. श्री मदनलाल पुत्र प्रभुमल नि० पटियाला ।		
5.	चांदपोल	1. बनीपार्क 2. शीतल निवास	5. श्री वेद प्रकाश पुत्र सांवतराम नि० पटियाला ।		
6.	गणगौरी गेट	ब्रह्मपुरी	6. श्री सूरजभान पुत्र कच्चूमल नि० पटियाला ।		
7.	लालकोटी	आदर्शनगर	7. श्री सतपाल पुत्र चिरन्जीलाल नि० बरनाला ।		
8.	पुरानाघाट	चौकीघाट	8. श्री समरनाथ पुत्र रामचन्द्र नि० बरनाला ।		

205

1		2	3	4	5	6	7
9. स्टेशन जयपुर	1. सौडाला 2. झोटवाड़ा	9. श्री गुरुदयाल सिंह पुत्र सुजनसिंह नि० रामपुरा फूल ।					
10. खुर्रा धाभाई	—	10 श्री भोजाराम पुत्र चिमन लाल नि० गढ़ी हरसा ।					
11. दुर्गापुरा	—	11. श्री इकबालसिंह पुत्र जीवनसिंह नि० चण्डीगढ़ ।					
12. सांगानेर	मुहाना						
13. कानौता							
14. झांकरोटा							
15. आमेर	कूकस						
16. नीदड़ बैनाड़ा							
17. जगतपुरा							
18. मुडियारामपुरा							
19. नायला							
20. वाटिका							
21. गोनेर							
22. दौलतपुरा							

परिशिष्ट–12

(अतारांकित प्रश्न संख्या 285 की सूची)

चुंगी आय की सूची सदन की पटल पर रखने हेतु ।

वर्ष		चुंगी आय
1.	1974–75	70,204,000
2.	1975–76	1,02,313,000
3.	1976–77	1,30,279,000

परिशिष्ट 13

अतारांकित प्रश्न संख्या 294 की सूची

नौहर तहसील में समस्याग्रस्त ग्रामों की सूची

क्र. सं.	ग्राम का नाम	क्र. सं.	ग्राम का नाम
1.	अनुवाला	29.	दलपथपुरा
2.	अर्धकी	30.	थानियासर
3.	असरजाना-	31.	दीपलाना
4.	बछुधर	32.	डिडासा
5.	बडबिराना	33.	देवासर
6.	बालासर	34.	बेस्रा वन्धेला
7.	बंगासर	35.	धाई मरियान
8.	बनासर	36.	धेन्धुसर
9.	बारामसर-रामकन	37.	ढाणी चारण
10.	बोरवाली	38.	ढाणी सखान
11.	बुंझासर	39.	धन्नेसर
12.	भगवान	40.	धानियासर
13.	भगवानसर	41.	घानिया
14.	भेरुनसर	42.	धूतकी चायलान
15.	मांगुली	43.	धूलकी जाटान
16.	भवतदेसर	44.	धोरदेसर
17.	भोगराना	45.	धूमेश्वर
18.	भुकराना	46.	बूघली
19.	विरकाली	47.	पोगला
20.	ब्राह्मणवासी	48.	गन्धेली
21.	बुधवालिया	49.	गंगल
22.	छांया	50.	गिराजसर
23.	चौक देवदासपुरा	51.	गोगामोरी
24.	चौक राजासा	52.	गोरथाना
25.	चन्देरी बड़ी	53.	गुडिया
26.	चन्देरी छोटी	54.	हमीरदेसर
27.	चारणवासी	55.	हरदेस्थली
28.	चेलासरी	56.	जबरासर

क्र. सं.	ग्राम का नाम	क्र. सं.	ग्राम का नाम
57.	जनसिया	90.	मेडला-डाडी
58.	जसना	91.	मालासर
59.	जाडासर	92.	मालिया
60.	जोगियासन नं. 1	93.	मलकेसर
61.	जोगियासन नं. 3	94.	मालवानी
62.	जोधासर	95.	मखेरपुरा
63.	जोघासर	96.	मनखेरिया
64.	जोरावरपुरा	97.	मंघाना
65.	कालासोर II	98.	निमकदेसर
66.	कालासोर I	99.	मोटर
67.	ग्रन्सार	100.	मन्सारी
68.	कमयानी	101.	नगरासरी
69.	करमसाना	102.	नोहराना
70.	का रोती	103.	नयासर
71.	कालनिया	104.	नामू
72.	केसरदेसर	105.	मूमना
73.	सरसन्दी	106.	निरवाल
74.	खडासरी	107.	नीहर ग्रामीण
75.	खोपरा	108.	नवतली
76.	खोहरा	109.	पदमपुरा
77.	जुयान	110.	पालू
78.	किकराली	111.	कक्सा
79.	किकरालिया	112.	पदनदूसर
80.	कोलासर	113.	पाहलोका
81.	कुलचासर	114.	पक्काकारसी
82.	लेडम	115.	पहाडका
83.	लखासर	116.	परवसर
84.	लखेरा	117.	राजपुरसीया
85.	लालनिया	118.	रामगढ
86.	लालनवास जोटासरी	119.	रामपुरा
87.	लालनवासी नथवानिया	120.	रानीसर
88.	लानवास उतरादा	121.	रेशनपुरा
89.	लूनासर	122.	रतनपुरा

क्र. सं.	ग्राम का नाम	क्र. सं.	ग्राम का नाम
123.	रतनदेसर	134.	भूरपुरा
124.	रस्तुसर	135.	सोटी परिहारी
125.	रावतसर	136.	सुरजांगसर
126.	सांगधषिया	137.	थालरका
127.	सरदारपुरा	138.	थोराना
128.	सरूपदेसर	139.	टोडियासर
129.	सेरासर	140.	तोपरियान
130.	रोग्रदुलिया	141.	उदासर
131.	सरानी	142.	उदासर बड़ा
132.	सिरांगसर	143.	बिसरांगसर-ढांणी सगान
133.	सांडी		

प्रश्न 2 की सूची

क्र. सं.	ग्राम का नाम	अनुमानित लागत लाख रुपये में	जनसंख्या 1971 की जनगणना के अनुसार
1.	रामगढ़	3·64	3878
2.	परलिका	3·47	4050
3.	मगवान	2·02	1368 पानी दिया जा रहा है।
4.	मुखरका	4·00	3723
5.	ईईदास	2·32	1301 पानी दिया जा रहा है।
6.	तोपरिया	2·18	1447 पानी दिया जा रहा है।
7.	सौंथी	6·375	2799

परिशिष्ट 14

अतारांकित प्रश्न संख्या 295 की सूची

प्रश्न एक व दो की सूची

क्र सं.	नई स्वीकृत योजना का नाम	स्वीकृत धन राशि	बजट प्रावधान	खर्चा फरवरी 79 तक	कार्य आरम्भ का समय
1	2	3	4	5	6
1.	क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना सेहला खुडेरा पार्ट–II	4·00 लाख	1·30 लाख	63,285·00	अक्टूबर, 79
2.	क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना शेरगा झंझऊ–नारसीसर	5·37 लाख	1.62 लाख	4,822·00	जनवरी, 79
3.	क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना मंगलूना लाल शोमसर	28·44 लाख	13·00 लाख	1,66,500·00	फरवरी, 79
4.	क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना सेडो की ढाणी	25·05 लाख	12·00 लाख	1,36,000·00	फरवरी, 79
5.	क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना नोरंगसर खारिया बडा	4·50 लाख	1·50 लाख	1,18,000·71	दिसम्बर, 79

1	2	3	4	5	6
6.	क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना बन्धनेऊ पाटलीसर गोमीतिया	4·00 लाख	1·30 लाख	—	—
7.	टांका जल योजना डेगा	4·00 लाख	1·30 लाख	—	—
8.	टांका जल योजना कोडासर	4·05 लाख	1·70 लाख	—	—
9.	श्यामपुरा छाजूसर	4·00 लाख	1·30 लाख	0·48 लाख	जनवरी, 79
10.	हरपालू–कुबडी बेरासर गुंमाना	4·00 लाख	1·30 लाख	0·69 लाख	जनवरी, 79

(214)

प्रश्न 3 की सूची तारानगर तहसील

S. No.	Village	Population 1971
1	2	3
1.	Punsisar	1692
2.	Somsisar	555
3.	Ramiya Tunda	2338
4.	Dheerwas	3229
5.	Kalwas	1271
6.	Dabri	628
7.	Jharsan Gangia	190
8.	Meghsar	706
9.	Radi	734
10.	Bhadang	904
11.	Bhurawas	784
12.	Sarayan	1378
13.	Thelana	372
14.	Punras	94
15.	Biliya	79
16.	Jharulri	1
17.	Jharsar Kandhlani	1073
18.	Bain	2686
19.	Jhotera	641¼61
20.	Shvapure	182
21.	Pandiriya Tiba	781
22.	Banra	711
23.	Bhanin	1896
24.	Dulheri	334
25.	Bhalan	1265
26.	Kalas	703
27.	Nethwa	570
28.	Raiwasi	359
29.	Karnisar	15
30.	Lunas	380

1	2	3
31.	Gudhana	649
32.	Kohina	1483
33.	Galgati	148
34.	Lakhanwas	165
35.	Raitana	190
36.	Bhaleri	1661
37.	Togawas	970
38.	Khartwas	422
39.	Bnchawas	2860
40.	Sulchwasi	198
41.	Pandiriyatal	370
42.	Ghalso Anguna	326
43.	Rojani	72
44.	Chongoi	1602
45.	Jagana Tal	568
46.	Sghaniya	251
47.	Jagana Tiba	485
48.	Mahatma	76
49.	Gagutiya Chanal	467
50.	–do– Kachawatan	285
51.	–do– Puttachangoi	66
52.	Balia	168
53.	Karanpura	306
54.	Godas	482
55.	Annand singhpura	917
56.	Chaldoi Bikan	347
57.	–do– Kinchdan	97
58.	Kharuwasiya	292
59.	Gogatiya Bauwater	293
60.	Bigram	139
61.	Dahmapata Santhiya	412
62.	Dhani Kumahran	913
63.	Anyala	493
64.	Rampura	506

1	2	3
65.	Santhya	3182
66.	Rajpura	2692
67.	Dhani Punkya	345
68.	Abhipura	211
69.	Horthal	574
70.	Jharasarbara	351
71.	Hadiyal	1392
72.	Dhani Motisingh	262
73.	Dhanapata Rajpura	256
74.	Dheengi	812
75.	Rangheri	279
76.	Ludriya	467
77.	Bassarayan	486
78.	Bhamra	440
79.	Maudawas	301
80.	Gujiwas	804
81.	Dhana Bhakran	224
82.	Ghasla Altun	107/61
83.	Mookhala	630
84.	Jharsar Chota	485
85.	Doosar (Sardasher)	473

List of the Problem Villages Rajgarh Tehsil
Proposed to be covered in II Phase

1	2	3
86.	Birami Palla	311
87.	Dayawath	475
88.	Malawas	655
89.	Sidmukh	3486
90.	Dhani Chhoti	800
91.	-do- Badi	970

1	2	3
92.	Sadpura	665
93.	Rajpuria	342
94.	Bhimsana	741
95.	Chumbkiyagarh	5372
96.	Ransara Tiba	180
97.	Kisanpura	271
98.	Tunda Khedi	204
99.	Ramsar Tal	824
100.	Galar	1706
101.	Taba Khedi	814
102.	Dhaninath Badi	1364
103.	Nagar Choti	746
104.	–do– Badai	837
105.	Dumki	1044
106.	Harisiyawas	1157
107.	Dhigarala	1524
108.	Chainpura Bada	912
109.	Ehiramikhalasa	752
110.	Dantal	345
111.	Charawala	87
112.	Jodhawos	192
113.	Bhanlhada	265
114.	Kasurni	149
115.	Lilaki	750
116.	Ghanau	1437
117.	Kalal Kotala	222
118.	Dhana	710
119.	Kyali	867
120.	Bhagela	1359
121.	Guwalisar	943
122.	Ghota Badi	1138
123.	Indasar	527
124.	Shopura	331

218

1	2	3
125.	Dhithi	742
126.	Bhatoda	297
127.	Pahasar	1063
128.	Dhadhal Lekhu	437
129.	Marwasi	686
130.	Kishanpuriwas	663
131.	Chanana	496
132.	Bungi	901
133.	Mithadi	479
134.	Mahlana Utrada	792
135.	-do- Dhikhanada	750
136.	Dholiya	536
137.	Dadarewa	2916
138.	Nyangli	353
139.	Lakhalana	907
140.	Dhadhal Kata	152
141.	Dhadhal Shera	230
142.	Gulpura	683
143.	Ludi Khula	114
144	-do- Badi	215
145	Lutan Raju	68
146.	Lutan Magani	117
147.	Lutan Sadasukhi	115
148.	Lutan Amichand	120
149.	Lutan Purana	227
150.	Lahsedi	588/61
151.	Ghota Chhoti	547
152.	Sadan	584
153.	Than Mathur	530
154.	Bhamkaran	641
155.	Ragha Badi	949
156.	Kanadaran	857
157.	Gagora	489

1	2	3
158.	Khemana	333
159.	Jangali	93
160.	Bhamsi	671
161.	Bhuwadi	1683
162.	Amarpura	599
163.	Mundi Bari	205
164.	–do– Tal	862
165.	Ratanpura	1467
166.	Kalodi	389
167.	Jaipuriya Khalsa	325
168.	Dokawa	1034
169.	Khedi	420
170.	Devipura	502
171.	Khasiya	244
172.	Kalana	636
173.	Rantal	217
174.	Maganan	222
175.	Bagawa	686
176.	Karawasi	368
177.	Karasar Bada	210
178.	Kalori	1070
179.	Bhijan	1081
180.	Bas Bhawand	375
181.	Kirtan	619
182.	Rampura	2085
183.	Bheasali	1079
184.	Bhamasid	530
185.	Bagdawa	293
186.	Sardarpura	983
187.	Dandansultansingh	330
188.	Bas Kirtan	466
189.	Rawatsar Kunjala	1148
190.	Rabudi	369

(२२०)

1	2	3
191.	Sama Turu' li	686
192.	Sana Khaltal	1017
193	Narangpura	1553
194.	Budawas	640
195.	Nuhanad	1805
196.	Bas Mundi (entoute)	215
197.	Kaman	482
198.	Inderpura	396
199.	Basasar Gumana	362
200.	Harpaluramsukh	15
201.	Harpalu Kubadi	637

List of Entoute village of Nohar Tehsil Proposed to be covered up in Tara Nagar scheme. II Phase.

परिशिष्ट 15

अतांराकित प्रश्न सं० 296 की सूची

प्रश्न एक की सूची

सन् 77-78 में झालावाड़ में स्वीकृत हैण्ड पम्पों की सूची

क्र० सं०	ग्राम का नाम	तहसील	जनसंख्या 1971 की	हैण्ड पम्प की संख्या
1.	हीयर	खानपुर	500	3
2.	बोहरा	,,	546	3
3.	सरखडिया	,,	603	3
4.	डूण्डी	,,	448	2
5.	मियार	,,	409	2
6.	बोरदा	,,	356	2
7.	भूयरी	,,	459	2
8.	अकावदा खुर्द	,,	440	2
9.	अम्बाला	,,	405	2
10.	अकोदिया	,,	856	4
11.	सिथालिया	झालरापाटन	442	2
12.	मोतीपुरा	,,	468	2
13.	मोगोदिया	,,	417	2
14.	सीताफल	,,	436	2
15.	सालोरिया	,,	443	2
16.	बिरया खेडीकला	,,	419	2
17.	बन्जारी	,,	412	2
18.	जूबा खेड़ा	,,	1107	6
19.	मोबरा	पचपहाड़	1110	6
20.	बहरावड़	,,	463	2
				53

परिशिष्ट 16

(अतारांकित प्रश्न संख्या 302 की सूची)

नैयड क्षेत्र के ग्रामों की सूची

क्र० सं०	ग्राम का नाम	आबादी—71
1	2	3
1.	आकोडिया	121
2.	बगसडी	378
3.	बालेरा	496
4.	वांक	625
5.	ममल	330
6.	वरनाया	552
7.	भादसग	49
8.	भटको	860
9.	महाबास	165
10.	भवातकाड	231
11.	मुवाना	358
12.	छारणीन	625
13.	गौरा	17711
14.	दांतियां	933
15.	घोगपुरा	310
16	मसीफा	885
17.	गोमी	275
18.	हड़िया	1736
19.	हिन्दवाडा	543
20.	होलीगांव	1302
21.	इसरोल	667
22.	इटावा	540
23.	जानवी	934
24.	जेसला	181
25.	झोंटड़ा	810
26.	गोयाबास	963
27.	जोडासर	312
28.	कोडेला	663
29.	गेरिया	4818
30.	केसूरी	1054
31.	आसरयों	5380

1	2	3
32.	खेडाडियाली	1640
33.	मैडा	114
34.	मेलावास गुसाई	587
35.	मण्डाली	181
36.	मरटवा	108
37.	मेखयाल चारनान	11
38.	मलधरा	513
39.	निम्बाउ	709
40.	प्रादरली	40
41.	रायपुरा	313
42.	रतनपुरा	748
43.	खोदर	1505
44.	वसोडा	420
45	रिडका	120
46.	मकरिया	420
47.	सांगउधा	595
48.	सरवना	1339
49.	सिलोसरा	372
50.	सिवाडा	1394
51.	सूधान	354
52.	तातड़ा	341
53.	रालोडान	479
54.	छितलथाना	4296

२२५

परिशिष्ट 17

अतारांकित प्रश्न सं० 306 की सूचना

गत 4 माह में देरी से संचालित परिचक्रों एवं निरस्त परिचक्रों की संख्या

माह	निर्धारित परिचक्रों की संख्या	देरी से संचालित परिचक्रों की संख्या	निरस्त परिचक्रों की संख्या
नवम्बर, 78	3879	274	388
दिसम्बर, 78	3465	406	278
जनवरी, 79	3282	336	193
फरवरी, 79	3696	286	320

परिशिष्ट 18

(अतारांकित प्रश्न सं० 262 की सूची)

भीलवाड़ा जिले की पंचायतों की सूची जिसमें वाहन नहीं जाती है

क्र. सं.	ग्राम पंचायत समिति	नाम पंचायत
1	2	3
1.	हुरड़ा	1. टोकरवास
		2. जालमपुरा
		3. गढवालों का खेड़ा
2.	मान्डल	4. धुवाला (केरडा)
		5. चिलेश्वर
		6. सुराल
		7. टहुका
		8. रामपुरिया
		9. आलमाल
		10. कबरालिया
3.	सुवाणा	11. सेथुरिया
		12. भालोला
		13. आरजिया
		14. सिदलियास
		15. स्यासेलो
		16. कान्दा
		17. आमली
		18. पीपलो
		19. स्वरूपगंज
		20. ओखाड़ा
4.	शाहपुरा	21. मंडोलिया
		22. कादोसाना
		23. सम्भारी
		24. हुकमपुरा

1	2	3
		25. कनेछनखुर्द
		26. देवरिया
		27. फुलियाखुर्द
		28. इटमारिया
5.	जहाजपुर	29. भरणीकला
		30. जामोली
		31. बिहाला
		32. धुवाला
		33. गंगाथला
		34. रावत खेड़ा
		35. खेड़ादा बरोदा
		36. श्रामलदा
		37. गुढा
		38. मनोहरपुरा
		39. बाकरा
		40. बोई
6.	मान्डलगढ़	41. राजगढ़
		42. गडोली
		43. मोहनपुरा
		44. श्राचरोल
		45. जटवाड़ा
		46. जालिया
		47. सुराल
		48. बिजोलिया खुर्द
		49. थडोदा
		50. गोपालपुरा
		51. उमाजीका खेड़ा
		52. विक्रमपुर
		53. मकेडो
7.	रायपुर	54. खाखरमाला
		55. पालरा

1	2	3
		56. गजवा
		57. भागोलिया
8. सहाड़ा		58. चावन्डिया
		59. डिसर
		60. कांगणी
		61. शिवरती
		62. नक्शा
		63. उल्लई
		64. अरणीया
		65. सुरावास
9. कोटड़ी		66. जावल
		67. मन्सा
		68. गहूली
		69. ककोरोलिया घाटी
		70. रोठ
		71. उदलियावास
		72. लखाडिया
		73. कडला
		74. गंगाका खेड़ा
		75. जीवाका खेड़ा
		76. सुठेफा
10. बनेड़ा		77. बामनिया
		78. मुशी
		79. धरटा
		80. राक्षी
		81. लाम्बीया खुर्द
		82. बालेशरिया
		83. लाम्बीया कला
		84. बरण
		85. भोजपुर
		86. लुलास

1	2	3
11. आसीन्द		87. बाजुन्दा
		88. भादसी
		89. रतनपुर
		90. दातडा
		91. बोरला
		92. रतनपुर (भादसी)
		93. करजालिया
		94. मोगर
		95. वडावा

परिशिष्ट 19

अतारांकित प्रश्न संख्या 309 की सूची

प्रश्न संख्या 2 के भाग की सूची

शाफ्ट डिजाइन के बने हुये कुछ जलाशयों के साधनों की सूची

1.	श्री हनुमान गढ़ टाउन	जि० हनुमानगढ़
2.	श्री गर्जसिंहपुरा	"
3.	श्री केशरीसिंहपुरा	"
4.	डूंगरगढ़	जि० चूरू
5.	खासोली	"
6.	गुन्दोजा	जि० पाली
7.	पाली	"
8.	सौलू छजारा	जि० जालौर
9.	पुमासा	"
10.	मारवाड़ छापरी	"
11.	मोगास	"
12.	पील मांगरोल	"
13.	पिव्यक	जि० जोधपुर
14.	खेजडली	"